चतुर्दश माला, खंड 28, अंक 4

गुरूवार, 16 अगस्त, 2007
25 श्रावण, 1929 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

ग्यारहवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)



Committee & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No.....63.....
Dated.....6 Oct 2008

(खण्ड 28 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी. डी. टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए. के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक–I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक–II

सुनीता थपलियाल
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

चतुर्दश माला खंड 28, ग्यारहवां सत्र, 2007/08 (शक)

अंक 4, गरुवार, 16 अगस्त, 2007/25 श्रावण, 1929 (शक)

विषय	कॉलम
जर्मनी के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
* तारांकित प्रश्न संख्या 61	1-5
प्रश्नों के लिखित उत्तर	7-452
* तारांकित प्रश्न संख्या 62 से 80	7-125
अतारांकित प्रश्न संख्या 521 से 750	125-452
सभा पटल पर रखे गए पत्र	454-456
राज्य सभा से संदेश	457
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
उन्नत्तीसवां प्रतिवेदन	457
रक्षा संबंधी स्थायी समिति	
उन्नीसवां, बीसवां और इक्कीसवां प्रतिवेदन	457
खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति	
बीसवां प्रतिवेदन	458
श्रम संबंधी स्थायी समिति	
बाईसवां प्रतिवेदन	458
गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति	
एक सौ अट्ठाईसवां प्रतिवेदन	458
साक्ष्य	459
परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति	
एक सौ इक्कीसवां और एक सौ बाईसवां प्रतिवेदन	459

---

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) अमरीका के साथ असैनिक नाभिकीय ऊर्जा सहयोग

श्री प्रणब मुखर्जी 453-454

(दो) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, वित्त और विकास निगम के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्रीमती मीरा कुमार 459-460

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2007-08

श्री पी. चिदम्बरम 461

भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) विधेयक, 2007 461

भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 2007 के बारे में विवरण

श्री पी. चिदम्बरम 461

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) महाराष्ट्र में जलाशयों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए राज्य सरकार को धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री हंसराज गं. अहीर 462

(दो) राजस्थान के जयपुर में जलमहल की सफाई के लिए नियत बकाया धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री गिरधारी लाल भार्गव 462

(तीन) रक्षा आयुध निर्माणियों को पर्याप्त क्रयादेश दिए जाने की आवश्यकता

श्री राकेश सिंह 462-463

(चार) गुजरात राज्य में नोटरी पब्लिक का कोटा 625 से बढ़कार 1000 किए जाने की आवश्यकता

श्री काशीराम राणा 463

(पांच) अरूणाचल प्रदेश में राज्य पुलिस को सशक्त बनाने और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक विशेष केन्द्रीय सहायता पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

श्री कीरेन रिजीजू 463-464

(छह) उत्तर प्रदेश के बरेली में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 पर बाईपास के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री संतोष गंगवार 464

(सात) पश्चिम बंगाल राज्य को हाल ही में पुनर्गठित जूट सलाहकार बोर्ड और जूट विकास परिषद में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिए जाने की आवश्यकता

श्री स्वदेश चक्रवर्ती 464-465

(आठ) केरल के वालधार और मुन्नुधी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 की आवधिक मरम्मत किए जाने की आवश्यकता

श्री एन.एन. कृष्णदास 465

(नौ) उत्तर प्रदेश के सलेमपुर, देवरिया में एक रसोई गैस बिक्री केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिकेवल प्रसाद 465-466

(दस) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत लगाए गए मजदूरों को दैनिक मजदूरी प्रदान करने के लिए मजदूरी की निबन्धन और शर्तों में परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता

श्री पारसनाथ यादव .....

(ग्यारह) महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के लिए कोंकण विकास बोर्ड का सृजन किए जाने के लिए तुरन्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु 466-467

(बारह) कटक को जे एन एन यू आर एम में शामिल करने तथा मूलभूत शहरी सुविधाओं में सुधार के लिए स्थानीय निकायों को शक्तियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री भर्तृहरि महताब 467-468

(तेरह) तमिलनाडु के अरूप्पूकोट्टई, शिवकाशी में कम्प्यूटरीकृत रेल आरक्षण काउंटर खोले जाने की आवश्यकता

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई 468

(चौदह) केरल के मालाबार क्षेत्र में लोगों के लाभार्थ थलासरी से मैसूर तक रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार 468

(पन्द्रह) केरल के एर्णाकुलम और पालक्कड जिलों में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों द्वारा किए गए कुल ऋणों का 70 प्रतिशत तक ऋण नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्तपोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री के. फ्रांसिस जार्ज 468-469

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश के विभिन्न भागों में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति 469-470

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 471-472

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 472-478

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 479-480

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 479-482

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

गुरुवार, 16 अगस्त, 2007 25 श्रावण, 1929 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

जर्मनी के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मैं एक अत्यंत सुखद घोषणा करना चाहता हूं।

मैं अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से भारत की यात्रा पर आए हमारे सम्माननीय अतिथि जर्मन बंडेसटैग के प्रेसीडेंट महामहिम डा. नोरबर्ट लोमर्ट, तथा जर्मन संसदीय शिष्टमंडल के माननीय सदस्यों का स्वागत करता हूं।

यह शिष्टमंडल मंगलवार, 14 अगस्त, 2007 को भारत पहुंचा और वह इस समय विशेष प्रकोष्ठ में विराजमान है। हम कामना करते हैं कि हमारे देश में इन अतिथिगणों का प्रवास सुखद और सार्थक हो। हम उनके माध्यम से जर्मन संघीय गणराज्य की संसद, सरकार और वहां की मैत्री प्रिय जनता के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय : अब हम प्रश्न सं. 61 को लेते हैं। श्री अनवर हुसैन

[अनुवाद]

रेलवे जंक्शनों/स्टेशनों पर वाई-फाई प्रणाली स्थापित करना

+

*61. **श्री अनवर हुसैन :***

श्री किन्जरपु येरननायडु :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की अनुषंगी इकाई 'रेलटेल' 500 रेलवे जंक्शनों/स्टेशनों पर वाई-फाई प्रणाली स्थापित करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रणाली की क्या मुख्य विशेषताएं हैं तथा यह प्रणाली स्थापित करने के लिए किन-किन जंक्शनों/स्टेशनों का चयन किया गया है;

(ग) इस प्रणाली से यात्रियों को क्या लाभ होने की संभावना है; और

(घ) चयनित जंक्शनों/स्टेशनों पर यह प्रणाली कब से काम करना शुरू कर देगी और इसे देश के सभी जंक्शनों/स्टेशनों पर कब तक स्थापित किया जायेगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) रेलटेल एक पायलट योजना के रूप में आरंभ में 50 स्टेशनों पर वाई-फाई प्रणाली स्थापित करने की योजना बना रही है।

(ख) इस प्रणाली के अंतर्गत बेस स्टेशन तथा ग्राहक परिसर उपस्कर (सीपीई) होते हैं। ये बेस स्टेशन उन स्टेशनों पर स्थापित किए जाएंगे जो लगभग 1 कि.मी. के क्षेत्र को कवर करते हों। वाई-फाई की विशेषताओं वाले ग्राहक परिक्षेत्र उपस्कर (सीपीई) को प्रत्येक बेस स्टेशन द्वारा कवर किए जाने वाले क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर स्थापित किया जायेगा। इस प्रणाली से ब्रॉडबैंड इंटरनेट एवं वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकोल (वीओआईपी) आदि की सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं। संलग्न अनुबंध में चुने गये स्टेशनों की अनंतिम सूची दी गई है।

(ग) इन स्टेशनों पर यात्रीगण अपने लैपटॉप और अन्य वाई-फाई सामर्थ्य वाले उपकरणों द्वारा ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा का उपयोग कर सकते हैं।

(घ) 20 स्टेशनों को मार्च, 2008 तक परिचालित किए जाने की संभावना है और शेष 30 स्टेशनों पर 2008-09 में यह प्रणाली चालू कर दी जायेगी। पायलट योजना के परिणाम के आधार पर इस प्रणाली का विस्तार अन्य स्टेशनों तक किया जायेगा।

अनुबंध

50 स्टेशनों की सूची

क्रम सं.	स्टेशन का नाम
1	2
1.	गाजियाबाद
2.	रेवाड़ी

1	2
3.	गुड़गांव
4.	दिल्ली (मंरेप्र कार्यालय)
5.	नया आजादपुर
6.	नरेला
7.	सोनीपत
8.	पानीपत
9.	घरौंदा
10.	करनाल
11.	तारोरी
12.	कुरूक्षेत्र
13.	शाहबाद मारकंडा
14.	मेरठ सिटी
15.	मुजफ्फरनगर
16.	शम्भू
17.	राजपुरा
18.	सरहिंद
19.	खन्ना
20.	चाकपिल
21.	सानेहवाल
22.	फिल्लोर
23.	फगवाड़ा
24.	ब्यास
25.	जंडियाला
26.	अमृतसर
27.	दिल्ली (थॉमसन रोड़)
28.	हजरत निजामुद्दीन
29.	तुगलकाबाद
30.	फरीदाबाद
31.	बल्लभगढ़
32.	असौटी
33.	पलवल
34.	जम्मूतवी
35.	मुरादाबाद
36.	पठानकोट
37.	सवाई माधोपुर
38.	चकसु
39.	सिरसा
40.	कल्याण
41.	सोलापुर
42.	गुलबर्गा
43.	महालक्ष्मी
44.	चाम्पनेर रोड़
45.	पिपलोद
46.	दाहोद
47.	थंडला रोड़
48.	बमनिया
49.	भुसावल
50.	इगतपुरी

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मध्याह्न १२ बजे से पूर्व किसी भी मद पर कार्यवाही नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रो. मल्होत्रा यह मेरे विचाराधीन है। मुझे नोटिस प्राप्त हो गया है तथा यह मेरे विचाराधीन है। मुझे इसका अध्ययन कर लेने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कह चुका हूं कि मैं आपको इसे प्रश्नकाल के बाद उठाने की अनुमति दूंगा, कृपया सहयोग करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल स्थगित करने के लिए कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। आज कोई नोटिस नहीं दिया गया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न करें। कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हमारी बातों में इस देश के लोगों और बाहरी दुनिया में हमारी कैसी छवि बन रही है। हमारी बातों का उन पर क्या असर हो रहा है? आप अत्यंत गैर जिम्मेदार तरीके से बर्ताव कर रहे हैं; आप अध्यक्षपीठ से सहयोग नहीं कर रहे हैं। आप सभा की कार्यवाही भी चलने नहीं देना चाहते हैं। मुझे यह कहते हुए अत्यंत खेद हो रहा है आप में उत्तरदायित्व की कोई भावना नहीं है। मैं आपके व्यवहार से अत्यंत शर्मिन्दा हूं। मुझे नहीं लगता है कि यह संसद कार्य करने का हकदार है।

सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पूर्वाह्न 11.30 बजे

लोकसभा पूर्वाह्न 11.30 बजे पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, मैंने आपको प्रिविलेज मोशन का नोटिस दिया है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यह मेरे विचाराधीन है।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : आप 12 बजे हमें यह मामला उठाने का मौका दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरे आने के बाद, सुबह ही मुझे नोटिस प्राप्त हुआ है। यह मेरे विचाराधीन है। मुझे इसका अध्ययन कर लेने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रो. मल्होत्रा यह बर्ताव करने का तरीका नहीं है। आप लम्बे समय से इस सभा के सदस्य हैं। आप नए सदस्य नहीं हैं। आप प्रक्रिया के सभी नियम जानते हैं। किसी भी तरह से यह प्रश्नकाल से पूर्व नहीं आता। आप यह भली–भांति जानते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सभा अकेले मेरी नहीं है। यदि आप सभा की कार्यवाही चलने नहीं देना चाहते हैं, तो यह सभा नहीं चलेगी। कह दीजिए और सरकार को निर्णय लेने दीजिए की क्या करना है।

कृपया कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित न करें।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष द्वारा वचनबद्धता का कोई प्रश्न ही नहीं है। यह कई बार मैं कह चुका हूं। मैंने ग्यारह बजे भी यह बात दोहराई थी। मेरे आश्वासन के बावजूद, मेरे कक्ष में दिए गए आश्वासन के बावजूद, सभा की कार्यवाही में जानबूझ कर व्यवधान डाला जा रहा है, जबकि विदेश से आए अतिथि दर्शक–दीर्घा में विराजमान हैं। उनके सामने ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है। आप मुझसे निजात पा लें। जब तक मैं यहां बैठा हुआ हूं, तब तक मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आप क्यों बोल रहे हैं?

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप जो चाहते हैं, वह करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस सभा में 545 सदस्य हैं। मैं उन्हीं में से एक हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य जी, मैंने जो भी घोषणा की है, वह आपके अपराह्न 11.00 बजे एक से अधिक बार सुनी होगी। आप सभा की कार्यवाही को इस प्रकार बाधित नहीं कर सकते। और आप यह चाहते हैं कि अध्यक्ष आपको अभी वचन दें। कृपया नियमानुसार पद्धति अपनाकर मुझ से निजात पा लें।

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अकेले आप ही देश के बारे में चिंतित नहीं हैं। मैं भी देश के बारे में चिंतित हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या केवल आप ही देश के बारे में चिंतित हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बताएं कि क्या आप सभा की कार्यवाही चलने देना चाहते हैं या नहीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल अपना खेद प्रकट कर सकता हूं। मैं इस संबंध में सभा के सभी पक्षों से अपील कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है। आप लोगों को मैंने बोला है कि कोई भी मामला अथवा मुद्दा जो कि अनुमेय है, की अनुमति दी गई है तथा उस पर चर्चा करने की अनुमति दी जायेगी, परन्तु नियमानुसार आप मुझे बाध्य नहीं कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

अ.जा./अ.ज.जा. हेतु निजी क्षेत्र में रोजगार में आरक्षण

***62. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :**
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग जगत के नेताओं ने यह वक्तव्य दिया है कि वे अनुसूचित जातियों (अ.जा.) और अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा.) के लोगों को रोजगार का अवसर देने के लिए तैयार हैं किन्तु वे निजी क्षेत्र में अनिवार्य रोजगार आरक्षण के खिलाफ हैं जैसाकि दिनांक 15 जुलाई, 2007 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र में अ.जा. और अ.ज.जा. को रोजगार में आरक्षण देने के लिए एक समन्वय समिति का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो उसकी बैठक में जिन मुद्दों पर बातचीत की गई उसका ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) इस समिति ने इस संबंध में एक अंतरिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में अ.जा. और अ.जा.जा. को रोजगार में आरक्षण देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार) : (क) से (छ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के युवाओं की इच्छाओं को पूरा करने के लिए उद्योग और अन्य परिसंघों के साथ वार्ता आरंभ करने के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में निहित प्रतिबद्धता के प्रत्युत्तर में, मंत्रियों का एक समूह गठित किया गया था। समूह की पांच बार बैठक हुई और उन्होंने शीर्ष उद्योग परिसंघों के प्रतिनिधियों से भी विचार-विमर्श किया। उद्योग परिसंघ सकारात्मक कार्रवाई के पक्ष में थे किन्तु आरक्षण के पक्ष में नहीं। वार्तालाप की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, एक समन्वय समिति गठित की गई। समिति ने दो बैठकें की। चर्चा के दौरान आचार संहिता विकसित करने, देश तथा विदेश में प्रमुख शैक्षिक संस्थानों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति के माध्यम से क्षमता निर्माण हेतु मात्रात्मक लक्ष्य, कोचिंग कार्यक्रम, उद्यमीय विकास और प्रशिक्षण, निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों का आंकड़ा आधार तैयार करने जैसे मुद्दे प्रमुख रूप से उभरे।

समन्वय समिति ने अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। उद्योग परिसंघों के साथ चर्चा के दौरान निम्नलिखित बिन्दु सामने आए :-

(i) भारतीय उद्योग संघ (सीआईआई) और एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) ने सकारात्मक कार्रवाई की आचार संहिता तैयार की है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री (फिक्की) भी इसी प्रकार की कार्रवाई योजना को शीघ्र ही तैयार करने के लिए सहमत हो गई है।

(ii) उद्योग परिसंघ, स्किल सेट के विकास और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों में उद्यमीय योग्यता विकसित करने के लिए अपने प्रयासों को तेज करने का इच्छुक है।

(iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के पक्ष में रोजगार में सकारात्मक भेद-भाव पर आम सहमति थी अर्थात् यदि अन्य बातें समान हों, तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

(iv) इंडस्ट्री चैम्बर्स, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति रोजगार के बारे में आंकड़ों की सूचना देने पर सहमत हैं।

(v) स्वैच्छिक आचार संहिता के अनुपालन को मॉनीटर करने के लिए उद्योग परिसंघों द्वारा लोकपाल नियुक्त किया जाएगा।

'सेल' और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का निवेश प्रस्ताव

*68. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) का वर्ष 2010 तक देश में इस्पात उत्पादन को बढ़ाने हेतु 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) अपनी महत्वाकांक्षी आधुनिकीकरण और विस्तार योजनाएं चला रहे हैं। 49,000 करोड़ रुपए की वर्तमान निर्देशात्मक लागत पर आधुनिकीकरण करने और तप्त धातु के मौजूदा 14.6 मिलियन टन वार्षिक (2006–07) उत्पादन को 2010–11 तक 26 मिलियन टन वार्षिक करने के लिए सेल ने अपने संयंत्रों में क्षमता विस्तार करने का प्रस्ताव किया है। संयंत्रों में उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के अतिरिक्त, योजना में अप्रचलित प्रौद्योगिकियों को हटाना, ऊर्जा खपत में कमी करना, उत्पाद–मिश्र में सुधार करना, प्रदूषण नियंत्रण उपायों का उन्नयन करना तथा अधिक उत्पादन के लिए सभी संयंत्रों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं को बढ़ाने का प्रस्ताव है।

सेल ने सभी प्रमुख इस्पात संयंत्रों अर्थात् इस्को स्टील प्लांट, बोकारो इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, और सेलम इस्पात संयंत्र के विस्तार को पहले ही अनुमोदित कर दिया है। विस्तार योजना का संयंत्र–वार ब्यौरा निम्नानुसार है :–

(मिलियन टन)

सेल	तप्त धातु का मौजूदा उत्पादन	तप्त धातु की प्रस्तावित क्षमता	लागत*
आईएसपी	0.78	2.91	8,871 करोड़ रुपए
डीएसपी	2.06	3.5	5,549 करोड़ रुपए
आरएसपी	2.12	4.5	7,668 करोड़ रुपए
बीएसएल	4.59	7.44	8,399 करोड़ रुपए
बीएसपी	4.82	7.5	11,262 करोड़ रुपए
एसएसपी	0.18**	0.34**	1,419 करोड़ रुपए

(*संस्टेनैस स्कीम्स को छोड़कर)

(** विक्रेय इस्पात)

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) ने 11,200 करोड़ रुपए की वर्तमान निर्देशात्मक लागत पर तप्त धातु के मौजूदा उत्पादन 4.05 मिलियन टन वार्षिक (2006–07) उत्पादन को बढ़ाकर वर्ष 2009–10 तक 6.50 मिलियन टन करने के लिए अपनी क्षमता का विस्तार करने का प्रस्ताव किया है। कार्य शुरू हो चुका है।

[हिन्दी]

विदेशी पर्यटक

*64. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :**
श्री रायापति सांबासिवा राव :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2004–05 की तुलना में वर्ष 2006–07 में 30 जून तक विदेशी पर्यटकों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान पर्यटन से प्राप्त विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में विभिन्न पर्यटक स्थलों पर विदेशी पर्यटकों से कई गुणा राशि वसूल की जाती है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार द्वारा स्मारकों पर प्रवेश हेतु टिकट के रूप में विदेशी पर्यटकों से लिए जा रहे प्रवेश शुल्क को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) सरकार द्वारा और अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) जनवरी–जून, 2005 की तुलना में जनवरी–जून, 2007 के दौरान विदेशी पर्यटक आगमनों में प्रतिशत वृद्धि 30.5% है।

(ख) वर्ष 2005 और 2007 में जनवरी–जून की अवधि के दौरान, भारत में पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय क्रमशः 2661 और 3590 मिलियन अमरीकी डालर होने का अनुमान है।

(ग) और (घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) केन्द्र संरक्षित टिकट वाले स्मारकों में निम्न प्रकार प्रवेश शुल्क चार्ज करता है :–

(i) "क" श्रेणी के स्मारकों (विश्व विरासत स्थलों) में विदेशी पर्यटकों से 250/–रुपए अथवा 5 डालर और स्वदेशी पर्यटकों से 10/–रुपए।

(ii) "ख" श्रेणी के स्मारकों (विश्व विरासत स्थलों के अलावा अन्य टिकट वाले स्थल) में विदेशी पर्यटकों से 100/–रुपए अथवा 2 डालर और स्वदेशी पर्यटकों से 5/–रुपए।

(ङ) यह निर्णय लिया गया है कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन (सार्क) और बे ऑफ बंगाल इनीशिएटिव फॉर मल्टी–सेक्टोरल टेक्नीकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन (बिम्सटेक) देशों से आगन्तुकों से केन्द्र द्वारा संरक्षित टिकट वाले स्मारकों में भारतीय नागरिकों के बराबर प्रवेश शुल्क चार्ज किया जायेगा।

(च) भारत में और अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :–

- पर्यटक परिपथों एवं गंतव्यों के अवसंरचना विकास की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पर्यटक स्थलों का विकास करना;
- होटल अवसंरचना, विशेषतया बजट होटलों, की वृद्धि पर ध्यान देना;
- प्रमुख पर्यटक आकर्षणों के लिए एयर क्षमता में वृद्धि करने और सड़क अवसंरचना में सुधार करने के माध्यम से संपर्क बेहतर करना;
- "इन्क्रेडिबल इंडिया" अभियान द्वारा इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से ग्राहकों तक सीधी पहुंच स्थापित करना;
- विश्व स्तर की प्रचार सामग्री का सृजन करना;
- विदेशों में एयरलाइनों, टूअर ऑपरेटरों तथा थोक विक्रेताओं के साथ मिलकर प्रत्यक्ष सहकारी मार्केटिंग करना;
- उभरते बाजारों, विशेषतया चीन, पूर्वोत्तर एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देना;
- व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लेना;
- सम्पादकीय जनसम्पर्क तथा प्रचार को अधिकतम करना;
- इंटरनेट एवं वेब मार्केटिंग का प्रयोग करना;
- पर्यटक संबंधी प्रकाशनों का सृजन करना; और
- विभिन्न पर्यटन उत्पादों पर स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए, मीडिया कार्मिकों और टूअर ऑपरेटरों को भारत के सुपरिचितकरण यात्रा पर आमंत्रित करने के लिए, आतिथ्य कार्यक्रम को पुनः प्रवर्तित करना, जिसमें एयर पैसेज प्रदान करना भी शामिल होगा।

बॉयो डीजल खरीद नीति

***65. श्री हरिकेवल प्रसाद :**
डा. धीरेंद्र अग्रवाल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनवरी, 2006 से बॉयो डीजल खरीद नीति की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त खरीद नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या है;

(ग) क्या उक्त नीति के अंतर्गत तेल विपणन करने वाली कंपनियों के 20 खरीद केन्द्रों की पहचान की गई है;

(घ) यदि हां, तो ये खरीद केन्द्र किन–किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ङ) इनके द्वारा कितना बॉयो डीजल खरीदा गया और उसका मूल्य कितना है; और

(च) इन खरीद केन्द्रों के कार्यकरण पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) जी हां।

(ख) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (पे.और प्रा. गै. मं.) द्वारा घोषित, 1.1.2006 से प्रभावी, बायो–डीजल क्रय नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

(i) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज़) भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के विनिर्देशों को पूरा करते हुए अपने चुनिंदा क्रय केन्द्रों के माध्यम से बायो–डीजल खरीदेंगी।

(ii) जो बायो–डीजल विनिर्माता ओएमसीज को बायो–डीजल की आपूर्ति करने के इच्छुक हैं वे भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के विनिर्देशों को पूरा करते हुए राज्य स्तर के समन्वयकों के पास पंजीकरण कराएंगे।

(iii) उन उत्पादकों को पंजीकरण में प्राथमिकता दी जाएगी, जो गैर–खाद्य वृक्षों से प्राप्त तेल से बायो–डीज़ल का निर्माण करने का प्रस्ताव रखेंगे।

(iv) ओएमसीज बायो–डीजल क्रय हेतु समय–समय पर एक समान सुपुर्द मूल्य पर निर्णय लेंगी और ऐसा मूल्य छह माह के लिए वैध होगा तथा उसके पश्चात उसकी पुनरीक्षा की जाएगी। बायो–डीजल का प्रारंभिक मूल्य 25 रुपए प्रति लीटर था, जिसे 22 अप्रैल, 2006 को संशोधित कर 26 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है।

(v) पंचायती राज संस्थान (पीआरआईज़) बायो–डीजल क्रय को ग्रामीण व्यापार सामूहिक क्रियाकलाप के रूप में लेंगे।

(ग) और (घ) जी हां।

20 अभिज्ञात खरीद केन्द्रों के स्थल निम्नानुसार हैं:–

क्र.सं.	राज्य	स्थान
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	घाटकेसर (झारखंड और उड़ीसा राज्यों के लिए भी)
2.	छत्तीसगढ़	मंदिरहासाद
3.	दिल्ली	बिजवासन
4.	गुजरात	कांडला
5.	हरियाणा	रिवाड़ी
6.	कर्नाटक	देवानागुंठी (बंगलौर)
7.		मंगलौर
8.	मध्य प्रदेश	मांगलियागांव–इंदौर
9.	महाराष्ट्र	मनमाड़
10.		बोरखेडी–नागपुर
11.		लोनी
12.		वासी
13.	पंजाब	भटिंडा
14.		सांगानेर–जयपुर
15.		सालावास
16.	तमिलनाडु	कोरूकुपेट–चैन्नै
17.		नारीमणम
18.		करूर
19.	उत्तर प्रदेश	पनकी
20.		अमौसी–लखनऊ

(ङ) और (च) आज तक ओएमसीज़ अभिज्ञात क्रय केन्द्रों से डीज़ल क्रय नहीं कर सकी है। जटरोफा जैसे पौधों से प्राप्त बीजों से बायो डीजल का उत्पादन शैशव अवस्था में है और इसके स्थिर होने में समय लगेगा। बायो–डीज़ल विनिर्माताओं ने सूचित किया है कि लागू कर संरचना के कारण बायो–डीज़ल विनिर्माताओं ने सूचित किया है कि लागू कर संरचना के कारण बायो डीज़ल के उत्पादन की लागत काफी ऊंची है जिसके परिणामस्वरूप वे बायो डीज़ल क्रय नीति के अनुसार घोषित मूल्यों पर उत्पाद की आपूर्ति की स्थिति में नहीं है। ओएमसीज़ को बायो–डीज़ल की आपूर्ति के लिए विभिन्न विनिर्माताओं द्वारा विभिन्न स्थानों पर दर्शाए गए मूल्य 35 रुपए प्रति लीटर से 52 रुपए प्रति लीटर के बीच हैं। बायो–डीज़ल उद्योग प्रगति के शैशव अवस्था है। केन्द्रों की कार्यप्रणाली के बारे में कोई राय बनाना अभी जल्दबाजी होगी।

[अनुवाद]

सस्ते होटल

***66. श्री ए. साई प्रताप :**

श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा सस्ते होटलों के निर्माण के लिए चयनित विभिन्न स्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे होटलों के निर्माण के संबंध में कितनी प्रगति हुई है और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) ऐसे होटलों के निर्माण पर कितना व्यय होने की संभावना है और इनका निर्माण कार्य पूरा करने की लक्षित समय–सीमा क्या है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : (क) रेलवे ने पूरे भारतीय रेल नेटवर्क पर एक सौ सस्ते होटल बनाने का विनिश्चय किया है जिनका

ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम (आई आर सी टी सी) द्वारा इन होटलों को सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर बनाया जाएगा।

(ख) चिह्नित किए गए एक सौ सस्ते होटल स्थलों में से आई आर सी टी सी द्वारा 20 स्थलों के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है और वे सफल बोलीदाताओं को सौंप दी गई हैं। इसके अलावा, 08.02.2007 को आई आर सी टी सी ने 9 स्थलों के लिए निविदा आमंत्रित की है और शेष 71 स्थलों के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) सस्ते होटलों में निवेश की मात्रा होटल के आकार, कमरों की कुल संख्या और होटल की अवस्थिति के अनुसार पर अलग-अलग होती है, लेकिन प्रत्येक होटल पर औसतन 20.00 करोड़ रुपये (लगभग) का निवेश होने की प्रत्याशा है। इन सस्ते होटलों को पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य समय निर्धारित नहीं किया गया है।

विवरण

सस्ते होटलों के लिए प्रस्तावित स्थानों की सूची

क्र.सं.	स्थान	रेलवे
1	2	3
1.	कारनाक बन्दर	मध्य रेलवे
2.	नासिक रोड	मध्य रेलवे
3.	कोल्हापुर	मध्य रेलवे
4.	लोनावाला	मध्य रेलवे
5.	मुम्बई सी.एस.टी.	मध्य रेलवे
6.	नागपुर	मध्य रेलवे
7.	शिर्डी	मध्य रेलवे
8.	पुणे	मध्य रेलवे
9.	गया	पूर्व मध्य रेलवे
10.	पटना	पूर्व मध्य रेलवे
11.	राजगीर	पूर्व मध्य रेलवे
12.	भुवनेश्वर	पूर्व तट रेलवे
13.	पुरी	पूर्व तट रेलवे
14.	कटक	पूर्व तट रेलवे
15.	विशाखापटनम	पूर्व तट रेलवे
16.	सियालदह	पूर्व रेलवे
17.	हावड़ा	पूर्व रेलवे
18.	मथुरा/वृन्दावन	उत्तर मध्य रेलवे
19.	इलाहाबाद	उत्तर मध्य रेलवे
20.	ग्वालियर	उत्तर मध्य रेलवे
21.	आगरा	उत्तर मध्य रेलवे
22.	अगरतला	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
23.	सिलचर/लमडिंग	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
24.	दार्जिलिंग	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
25.	न्यू जलपाईगुड़ी	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
26.	गुवाहाटी	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
27.	श्रीनगर	उत्तर रेलवे
28.	जम्मू	उत्तर रेलवे
29.	जोगिन्दर नगर	उत्तर रेलवे
30.	लुधियाना	उत्तर रेलवे
31.	शिमला	उत्तर रेलवे
32.	वाराणसी	उत्तर रेलवे
33.	नई दिल्ली	उत्तर रेलवे
34.	निजामुद्दीन	उत्तर रेलवे
35.	दिल्ली छावनी	उत्तर रेलवे
36.	देहरादून	उत्तर रेलवे
37.	ऋषिकेश	उत्तर रेलवे
38.	कांगड़ा	उत्तर रेलवे
39.	कटरा	उत्तर रेलवे
40.	लखनऊ	उत्तर रेलवे
41.	हरिद्वार	उत्तर रेलवे
42.	अमृतसर	उत्तर रेलवे
43.	आनंद विहार (दिल्ली)	उत्तर रेलवे

1	2	3
44.	चंडीगढ़	उत्तर रेलवे
45.	मुरादाबाद	उत्तर रेलवे
46.	उदयपुर	उत्तर पश्चिम रेलवे
47.	लालगढ़/बीकानेर	उत्तर पश्चिम रेलवे
48.	जैसलमेर	उत्तर पश्चिम रेलवे
49.	जोधपुर	उत्तर पश्चिम रेलवे
50.	माउंट आबू	उत्तर पश्चिम रेलवे
51.	अजमेर	उत्तर पश्चिम रेलवे
52.	जयपुर	उत्तर पश्चिम रेलवे
53.	विजयवाड़ा	दक्षिण मध्य रेलवे
54.	औरंगाबाद	दक्षिण मध्य रेलवे
55.	तिरूपति	दक्षिण मध्य रेलवे
56.	नांदेड़	दक्षिण मध्य रेलवे
57.	हैदराबाद	दक्षिण मध्य रेलवे
58.	सिकंदराबाद	दक्षिण मध्य रेलवे
59.	बिलासपुर	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
60.	टाटानगर	दक्षिण पूर्व रेलवे
61.	रायपुर	दक्षिण पूर्व रेलवे
62.	रांची	दक्षिण पूर्व रेलवे
63.	चेन्नई	दक्षिण रेलवे
64.	चेन्नई एग्मोर	दक्षिण रेलवे
65.	मंगलोर	दक्षिण रेलवे
66.	तिरूवनन्तपुरम	दक्षिण रेलवे
67.	कोयम्बतूर	दक्षिण रेलवे
68.	रामेश्वरम	दक्षिण रेलवे
69.	ऊटी	दक्षिण रेलवे
70.	कन्याकुमारी	दक्षिण रेलवे
71.	एर्णाकुलम	दक्षिण रेलवे
72.	कोट्टायम	दक्षिण रेलवे
73.	कालीकट	दक्षिण रेलवे
74.	तूतीकोरिन	दक्षिण रेलवे
75.	पांडिचेरी	दक्षिण रेलवे
76.	अलवाय	दक्षिण रेलवे
77.	कोचिन	दक्षिण रेलवे
78.	मदुरै	दक्षिण रेलवे
79.	कोडैकनाल रोड	दक्षिण रेलवे
80.	क्यूलोन	दक्षिण रेलवे
81.	बेलगांम	दक्षिण पश्चिम रेलवे
82.	बेंगलोर	दक्षिण पश्चिम रेलवे
83.	मडगांव	दक्षिण पश्चिम रेलवे
84.	मैसूर	दक्षिण पश्चिम रेलवे
85.	गोवा/वास्को–डि–गामा	दक्षिण पश्चिम रेलवे
86.	खुजराहो	पश्चिम मध्य रेलवे
87.	कोटा	पश्चिम मध्य रेलवे
88.	जबलपुर	पश्चिम मध्य रेलवे
89.	हबीबगंज/भोपाल	पश्चिम मध्य रेलवे
90.	इंदौर	पश्चिम रेलवे
91.	वापी	पश्चिम रेलवे
92.	वेरावल	पश्चिम रेलवे
93.	राजकोट	पश्चिम रेलवे
94.	मुम्बई सेन्ट्रल	पश्चिम रेलवे
95.	अहमदाबाद	पश्चिम रेलवे
96.	वड़ोदरा	पश्चिम रेलवे
97.	द्वारका/ओखला	पश्चिम रेलवे
98.	सूरत	पश्चिम रेलवे
99.	मुम्बई बांद्रा	पश्चिम रेलवे
100.	उज्जैन	पश्चिम रेलवे

[हिन्दी]

तेल शोधनशालाओं/तेल कपंनियों द्वारा अर्जित लाभ

***67. श्री रामजीलाल सुमन :**

श्री सूरज सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2006–07 की पहली तिमाही के दौरान देश में तेल शोधनशालाओं द्वारा कच्चे तेल के प्रसंस्करण के माध्यम से अर्जित लाभ की तुलना में वर्ष 2007–08 की पहली तिमाही के दौरान अर्जित लाभ में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान सरकारी तेल कंपनियों द्वारा प्रति बैरल पर औसतन कितना लाभ अर्जित किया गया है;

(घ) इन दो वर्षों में उक्त अवधि के दौरान इस प्रक्रिया के माध्यम से उक्त कंपनियों द्वारा पृथक–पृथक कितना लाभ अर्जित किया गया है; और

(ङ) उक्त दो अवधियों के दौरान अर्जित लाभ की धनराशि में इस अंतर के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) से (घ) जी हां। 2006–07 और 2007–08 की पहली तिमाही के दौरान कच्चे तेल के संसाधन द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र रिफाइनरियों द्वारा अर्जनों का वर्णन करने वाला सकल शोधन मार्जिन (जीआरएम्स) संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) सकल शोधन मार्जिन निम्नलिखित के कारण मुख्य रूप से रिफाइनरी दर रिफाइनरी और अवधि दर अवधि भिन्न–भिन्न होते हैं :–

(1) संयंत्र संरूपण और संसाधित क्रूड का प्रकार,

(2) अंतर्राष्ट्रीय क्रूड और उत्पाद मूल्यों के बीच प्रसार,

(3) उच्चतर थ्रूपुट, बेहतर आसुत उत्पादन और निम्नतर ईंधन और हानि जैसे प्रचालन मापदंड।

विवरण

	पहली तिमाही 2007–08 अप्रैल–जून, 07 सकल शोधन मार्जिन (जी आर एम) (डालर/बीबीएल)	पहली तिमाही 2007–08 अप्रैल–जून, 07 सकल शोधन मार्जिन* (करोड़ रुपए)	पहली तिमाही 2006–07 अप्रैल–जून, 06 सकल शोधन मार्जिन (जी आर एम) (डालर/बीबीएल)	पहली तिमाही 2006–07 अप्रैल–जून, 06 सकल शोधन मार्जिन* (करोड़ रुपए)
आई ओ सी				
गुवाहाटी	18.07	113.29	(2.55)	(15.93)
बरौनी	5.17	242.32	5.12	187.19
गुजरात	10.77	1109.38	5.38	562.28
हल्दिया	8.62	405.59	5.98	293.28
मथुरा	13.96	830.86	9.07	697.63
पानीपत	11.09	1092.09	9.24	532.56
डिग्बोई	28.39	116.47	(0.87)	(4.57)
आई ओ सी रिफाइनरियां	10.70	3910.00	6.70	2252.44
एच पी सी एल मुंबई रिफाइनरी	9.04	477.58	8.08	518.97
एच पी सी एल विशाख रिफाइनरी	7.80	520.24	8.41	625.67
बी पी सी एल – मुंबई रिफाइनरी	6.50	642.74	5.41	505.71
बी पी सी एल – कोच्चि रिफाइनरी	7.97	475.34	5.98	430.95
सी पी सी एल	8.76	690.49	6.64	589.84
एन आर एल	6.04	111.38	10.75	208.58
बी आर पी एल	16.80	253.85	12.70	234.55
एम आर पी एल	8.27	790.45	6.64	624.04

( ) का अर्थ ऋणात्मक है।

* कुल सकल शोधन मार्जिन रिफाइनरी के क्रूड थ्रूपुट और प्रति बैरल जी आर एम का गुणनफल है।

[अनुवाद]

तेल और गैस के नए ब्लाकों की खोज

***68. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :**
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2007 के दौरान अभी तक सरकार द्वारा गैस और तेल के नए ब्लाकों की खोज हेतु किए गए सर्वेक्षणों का स्थान–वार और कंपनी–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे प्रत्येक सर्वेक्षण के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा ऐसे प्रत्येक सर्वेक्षण पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन सर्वेक्षणों की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और इन खोजे गए भंडारों में तेल और गैस की कितनी मात्रा का पता चला है;

(ङ) सरकार द्वारा ऐसे भंडारों के दोहन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) इन ब्लाकों से उत्पादन कब तक शुरू होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) से (च) वित्त वर्ष 2006–07 के दौरान आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के राज्यों में और पूर्वी एवं पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों में 9751 कि.मी. 2डी भूकंपीय, 24, 172 व कि.मी. 3डी भूकंपीय आयोजित किए हैं तथा 87 अन्वेषण कूपों का वेधन किया है। ओएनजीसी द्वारा असम, गुजरात, तमिलनाडु और गहरे पानी सहित अपतटीय क्षेत्रों में नौ तेल और गैस खोजें की गई थीं। 2006–07 में ओएनजीसी रा स्थानिक आईड्रोकार्बन भंडारों में वृद्धि लगभग 170 मिलियन मीट्रिक टन तेल+तेल समतुल्य गैस (एमएमटीओई) थी। 2006–07 में ओएनजीसी द्वारा अन्वेषण पर किया गया व्यय 4316.05 करोड़ रुपये था।

वर्ष 2006–07 में आयल इंडिया लि. (ओआईएल) ने अरूणाचल प्रदेश और असम के राज्यों में 414 कि.मी. 2डी भूकंपीय, 923 व कि. मी. 3डी भूकंपीय सर्वेक्षण आयोजित किए और 9 अन्वेषण कूपों का वेध न किया। असम में ओआईएल द्वारा चार तेल और गैस खोजें की गईं। 2006–07 में ओआईएल द्वारा स्थानिक हाईड्रोकार्बन भंडारों में वृद्धि लगभग 25 एमएमटीओई थी। 2006–07 में ओआईएल द्वारा अन्वेषण पर किया गय व्यय 1044.16 करोड़ रुपये था।

वर्ष 2006–07 में निजी/संयुक्त उद्यम अन्वेषण और उत्पादन कंपनियों ने आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, गुजरात, और राजस्थान तथा पूर्वी और पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों में 2945 कि.मी. 2डी भूकंपीय, 10225 व कि.मी. 3डी भूकंपीय सर्वेक्षण आयोजित किए तथा 111 अन्वेषण कूपों का वेधन किया। निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों ने गुजरात, राजस्थान और गहरे पानी सहित अपतटीय क्षेत्रों में 11 तेल और गैस खोजें की गईं। वर्ष 2006–07 में निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा स्थानिक हाईड्रोकार्बन भंडारों में भी वृद्धि लगभग 193 एमएमटीओई थी। 2006–07 में निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा अन्वेषण पर किया गया व्यय 3105 करोड़ रुपये था।

भारतीय तलछटीय बेसिनों में तेल और गैस की खोज करने के लिए भारत सरकार ने 2006–07 में अवार्ड किए गए 52 अन्वेषण ब्लाकों सहित राष्ट्रीय तेल कंपनियों, निजी और विदेशी कंपनियों को नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) के तहत छठे बोली दौर में पहले ही 162 अन्वेषण ब्लाक अवार्ड किए हैं। एनईएलपी के तहत 43 तेल और गैस खोजें की गई हैं और गुजरात के एक ब्लाक से लगभग 3 लाख घन मीटर गैस का उत्पादन किया जा रहा है। कृष्णा गोदावरी बेसिन से 40 मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन (एमएमएससीएमडी) गैस उत्पादन जुलाई, 2008 से आरंभ होने की संभावना है जिसका अधिकतम उत्पादन 80 एमएमएमसीएमडी रहा है। महानदी बेसिन और उड़ीसा के तट का सुदूर क्षेत्र सहित एनईएलपी के तहत अन्य खोजें मूल्यांकनाधीन हैं।

सामान्तया किसी ब्लाक के अन्वेषण के लिए लगने वाला समय खोज के स्थान, बुनियादी ढांचे की उपलब्धता और खोज में और आसपास बाजारों के आधार पर लगभग 3 से 8 वर्ष होता है।

डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की क्षमता का कम उपयोग

***69. श्री सर्वे सत्यनारायण** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा डीजल लोकोमोटिव वर्क्स (डीएलडब्ल्यूज) कों इंजनों के निर्माण हेतु दिए गए आदेश डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की अधिष्ठापित क्षमता से बहुत कम होने के परिणामस्वरूप जनशक्ति और प्रोद्योगिकी के संदर्भ में उनकी क्षमता का बहुत कम उपयोग हो पाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

(ग) क्या रेलवे को यातायात में हो रही वृद्धि की तुलना में अतिरिक्त रॉलिंग स्टॉक की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो रेलवे द्वारा आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : (क) डीजल लोकोमोटिव वर्क्स (डीएलडब्ल्यू), वाराणसी में अवसंरचना की दृष्टि से प्रतिवर्ष 150 डीजल रेल इंजन के निर्माण की संस्थापित क्षमता है। पिछले वर्ष अर्थात् 2006–07 के दौरान 186 रेल इंजनों का उत्पादन किया गया जोकि क्षमता से 36 रेल इंजन अधिक था। बहरहाल, 1999–2000 से 2005–06 के 7 वर्षों के दौरान उत्पादन संस्थापित क्षमता से कम रहा क्योंकि डीजल रेल इंजन कारखाना को रेलवे द्वारा दिए गए आदेशों की मात्रा कम थी। इसे नीचे तालिक में दर्शाया गया है।

वर्ष	संस्थापित क्षमता	लक्ष्य (भारतीय रेलों द्वारा दिया गया आदेश)	तैयार किए गए रेल इंजनों की वास्तविक संख्या
1998–99	150	157	161
1999–00	150	138	137
2000–01	150	100	103
2001–02	150	90	102
2002–03	150	100	116
2003–04	150	109	116
2004–05	150	120	121
2005–06	150	143	148
2006–07	150	150	186
2007–08	150	200	78 (जुलाई, 07 तक)
2008–09	150	250	–

(ख) डीजल रेल इंजन कारखाने के लिए कम आदेशों का कारण आवश्यकता में कमी के कारण था क्योंकि यातायात की वृद्धि कम रही जिससे वर्ष 1999–00 से 2005–06 के दौरान रेल इंजनों की मांग कम रही।

बहरहाल, गत तीन वर्षों के दौरान यातायात में वृद्धि के कारण रेल इंजनों की आवश्यकता में वृद्धि हुई है और डीजल रेल इंजन कारखाना को दिया गया आदेश उसकी क्षमता के अनुरूप या उससे भी कहीं अधिक थे और इस रूख में आने वाले समय में बढ़ने की संभावना है।

(ग) और (घ) जी हां। देश में आर्थिक उछाल के साथ भारतीय रेलों की यातायात मांग में भी वृद्धि हुई है।

चल स्टॉक की संवर्धित आवश्यकता को पूरा करने के लिए रेल मंत्रालय एक रेल सवारी डिब्बा कारखाना, एक डीजल रेल इंजन कारखाना और एक बिजली रेल इंजन कारखान लगा रहा है और नीचे लिखे अनुसार वर्तमान उत्पादन इकाइयों की क्षमताओं में भी वृद्धि कर रहा है।

	वर्तमान संस्थापित क्षमता (प्रति वर्ष)	संवर्धित क्षमता (प्रति वर्ष)
डीजल रेल इंजन :		
डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी	150	200
बिजली रेल इंजन :		
चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना, चित्तरंजन	150	200
सवारी डिब्बे :		
रेल कोच फैक्टरी, कपूरथला	1000	1400
सवारी डिब्बा कारखाना, चेन्नई	1000	1500
माल डिब्बे :		

माल डिब्बों के विनिर्माण के लिए इस समय निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों में पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है और यातायात की आवश्यकता के अनुसार माल डिब्बों के लिए आदेश दिए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

लंबित रेल परियोजनाएं

***70. श्री हेमलाल मुर्मू :**
श्री रघुराज सिंह शाक्य :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार चालू और लंबित रेल परियोजनाओं की राज्य–वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आज तक रेलवे द्वारा राज्य–वार कितनी रेल परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान इनमें से प्रत्येक परियोजना हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और इन परियोजनाओं पर किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि बारह वर्षों से अधिक समय के बाद भी कुछ राज्यों में ऐसी अनेक रेल परियोजनाएं आज तक पूरी नहीं की जा सकी हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे सहित इसके कारण क्या हैं; और

(च) लंबित रेल परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : (क) चालू एवं लंबित रेल परियोजनाओं की राज्यवार वर्तमान स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) विगत प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान अब तक स्वीकृत चालू रेल परियोजनाओं की राज्यवार, वर्षवार संख्या निम्नानुसार हैं :-

क्र.सं.	राज्य के नाम	2007-08	2006-07	2005-06	2004-05	जोड़
1.	आंध्र प्रदेश	2	9	0	0	11
2.	असम एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र	1	2	0	0	3
3.	बिहार	4	7	7	0	18
4.	छत्तीसगढ़	3	1	2	1	7
5.	दिल्ली	0	1	0	0	1
6.	गुजरात	1	2	1	0	4
7.	हरियाणा	1	1	2	0	4
8.	हिमाचल प्रदेश	2	0	0	0	2
9.	जम्मू और कश्मीर	1	0	0	0	1
10.	कर्नाटक	3	5	0	0	8
11.	केरल	2	2	1	0	5
12.	मध्य प्रदेश	1	2	1	0	4
13.	महाराष्ट्र	2	1	1	0	4
14.	उड़ीसा	3	2	1	0	6
15.	पंजाब	2	0	0	0	2
16.	राजस्थान	2	2	2	1	7
17.	तमिलनाडु	2	7	0	0	9
18.	उत्तर प्रदेश	5	8	7	0	20
19.	उत्तराखंड	2	0	0	0	2
20.	पश्चिम बंगाल	4	2	1	1	8
	जोड़*	43	54	26	3	126

* एक से अधिक राज्यों में पूर्णतः/अंशतः आने वाली परियोजना को दोनों राज्यों में दर्शाया गया है।

(ग) विगत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के बजट में शामिल की गई परियोजनाओं पर किए गए कार्य एवं खर्च के ब्यौरे @ के रूप में संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) से (च) 11 नई लाइन, 8 आमान परिवर्तन और दोहरीकरण, रेल विद्युतीकरण तथा महानगर परिवहन परियोजना प्रत्येक 1 को मिलाकर 22 परियोजनाएं बजट में शामिल करने के 12 वर्षों से अधिक समय के बाद भी पूरा नहीं की गई है। इन परियोजनाओं में विलम्ब होने के कारण संसाधनों की कमी, भूमि का अधिग्रहण न होना और/या वन विभाग से अनुमोदन प्राप्त न होने के साथ-साथ अनेक कारण हैं। इन रेल परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए रेल मंत्रालय ने राज्य सरकारों की भागीदारी, सार्वजनिक निजी भागीदारी, रक्षा मंत्रालय से वित्तपोषण के माध्यम से और रेल विकास निगम लि. द्वारा परियोजनाओं को लागू करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इसके अलावा, विगत कुछ वर्षों में संसाधनों के आंतरिक उत्पादन और राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्त से धन की उपलब्धता में वृद्धि भी हुई है।

विवरण

क्र.सं.	बजट में शामिल करने का वर्ष	योजना शीर्ष	परियोजना का नाम	लंबाई (कि.मी.)	लागत	मार्च, 07 तक व्यय	2007–08 के दौरान परिव्यय	@ के रूप में चिह्नित पिछले तीन वर्ष के दौरान और आज तक बजट में शामिल की गई परियोजनाएं	मौजूदा स्थिति
					(आंकड़े करोड़ रु. में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			आन्ध्र प्रदेश						
1	1993–94	नई लाईन	पैदापल्ली–करीमनगर–निजामाबाद	177.87	517.63	206	35.00		पेद्दापल्ली–करीमनगर–जगतियाल पूरा हो गया है।
2	1996–97	नई लाईन	नंदया–येरागुंटा	126	173.32	44	15.00		मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य आदि शुरू किए गए हैं।
3	1997–98	नई लाईन	मुनीराबाद–महबूबनगर	246	497.47	36	5.00		येरमारज–यदलापुर (14 किलोमीटर) पूरा हो गया है। भूमि अधिग्रहण, मिट्टी संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं।
4	1997–98	नई लाईन	मछरेला–नलगोंडा	92	243.17	0	5.00		अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है।
5	1998–99	नई लाईन	गडवाल–रायचूर	60	108.91	42	18.01		मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य आदि शुरू किए गए हैं।
6	1999–2000	नई लाईन	काकीनाडा–पीथापुरम	21.5	66.14	0	5.01		स्वीकृतियों की प्रतीक्षा है।
7	2000–2001	नई लाईन	कोटीपल्ली–नरसापुर	57.21	695	9	2.00		भूमि अधिग्रहण शुरू किए गए हैं।
8	2006–07	नई लाईन	विष्णुपुरम–जनपहाड़	11	42.08	0	2.00	@	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है।
9	2006–07	नई लाईन	ओबूलाबरीपल्ली–कृष्णापट्नम	113	426.34	9.02	10.00	@	वेंकटचलम–कृष्णापत्तनम सर्वेक्षण शुरू हो गया है।
10	2006–07	नई लाईन	मनोहराबाद–कोटापल्ली	148.9	378.56	0	0.01	@	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा किया गया है।
11	2006–07	नई लाईन	जगैयापेट–मल्लचेरेवू	19.1	53.21	4	10.00	@	07–08 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है
12	2007–08	नई लाईन	रायदुर्ग–तुमकुर	213	887.31	0	0.01	@	अंतिम स्वीकृतियों की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	1992–93	आमान परिवर्तन	गुंटूर–गुंतकल और गुंतकल–कल्लूरू पेंडाकल्लू से गुटी तक नई लाईन	546.54	528.38	474.77	60.00		गुंतरू–गुंतकल पूरा हो गया है। शेष के लिए 2007–08 का लक्ष्य है।
14	1997–98	आमान परिवर्तन	नौपाड़ा–गुनुपुर	90	91.3	62	25.00		मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य आदि शुरू किए गए हैं।
15	1997–98	आमान परिवर्तन	धर्मावरम–पकाला	227	294.99	19	85.00		मिट्टी संबंधी कार्य पुल संबंधी कार्य आदि शुरू किए गए हैं, पकाला मदनापल्लि 2007-08 में पूरा करने का लक्ष्य है।
16	2001–02	दोहरीकरण	गुटी–रेणुगुंटा कहीं कहीं दोहरीकरण	151	305.96	67	99.00		कार्य शुरू किया गया है।
17	2003–04	दोहरीकरण	रायचुर–गुंतकल	81.1	145.81	0	50.00		कार्य शुरू किया गया है।
18	2006–07	दोहरीकरण	विजयनगरम–कोट्टावलासा तीसरी लाइन	34.7	167.67	0	10.00	@	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है।
19	2006–07	दोहरीकरण	कोट्टावलासा–सिम्हचलम उत्तर चौथी लाईन	16.69	86.32	0	20.00	@	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है।
20	2006–07	दोहरीकरण	गुंटूर–कृष्णा नहर	27.12	76.17	13.91	56.00	@	मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं। 07–08 में पूरा करने का लक्ष्य है।
21	2007–08	दोहरीकरण	समालकोटा–काकीनाडा	15.6	65.12	0	10.00	@	07–08 के बजट में शामिल नया कार्य है।
22	1992–93	रेल विद्युतीकरण	रेनीगुंटा–गुंतकल	308	182.5475	79	3.00		रेणिगुंटा–नंदलूर और बालमपल्ले–पल्लमपेट पूरा हो गया है।
23	2006–07	रेल विद्युतीकरण	लिंगमपल्ली–वाडी	161	96.24	3	5.00	@	नक्शे एवं अनुमान बनाना शुरू किया गया है।
24	2006–07	रेल विद्युतीकरण	करेपल्ली–भद्रचलम–मनुगुरू	88	57.5428	11	10.00	@	नक्शे एवं अनुमान बनाना शुरू किया गया है।
			असम एवं उत्तर पूर्व क्षेत्र						
1	1992–93	नई लाईन	दुधनोई–देपा	15.5	22.33	0.5	0.02		जनता के विरोध के कारण भूमि सौंपी नहीं जा सकी।
2	1996–97	नई लाईन	कुमारघाट–अगरतला	109	879.99	633.67	45.00		मिट्टी संबंधी कार्य, पुल, सुरंग आदि शुरू किए गए हैं और दिसम्बर 07 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	1996–97	नई लाईन	हरमुटी–इटानगर	33	156	0	5.00		अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया गया है।
4	1997–98	नई लाईन	डिब्रूगढ़ और नार्थ बैंकलाइन के बीच लिंकिंग लाइनों सहित बोगीबील पुल	73	1767.36	700.16	249.45		मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य, मिट्टी संग्रहण शुरू किए गए हैं।
5	2000–01	नई लाईन	नई म्यानगुडी–जोगीघोपा	257	894.38	149	55.00		मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य, मिट्टी संग्रहण शुरू किए गए हैं।
6	2003–04	नई लाईन	जीरीबाम–इम्फाल रोड (तुपुल)	97.9	727.56	5.6	15.00		अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण, भूमि अधिग्रहण शुरू किए गए हैं।
7	2006–07	नई लाईन	दीमापुर–कोहीमा (जुबजा)	88	850	0	1.00	@	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया गया है।
8	2006–07	नई लाईन	अजरा–बरनीहाट	30	200	0	1.66	@	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया गया है।
9	1993–94	आमान परिवर्तन	लिंक्ड फिंगर सहित लमडिंग–डिब्रगढ़ हैबरगांव–मेरावाड़ी (44.8 कि.मी.) और सेंचुआ जं. सिलघाट टाउन (61.85 किमी.)	734.65	882.12	736	5.00		लमडिंग–डिब्रूगढ़ पूरा हो गया है। सेनोचा–सिलघाट 07–08 के दौरान पूरा करने लक्ष्य है।
10	1996–97	आमान परिवर्तन	मिगरेनदिसा–डिट्टोकचेरा के बीच संरेखण सहित लमडिंग सिलचर और बदरपुर से भारीग्राम तक विस्तार	367	1676.31	824	90.00		विभिन्न कार्य शुरू किए गए हैं। 2010 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
11	1997–98	आमान परिवर्तन	न्यू–जलपाईगुडी–सिलीगुढ़ी न्यू–बोंगाईगांव–ब्रांच लाइन	419.48	892.83	824.15	31.00		न्यू जलपाईगुडी–न्यू बोंगाईगांव पूरा हो गया है
12	1997–98	आमान परिवर्तन	कटकहल–बैराभी	84	88.7	10	5.98		मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं।
13	2003–04	आमान परिवर्तन	लिंक्ड फिंगर सहित रंगिया मुरकोंकसेलेक	510.33	915.7	7	22.00		रंगिया–रंगापाडा नॉर्थ खंड पर कार्य शुरू किए गए हैं।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	2007–08	दोहरीकरण	न्यू–गुवाहाटी–डिगरू	29.81	96.32	0	10.00	@	07–08 के बजट में शामिल नया कार्य है।
			बिहार						
1	1995–96	नई लाईन	मंदारहिल–रामपुरहाट वाया दुमका	130	254.07	96	17.00		मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं।
2	1996–97	नई लाईन	सकरी–हसनपुर	76	89.7	41.56	20.00		मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं।
3	1996–97	नई लाईन	खगड़िया–कुशेसश्वरस्थान	42.3	162.87	33.7	5.00		भूमि अधिग्रहण, मिट्टी संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं।
4	1997–98	नई लाईन	पटना और हाजीपुर के बीच लिंकिंग लाइन सहित पटना–गंगा पुल	19	769.42	301.45	100.00		मुख्य पुल उपसंरचना पर कार्य शुरू किया गया है। उत्तरी एवं दक्षिणी पहुंच मार्ग भी प्रगति पर है
5	1997–98	नई लाईन	मुजफ्फरपुर–सीतामढ़ी	64.5	232.15	111.26	40.00		मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य आदि प्रगति पर है। 2007–08 में पूरा करने का लक्ष्य है।
6	1997–98	नई लाईन	गंगा नदी पर मुंगेर–रेल–कम रोड पुल	19.8	981	184.11	120.00		मुख्य पुल उपसंरचना पर कार्य शुरू किया गया है। भूमि अधिग्रहण संरक्षण शुरू किया गया है।
7	1997–98	नई लाईन	आरा–सासाराम	98	189.141	192.3	25.00		सासाराम–विक्रमगंज पूरा हो गया है। शेष के लिए 2007–08 का लक्ष्य है।
8	1998–99	नई लाईन	फतुहां–इसलामपुर बहाली और बरास्ता दनियावां, शेखपुरा से नेउरा	171.5	406.92	189	10.00		फतुआ–इस्लामपुर पूरा हो गया है।
9	2000–01	नई लाईन	देवगढ़–सुलतानगंज, बांका–बाराहाट और बांका–भीतिया रोड़	151.28	312	93	15.00		बांका–बाराहाट पूरा हो गया है। शेष भाग पर कार्य शुरू किया गया है।
10	2001–02	नई लाईन	राजगीर–हिंसुआ–तिलैया और इस्लामपुर –नतेश्वर एम एम	67	245.17	172.29	10.00		तिलैया–जगदीशपुर और राजगीर–नाटेश्वर पूरा हो गया है।
11	2001–02	नई लाईन	कोडरमा–तिलैया	65	413.17	31.85	25.66		आंशिक दूरी में मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं। भूमि अधिग्रहण प्रगति पर है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	2003–04	नई लाईन	महाराजगंज–मशरख	36.155	113.75	40.22	2.00		अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है और भूमि अधिग्रहण शुरू किया गया है।
13	2003–04	नई लाईन	कोसी पुल	21.85	341.41	14.55	30.00		मुख्य पुल पर उपसंरचना का कार्य शुरू किया गया है।
14	2003–04	नई लाईन	हाजीपुर–सगौली	148.3	324.66	48.14	5.00		अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। भूमि अधिग्रहण शुरू किया गया है।
15	2005–06	नई लाईन	हथुआ–भटनी	79.64	230.03	31	40.00	@	अंतिम स्थान निर्धारण, सर्वेक्षण पूरा हो गया है। भूमि अधिग्रहण, मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं।
16	2006–07	नई लाईन	मोतीहारी–सीतामढ़ी	76.7	211	0	4.47	@	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया गया है।
17	2006–07	नई लाईन	दरभंगा–कुशेसश्वर स्थान	70.14	205	0	8.00	@	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया गया है।
18	2006–07	नई लाईन	छितौनी–तुमकूही रोड़	58.88	235	0.01	5.00	@	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया गया है।
19	2006–07	नई लाईन	छपरा–मुजफ्फरपुर	84.65	378.56	0	2.50	@	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया गया है।
20	2006–07	नई लाईन	अररिया–गलगलिया (ठाकुरगंज)	100	300	0	0.50	@	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया गया है।
21	2007–08	नई लाईन	सुल्तानगंज–कटोरिया	74.8	288.85	0	0.01	@	अंतिम स्वीकृतियों की प्रतीक्षा है।
22	2007–08	नई लाईन	बिहटा–औरंगाबाद	118.45	326.2	0	0.01	@	अंतिम स्वीकृतियों की प्रतीक्षा है।
23	2007–08	नई लाईन	बरियारपुर–मननपुर	67.78	250.55	0	0.01	@	अंतिम स्वीकृतियों की प्रतीक्षा है।
24	1996–97	आमान परिवर्तन	मानसी–सहरसा–दोराम मधेपुरा –पूर्णिया	142	330.51	133	40.15		मानसी–सहरसा पूरा हो गया है।
25	1997–98	आमान परिवर्तन	समस्तीपुर–खगडिया और मानसी–खगडिया	94	132.45	152.53	20.00		खगडिया–मानसी–हसनपुर–रूसेरघाट पूरा हो गया है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	1997–98	आमान परिवर्तन	जयनगर–दरभंगा–नरकटियागंज	268	523.81	150	85.00		जयनगर–दरभंगा पूरा होने के निकट है। दरभंगा सीतामढ़ी 2007–08 तक पूरा होने का लक्ष्य है।
27	1999–2000	आमान परिवर्तन	कप्तानगंज–थावे सिवान–छपरा	233.5	325.1	98	130.00		थावे–सिवान पूरा हो गया है।
28	2000–01	आमान परिवर्तन	कटिहार–जोगबनी और कटिहार–बरसोई–राधिकापुर	200	425.05	429.15	108.00		बरसोई–राधिकापुर पूरा हो गया है और कटिहार– बरसोई पूरा होने के नजदीक है। शेष के लिए 2007–08 का लक्ष्य है।
29	2003–64	आमान परिवर्तन	सकरी–लोकहा–निर्मली एवं सहरसा–फारबिसगंज	206.06	355.81	8	5.00		निविदाएं आमंत्रित करने की कार्यवाही की जा रही है।
30	2006–07	आमान परिवर्तन	अलआबारी रोड़–सिलीगुडी	76	170	0	15.00	@	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है।
31	1999–2000	दोहरीकरण	पुनपुन–तरगेन (पटना–गया, चरण–III)	16	63.53	66	3.00		पूरा हो गया है।
32	2002–03	दोहरीकरण	तरेगना–जहानाबाद	15.2	87.16	1	10.00		मिट्टी संबंधी कार्य, पुल शुरू किए गए हैं।
33	2002–03	दोहरीकरण	कजरा–किऊल	15	23.23	8	15.00		मिट्टी संबंधी कार्य, पुल शुरू किए गए हैं।
34	2003–04	दोहरीकरण	गंडक पुल सहित सोनपुर–हाजीपुर	5.5	53.97	3.05	35.00		गंडक पुल शुरू किया गया है।
35	2003–04	दोहरीकरण	जहानाबाद–बेला	27.47	75	0	5.00		कार्य अभी शुरू किया जाना है।
36	2003–04	दोहरीकरण	बेला–चखंड	9.98	23.19	1	5.00		मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं।
37	2005–06	दोहरीकरण	तिलरथ–बेगुसराय	7.24	15.25	0	15.00	@	मिट्टी संबंधी कार्य, पुल आदि शुरू किए गए हैं।
38	2005–06	दोहरीकरण	थाना बिहपुर–कुरसैला	34.2	45	3.58	20.00	@	मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं।
39	2005–06	दोहरीकरण	महेशखूंट–थाना–बिहपुर	31.75	45.41	33.28	25.00	@	मिट्टी संबंधी कार्य, पुल रेलपथ संपर्कन शुरू किए गए हैं।
40	2005–06	दोहरीकरण	कुरसैला–सीमापुर	27.78	49.28	15.39	15.00	@	मिट्टी संबंधी कार्य, पुल रेलपथ संपर्कन शुरू किए गए हैं।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2005–06	दोहरीकरण	एकमा–जीरादेई कहीं–कहीं दोहरीकरण	43.6	89.63	10	25.00	@	मिट्टी संबंधी कार्य, पुल आदि शुरू किए गए हैं।
42	2005–06	दोहरीकरण	बेगुसराय–खगड़िया	40.23	71.31	5.35	50.00	@	मिट्टी संबंधी कार्य, पुल रेलपथ संपर्कन शुरू किए गए हैं।
43	2006–07	दोहरीकरण	भटनी–जीरादेई	38.11	100.27	0.01	30.00	@	07–08 में स्वीकृत नया कार्य है।
44	2007–08	रेल विद्युतीकरण	बाराबंकी–गोरखपुर–बरौनी	709.14	526.44	0	0.50	@	07–08 में स्वीकृत नया कार्य है।
			छत्तीसगढ़						
1	1995–96	नई लाईन	डालीराजहरा–जगदलपुर	235	968.6	0	13.00		भूमि अधिग्रहण शुरू किए गए हैं।
2	1997–98	दोहरीकरण	बिलासपुर–उरकुरा	110	362.55	152	74.00		बिलासपुर–भाटापारा पूरा हो गया है।
3	2004–05	दोहरीकरण	बिलासपुर–सलका रोड़	39.4	144.18	15	25.00		07–08 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
4	2005–06	दोहरीकरण	सलका रोड़–खुगसरा कहीं–कहीं दोहरीकरण	26	84	0	10.00	@	कार्य रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।
5	2005–06	दोहरीकरण	भिलाई–दुर्ग तीसरी लाइन	13.16	33	2	20.00	@	प्रारंभिक कार्य शुरू किए गए हैं।
6	2006–07	दोहरीकरण	बिलासपुर पुल सहित खोदरी–अनुपपूर	61.6	84	0	10.00	@	कार्य रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।
7	20007–08	दोहरीकरण	रायपुर–टिटलगढ़	203	614.35	0	1.00	@	07–08 के बजट में शामिल नया कार्य है।
8	2007–08	दोहरीकरण	बाईपास पर चम्पा	14	31	0	5.00	@	07–08 के बजट में शामिल नया कार्य है।
9	2007–08	दोहरीकरण	बाईपास पर अनुपपुर	6	18.42	0	5.00	@	07–08 के बजट में शामिल नया कार्य है।
			दिल्ली						
1	1998–99	दोहरीकरण	नई दिल्ली–तिलक ब्रिज और छठी लाईन	2.65	55.42	36.51	5.00		कार्य शुरू किए गए हैं। छठी लाईन 07–08 में पूरा करने का लक्ष्य है।
2	1999–2000	दोहरीकरण	दयाबस्ती–ग्रेड सिपाराटोर	6	33.58	0	4.00		प्रारंभिक कार्य शुरू किए गए हैं।
3	2003–04	दोहरीकरण	साहिबाबाद–आनंद विहार–तीसरी और चौथी लाइन	4	49.57	0	45.00		कार्य शुरू किया गया है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	2006–07	दोहरीकरण	तुगलकाबाद–पनवेल चौथी लाइन	33.5	83	0	1.00	@	कार्य शुरू किया गया है।
5	2001–02	रेल विद्युतीकरण	दिल्ली सराय रोहिल्ला–गुड़गांव	30	12	0	0.00		स्वीकृतियों की प्रतीक्षा है।
			गुजरात						
1	1989–90	नई लाईन	दाहोद–इंदौर और देवास–मक्सी	236	678.56	56.07	6.00		देवास–मकसी पूरा हो गया है। दाहोद–इंदौर पर अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है।
2	2007–08	नई लाईन	चौठोदीपुर–धार	157	570	6	0.01	@	अंतिम स्वीकृतियों की प्रतीक्षा है।
3	1990–91	आमान परिवर्तन	भिलड़ी–बिरमगांव	157	124.65	110	45.00		वीरमगाम–मेहसाणा पूरा हो गया है। मेहसाणा –पाटन 07–08 में पूरा करने का लक्ष्य है।
4	1991–92	आमान परिवर्तन	भिलड़ी–समदरी	223	244.74	103	110.00		कार्य शुरू किया गया है। 08–09 का लक्ष्य है।
5	1994–95	आमान परिवर्तन	राजकोट–वेरावल से सोमनाथ तक नई लाइन सहित बंसजलिया से जैतलसर	281	508.87	265.14	38.00		राजकोट–वेरावल पूरा हो गया है।
6	1996–97	आमान परिवर्तन	सुरेन्द्रनगर–भावनगर, धोला–धारा–महुआ पिपावाव तक विस्तार	387	562.27	510	30.00		सुरेन्द्रनगर–भावनगर–पिपावाव पूरा हो गया है।
7	2005–06	आमान परिवर्तन	प्रतापनगर–छोटा उदयपुर	99.27	227.52	12.81	50.00	@	मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य शुरू किया गया है। प्रतापनगर–बोडेली 07–08 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
8	2006–07	आमान परिवर्तन	राजपीपला–अंकलेश्वर	62.89	115	0	10.00	@	प्रारंभिक कार्य शुरू किए गए हैं।
9	2006–07	आमान परिवर्तन	भरूच–समनी–दहेज	62.36	165.66	0	2.60	@	कार्य आरवीएनएल के पास है।
10	2000–01	दोहरीकरण	सूरत–कोसांबा–बड़ोदरा और बिरार के बीच पी एच–I की तीसरी लाइन	35	49	0	0.10		निम्न परिचालनिक प्राथमिकता के अनुसार नियंत्रित किया जा रहा है।
			हरियाणा						
1	2003–04	नई लाईन	रेवाड़ी–रोहतक	81.26	196.36	33.42	40.00		मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य, भूमि अधिग्रहण शुरू किए गए हैं।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2003–04	नई लाईन	जींद–सोनीपत	88.9	190.81	0.41	6.46		अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है।
3	1997–98	आमान परिवर्तन	सादुलपुर–हिसार (70 कि.मी.) सहित रेवाड़ी–सादुलपुर (211 कि.मी.)	281	364.19	18.97	160.00		मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य आदि शुरू किए गए हैं।
4	2005–06	आमान परिवर्तन	अजमेर–फुलेरिया–रिंगुस–रेवाड़ी	294.97	469.1	139	125.00	@	रेवाड़ी–रिंगस–फुलेरा को मार्च 08 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
5	2003–04	दोहरीकरण	रोहतक–जाखल	52	66.75	49.95	35.00		कहीं–कहीं दोहरीकरण 07–08 में पूरा करने का लक्ष्य है।
6	2005–06	दोहरीकरण	पलवल–भुटेश्वर तीसरी लाइन	81	33·)	7	125.00	@	मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य आदि शुरू किए गए हैं।
7	2006–07	दोहरीकरण	तुगलकाबाद–पलवल चौथी लाइन	33.5	83	0	1.00	@	कार्य आरवीएनएल द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।
8	2007–08	दोहरीकरण	कुकरना–पानीपत	821.65		0	5.00	@	नया कार्य है।
9	1992–93	रेल विद्युतीकरण	अंबाला–मुरादाबाद	274	249.67	240	5.00		कार्य पूरा होने के नजदीक है।
10	2001–02	रेल विद्युतीकरण	दिल्ली सराय रोहिल्ला–गुड़गांव	30	12	0	0.00		स्वीकृतियों की प्रतीक्षा है।
			हिमाचल प्रदेश						
1	1981–82	नई लाईन	नांगल डैम–तलवाड़ा एवं मुकेरियां तलवाड़ा की साइडिंग सहित	83.74	300	125	15.08		नांगल डैम–ऊना–चुरारू–तकराला पूरा हो गया है। भूमि अधिग्रहण शुरू किया गया है।
2	2007–08	नई लाईन	चंडीगढ़–वाडी	33.23	328.14	0	0.00	@	स्वीकृतियों की प्रतीक्षा है।
3	1997–98	दोहरीकरण	जालंधर–पठानकोट–जम्मू तवी	203	461.23	444.09	100.00		100 कि.मी. पूरा हो गया है। शेष वर्तमान वर्ष और अगले वर्ष पूरा करने का लक्ष्य है।
4	2007–08	रेल विद्युतीकरण	जालंधर–जम्मू तवी	222	95.46	0	0.25	@	07–08 के बजट में शामिल नया कार्य है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			जम्मू - कश्मीर						
1	1994–95	नई लाईन	उधमपुर–श्रीनगर–बारामूला	292	11270	3825.5	0.00		काकापोर–बडगाम पूरा हो गया है। परियोजना 2011–12 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
2	1997–98	दोहरीकरण	जालंधर–पठानकोट–जम्मू तवी	203	461.23	444.09	100.00		100 कि.मी. पूरा हो गया है। शेष वर्तमान वर्ष और अगले वर्ष के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
3	2007–08	रेल विद्युतीकरण	जालंधर–जम्मू तवी	222	95.46	0	0.25	@	07–08 के बजट में शामिल नया कार्य है।
			झारखंड						
1	1995–96	नई लाईन	मंडार हिल–रामपुर हाट वाया दुमका	130	254.07	96	17.00		मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं।
2	1997–98	नई लाईन	गिरीडीह–कोडरमा	102.5	380.07	125.22	20.00		मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य शुरू
3	1998–99	नई लाईन	कोडरमा–रांची	202	1033.04	335.63	50.66		किए गए हैं। भूमि अधिग्रहण, मिट्टी संबंधी कार्य शुरू किए गए है।
4	1998–99	नई लाईन	देवघर–दुमका	72.25	180.73	107	10.00		मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य शरू किए गए हैं।
5	2000–01	नई लाईन	देवघर–सुल्तानगंज, बांका–बराहट और बांका–मितिया रोड	151.28	312	93	15.00		बांका–बारहाट पूरा हो गया है। शेष हिस्से पर कार्य शुरू किया गया है।
6	2001–02	नई लाईन	कोडरमा–तिल्लैया	65	413.17	31.85	25.00		आंशिक दूरी में मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं। भूमि अधिग्रहण प्रगति पर है।
7	1996–97	आमान परिवर्तन	रांची–लोहदरग्गा टोरी तक विस्तार सहित	111	324	181.45	10.66		रांची–लोहरडगा आमान परिवर्तन पूरा हो गया है। शेष प्रगति पर है।
8	1997–98	दोहरीकरण	गोयलकेरा–मनोहरपुर तीसरी लाइन (चक्रधरपुर–गोडा मुंडा खंड)	40	186.92	1.7	20.00		प्रारंभिक कार्य शुरू किए गए हैं।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	2003–04	दोहरीकरण	बडहरवा–तीन पहाड़	16.49	41.13	17	25.00		मिट्टी संबंधी कार्य, पुल शुरू किए गए हैं।
			कर्नाटक						
1	1995–96	नई लाईन	काट्टूर–हरिहर वाया हरपन हल्ली	65	206.82	46	30.70		कोट्टूर–हरपनहल्लि 2007–08 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
2	1996–97	नई लाईन	कुडुर–चिकमागैल्लूर–सकलेशपुर	93	274.29	56	10.00		काडूर–चिकमगलूर खंड पर भूमि अधिग्रहण, मिट्टी संबंधी कार्य, पुल, शुरू किए गए हैं।
3	1996–97	नई लाईन	हुबली–अंकोला	167	997.58	70	5.00		भूमि अधिग्रहण शुरू किए गए हैं। वन्य स्वीकृति के लिए प्रस्ताव पर कार्यवाई की गई है।
4	1996–97	नई लाईन	हासन–बेंगलूरू	166	412.91	220.08	21.00		हसन–श्रवणबेलगोला पूरा हो गया है। शेष खंड पर कार्य शुरू किया गया है।
5	1996–97	नई लाईन	बेंगलुरू–सत्यमंगलम	260	901.62	0	1.00		अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है।
6	1997–98	नई लाईन	मुनीराबाद–महबूबनगर	246	497.47	36	5.00		येरमारज,–यदलापुर (14 किलोमीटर) पूरा हो गया है। भूमि अधिग्रहण, मिट्टी संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं।
7	1997–97	नई लाईन	गुलबर्ग–बीदर	140	369.7	51	20.00		मिट्टी संबंधी कार्य, पुल शुरू किए गए हैं।
8	1998–99	नई लाईन	गडवाल–रायचूर	60	108.91	42	18.01		मिट्टी संबंधी कार्य, पुल शुरू किए गए हैं।
9	2007–08	छमूस्पदम	रायादुर्ग–तुमकुर	213	887.31	0	0.01	@	स्वीकृतियों की प्रतीक्षा है।
10	1992–93	आमान परिवर्तन	शिमोगा–तलगुपा (बेंगलुरू–हुबली–बिरूर–शिमोगा)	630	539.43	409.85	70.00		मिट्टी संबंधी कार्य, पुल शुरू किए गए हैं।
11	1993–94	आमान परिवर्तन	शोलापुर (होतगी)–गडग	284	357.7	312	65.00		शोलापुर–बगलकोट पूरा हो गया है और शेष के लिए 07–08 का लक्ष्य है।
12	1997–98	आमान परिवर्तन	मैसूर–चामराजनगर (पी एच I) मेटापलायम तक विस्तार सहित	148	606.58	87	45.00		मैसूर–चामराजनगर शुरू किया गया है और 07–08 का लक्ष्य है।
13	2006–07	आमान परिवर्तन	कोलार–चिकबलापार	96.5	99.42	5	64.00	@	मिट्टी संबंधी कार्य, पुल शुरू किए गए हैं।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	1997–98	दोहरीकरण	यशवंतपुर–तुमकुर	64	109.56	96.18	30.00		कार्य अंतिम चरण में है।
15	1997–98	दोहरीकरण	केंगरी–रामनगरम	29.83	142.02	42.47	10.00		07–08 के दौरा पूरा करने का लक्ष्य है।
16	1997–98	दोहरीकरण	बेंगलुरू–हवाईटफील्ड–बेंगलुरू सिटी–कृष्ण राजपुरम–क्वाडरूपलिंग	23.08	84.98	0	0.10		स्वीकृतियों की प्रतीक्षा है।
17	2003–04	दोहरीकरण	रायपुर–गुंटकल	81.1	145.81	0	50.00		मिट्टी और पुल संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं।
18	2006–07	दोहरीकरण	कंकनाडी–पन मबुरूपैच दोहरीकरण	19	70	0	2.00	@	प्रारंभिक कार्य शुरू किए गए हैं।
19	2006–07	दोहरीकरण	हुबली–हेबसर	17.17	56.99	0	20.66	@	प्रारंभिक कार्य शुरू किए गए हैं।
20	2006–07	दोहरीकरण	धारवाड़–कंबरगनवी	26.68	87.48	0	30.00	@	प्रारंभिक कार्य शुरू किए गए हैं।
21	2007–08	दोहरीकरण	केंगरी–मैसूर के विद्युतीकरण सहित रामानगरम–मैसूर	91.5	343.18	0	5.16	@	07–08 के बजट में शामिल नया कार्य है।
22	2007–08	दोहरीकरण	अरासिकेरी–बिरूर	44.28	98.21	0	1.00	@	07–08 के बजट में शामिल नया कार्य है।
23	2006–07	रेल विद्युतीकरण	लिंगमपल्ली–वाडी	161	96.24	3	5.00	@	नक्शे एवं अनुमान बनाना शुरू किया गया है।
			केरल						
1	1997–98	नई लाईन	अंगामली–साबरीमाला	146	550	7.2	10.00		अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया गया है। भूमि अधिग्रहण शुरू किए गए हैं।
2	1999–2000	नई लाईन	तन्नूर (कुट्टीपुरम)–गुरूवयूर	50.23	137.71	15	2.77		अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया गया है।
3	1997–98	आमान परिवर्तन	क्यूलन–तिरूनलवली–त्रिचचिन्दर एवं पेनकासी–विरूद्धनगर	357	697.14	294.46	90.02		विद्धधनगर–तेनकासी पूरा हो गया है। कोल्लम–पुन्नालूर और तिरुनेलवेली–त्रिचांदूर 07–08 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
4	2006–07	आमान परिवर्तन	डिंडीगुल–पोलाची–पालघाटी और पेलाची–कोयम्बटूर	224.88	343.17	0	30.00	@	प्रारंभिक कार्य शुरू किए गए हैं।
5	2001–02	दोहरीकरण	एरनाकुलम–मूलानतूरती	17.37	91.16	51	8.00		कार्य पूरा होने के नजदीक है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	2003–04	दोहरीकरण	मवेलिकारा–क्यानकुलम	7.89	26.81	14.1	5.00		मिट्टी संबंधी कार्य पुल शुरू किए गए हैं।
7	2003–04	दोहरीकरण	मेवलिकारा–चेंगनूर	12.3	89.87	7.11	31.66		मिट्टी संबंधी कार्य पुल शुरू किए गए हैं।
8	2003–04	दोहरीकरण	चिपड–क्यानकुलम	7.76	27.94	7.3	10.00		मिट्टी संबंधी कार्य पुल शुरू किए गए हैं।
9	2003–04	दोहरीकरण	चिपड–हरिपद पैच दोहरीकरण	5.28	33.49	1.64	10.00		मिट्टी संबंधी कार्य पुल शुरू किए गए हैं।
10	2005–06	दोहरीकरण	मुलानकुरेटी–कुरूपनतारा	24	79.94	5	30.00	@	मिट्टी संबंधी कार्य पुल शुरू किए गए हैं।
11	2006–07	दोहरीकरण	चिगनूर–चिंगावनम	26.5	99.69	0	15.00	@	निविदा पर कार्रवाई की जा रही है।
12	2007–08	दोहरीकरण	कुरूपन्थारा–चेनगवननम	26.58	99.2	0	2.00	@	07–08 के बजट में शामिल नया कार्य है।
13	2007–08	दोहरीकरण	अंबालापूजा–हरिपद	18.13	48.38	0	2.00	@	07–08 के बजट में शामिल नया कार्य है।
14	1999–2000	रेल विद्युतीकरण	एरनाकुलम–त्रिवेन्द्रम	320	243.38	165	15.00		कार्य पूरा हो गया है।
		मध्य प्रदेश							
1	1985–86	नई लाईन	गुना–इटावा	344	432.46	388.64	30.00		गुना–भिंड पूरा हो गया है।
2	1989–90	नई लाईन	दादोह–इन्दौर और देवास–मक्सी	236	678.56	56.07	6.66		देवास–मकसी पूरा हो गया है। दाहोद–इंदौर पर अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया गया है
3	1997–98	नई लाईन	ललितपुर–सतना एवं रीवा–सिंगरौली	541	925	182.4	50.00		मिट्टी संबंधी कार्य पुल शुरू किए गए हैं, महोबा 07–08 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
4	2000–01	नई लाईन	रामगंजमंडी–भोपाल	262	726.05	67.38	30.00		भूमि अधिग्रहण, मिट्टी संबंधी कार्य, पुल शुरू किए गए हैं। रामगंजमंडी–झलावार 08–09 के दौरान पूरा होने की संभावना है।
5	2007–08	नई लाईन	छोटाउदयपुर–धार	157	570	0	0.01	@	स्वीकृतियों की प्रतीक्षा है।
6	1996–97	आमान परिवर्तन	जबलपुर–गोंडिया कटनीगी सहित	285	524.88	240	60.00		गोंदिया–बालाघाट पूरा हो गया है। शेष खंड पर कार्य शुरू किए गए हैं।
7	2005–06	आमान परिवर्तन	छिंदवाडा–नागपुर	149.52	383.79	11	70.00	@	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। मिट्टी संबंधी कार्य, पुल शुरू किए गए हैं।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	1990–91	दोहरीकरण	काला पीपल–फांडा/मक्सी–भोपाल	41.49	97.64	83.54	25.00		मार्च, 08 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
9	2003–04	दोहरीकरण	अकोडिया–सुजालपुर पैच दोहरीकरण	13.15	34.4	10.4	10.00		मिट्टी संबंधी कार्य, पुल शुरू किए गए हैं।
10	2006–07	रेल विद्युतीकरण	उज्जैन–इन्दौर और देवास–मक्सी	115	48.3496	0.01	12.00	@	कार्य शुरू किया जा रहा है।
11	2006–07	रेल विद्युतीकरण	बीना–कोटा	303	175.72	0.05	10.00	@	कार्य शुरू किया जा रहा है।
			महाराष्ट्र						
1	1993–94	नई लाईन	अमरावती–नरखेड़	138	284.27	170.67	7.00		अमरावती–चांदूरबाजार पूरा हो गया है।
2	1993–94	आमान परिवर्तन	सोलापुर (होडी–गदम)	284	357.7	312	65.00		शोलापुर–बगलकोट पूरा हो गया है और शेष के लिए 07–08 का लक्ष्य है।
3	1996–97	आमान परिवर्तन	बालाघाट–कटंगी सहित जबलपुर–गोंदिया	285	524.88	240	60.00		गोंडिया–बालाघाट पूरा हो गया है। शेष खंड पर कार्य शुरू किया गया है।
4	2000–01	आमान परिवर्तन	अकोला–पूर्ण	210	245.22	148.21	150.00		07–08 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
5	2005–06	आमान परिवर्तन	चिंदवाड़ा–नागपुर	149.52	383.79	11	70.00	@	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। मिट्टी संबंधी कार्य, पुल शुरू किए गए हैं।
6	2002–03	दोहरीकरण	पकनी–सोलापुर	16.28	38.52	9	12.00		पूरा होने के नजदीक है।
7	2003–04	दोहरीकरण	पकनी–माहोल	17	42.73	28	24.00		07–08 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
8	2006–07	दोहरीकरण	पनवेल–पेन	35.46	96.16	0	10.00	@	प्रारंभिक कार्य शुरू किए गए हैं।
9	2007–08	दोहरीकरण	पेर–रोहा	40	98.74	0	2.00	@	07–08 के बजट में शामिल नया कार्य है।
10	2007–08	दोहरीकरण	कलूमना–नागपुर	6.16	21.61	0	2.00	@	07–08 के बजट में शामिल नया कार्य है।
11	2003–04	महानगर परिवहन परियोजना	मुंबई शहरी परिवहन परियोजना (एमयूटीपी)		3480	1182	474.25		विभिन्न चरणों में कार्य शुरू किए गए हैं।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	1995–96	नई लाईन	अहमदनगर–बीट–परली–बैजनाथ	261.25	462.67	15	10.00		अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है और भूमि अधिग्रहण शुरू किया गया है।
13	1998–99	नई लाईन	बारामती–लोनाड	54	138.48	17.5	5.00		लोनंद–फाल्टर खंड पर भूमि अधिग्रहण, मिट्टी संबंधी कार्य, पुल शुरू किए गए हैं।
14	2000–01	नई लाईन	पुनतंबा शिरडी	17.6	79.77	53	20.00		मिट्टी संबंधी कार्य, पुल आदि शुरू किए गए हैं 07–08 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
15	1993–94	आमान परिवर्तन	मिरज–लातूर	374	515.57	402.11	75.53		लातरू से ओस्मानाबाद और खुर्दवाडि–पंधारपुर पूरा हो गया है।
16	1999–2000	दोहरीकरण	दीवा–कल्याण पांचवीं और छठी लाइन का दोहरीकरण	10.73	70	63	5.00		कार्य पूरा हो गया है। अभी खोला जाना है।
17	1996–97	महानगर परिवहन परियोजना	थाने–टरभे नेरूल/वासी नवीं मुंबई में कोरीडोर संख्या 1 का हिस्सा	23.3	403.39	363	1.00		ठाणे–वाशी पूरा हो गया है। तुरभे–नेरुल के लिए 07–08 का लक्ष्य है।
18	1996–97	महानगर परिवहन परियोजना	बेलापुर–सी वुड–शहरी विद्युतीकरण दोहरी लाइन	27	495.44	84	15.00		मिट्टी संबंधी कार्य, पुल शुरू किए गए हैं।
			उड़ीसा						
1	1993–94	नई लाईन	लांझीगढ़ रोड़–जूनागढ़	56	142	37	12.00		मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य और भूमि अधिग्रहण शुरू किए गए हैं।
2	1994–95	नई लाईन	खुर्दा रोड़–बोलानगीर	289	700	68	20.00		अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है, मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य और भूमि अधिग्रहण शुरू किए गए हैं।
3	1996–97	नई लाईन	हरिदासपुर–पारादीप	82	594.34	69	20.00		आरवीएनएल द्वारा एसपीपी माध्यम से निष्पादित किया जा रहा है और महानदी एवं लूना पुल पर कार्य शुरू किए गए हैं।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	1997–98	नई लाईन	अुगुल–सकिंदारोड़	98.76	344	1	12.00		आरवीएनएल द्वारा एसपीवी माध्यम से निष्पादित किया जा रहा है। और भूमि अधिग्रहण शुरू किया जा रहा है।
5	2003–04	नई लाईन	तलचर–विमलगढ़	154	796.08	2	15.00		अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। विस्तृत अनुमान पर स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है।
6	1995–96	आमान परिवर्तन	रूपसा–बांगड़ीपोसी	90	135.56	65.4	35.00		52 किमी. पूरा हो गया है। बारीपाड़ा से बांगरीपोसी तक शेष 38 किमी खंड पर मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य, रेलपथ संग्रहण और रेलपथ संपर्कन के कार्य शुरू किए गए हैं।
7	1997–98	आमान परिवर्तन	नवपाड़ा–गुन्नुकूर	90	91.3	62	25.00		भूमि अधिग्रहण, मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं।
8	1996–97	दोहरीकरण	तलचर–कटक–पारादीप (महानंदी और विरूपा पर दूसरा पुल)	3	122	54	64.00		बिरुपा नदी पर पुल पूरा हो गया है और महानदी पर पुल आवीएनएल द्वारा एडीबी वित्तपोषण द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। और 2007–08 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
9	1997–98	दोहरीकरण	टीटागढ़–लांझीगढ़	47	150	146	15.00		34 कि.मी पूरा हो गया है और शेष 13 किमी 2007–08 में पूरा करने का लक्ष्य है।
10	1999–2000	दोहरीकरण	रजतगढ़–बारंग	29.32	242.87	24	86.00		आरवीएनएल द्वारा एडीबी वित्तपोषण द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है और पुल सड़क के तल्प एवं रेलपथ संपर्कन के कार्य शुरू किए गए हैं।
11	2000–01	दोहरीकरण	खुर्दा रोड–पुरी (चरण–I)	15.3	68.71	58	5.00		कार्य पूरा होने के नजदीक है।
12	2002–03	दोहरीकरण	संबलपुर–रेंगाली	22.7	60.36	40	25.00		भूमि अधिग्रहण और 2007–08 में पूरा करने का लक्ष्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	2002–03	दोहरीकरण	झारखंडसुगुडा बाईपास	8.73	44	23	20.00		मिट्टी संबंधी कार्य, ब्लास्ट और रेलपथ संपर्कन शुरू किए गए हैं और 2007–08 में पूरा करने का लक्ष्य है।
14	2003–04	दोहरीकरण	खुर्दा रोड बारंग तीसरी लाइन	35	207	23	88.00		आरवीएनएल द्वारा एडीबी वित्तपोषण द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। सड़क तल्प, पुल, गिट्टी, रेलपथ के कार्य शुरू किए गए हैं।
15	2003–04	दोहरीकरण	कटक–बारंग	12.3	178.98	47	55.00		आरवीएनएल द्वारा एडीबी वित्तपोषण द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। सड़क, तल्प, पुल, गिट्टी, रेलपथ के कार्य शुरू किए गए हैं।
16	2005–06	दोहरीकरण	झारखंडसुगुडा रेंगाली	25.96	91.41	2	17.00	@	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षपण पूरा हो गया है और विस्तृत अनुमान स्वीकृत हैं। कार्य शुरू किए गए हैं।
17	2006–07	दोहरीकरण	संबलपुर–टीटागढ़	182	474.25	0	10.00	@	विस्तृत अनुमान पर स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है।
18	2006–07	दोहरीकरण	पाडापहाड़–बनस्पानी	28	138.0093	1	50.00	@	विस्तृत अनुमान स्वीकृत हैं। पड़ापहाड़ से डोंगरापोसी (6 किलोमीटर) 2007–08 में पूरा करने का लक्ष्य है।
19	2007–08	दोहरीकरण	रायपुर–टीटागढ़	203	614.35	0	1.00	@	नक्शे एवं अनुमान बनाना शुरू किया गया है।
20	2007–08	दोहरीकरण	बिमलागढ़–दुमित्रा	18.3	73.77	0	3.00	@	नक्शे एवं अनुमान बनाना शुरू किया गया है।
21	2007–08	दोहरीकरण	बारबिल–बाराजमडा	10	41.7	0	3.00	@	नक्शे एवं अनुमान बनाना शुरू किया गया है।
22	1995–96	रेल विद्युतीकरण	तलचल–पारदीप सहित खडगपुर–भुवनेश्वर	540	406.51	392	2.00		450 किलोमीटर ऊर्जित किया जा चुका है और कटक–पाराद्वीप पर विद्युतकीकरण शुरू किया गया है।
			पंजाब						
1	1981–82	नई लाईन	नांगल डेम तलवाड़ा एवं मुकेरियन तलवाड़ा के साइडिंग को ग्रहण करते हुए	83.74	300	125	15.08		नांगलडेम–ऊना–चुरारू–तकराला पूरा हो गया है आंशिक दूरी में भूमि अधिग्रहण शुरू किया गया है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1997–98	नई लाईन	तरनतारन–गोइंदवाल	21.5	37.51	12.53	5.00		अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य शुरू हो गए हैं।
3	1997–98	नई लाईन	चंडीगढ़–लुधियाना	112	577.03	271.16	30.00		45 किमी. पूरा हो गया है और मोरिंडा–सोहनेवाल पर भूमि अधिग्रहण शुरू किया गया है सोहनेवाल–लुधियाना पर मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं।
4	1997–98	नई लाईन	ब्यास–डेरा बाबा जरनैल सिंह	5	4.07	0	0.01		डेरा प्राधिकारियों ने अक्टूबर, 98 से रेलों को निःशुल्क भूमि हस्तांतरित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं जैसा कि वचन दिया गया था।
5	1997–98	नई लाईन	अबोहर फाजिल्का	42.72	86.44	23.73	10.00		भूमि अधिग्रहण शुरू कर दिए गए हैं। 16 किमी. की दूरी में मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं।
6.	2007–08	नई लाईन	चंडीगढ़–बाडी	33.23	328.14	0	0.00	@	स्वीकृतियों की प्रतीक्षा है।
7	1997–98	दोहरीकरण	जालंधर–पठानकोट–जम्मूतवी	203	461.23	444.09	100.00		100 किमी. पूरा हो गया है। शेष वर्तमान वर्ष और अगले वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है।
8	2007–08	रेलदोहरीकरण	जालंधर–जम्मूतवी	222	95.46	0	0.25	@	07–08 के बजट में शामिल नया कार्य है।
		राजस्थान							
1	1996–97	नई लाईन	दौरा–गंगापुरसिटी	92.67	208.83	28	5.00		मिट्टी संबंधी कार्य और पुल संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं।
2	2000–01	नई लाईन	रामगंजमंडी–भोपाल	262	726.05	67.38	30.00		भूमि अधिग्रहण, मिट्टी संबंधी कार्य, पुल शुरू किए गए हैं। रामगंजमंडी–झलावार 08–09 के दौरान पूरा होने की संभावना है।
3	2000–01	नई लाईन	अजमेर–पुष्कर	31.4	88.4	33	10.00		वन्य स्वीकृति प्राप्त हो गई है। मिट्टी संबंधी कार्य और पुल संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	1991--92	आमान	भिलडी–समदड़ी	223	244.74	103	110.00		कार्य शुरू किया गया है। 08–09 का लक्ष्य है।
5	1997–98	आमान परिवर्तन	श्रीगंगानगर–सरूपशाह	116	170.59	4	30.00		मिट्टी संबंधी कार्य और पुल संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं।
6	1997–98	आमान परिवर्तन	सादूलपुर–हिसार (70 कि.मी. सहित) रिवाड़ी–सादुलपुर (21 कि.मी.)	281	364.19	18.97	160.00		मिट्टी संबंधी कार्य और पुल संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं।
7	1999–2000	आमान परिवर्तन	फूलेरा–जोधपुर–पीपररोड–बिलारा	41.14	33.44	9.9	20.00		2007–08 में पूरा करने का लक्ष्य है।
8	2005–06	आमान परिवर्तन	अजमेर–फूलेरा–रींगस–रिवाड़ी	294.97	469.1	139	125.00	@	रेवाड़ी–रिंगस–फुलेरा मार्च, 08 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
9	2007–08	आमान परिवर्तन	सादुलपुर–बीकानेर और रतनगढ़–देगाना	394.35	474.79	0	50.00	@	नक्शे एवं अनुमान बनाना शुरू किया गया है।
10	2004–05	दोहरीकरण	जयपुर–फूलेरा	54.75	94.91	2.12	60.00	@	पुल संबंधी कार्य और मिट्टी संग्रहण शुरू किया गया है।
11	2005–06	दोहरीकरण	जयपुर–दौसा	61.28	148.38	1.47	10.00	@	मिट्टी संग्रहण शुरू किया गया है।
12	2006–07	दोहरीकरण	दौसा–बांदीकुई	29.04	67.11	0	5.00	@	नक्शे एवं अनुमान बनाना शुरू किया गया है।
13	2007–08	दोहरीकरण	अलवर–हरसौली	34.86	89.62	0	5.00	@	नक्शे एवं अनुमान बनाना शुरू किया गया है।
14	2006–07	रेल विद्युतीकरण	बीना–कोटा	303	175.72	0.05	10.00	@	कार्य शुरू किया जा रहा है।
			तमिलनाडु						
1	1996–97	नई लाईन	करूर–सलेम	85	229.88	112	20.00		सेलम और नामाक्कल जिलों में भूमि अधिग्रहण संबंधी मुकदमे लड़े जा रहे हैं।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1996–97	नई लाईन	बंगलोर–सत्यमंगलम	260	901.62	0	1.00		अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया गया है
3	2006–07	नई लाईन	तिंडीवनम–नागरी	179.2	456	0	10.00	@	नक्शे एवं अनुमान बनाना शुरू किया गया है।
4	2006–07	नई लाईन	तिंडीवनम–गिंगी–तिरूवन्नामलई	70	125	0	10.00	@	नक्शे एवं अनुमान बनाना शुरू किया गया है।
5	1995–96	आमान परिवर्तन	नागापट्टनम–तिरूथिरापुंडी 43 कि.मी. के विस्तार सहित तिरूचिरापल्ली–नागौर–करैकल	243	205.79	198.5	36.66		105 किमी पूरा हो गया है। तिरुवारू से नागौर तक 30 किमी 2007–08 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
6	1997–98	आमान परिवर्तन	कोलन–तिरूनेलवेली–तिरूचेन्दूर और तेनकासी–विरुद्धनगर	357	697.14	294.46	90.02		विरुधनगर–तेनकासी पूरा हो गया है। कोल्लम–पुन्नालूर और तिरुनेलवेली–त्रिचूर 07–08 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
7	1997–98	आमान परिवर्तन	मदुरै–रामेश्वरम	161	246.47	241	45.00		पूरा हो गया है और खोल दिया गया है।
8	1998–99	आमान परिवर्तन	थंजावुर–विष्णुपुरम	192	356.9	210	75.00		71 किमी पूरा हो गया है और शेष 2007–08 में पूरा करने का लक्ष्य है।
9	1999–2000	आमान परिवर्तन	कुड्डालोर–सेलम वाया वृद्धाचलम	191	517.49	227	30.00		कार्य पूरा हो गया है।
10	2000–01	आमान परिवर्तन	विष्णुपुरम–कालपाड़ी	161	232.83	67	80.00		वैल्लोर से तिरुवमन्नमलै तक 84 किमी 2007–08 में पूरा करने का लक्ष्य है।
11	2000–01	आमान परिवर्तन	त्रिची–मन्नामदुरै	150	200	190	80.00		90 किमी. पूरा हो गया है और खोल दिया गया है तथा शेष 2007–08 में पूरा करने का लक्ष्य है
12	2006–07	आमान परिवर्तन	मदुरै–विरुद्धनगर	66.55	97.24	0	25.00	@	विस्तृत अनुमान पर स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है।
13	2006–07	आमान परिवर्तन	दिंडीगुल–कोलाची–पालघाट तथा कोलाची कोयंबटूर	224.88	343.17	0	30.00	@	प्रारंभिक कार्य शुरू किए गए हैं।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	2007–08	आमान परिवर्तन	मैलादुतुरै – काराकुडी तथा तिरूतुरैकुंडी–अगस्तियांपली	224	404.19	0	10.00	@	नक्शे एवं अनुमान बनाना शुरू किया गया है।
15	1996–97	दोहरीकरण	इरूगुर–कोयंबटूर	17.7	38.67	34	10.00		2.7 किमी पूरा हो गया है और शेष खंड में मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य, मिट्टी संग्रहण और रेल संपर्कन के कार्य शुरू किए गए हैं।
16	1999–2000	दोहरीकरण	अतीपाटू–कुरुकुपेटै	18	132.03	61	5.00		कार्य 2007–08 में पूरा करने का लक्ष्य है।
17	2002–03	दोहरीकरण	पाटाबिरम–तिरूवैल्लूर चौथी लाइन (15.06 कि.मी.) तथा तिरुवल्लूर – अराकोणम तीसरी लाइन (26.83 कि.मी.)	41.89	70	52	45.00		आरबीएनएल द्वारा एडीबी वित्तपोषण द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। 16 किमी पूरा हो गया है और शेष 26 किमी 2007–08 में पूरा करने का लक्ष्य है।
18	2003–04	दोहरीकरण	मदुरे–दिंडीगुल (अनुपूरक)	62.05	128.56	6	70.00		विस्तृत अनुमान स्वीकृत है। मिट्टी संबंधी कार्य पुल संबंधी कार्य, मिट्टी संग्रहण के कार्य शुरू किए गए हैं।
19	2003–04	दोहरीकरण	चेन्नई बीच–कोरूउपेट	4.1	59.5	0	2.00		नक्शे एवं अनुमान बनाना शुरू किया गया है।
20	2003–04	दोहरीकरण	चेन्नई बीच–अटीपाटू चौथी लाइन (अनुपूरक)	22.1	50.23	0	2.00		नक्शे एवं अनुमान बनाना शुरू किया गया है।
21	2006–07	दोहरीकरण	चेंगीपाटू–विष्णुपुरम–तिरुवनामलै	103	247	0	11.00	@	नक्शे एवं अनुमान बनाना शुरू किया गया है।
22	1996–97	महानगर परिवहन परियोजना	तिरूमलै से वेराधूरी तक – एमआरटीएस (चरण–II)	11.17	733.39	632	8.00		कार्य पूरा हो गया है।
23	2006–07	महानगर परिवहन परियोजना	वेलाचेरी से संत थॉमस माउंट तक एमआरटीएस का विस्तार	165.59	0	10.00	@		विस्तृत अनुमान पर स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	2006–07	रेल विद्युतीकरण	विष्णुपुरम–तिरुचेरापल्ली	178	96.6686	23	5.00	@	विस्तृत अनुमान स्वीकृत है। ठेका दिया गया है।
25	2007–08	रेल विद्युतीकरण	तिरूचिरापल्ली–मदुरै	154	154	0	0.25	@	विस्तृत अनुमान बनाना शुरू किया गया है।
			उत्तर प्रदेश						
1	1985–86	नई लाईन	गुना–इटावा	344	432.46	388.64	30.00		गुना–भिंड पूरा हो गया है।
2	1995–96	नई लाईन	रामपुर–लालकुंआ–काठगोदाम राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऊपरी सड़क पुल	0	16.06	0	0.50		राज्य सरकार से विस्तृत अनुमान की प्रतीक्षा है।
3	1997–98	नई लाईन	ललितपुर–सतना और रीवा–सिंगरौली	541	925	182.4	50.00		मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं। महोबा–खजुराहो 07–08 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
4	1997–98	नई लाईन	इटावा–मैनपुरी	60	129.7	53	3.00		भूमि अधिगहण, मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य शुरू किया गया है।
5	1999–2000	नई लाईन	आगरा–इटावा फतेहाबाद और बाह	114	214.9	75	7.00		भूमि अधिगहण, मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य शुरू किया गया है।
6	2005–06	नई लाईन	हथुआ–भटनी	79.64	230.03	31	40.00	@	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। भूमि अधिग्रहण, मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य पूरा हो गया है।
7	2006–07	नई लाईन	चित्तौनी–तुमकुही रोड़	58.88	235	0.01	5.00	@	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया गया है।
8	2007–08	नई लाईन	देवबंद (मुजफ्फरनगर) रुड़की	27.45	105.52	6	10.00	@	उत्तराखंड राज्य सरकार के साथ लागत में 50:50 की भागीदारी के आधार पर।
9	1995–96	आमान परिवर्तन	मथुरा–अधनेरा	35	33.67	0	30.00		विस्तृत अनुमान स्वीकृत है और अब 2008–09 में पूरा करने का लक्ष्य है।
10	1997–98	आमान परिवर्तन	कानपुर–कासगंज–मथुरा–बरेली तथा बरेली लालकुंआ	545	661.72	448	125.00		248 किमी पूरा हो गया है और खोल दिया गया है। 105 किमी 2007–08 में पूरा करने का लक्ष्य है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	1997–98	आमान परिवर्तन	आनंदनगर नवतनवा सहित गोंडा लूप लाइन	260	381.17	65.66	25.00		मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य, गिट्टी संग्रहण के कार्य शुरू किए गए हैं।
12	1997–98	आमान परिवर्तन	गोंडा–बहरैच के गोंडा–बहरैच–सीतापुर लखनऊ के चरण–I के रूप में	60	73.42	3.89	10.00		विस्तृत अनुमान स्वीकृत हैं। मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं।
13	1999–2000	आमान परिवर्तन	कप्तानगंज–थावे–सीवान–छपरा	233.5	325.1	98	130.00		थावे–सिवान पूरा हो गया है।
14	2003–04	आमान परिवर्तन	औरिहर–जौनपुर	50.6	85.75	4.09	49.93		मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं।
15	2007–08	आमान परिवर्तन	भोजपुर–पीलीभीत–टनकपुर	101.79	145	0	0.01	@	सैद्धांतिक अनुमोदन के आधार पर शामिल. किया गया है।
16	1995–96	दोहरीकरण	टूंडला–यमुना ब्रिज	21	27.07	20	4.06		6 किमी पूरा हो गया है और शेष दूरी के लिए स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है।
17	1995–96	दोहरीकरण	कानपुर–पनकी तीसरी लाइन	9	69.58	65.1	1 4.00		2007–08 में पूरा करने का लक्ष्य है।
18	1997–98	दोहरीकरण	गोरखपुर–सहजनवा	17.3	69.8	53	27.00		6 किमी पूरा हो गया है और खोल दिया गया है और शेष 2007–08 में पूरा करने का लक्ष्य है।
19	1998–99	दोहरीकरण	उतरेदिया–चंदरौली तथा सुल्तानपुर – बंधुआकलान	37	72.42	81.93	10.00		24 किमी पूरा हो गया है और शेष दूरी में मिट्टी संबंधी कार्य पुल संबंधी कार्य। गिट्टी संग्रहण के कार्य शुरू किए गए हैं।
20	2000–01	दोहरीकरण	जाफराबाद–उतरेटिया चरण–II (जाफराबाद श्रीकृष्णनगर)	34	70.28	80	10.66		26 किमी पूरा हो गया है। शेष खंड में मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य, गिट्टी संग्रहण, रेलपथ संपर्कन के कार्य शुरू किए गए हैं
21	2000–01	दोहरीकरण	अमरोहा–कनकथेर	31	68.63	37.75	20.00		तल्प संबंधी कार्य पूरा हो गया है और मिट्टी आपूर्ति और रेलपथ संपर्कन के कार्य शुरू किए गए हैं।
22	2002–03	दोहरीकरण	चेनकी लोहगाड़ा (मानिकपुर–चेनकी चरण–II)	26.88	51.58	65	6.50		9 किमी खोल दिया गया है और 18 किमी पूरा हो गया है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	2003–04	दोहरीकरण	साहिबाबाद–आनंद विहार – तीसरी और चौथी लाइन	4	49.57	0	45.00		कार्य शुरू किया गया है।
24	2003–04	दोहरीकरण	लोहगाड़ा – कटियादांडी (मानिकपुर–चेनकी चरण–III)	32.3	65.03	49	29.18		2007–08 में पूरा करने का लक्ष्य है।
25	2003–04	दोहरीकरण	हापुड़–कनकथेर	42.71	106.63	80.85	40.00		हापुड़ से सिम्भौली तक 23 किमी 2007–08 में पूरा करने का लक्ष्य है।
26	2003–04	दोहरीकरण	अलीगढ़–गाजियाबाद तीसरी लाइन	106.15	230.73	90	175.00		आरवीएनएल द्वारा एडीबी वित्तपोषण द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। कार्य शुरू किया गया है।
27	2005–06	दोहरीकरण	सहजनवा–मुंदेरवा टुकड़ियों में दोहरीकरण	32.19	80.95	10	50.00	@	शाहजनवा से खालिलाबाद तक 17 किमी 2007–08 में पूरा करने का लक्ष्य है।
28	2005–06	दोहरीकरण	पलवल–भुतेश्वर तीसरी लाइन	81	330	7	125.00	@	2007–08 में पूरा करने का लक्ष्य है।
29	2005–06	दोहरीकरण	भीमसेन–जुही	13.82	22.3	12	10.00	@	2007–08 में पूरा करने का लक्ष्य है।
30	2005–06	दोहरीकरण	बाभन–मानकपुर पैच दोहरीकरण	30.15	62.89	21	45.00	@	2007–08 में पूरा करने का लक्ष्य है।
31	2005–06	दोहरीकरण	पनकी–भावपुर के बीच तीसरी लाइन	11.38	23.69	0.12	10.00	@	विस्तृत अनुमान पर स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है।
32	2006–07	दोहरीकरण	मुदेरवा–बाभनन	45.25	102.1	15	60.00	@	विस्तृत अनुमान स्वीकृत है। मिट्टी संबंधी कार्य, आवरण संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं।
33	2006–07	दोहरीकरण	गोरखपुर–बैतालपुर	37.93	89.18	5	50.00	@	2007–08 में पूरा करने का लक्ष्य है।
34	2006–07	दोहरीकरण	घाघड़घाट–चौकघाट	5.63	91.19	5	31.66	@	विस्तृत अनुमान स्वीकृत है।
35	2006–07	दोहरीकरण	भटनी–तीरादेई	38.11	100.27	0.01	30.00	@	कार्य शुरू किया गया है।
36	2006–07	दोहरीकरण	भटनी–बैतलपुर	28	71.59	0.01	20.00	@	विस्तृत अनुमान स्वीकृत है।
37	2006–07	दोहरीकरण	उतरेटिया–सुल्तानपुर–जाफराबाद के शेष खंड	148	369.9	0	106.88	@	विस्तृत अनुमान स्वीकृत है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	2007–08	दोहरीकरण	मऊ–इनदारा	8	29.39	0	1.00	@	नक्शे एवं अनुमान बनाना शुरू किया गया है।
39	2007–08	दोहरीकरण	बाराबंकी–बरहावल	39	73.22	0	1.00	@	नक्शे एवं अनुमान बनाना शुरू किया गया है।
40	1992–93	रेल विद्युतीकरण	अंबाला–मुरादाबाद	274	249.67	240	5.00		कार्य पूरा होने के नजदीक है।
41	1996–97	रेल विद्युतीकरण	खुर्जा–मेरठ–सहारनपुर	207	89.21	0	0.00		अनुमान बनाना शुरू किया गया है।
42	2005–06	रेल विद्युतीकरण	मुरादाबाद–लखनऊ–उतरेटिया	338	258.352	85	100.00	@	विस्तृत अनुमान स्वीकृत है। ठेका दिया गया है।
43	2006–07	रेल विद्युतीकरण	उतरेटिया–सुल्तानपुर–मुगलसराय	288	234.182	0	100.00	@	नक्शे एवं अनुमान बनाना शुरू किया गया है।
44	2007–08	रेल विद्युतीकरण	बाराबंकी–गोरखपुर–बरौनी	709.14	526.44	0	0.50	@	07–08 में स्वीकृत नया कार्य है। ठेका दिया गया है।
			उत्तराखंड						
1	2003–04	नई लाईन	किच्छा–खातिमा	51.5	165.67	0	7.00		विस्तृत अनुमान स्वीकृत है। भूमि अधिग्रहण शुरू किए गए हैं।
2	2007–08	नई लाईन	देवबंद (मुजफ्फरनगर) – रुड़की	27.45	105.52	0	10.00	@	उत्तराखंड राज्य सरकार के साथ लागत में 50:50 की भागीदारी के आधार पर।
3	1997–98	आमान परिवर्तन	कानपुर–कासगंज–मथुरा–बरेली तथा बरेली–लालकुंआ	545	661.72	448	125.00	@	248 किमी पूरा हो गया है और खोल दिया गया है। 105 किमी 2007–08 में पूरा करने का लक्ष्य है।
4	2007–08	आमान परिवर्तन	भोजपुर–पीलीभीत–टनकपुर	101.79	145	0	6.01	@	सैद्धांतिक अनुमोदन के आधार पर शामिल किया गया है।
5	1992–93	रेल विद्युतीकरण	अंबाला–मुरादाबाद	274	249.67	240	5.00		कार्य पूरा होने के नजदीक है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			पश्चिम बंगाल						
1	1974–75	नई लाईन	हावड़ा–अंता	73.5	154.3	82.97	5.00		43 किमी पूरा हो गया है और खोल दिया गया है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। राज्य सरकार द्वारा भूमि अभी उपलब्ध कराई गई है।
2	1984–85	नई लाईन	एकलाखी–बेलूरघाट तथा गजोल–इटाहार	113.11	282.74	218.16	2.00		87 किमी पूरा हो गया है और खोल दिया गया है। शेष दूरी के लिए विस्तृत अनुमालन पर स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है।
3	1995–96	नई लाईन	मंडारहिल–रामपुर हाट वाया दुमका	130	254.07	96	17.00		मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं।
4	2000–01	नई लाईन	हावड़ा–वर्द्धमान चोर को जोड़ते हुए कुमारकूंडू बाईपास तक विस्तार सहित तारकेश्वर – विष्णुपुर	85	255.68	90	15.00		वन भूमि का अधिग्रहण शुरू किया गया है। मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य, आवरण संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं।
5	2000–01	नई लाईन	न्यू मैनागुड़ी–जोगीघोपा	257	894.38	149	55.00		भूमि अधिग्रहण, मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं।
6	2001–02	नई लाईन	अजीमगढ़ (नसीपुर) – जियागंज घाट तक	6.6	51.13	21	20.00		अंतिम स्थान निर्धारण पूरा हो गया है। पुल संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं।
7	1997–98	आमान परिवर्तन	न्यूजलपाईगुड़ी – सिलीगुड़ी न्यू बोंगाईगांव – शाखा लाइन	419.48	892.83	824.15	31.00		न्यू जलपाईगुड़ी–न्यू बोंगईगांव पूरा हो गया है।
8	1998–99	आमान परिवर्तन	बांकुरा–दामोदर नदी परियोजना जीसी बोवाईचंडी–खन्ना नई लाइन, रैनागढ़ चंचई नई लाइन तथा बांकुरा–मुकुतमनीर नई लाइन	196	282	159.08	40.00		बांकूड़ा–सेहराबाजार पूरा हो गया है।
9	2000–01	आमान परिवर्तन	कटिहार–जोगबनी तथा कटिहार–बरसोई राधिकापुर	200	425.05	429.15	108.00		बरसोई–राधिकापुर पूरा हो गया है और कटिहार बरसोई पूरा होने के नजदीक है।
10	2006–07	आमान परिवर्तन	अलुआबाड़ी रोड़ – सिलीगुड़ी	76	170	0	15.00	@	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया गया है

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2007–08	आमान परिवर्तन	बर्द्धमान – कटवा	51.52	202.64	10	10.00	@	नक्शे एवं अनुमान बनाना शुरू किया गया है।
12	2000–01	दोहरीकरण	टिकियापाड़ा–संतागाछी चौथी लाइन	5.6	46.79	10	8.00		मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं।
13	2000–01	दोहरीकरण	तारकेश्वर–सेवड़ापुली चरण–I (सेवड़ापुली–नालीकुल)	17.76	40.79	48	5.00		शियौराफुल्ली–दियारा–सिंगुर (12 किमी) पूरा हो गया है और खोल दिया गया है। सिंगुर–नालीकुल (6 किमी) 2007–08 में पूरा करने का लक्ष्य है।
14	2000–2001	दोहरीकरण	कृष्णानगर – शांतिपुर तथा नई लाइन कृष्णानगर से चरताला तक जीसी के रूप में विस्तार सहित कालीनाराण कृष्णानगर	51	43.39	39	10.00		वीरनगर–कृष्णानगर (12 किमी) 2007–08 में पूरा करने का लक्ष्य है। कृष्णानगर–बडकुल्ला (9.92 किमी) पूरा हो गया है।
15	2000–01	दोहरीकरण	हावड़ा–चंद्रपाड़ा	22.25	40.88	17	26.00		हाबड़ा–मकलंदपुर (9.2 किमी) पूरा हो गया है और खोल दिया गया है। मकलंदपुर–गोबरडंग (4 किमी) खंड, 2007–08 में पूरा करने का लक्ष्य है।
16	2000–01	दोहरीकरण	बरूईपुर–लक्ष्मीकांतपुर चरण–I (बरुईपुर – दक्षिणी बारासाथ)	17	31.82	16	13.00		बरुईपुर–धपधापी (7 किमी) 2007–08 में पूरा करने का लक्ष्य है।
17	2000–01	दोहरीकरण	विद्युतीकरण चरण I सहित बारासाथ–हसदबाद दोहरीकरण (बारासाथ – सोनडलिया)	12.12	23.65	5	10.00		मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य शुरू किया गया है।
18	2001–02	दोहरीकरण	बरुईपुर – मेगराहाट	15	30.1	2	10.00		विस्तृत अनुमान स्वीकृत है।
19	2001–02	दोहरीकरण	बंदेल – जीरट	22.01	50.14	31	12.00		बांदले–बांसवेरिया (4.5 किमी) पूरा हो गया है और खोल दिया गया है। 12 किमी 2007–08 में पूरा करने का लक्ष्य है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	2003–04	दोहरीकरण	चंदपाड़ा–बोगांव	9.77	22.23	1	10.00		विस्तृत अनुमान स्वीकृत है।
21	2004–05	दोहरीकरण	पंडावेश्वर–चीनपै	21.41	69.03	10	30.00	@	कार्य शुरू किया गया है।
22	2005–06	दोहरीकरण	विनपे–संथिया	29.71	81.8	5	30.00	@	कार्य शुरू किया गया है।
23	2007–08	दोहरीकरण	मालदा तथा ओल्ड मालदा	0.38	21.17	0	2.00	@	2007–08 के बजट में शामिल नया कार्य है।
24	2007–08	दोहरीकरण	पुल सं. 143 पर उप संरचना तथा स्टील सुपर संरचना सहित गोकुलपुर–मिदनापुर नए पुल पर मार्ग परिवर्तन संरेखण	2	26.64	0	1.00	@	2007–08 के बजट में शामिल नया कार्य है।
25	2007–08	दोहरीकरण	आद्रा–जयचंडीपहाड़	6	18.19	0	1.00	@	2007–08 के बजट में शामिल नया कार्य है।
26	1972–73	महानगर परिवहन परियोजना	दमदम–टॉलीगंज अभिकल्प तथा तीव्र परिवहन प्रणाली का निर्माण	24.95	2709.12	2116	193.25		कार्य शुरू किया गया है।
27	1995–96	रेल विद्युतीकरण	तालचेर–पारादीप सहित खड़गपुर –भुवनेश्वर	540	406.51	392	2.00		450 किमी अर्जित किया जा चुका है और कटक पाराद्वीप पर विद्युतीकरण शुरू किया गया है।
28	2006–07	रेल विद्युतीकरण	अंडाल–पंडावेरेवर	20	41.1564	2	10.00	@	विस्तृत अनुमान स्वीकृत है। ठेका दिया गया है।

[अनुवाद]

राज्यों के अल्पसंख्यक आयोग का सम्मेलन

***71. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :** क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों में राज्यों के अल्पसंख्यक आयोग का कोई सम्मेलन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्मेलन में क्या सिफारिश की गई हैं; और

(ग) इन सिफारिशों पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने 02 नवम्बर, 2006 को नई दिल्ली में राज्य अल्पसंख्यक आयोगों के पांचवें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया था। इस सम्मेलन में निम्नलिखित मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया :–

(i) अल्पसंख्यकों को सुरक्षित महसूस करना चाहिए और उन्हें विकास में एक उचित हिस्सा दिया जाना चाहिए। विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ समान रूप से अल्पसंख्यकों तक प्रवाहित होने चाहिए और विकास परियोजनाओं का कुछ अनुपात अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में भी स्थापित किया जाना चाहिए।

(ii) सांप्रदायिक शांति और सद्भाव बनाए रखा जाना चाहिए।

(iii) सांप्रदायिक अपराधों से निपटने के लिए न्यायाधिकरण स्थापित किए जाने चाहिए।

(iv) सांप्रदायिक हत्याकांड के पीड़ितों को पुनर्वास के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।

(v) अल्पसंख्यकों को केन्द्र व राज्य सरकार की नौकरियों में उचित हिस्सा मिलना चाहिए। अल्पसंख्यक युवाओं को कौशल प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि वे सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों में रोजगार में अपना उचित हिस्सा प्राप्त न कर सकें।

(vi) अल्पसंख्यक समुदायों, विशेषकर मुस्लिम समुदाय के सामाजिक – आर्थिक पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार मुख्य घटक, उनकी सामान्य स्कूल प्रणाली में पहुंच का अभाव होना है। यह विशेष रूप से मुस्लिम लड़कियों के मामले में सत्य है। इसलिए मुस्लिम बाहुल्य जनसंख्या वाले खण्डों व जिलों में मुस्लिम लड़कियों के लिए माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की स्थापना के लिए ठोस योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। शैक्षिक कार्यक्रमों में व्यवसायिक तथा तकनीकी शिक्षा तक पहुंच का विस्तार एक प्राथमिक कार्य होना चाहिए।

(vii) सरकार को अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री के नवीन 15 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन को मानीटर करना चाहिए।

(viii) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा वित्तपोषित छात्रवृत्ति योजनाओं का विस्तार करके इसमें मैट्रिकोत्तर स्तर भी शामिल करना चाहिए।

(ix) वक्फ् बोर्ड संपत्तियों का उपयोग शैक्षिक संस्थानों को खोलने के लिए किया जाना चाहिए।

(x) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का दर्जा बढ़ाकर इसे एक सांविधानिक निकाय बनाया जाना चाहिए।

(ग) अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए जून, 2006 में घोषित किया गया प्रधान मंत्री का नवीन 15 सूत्री कार्यक्रम, इनमें से अनेक समस्याओं के प्रति ध्यान इंगित करता है। इसमें महत्वपूर्ण सामाजिक–आर्थिक तत्व हैं और यह शिक्षा के अवसर बढ़ाने, आर्थिक कार्यकलापों एवं रोजगार में समान हिस्सा देने तथा अल्पसंख्यकों के जीवन स्थितियों में सुधार करने पर बल देता है।

नए 15 सूत्री कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम में शामिल योजनाओं में, जहां कहीं संभव हो, अल्पसंख्यकों के लिए लक्ष्यों और परिव्ययों में 15% के निर्धारण की व्यवस्था है। वर्ष 2007–08 के लिए लक्ष्य मंत्रालय करके, समुचित कार्रवाई करने के लिए मंत्रालयों/विभागों को सूचित कर दिए गए हैं।

15 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी एक सचिव समिति द्वारा की जाती है, जो निगरानी किए जाने योग्य लक्ष्यों के संबंध में कार्यक्रम की प्रगति की छः मास में एक बार समीक्षा करती है और मंत्रिमंडल को स्थिति की रिपोर्ट देती है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राज्य एवं जिला स्तरीय समितियों के गठन सहित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को विस्तृत दिशानिर्देश भेजे गए हैं। अनेक राज्यों ने पहले ही ऐसी समितियों का गठन कर लिया है।

नए 15 सूत्री कार्यक्रम में, सरकारी नौकरियों की भर्ती में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष विचार करने की व्यवस्था है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में चयन समितियों/बोर्डों में अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

मुस्लिम समुदाय के शैक्षिक पिछड़ेपन का समाधान एक बहु–आयामी

कार्यनीति के माध्यम से किया जाना है। सरकार ने एक मैरिट एवं साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना और एक निःशुल्क कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना आरंभ की है। मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की संचित निधि को 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए कर दिया गया है ताकि ये अपने कार्यकलापों का विस्तार कर सके।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए, संविधान (एक सौ तीनवां संशोधन) विधेयक, 2004 पहले ही दिसम्बर 2004 में लोक सभा में पेश किया जा चुका है।

सरकार ने पहले ही राज्य सभा में 05 दिसम्बर 2005 को सांप्रदायिक हिंसा (निवारण, नियंत्रण एवं पीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक, 2005 पेश कर दिया है।

पायलटों की कमी

*72. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :**
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विमानन क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पायलटों की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो इस समय नियुक्त पायलटों की वास्तविक संख्या की तुलना में एयरलाइंस-वार कितने पायलटों की आवश्यकता है;

(ग) क्या कमर्शियल पायलट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए क्लास-I मेडिकल्स का भारी वैकलॉग है;

(घ) यदि हां, तो क्लास-I मेडिकल्स को स्वीकृति देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या पायलटों की कमी के कारण एयरलाइंस विस्तार योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं; और

(छ) पायलटों की कमी को दूर करने और विमानन क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) देश में नागर विमानन के क्षेत्र में हाल के विकास के दृष्टिगत इस उद्योग में कुशल श्रमशक्ति की कमी महसूस की जा रही है।

(ख) देश में एयरलाइन प्रचालनों के लिए वर्तमान में 4540 पायलटों की आवश्यकता है। इनमें से 3950 भारतीय पायलट फिलहाल उपलब्ध हैं तथा 590 पायलटों की कमी को विदेशी पायलटों द्वारा पूरा किया जा रहा है, अनुसूचित एयरलाइनों के पायलटों का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	एयरलाइंस का नाम	भारतीय पायलटों की संख्या	विदेशी पायलटों की संख्या	कुल
1	एअर इंडिया (एअर इंडिया एक्सप्रेस सहित)	544	94	638
2	इंडियन एयरलाइंस (एलाइंस एयर सहित)	696	20	716
3	जेट एयरवेज	671	117	788
4	एयर सहारा	233	15	248
5	एयर डक्कन	277	131	408
6	किंगफिशर एयरलाइंस	263	48	311
7	स्पाइस जेट	130	17	147
8	गो एयर	44	20	64
9	पैरामाऊंट एयरवेज	13	17	30
10	इंडस एयरवेज	01	–	01
11	ब्ल्यू डार्ट	24	15	39

(ग) और (घ) वर्तमान में, भारतीय वायु सेना के केवल 3 नामित केन्द्रों पर वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस को प्रारंभिक तौर पर जारी किए जाने के लिए श्रेणी–I चिकित्सा जांच का आयोजन किया जा रहा है, इसके कारण पायलटों की कमी हो रही है। वायु सेना चिकित्सा केन्द्रों पर भीड़भाड़ को कम करने के उद्देश्य से भारतीय वायु सेना ने लाइसेंस के नवीकरण के लिए चिकित्सा जांच हेतु 11 और केन्द्रों को शामिल किया है। इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस (सीपीएल) जारी करने/नवीकरण के लिए श्रेणी–I चिकित्सा जांच आयोजित करने हेतु और अधिक केन्द्रों की पहचान किए जाने के लिए सरकार इस मामले को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से वार्ता कर रही है।

(ङ) जी, नहीं। ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) सरकार ने कुशल पायलटों की मांग व आपूर्ति के मध्य अन्तर को कम करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें शामिल हैं – शर्तसहित आयु सीमा को 65 वर्ष तक बढ़ाना ताकि पायलटों के लिए निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत वाणिज्यिक प्रचालनों के लिए वे अपने लाइसेंस के विशेषाधिकारों का प्रयोग कर सके, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (इग्नुआ) की प्रशिक्षण क्षमता में वृद्धि करने के लिए प्रशिक्षण अवसंरचना का स्तरोन्नयन व आधुनिकीकरण, गोंडिया, महाराष्ट्र में विश्व स्तरीय उड़ान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना तथा नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए)/एयरो क्लब आफ इंडिया (एसीआई) के माध्यम से फ्लाइंग क्लबों प्रशिक्षण विमान आबंटित करके सहयोग प्रदान करना। इसके अतिरिक्त, नागर विमानन महानिदेशालय ने वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए देश में कुल 26 उड़ान प्रशिक्षण संस्थानों (इग्नुआ सहित) की स्वीकृति प्रदान की है।

कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों का पुनर्वास

*73. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास में कितने गैर–सरकारी संगठन कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों को दी जा रही वित्तीय सहायता में वृद्धि करने के लिए सहमत हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए निर्धारित समय–सीमा क्या है तथा इस मामले में क्षेत्रवार विभिन्नतायें, यदि कोई हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार) : (क) से (ग) दीनदयाल पुनर्वास योजना के अंतर्गत कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों सहित विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए विभिन्न परियोजनाओं हेतु गैर–सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस समय इस उद्देश्य के लिए 17 गैर–सरकारी संगठनों को सहायता दी जा रही है।

निर्धारित मानदंडों के अनुसार स्वीकार्यता की शर्त पर इस योजना के अंतर्गत संगठनों द्वारा आवश्यकताओं के आधार पर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अतः परियोजना विशेष के लिए वित्तीय सहायता में वृद्धि किसी परियोजना में आवश्यकता और इसकी स्वीकार्यता पर निर्भर करती है।

दक्षिणी गैस ग्रिड प्रोजेक्ट

*74. **श्री वरकला राधाकृष्णन :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की दक्षिणी गैस ग्रिड परियोजना शुरू करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृष्णा–गोदावरी बेसिन (केजी–बेसिन) प्राकृतिक गैस भंडार के संबंध में कोई अध्ययन रिपोर्ट उपलब्ध है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल को केजी बेसिन प्राकृतिक गैस उत्पादन क्षेत्रों से पाइपलाइन द्वारा जोड़ने के लिए सरकार के समक्ष कोई परियोजना प्रस्ताव लंबित है; और

(च) यदि हां, तो संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) और (ख) गैस पाइपलाइन गैस की उपलब्धता के अनुसार और उत्पादन एवं खपत केन्द्रों को जोड़ने के लिए बिछाई जाती है। देश के दक्षिणी भाग में ग्राहकों को प्राकृतिक गैस के विभिन्न स्रोतों के साथ जोड़ते हुए ट्रंक गैस पाइपलाइनों का एक नेटवर्क बिछाया जा रहा है।

वर्तमान में गेल (इंडिया) लिमिटेड के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में क्रमशः कृष्णा–गोदावरी बेसिन में और कावेरी बेसिन में पाइपलाइन नेटवर्क हैं। रिलायंस ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरजीटीआईएल) काकीनाडा–हैदराबाद–उरान–अहमदाबाद पाइपलाइन का निर्माण कर रहा है जो अन्य के साथ–साथ आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के भागों को केजी–डी6 क्षेत्र के साथ जोड़ देगी। आरजीटीआईएल को

विजयवाड़ा–नेल्लूर–चेन्नई पाइपलाइन और इसके विस्तार शाखाओं चेन्नई–ट्रटीकार्न तथा चेन्नई–बंगलौर–मंगलौर पाइपलाइनों के लिए भी प्राधिकार प्रदान किया गया है, ये पाइपलाइन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के भागों को केजी–डी6 क्षेत्र के साथ जोड़ेंगी। गेल को दाभोल–बंगलौर पाइपलाइन के लिए प्राधिकार प्रदान किया गया है, यह दाभोल एलएनजी टर्मिनल से बंगलौर तक रीगैसीफायड एलएनजी का और बंगलौर में आरजीटीआईएल की पाइपलाइन से महाराष्ट्र तक प्राकृतिक गैस का परिवहन करने वाली एक द्विदिशात्मक पाइपलाइन होगी। गेल को कोच्चि–कांजीराक्कोड–मंगलौर/बंगलौर पाइपलाइन के लिए भी प्राधिकार प्रदान किया गया है, यह तैयार होने वाले कोच्चि एलएनजी टर्मिनल से केरल और कर्नाटक तक रीगैसीफाइड एलएनजी का और आरजीटीआईएल की पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस का परिवहन करने वाली द्विदिशात्मक पाइपलाइन होगी।

(ग) और (घ) हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) ने केजी बेसिन क्षेत्र से भविष्य गैस उत्पादन प्रमाणित किया है। इसमें आरआईएल का धीरूभाई क्षेत्र और कैर्न राव्वा क्षेत्र तथा राव्वा सैटलाइट क्षेत्र शामिल हैं। आज की स्थिति के अनुसार प्रमाणित गैस उत्पादन संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

इसके अलावा यह अनुमान है कि केजी बेसिन में जीएसपीसी के क्षेत्रों से कुछ उत्पादन होगा।

(ङ) और (च) कृष्णा गोदावरी गैस नेटवर्क लिमिटेड (केजीजीएनएल) ने मंत्रालय को गुजरात राज्य पेट्रोलियम कार्पोरेशन (जीएसपीसी) के अपतटीय क्षेत्रों से उत्पादन के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य में कामन कैरियर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, उनका निर्माण करने और उनका प्रचालन करने के लिए आवेदन किया है। अधिकृत किए जाने के मामले पर जीएसपीसी को गैस खोजों में गैस की उपलब्धता सहित डीजीएच द्वारा विधिवत प्रमाणीकरण के आधार पर विचार किया जाएगा।

गुजरात राज्य पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (जीएसपीसीएल) के काकीनाडा–भोपाल–अहमदाबाद पाइपलाइन के लिए प्राधिकृत किए जाने के अनुरोध पर जीएसपीसी की गैस खोजों से गैस उपलब्धता के संबंध में डीजीएच प्रमाणीकरण के बाद विचार किया जाएगा।

विवरण

केजी बेसिन क्षेत्र में भविष्य में गैस उत्पादन की रूपरेखा

वर्ष	धीरूभाई	राव्वा मौजूदा	राव्वा सैटलाइट	योग
1	2	3	4	5
2007–08	–	1.03	0.9	1.93
2008–09	40	0.68	0.53	41.21
2009–10	60	0.5	0.37	60.87
2010–11	60	0.255	–	60.255
2011–12	80	0.174	–	80.174
2012–13	80	0.145	–	80.145
2013–14	80	0.12	–	80.12
2014–15	80	0.1	–	80.1
2015–16	80	0.08	–	80.08
2016–17	80	0.07	–	80.07

इस्पात के मूल्यों में वृद्धि

***75. श्री एन.एस.वी. चित्तन :**
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत कुछ वर्षों के दौरान इस्पात के बढ़ते हुए मूल्यों से अर्थव्यवस्था, विशेषकर निर्माण उद्योग पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन और समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इस्पात के मूल्यों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में मूल्यों की समीक्षा के लिए इस्पात मूल्य निगरानी समिति की बैठक बुलाई थी;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस्पात के लिए प्रशासित मूल्य तंत्र को पुनः लागू करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(च) क्या सरकार ने इस्पात उत्पादकों से, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मूल्य नहीं बढ़ाने के लिए कहा है;

(छ) यदि हां, तो इस पर इस्पात उत्पादकों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ज) सरकार द्वारा इस्पात के मूल्यों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) इस्पात मंत्रालय ने अर्थव्यवस्था और निर्माण क्षेत्र पर इस्पात के मूल्यों में वृद्धि के प्रभाव का कोई विशिष्ट आकलन

नहीं किया है। तथापि, थोकबिक्री मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई), जो विभिन्न जिंसों के मूल्यों में उतार–चढ़ाव को नियंत्रित करता है, में इस्पात के मूल्यों का शेयर 3.63656% है। निर्माण उद्योग में प्रयोग होने वाले कुछ प्रमुख इस्पात् उत्पादों के मूल्य में हुआ प्रतिशत परिवर्तन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, हां। इस्पात मूल्य निगरानी समिति (एसपीएमसी) की पिछली बैठक 08.06.2007 को हुई थी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपरोक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) सरकार द्वारा कीमतों के संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। तथापि, इस्पात मूल्य निगरानी समिति (एसपीएमसी) की पिछली बैठक में यह नोट किया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाले लंबे उत्पादों की कीमतों में पिछली तिमाही में 9–12 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। क्षमता को बढ़ाकर तथा उत्पाद मिश्र को समायोजित करके प्रमुख उत्पादकों द्वारा एक्स फैक्ट्री प्राइस को नियंत्रित करने तथा और अधिक लंबे उत्पादों का उत्पादन करने जैसे उपायों पर चर्चा की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात के मूल्यों के संबंध में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) तथा राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (आरआईएनएल) ने समीपवर्ती स्टॉकयार्डों में लागू मूल्यों पर देश के सभी जिलों में अपने डीलरों के जरिए आम उपयोग के इस्पात उत्पादों की सप्लाई करने का निर्णय लिया है। स्टॉकयार्ड से डीलर तक की परिवहन लागत सेल और आरआईएनएल द्वारा वहन की जाती है।

(ज) उदारीकृत परिवेश में बाजार ताकतें मूल्य निर्धारित करती हैं। तथापि, सरकार द्वारा गठित इस्पात मूल्य निगरानी समिति इस्पात कीमतों की मानीटरिंग और समीक्षा करती है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान मुंबई स्थित खुदरा बाजार में इस्पात की विभिन्न श्रेणियों के प्रतिशत परिवर्तन सहित मूल्य में उतार–चढ़ाव

(रुपए/टन)

उत्पाद	जुलाई 2004	जुलाई 2005	जुलाई 2006	जुलाई 2007	जुलाई 2004 से जुलाई 2007 के बीच समग्र
टीओआर/टीओटी (10 एमएम)	28000	27750(–0.9%)	2775000(–2.7%)	32000(18.5%)	14.3%
वायर रॉड (8 एमएम)	26600	26650(0.2%)	27250(2.3%)	31000(13.8%)	16.5%
राउंड्स (16 एमएम)	26000	27250(4.8%)	26250(–3.7%)	30000(14.3%)	15.4%
प्लेट्स (12 एमएम)	30750	29500(–4.1%)	32000(8.5%)	35000(9.4%)	13.8%
एच आर क्वायल (2.5 एमएम)	30650	28500(–7.0%)	32000(12.3%)	35000(9.4%)	14.2%
सीआर क्वायल (0.63 एमएम)	33250	34000(2.3%)	33000(–2.9%)	38500(16.7%)	15.8%
जीपी चादरें (0.63 एमएम)	34250	38000(10.9%)	38000(0%)	40000(5.3%)	18.8%

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत अंतर को दर्शाते हैं)

विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण

***76. श्री विजय कृष्ण :**

श्री मंजुनाथ कुन्नुर :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण की चालू परियोजनाओं की राज्यवार स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार आधुनिकीकरण के लिए देश के और अधिक विमानपत्तनों को शामिल करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में विमानपत्तनों के त्वरित आधुनिकीकरण के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में प्रत्येक विमानपत्तन के किए जा रहे आधुनिकीकरण हेतु विमानपत्तन–वार कितनी धनराशि मंजूर और खर्च की गई है; और

(ङ) उक्त परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) संलग्न विवरण I और II के अनुसार।

(ख) और (ग) चुने हुए 35 गैर–मैट्रो हवाईअड्डों के आधुनिकीकरण परियोजना के अतिरिक्त, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अकोला, कुच–बेहार, कुड्डापाह, मैसूर, पुडुचेरी, राजामुंदरी, विजयवाड़ा, सूरत, तिरूपति, गोंदिया, शिलॉग, वारांगल इत्यादि पर हवाईअड्डों का स्तरोन्नयन और आधुनिकीकरण कार्य भी कर रही है।

(घ) और (ङ) प्रारंभिक आधार पर 35 गैर–मैट्रो हवाईअड्डों का आधुनिकीकरण के लिए हाथ में लिया गया है। इन परियोजनाओं के 2010 तक पूरा हो जाने की आशा है।

(च) और (छ) विवरण I और II के अनुसार।

विवरण-I

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	हवाई अड्डों की आधुनिकीकरण की चल रही परियोजनाएं	परियोजना के लिए स्वीकृत राशि	जुलाई 2007 तक परियोजना पर खर्च की गई राशि	वह समय जब तक पूरा होने की संभावना
1	2	3	4	5
	आन्ध्र प्रदेश			
	तिरूपति			
1	रनवे, टैक्सी ट्रैक, एप्रेन आइसोलेशन बे इत्यादि का पुनः सतहलेपन और सुदृढ़ीकरण	17.30	6.80	30.09.07
	विजग			
1	द्वारा नए एकीकृत टर्मिनल बिल्डिंग	94.94	20.00	31.12.07
	असम			
	डिब्रूगढ़			
1	नए टर्मिनल भवन का निर्माण अर्थात भूमि अधिग्रहण	54.52	16.08	31.10.07
	गुवाहाटी			
1	लिंक टैक्सी वे सहित नए एप्रन का निर्माण 360 मीटर तक रनवे का विस्तारनाली, बाक्स कल्वर्ट, चार दीवारी सड़क	45.76	5.10	30.06.08
2	आइसोलेशन विमान पार्किंग स्टैंड का निर्माण	14.00	2.39	31.10.07
	सिलचर			
1	रनवे का विस्तार, भूमि अधिग्रहण और चारदीवारी का निर्माण	33.00	18.00	30.09.07
	गुजरात			
	अहमदाबाद			
1	नए आगमन ब्लॉक का निर्माण	56.94	27.16	31.12.07

1	2	3	4	5
2	नए अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन का निर्माण	291.00	8.34	31.01.09
3	नए अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन के लिए नए एप्रन का निर्माण	13.84	2.18	31.10.07
	बड़ोदरा			
1	एप्रन का विस्तार और संबंधित कार्यों सहित लिंक टैक्सी वे का निर्माण	10.00	5.15	31.08.07
	गोवा			
	गोवा			
1	नए एप्रन का निर्माण और संबंधित कार्य	9.49	1.10	30.11.07
	जम्मू और कश्मीर			
	श्रीनगर			
1	टर्मिनल भवन काम्प्लेक्स का विस्तार एवं परिवर्धन	77.48	33.49	31.10.07
	कर्नाटक			
	मंगलौर			
1	नए एप्रन का निर्माण और संबंधित कार्य	19.10	3.80	31.10.07
2	एप्रन सहित नए टर्मिनल भवन का निर्माण	104.00	1.19	31.12.09
	मैसूर			
1	मैसूर हवाई अड्डे का विकास/ 1 पेवमेंट कार्य	69.29	18.00	23.03.08
	केरल			
	कालीकट			
1	विद्युत पैकेज सहित अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन का विस्तार और परिवर्धन	89.48	88.10	15.10.07
2	रनवे का सुदृढ़ीकरण और संबंधित कार्य	17.50	1.40	31.10.07
	मध्य प्रदेश			
	खजुराहो			
1	नए एप्रन और टैक्सी वे का निर्माण	9.80	2.07	31.07.08
	रायपुर			
1	नए एप्रन का निर्माण और लिंक टैक्सी वे	6.03	1.78	30.09.07
	महाराष्ट्र			
	अकोला			
1	रनवे, एप्रन, टैक्सी वे का सुदृढ़ीकरण और विस्तार और संबंधित कार्य	9.68	1.05	31.10.07

1	2	3	4	5
	औरंगाबाद			
1	एक नए एप्रन का निर्माण और संबंधित कार्य	7.39	4.00	31.10.07
2	नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण	60.00	6.00	31.07.08
	नागपुर			
1	अंतर्राष्ट्रीय प्रचालनों के लिए टर्मिनल भवन का विस्तार एवं परिवर्धन	83.00	15.50	17.12.07
	पुणे			
1	वर्तमान एप्रन का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण और टैक्सी ट्रैक चरण–I	8.50	5.82	30.11.07
2	वर्तमान एप्रन का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण और टैक्सी ट्रैक चरण–II	7.00	1.65	30.09.07
3	समानान्तर टैक्सी ट्रैक का निर्माण	16.64	1.65	31.10.07
	उड़ीसा			
	भुवनेश्वर			
1	एप्रन का विस्तार, एप्रन और टैक्सी वे का सुदृढ़ीकरण, अतिरिक्त टैक्सी का निर्माण और सहायक कार्य	13.00	2.85	18.11.07
	राजस्थान			
	जयपुर			
1	नए अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल काम्प्लेक्स का निर्माण	94.87	19.92	31.10.07
2	नए एप्रन और टैक्सी वे का निर्माण	26.92	1.10	31.03.08
	उदयपुर			
1	नए टर्मिनल भवन कॉम्प्लेक्स का निर्माण	77.44	33.39	31.10.07
2	एप्रन/लिंक टैक्सी वे का विस्तार	14.55	2.56	31.12.07
3	रनवे का विस्तार और सुदृढ़ीकरण और संबंधित कार्य	30.00	0.50	30.06.08
	त्रिपुरा			
	अगरतला			
1	एप्रन का निर्माण और सुदृढ़ीकरण	18.66	2.03	14.12.07
	तमिलनाडु			
	कोयम्बतूर			
3	रनवे का विस्तार	7.22	3.15	31.10.07
	मदुरै			
1	रनवे का सुदृढ़ीकरण और संबंधित कार्य	35.25	28.10	30.09.07

1	2	3	4	5
	त्रिची			
1	एप्रन का विस्तार, नए एप्रन और टैक्सी ट्रैक का निर्माण	17.71	10.20	30.09.07
2	नए टर्मिनल भवन का निर्माण	74.70	30.00	04.12.07
3	रनवे का सुदृढ़ीकरण और विस्तार	25.94	12.93	30.06.2008
	उत्तर प्रदेश			
	लखनऊ			
1	जल निकासी और वर्षा जल संचयन प्रणाली	5.50	4.74	30.09.07
	उत्तरांचल			
	देहरादून			
1	एबी–320/बी 737–800 के लिए देहरादून हवाई अड्डे का विकास	72.50	8.65	31.12.07
	पंतनगर			
1	रनवे का विस्तार और सहायक कार्य	12.00	4.53	31.01.08
	संघ शासित प्रदेश			
	अगाती			
1	टर्मिनल भवन, फायर स्टेशन और नियंत्रण टावर का निर्माण	5.39	3.10	31.12.07

विवरण-II

हवाई अड्डों पर चल रहे आधुनिकीकरण परियोजनाएं

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	हवाई अड्डों के चालू आधुनिकीकरण परियोजनाएं	परियोजना के लिए अनुमोदित राशि	जुलाई, 2007 तक परियोजना पर व्यय राशि	परियोजना समाप्ति का संभावित समय
1	2	3	4	5
	तमिलनाडु			
	चेन्नई			
1	एकीकृत कार्गो टर्मिनल का निर्माण (चरण–II)	34.08	8.89	दिसम्बर, 07
2	कमांडो तथा सुरक्षा बलों के लिए बैरकों का निर्माण	6.69	0.76	फरवरी, 08
3	बे.सं. 24 से 29 के लिए एयरोब्रिज सहित एयरो लिंक गलियारे का निर्माण	49.05	शून्य	दिसम्बर, 08
4	बे.स. 35 के लिए एयरोब्रिज तथा ट्रबलेटर सहित एयरो लिंक गलियारे का निर्माण	68.00	शून्य	मार्च, 09

1	2	3	4	5
	पश्चिम बंगाल			
	कोलकाता			
1	19 आर प्रारंभ के पश्चात् द्वितीय रनवे का विस्तार	13.36	7.60	नवम्बर, 07
2	बे.सं. 43 तथा बे.सं. 42 के भाग का पुनर्निमाण तथा एप्रन टैक्सी का सुदृढ़ीकरण (कठोर पेवमेंट)	5.66	1.51	दिसम्बर, 07
3	6 अदद घरेलू पार्किंग स्टैंड का निर्माण	13.85	8.71	नवम्बर, 07
4	उत्तर छोर की ओर कार्गो एप्रन का निर्माण	20.16	5.60	अक्तूबर, 07
5	एकीकृत कार्गो के निर्यात क्षेत्र में ईटीबी का प्रावधान	17.00	–	अक्तूबर, 07
6	एकीकृत कार्गो परिसर का निर्माण (क) एएसआरएस कार्य	65.00	15.50	अक्तूबर, 07
	केरल			
	त्रिवेन्द्रम			
1	एयरोब्रिज का प्रावधान एसएचः एप्रन कार्य	12.35 2.56 (सी)	2.15	सितम्बर, 07
2	चकई छोर पर रनवे के साथ नये अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल परिसर का निर्माण (क) एनआईटीबी तथा अन्य सीमाओं का निर्माण	245.58 (चरण–II सहित) 167.00 (चरण II)	18.88	अगस्त, 08
3	अतिरिक्त पार्किंग बे का निर्माण	7.60	2.45	सितम्बर, 07
	गुजरात			
	सूरत			
1	एटीआर – 72 प्रचालनों के लिए सूरत हवाईअड्डे का विकास	49.41	40.79	नवम्बर, 07
2	एबी–320 प्रकार के विमान के लिए रनवे का 2250 मीटर तक विस्तार	19.40	11.44	अक्तूबर, 07
	पंजाब			
	अमृतसर			
1	टर्मिनल भवन का मॉड्यूलर विस्तार (चरण–II)	80.20	18.34	मार्च, 08
2	रनवे का विस्तार, एप्रन का विस्तार तथा संबंधित निर्माण कार्य	14.90	4.61	जनवरी, 08
3	प्रचालनिक क्षेत्र के निर्माण कार्यः			
	(i) 2डी/2ई प्रकार के विमानों के लिए 4 रिमोट पार्किंग बे का निर्माण	9.56	5.65	नवम्बर, 07
	कोलकाता			
	विद्युत निर्माण कार्य			
1	एनएचसीबीआई, हवाईअड्डा, कोलकाता में एकीकृत कार्गो परिसर के निर्यात क्षेत्र में ईटीबी का प्रावधान (चरण–I)	14.54	शून्य	11.10.2007
	अमृतसर			
1	अमृतसर हवाईअड्डा, अमृतसर में रनवे 34 पर कैट–II लाइटिंग प्रणाली का प्रावधान	12.40	शून्य	दिनांक 10.07.2007 निविदा खोली गई तथा अभी समीक्षाधीन है।

[हिन्दी]

उर्वरकों की कमी

***77. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :**
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उर्वरकों का राज्यवार और यूनिटवार कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उर्वरकों की राज्यवार और उर्वरकवार कितनी मांग और खपत रही;

(ग) क्या खरीफ फसल के शुरू होने से पहले ही देश में उर्वरकों की भारी कमी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार उर्वरकों की कमी को पूरा करने के लिए उर्वरकों का आयात कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा उर्वरकों की मांग को पूरा करने और उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और अप्रैल–जुलाई, 2007 तक देश में मुख्य उर्वरकों अर्थात यूरिया, डीएपी और मिश्रित श्रेणी के उर्वरकों को उत्पादन के दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण–I में दिया गया है।

(ख) वर्ष 2004–05, 2005–06, 2006–07 के दौरान और अप्रैल–जुलाई, 2007 तक यूरिया, डीएपी और एमओपी की राज्यवार आकलित मांग और बिक्री के ब्यौरे क्रमशः विवरण II से V है।

(ग) और (घ) जी नहीं। चल रहे खरीफ मौसम के दौरान अप्रैल, मई, जून और जुलाई प्रत्येक माह में यूरिया, डीएपी और एमओपी की उपलब्धता, आकलित आवश्यकता और बिक्री से अधिक रही है।

(ङ) और (च) सरकार ने खरीफ 2007 के दौरान आकलित आवश्यकता और अनुमानित स्वदेशी उत्पादन के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए लगभग 31.80 लाख मी.टन यूरिया (ओमिफ्को, ओमान से वापस खरीद सहित) का आयात करने की योजना बनाई है। मैसर्स इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा पर्याप्त मात्रा में डी.ए.पी. के आयात का अनुबंध किया गया है ताकि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा आकलित आवश्यकता और उपलब्धता के बीच का अंतर पूरा किया जा सके।

(छ) सरकार, नेफ्था आधारित यूरिया के उत्पादन को प्राकृतिक गैस आधारित उत्पादन में परिवर्तित कर स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने और कार्यदक्षता में सुधार लाने की नीति का सतत पालन कर रही है। आयातित कच्चे माल, मध्यवर्तियों और तैयार माल के लिए आयात पर निर्भरता के कारण सरकार पीएण्डके क्षेत्र में विदेशों में स्थित संसाधन संपन्न देशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने को बढ़ावा दे रही है ताकि बढ़ती मांग को पूर करने के लिए भारत को पीएंडके उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (अप्रैल–जुलाई, 2007) के लिए प्रमुख उर्वरकों का राज्यवार, इकाईवार उत्पादन

('000' मी. टन.)

राज्य का नाम/इकाई	उत्पाद का नाम	स्थापित क्षमता (1.04.06)	उत्पादन			
			2004–05	2005–06	2006–07	2006–07 (अप्रैल–जुलाई)
		मात्रा	मात्रा	मात्रा	मात्रा	मात्रा
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश						
सीएफएल : विजाग	28:28	200.0	318.4	414.2	363.2	133.7
	14:35:14	200.0	227.0	142.4	173.8	0

1	2	3	4	5	6	7
	20:20	200.0	208.9	354.7	445.4	117.6
	10:26:26	0	22.3	29.2	23.6	0.0
कुल		600	776.6	940.5	1006.0	251.3
जीएफसीएल–काकीनाडा	डीएपी	670	616.7	673.6	616.1	220.5
	14:35:14	0	166.7	141.8	180.7	25.4
	20:20	0	0.0	6.4	214	0.0
	10:26:2.6	0	41.2	145.3	194.2	103.8
	12.32:16	0	66.0	66.2	75.4	50.6
कुल		670	890.6	1033.3	1087.8	400.3
एनएफसीएल–काकीनाडा–I	यूरिया	597.3	657.1	703.6	726.7	200.6
एनएफसीएल–काकीनाडा–II	यूरिया	597.3	735.2	675.4	597.2	206.8
कुल		1194.6	1392.3	1379.0	1323.9	407.4
राज्य योग		2464.6	3059.5	3352.8	3417.7	1059.0
केरल						
फैक्ट : उद्योगमंडल	20:20	148.5	101.0	143.2	141.7	51.5
फैक्ट : कोचिन–II	20:20	485	473.4	602.4	574.2	160.1
कुल		858.5	774.9	919.1	899.4	242.1
राज्य योग		858.5	774.9	919.1	899.4	242.1
कर्नाटक						
एमसीएफ : मंगलौर	यूरिया	380.0	335.7	399.9	370.1	103.9
	डीएपी	180.0	165.4	166.9	203.9	68.2
	20:20	0.0	41.2	27.5	52.9	9.8
	16:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
एमसीएफ : मंगलौर	कुल	560.0	542.3	594.3	626.9	181.9
राज्य योग		560.0	542.3	594.3	626.9	181.9
तमिलनाडु						
एमएफएल : चैन्ने	यूरिया	486.8	473.1	368.6	473.3	106.0
	17:17:17	840.0	292.8	205.1	57.1	35.2
	19:19:19	0.0	7.5	0.0	0.0	0.0

1	2	3	4	5	6	7
	20:20	00	6.6	0.0	0.0	0.0
एमएफएल : चैन्ने	कुल	1326.8	780.0	573.7	530.4	141.2
स्पिक : तुतीकोरिन	यूरिया	620.0	679.0	620.5	645.5	0.0
	डीएपी	475.0	369.6	379.5	286.5	0.0
	17:17:17	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
	20:20	0.0	34.5	20.0	38.3	0.0
स्पिक : तुतीकोरिन	कुल	1095.0	1083.1	1020.4	970.3	0.0
सीएफएल : इन्नौर	16:20	170.0	116.4	180.8	183.8	71.7
	20:20	70.0	131.5	70.0	110.8	73.6
सीएफएल : इन्नौर	कुल	240.0	247.9	250.8	294.6	145.3
राज्य योग		2661.8	2111.0	1844.9	1795.3	286.5
गोवा						
जैडआईएल : गोवा	यूरिया	399.3	449.4	399.9	402.5	130.4
	19:19:19	240.0	272.5	332.8	305.7	101.8
	डीएपी	330.0	192.9	159.9	198.2	71.8
	10:26:26	0.0	111.2	219.2	215.3	10.7
	12:32:16	0.0	26.7	26.7	16.8	48.4
कुल		969.3	1052.7	1138.5	1138.5	363.1
राज्य योग		969.3	1052.7	1138.5	1138.5	363.1
मध्य प्रदेश						
एनएफएल : विजयपुर	यूरिया	864.6	926.6	916.1	874.5	288.2
एनएफएल : विजयपुर विस्तार	यूरिया	864.6	939.6	926.2	974.9	219.1
राज्य योग		1729.2	1866.2	1842.3	1849.4	507.3
महाराष्ट्र						
आरसीएफ : ट्राम्बे	15:15:15	3000	350.1	429.5	482.9	141.4
आरसीएफ : ट्राम्बे–IV	20.8:20.8	361.0	223.1	222.8	35.3	0.0
आरसीएफ : ट्राम्बे–V	यूरिया	330.0	0.0	0.0	0.0	0.0
आरसीएफ : थाल	यूरिया	1706.8	1789.9	1684.5	1861.0	527.6
कुल (आरसीएफ)		2697.8	2363.1	2336.8	2379.2	669.0

1	2	3	4	5	6	7
डीएफपीसीएल : तलोजा	23:23	230.0	89.6	54.2	62.4	24.0
राज्य योग		2927.8	2452.7	2391.0	2441.6	693.0
गुजरात						
इफको : कांडला	10:26:26	515.4	386.6	583.4	572.0	215.9
	12:32:16	700.0	762.6	1122.6	1100.3	368.0
	डीएपी	12000	1290.9	980.6	804.4	136.4
कुल (इफको : कांडला)		2415.4	2440.1	2686.6	2476.7	720.3
इफको : कलोल	यूरिया	544.5	554.4	544.5	559.9	165.0
इफको : हजीरा	यूरिया	1729.2	1805.4	1806.5	1714.5	559.2
जीएसएफसी : वदोडरा	यूरिया	370.6	303.3	313.5	253.6	43.2
	ए/एस	228.0	273.4	290.7	290.7	85.2
	डीएपी	165.0	83.9	175.9	14.2	0.0
	20:20	0.0	117.6	24.8	242.9	60.3
कुल (जीएसएफसी : वडोदरा)		763.6	778.2	804.9	801.4	188.7
जीएनएफसी : भरूच	यूरिया	636.0	637.3	642.8	626.2	206.5
	20:20	142.5	179.7	203.5	198.9	44.9
कुल (जीएनएफसी : भरूच)		921.0	987.7	1019.0	969.1	285.7
जीएसएफसी : सिक्का–I	डीएपी	588.0	286.2	322.5	425.5	111.9
	12:32:16	0.0	2.7	27	2.7	
कुल		588.0	286.2	325.2	508.0	156.6
जीएसएफसी : सिक्का–II	डीएपी	396.0	279.9	311.1	419.9	119.9
	12:32:16	0.0	180	16.0	18.0	
कुल (सिक्का–Iऔर सिक्का–II)		984.0	566.1	654.3	927.9	276.5
हिन्डलको इण्डस्ट्रीज लि.:	डीएपी	400.0	286.3	198.1	190.9	26.8
दाहेज	20:20	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0
	10:26:26	0.0	0.0	9.9	4.2	10.1
	12:32:16	0.0	0.0	10.1	17.8	8.1
कुल		400.0	286.3	218.1	219.1	45.0
राज्य योग		7757.7	7418.2	7733.9	7668.6	2240.4

1	2	3	4	5	6	7
राजस्थान						
एसएफसी : कोटा	यूरिया	379.0	379.0	378.9	361.1	130.5
सीएफसीएल : गड़ेपन–I	यूरिया	864.6	961.5	970.1	973.6	340.3
सीएफसीएल : गड़ेपन–II	यूरिया	864.6	894.5	931.5	952.0	326.0
कुल (सीएफसीएल)		1729.2	1856.0	1901.6	1925.6	666.3
राज्य योग		2108.2	2235.0	2280.5	2286.7	796.8
उड़ीसा						
पीपीएल–पारादीप	डीएपी	720.0	736.8	877.6	822.3	313.1
	20:20	0.0	174.5	230.6	328.8	86.2
	28:28	0.0	23.2	0.0	0.0	0.0
	14:35:14				7.1	0.0
	12:32:16	0.0	36.2	69.1	59.5	20.2
	10:26:26	0.0	59.2	76.3	109.9	23.2
कुल		720.0	1029.9	1260.7	1320.5	442.7
इफको : पाराद्वीप	डीएपी	1500.0	600.4	92.3	418.2	164.7
	20:20	100.0	32.8	156.6	332.2	175.6
कुल		1600.0	633.2	248.9	7504	340.3
इफको : पाराद्वीप		2320.0	1663.1	1509.6	20709	7830
पश्चिम बंगाल						
कुल	डीएपी	675.0	276.1	290.1	452.0	109.5
	28:28	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0
	12:3216	0.0	100.5	185.9	244.7	45.2
	10:26:26	0.0	159.6	192.0	357.3	43.5
	14:35:14	0.0	0.0	24.4	47.5	7.4
	15:15:15	0.0	2.3	126	0.0	0.0
कुल		840.0	660.9	845.2	1288.0	252.7
राज्य योग		840.0	660.9	845.2	1288.0	252.7
असम						
बीवीएफसीएल : नामरूप–II						
	यूरिया	240.0	00	32.4	80.5	27.3

1	2	3	4	5	6	7
बीवीएफसीएल : नामरूप–III	यूरिया	3150	206.1	219.3	246.9	74.4
राज्य योग		555.0	206.1	251.7	307.4	101.7
हरियाणा						
एनएफएल : पानीपत	यूरिया	511.5	531.3	503.7	508.7	153.1
राज्य योग		511.5	531.3	503.7	508.7	153.1
पंजाब						
एनएफएल : नंगल–II	यूरिया	478.5	494.0	480.2	481.5	170.5
एनएफएल : भटिण्डा	यूरिया	511.5	536.6	518.0	511.4	185.8
राज्य योग		990.0	1030.6	998.2	992.9	356.3
उत्तर प्रदेश						
इफको : फूलपुर–I	यूरिया	551.1	565.1	551.1	573.8	200.2
इफको : फूलपुर विस्तार	यूरिया	864.6	864.7	884.6	882.8	268.9
इफको : आंवला–I	यूरिया	864.6	864.6	863.0	885.3	249.3
इफको : आंवला विस्तार	यूरिया	864.6	865.3	874.6	880.5	274.2
डीआईएल : कानपुर	यूरिया	722.0	0.0	37.2	0.0	0.0
आईजीसीएल : जगदीशपुर	यूरिया	864.6	985.4	994.9	1028.0	216.5
टीसीएल : बबराला	यूरिया	864.6	968.1	960.0	1010.7	320.1
केएसएफएल : शाहजहांनपुर	यूरिया	864.6	861.1	897.5	872.1	320.0
राज्य योग		6460.7	5974.3	6062.9	6133.2	1849.2
सकल योग		33577.8	31422.5	32139.9	3329.5	10088.0

विवरण-II

अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2005 के दौरान यूरिया, डीएपी और एमओपी का राज्यवार निर्धारित मांग और बिक्री

मात्रा (लाख मी. टन)

उत्पाद	यूरिया		डीएपी		एमओपी	
राज्य का नाम	निर्धारित मांग	बिक्री	निर्धारित मांग	बिक्री	निर्धारित मांग	बिक्री
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	19.50	17.46	6.25	4.48	2.85	3.39
कर्नाटक	9.40	9.27	3.90	4.09	2.45	2.89
केरल	1.33	1.10	0.10	0.18	1.39	0.98

1	2	3	4	5	6	7
तमिलनाडु	6.60	7.45	2.20	2.81	3.00	3.15
गुजरात	11.70	12.25	4.50	5.12	0.95	1.42
मध्य प्रदेश	11.35	10.34	6.00	4.62	0.42	0.52
छत्तीसगढ़	3.76	3.84	0.84	1.03	0.48	0.46
महाराष्ट्र	15.25	15.14	4.25	5.30	2.00	2.16
राजस्थान	11.50	10.16	4.25	3.44	0.13	0.16
हरियाणा	15.15	14.74	5.35	4.68	0.22	0.25
पंजाब	23.00	24.04	7.25	6.63	0.55	0.57
जम्मू और कश्मीर	1.20	0.94	0.70	0.50	0.17	0.06
उत्तर प्रदेश	47.10	45.11	14.00	11.33	1.85	1.77
उत्तरांचल	1.81	1.58	0.30	0.19	0.11	0.04
बिहार	14.30	12.79	3.00	0.98	1.10	0.51
झारखंड	1.58	1.63	1.15	1.06	0.19	0.03
उड़ीसा	4.30	3.60	0.80	0.66	0.90	0.82
पश्चिम बंगाल	11.50	10.83	4.61	3.33	3.32	3.16
असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्य	2.67	2.33	0.96	0.26	0.95	0.58
अन्य योग	1.08	0.90	0.20	0.08	0.19	0.16
अखिल भारत	214.08	205.49	70.60	60.78	23.21	23.10

विवरण-III

1 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च, 2006 के दौरान यूरिया, डीएपी और एमओपी का राज्यवार निर्धारित मांग और बिक्री

मात्रा (लाख मी. टन)

उत्पाद	यूरिया		डीएपी		एमओपी	
राज्य का नाम	निर्धारित मांग	बिक्री	निर्धारित मांग	बिक्री	निर्धारित मांग	बिक्री
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	23.50	22.27	7.05	5.96	3.86	4.13
कर्नाटक	9.55	10.68	4.60	4.57	2.85	3.36
केरल	1.55	1.18	0.20	0.16	1.30	1.19
तमिलनाडु	9.50	8.78	3.50	3.64	4.50	3.67
गुजरात	12.50	13.38	5.20	5.41	1.30	1.55

1	2	3	4	5	6	7
मध्य प्रदेश	11.55	10.21	5.95	4.66	0.50	0.57
छत्तीसगढ़	4.70	4.45	1.16	1.27	0.49	0.49
महाराष्ट्र	16.75	17.34	5.85	5.13	2.45	2.47
राजस्थान	12.30	11.59	4.90	4.14	0.20	0.17
हरियाणा	16.00	16.46	5.60	5.10	0.30	0.36
पंजाब	24.70	23.73	7.65	7.32	0.65	0.85
जम्मू और कश्मीर	1.20	1.11	0.70	0.56	0.17	0.07
उत्तर प्रदेश	52.00	46.03	15.50	12.34	2.60	1.66
उत्तरांचल	1.77	1.75	0.27	0.23	0.11	0.05
बिहार	14.30	13.82	3.00	1.78	1.40	1.23
झारखंड	1.75	1.51	1.16	0.68	0.26	0.05
उड़ीसा	4.75	4.00	0.90	0.81	1.00	0.96
पश्चिम बंगाल	11.90	10.43	4.10	3.43	3.90	2.52
असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्य	2.85	2.26	0.49	0.21	0.85	0.57
अन्य योग	1.13	0.93	0.20	0.11	0.21	0.16
अखिल भारत	234.25	221.91	77.98	67.53	28.89	26.08

विवरण-IV

1 अप्रैल, 06 से 31 मार्च 2007 के दौरान यूरिया, डीएपी और एमओपी का राज्यवार निर्धारित मांग और बिक्री

मात्रा (लाख मी. टन)

उत्पाद	यूरिया		डीएपी		एमओपी	
राज्य का नाम	निर्धारित मांग	बिक्री	निर्धारित मांग	बिक्री	निर्धारित मांग	बिक्री
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	27.00	22.13	6.69	5.97	5.21	3.72
कर्नाटक	11.20	10.92	5.00	4.83	3.90	2.76
केरल	1.46	1.27	0.17	0.23	1.40	1.12
तमिलनाडु	10.00	9.18	3.85	3.84	4.85	3.48
गुजरात	15.00	15.03	5.75	4.56	1.65	1.42
मध्य प्रदेश	12.10	13.16	6.20	4.96	0.50	0.67
छत्तीसगढ़	4.90	5.53	1.38	1.27	0.52	0.59

1	2	3	4	5	6	7
महाराष्ट्र	19.00	19.87	6.25	6.49	3.00	2.34
राजस्थान	13.20	12.26	5.60	4.05	0.22	0.07
हरियाणा	17.50	17.33	5.60	4.46	0.40	0.23
पंजाब	25.00	25.74	7.90	7.12	0.90	0.47
जम्मू और कश्मीर	1.42	1.05	0.71	0.51	0.21	0.10
उत्तर प्रदेश	50.00	51.83	14.50	12.94	2.30	1.22
उत्तरांचल	1.65	2.10	0.32	0.23	0.12	0.04
बिहार	17.50	16.01	4.50	2.65	2.50	1.00
झारखंड	1.74	1.60	1.10	0.68	0.07	0.01
उड़ीसा	4.70	4.21	0.98	1.03	0.92	0.75
पश्चिम बंगाल	12.00	11.94	4.10	3.54	3.58	2.51
असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्य	3.08	2.47	0.51	0.24	0.82	0.54
अन्य योग	1.10	0.90	0.20	0.12	0.20	0.13
अखिल भारत	249.55	244.52	81.31	69.75	33.27	23.17

विवरण-V

1 अप्रैल, 2007 से 31 जुलाई, 2007 के दौरान यूरिया, डीएपी और एमओपी का राज्यवार निर्धारित मांग और बिक्री

मात्रा (लाख मी. टन)

उत्पाद	यूरिया		डीएपी		एमओपी	
राज्य का नाम	निर्धारित मांग	बिक्री	निर्धारित मांग	बिक्री	निर्धारित मांग	बिक्री
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	5.85	4.73	1.80	1.81	1.00	0.60
कर्नाटक	4.50	3.81	2.80	2.10	1.19	1.13
केरल	0.51	0.45	0.12	0.06	0.46	0.39
तमिलनाडु	2.64	1.74	1.33	0.73	1.34	1.22
गुजरात	4.90	4.98	2.14	1.89	0.48	0.49
मध्य प्रदेश	3.25	2.94	2.60	1.71	0.36	0.20
छत्तीसगढ़	2.53	2.53	0.61	0.73	0.36	0.25
महाराष्ट्र	10.00	8.50	3.40	2.56	1.00	1.11
राजस्थान	2.98	3.00	1.15	0.98	0.04	0.05

1	2	3	4	5	6	7
हरियाणा	5.85	5.71	1.19	1.13	0.18	0.08
पंजाब	10.60	9.11	1.85	1.30	0.50	0.19
हिमाचल प्रदेश	0.32	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
जम्मू और कश्मीर	0.71	0.52	0.43	0.10	0.14	0.03
उत्तर प्रदेश	20.00	13.16	4.10	2.06	1.15	0.26
उत्तरांचल	0.90	0.94	0.08	0.05	0.05	0.01
बिहार	5.10	3.76	1.42	0.74	0.55	0.20
झारखंड	0.77	0.44	0.41	0.41	0.05	0.02
उड़ीसा	1.73	1.10	0.43	0.57	0.34	0.30
पश्चिम बंगाल	2.53	2.05	1.43	1.18	0.80	0.66
असम	0.62	0.69	0.13	0.04	0.21	0.16
अखिल भारत	0.39	0.19	0.08	0.00	0.04	0.01
अन्य योग	0.16	0.13	0.07	0.02	0.04	0.03
अखिल भारत	86.84	70.77	27.56	20.17	10.28	7.39

[अनुवाद]

यात्री सेवा शुल्क (पीएसएफ)

***78. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2006–07 के दौरान भारत से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से कितने यात्रियों ने यात्रा की;

(ख) उक्त अवधि के दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा यात्रियों से यात्री सेवा शुल्क (पीएसएफ) के रूप में कुल कितनी राशि अर्जित की गई;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एयरपोर्ट अथोरिटीज और एयरलाइंस ऑपरेटरों के बीच यात्री सेवा शुल्क (पीएसएफ) के बंटवारे पर विवाद है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार सभी हवाई यात्रियों से पी एस एफ वसूलना बन्द करने की योजना बना रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) वर्ष 2006-07 के दौरान, भारत से/के लिए अंतराष्ट्रीय यात्री यातायात 23.3 मिलियन तथा घरेलू यात्री यातायात 35.5 मिलियन था।

(ख) 560.33 करोड़ रुपए।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

प्राकृतिक गैस का मूल्य

***79. डा. एम. जगन्नाथ :**
श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति ने प्राकृतिक गैस मूल्य फार्मूला अनुमोदित करने हेतु पारदर्शी दिशानिर्देश तैयार करने के बारे में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने रिपोर्ट को पूर्णतः स्वीकार कर लिया है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को कुछ राज्य सरकारों, विशेषकर आंध्र प्रदेश से प्राकृतिक गैस के मूल्य को विनियमित करने हेतु एक पेट्रोलियम विनियामक प्राधिकरण गठित करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) और (ख) उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं में आर्म्स लेंग्थ आधार पर बिक्री के आधार पर गैस के मूल्यनिर्धारण का प्रावधान है। सरकार की भूमिका सरकारी प्राप्ति के निर्धारण के उद्देश्य के लिए गैस के मूल्यांकन का अनुमोदन करना है। मूल्यांकनों के अनुमोदन में पारदर्शिता रखने के लिए सरकार ने उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं के अंतर्गत सरकारी अनुमोदन देने के लिए, प्रकृतिक गैस मूल्य सूत्र/आधार का अनुमोदन करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के लिए अगस्त, 2006 में समिति का गठन किया।

समिति के अध्यक्ष संयुक्त सचिव और वित्त सलाहकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय थे और इसमें महानिदेशक, डीजीएच और संबंधित संयुक्त सचिव अन्य सदस्यों के रूप में थे। समिति ने रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले अन्य विशेष संगठनों के अलावा उत्पादकों सहित विभिन्न पणधारकों और उपभोक्ताओं के साथ व्यापक विचार–विमर्श किया।

समिति ने यह सिफारिश की है कि उन सभी स्थितियों में, जहां प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से मूल्य खोज संभव है, गैस के मूल्यांकन के लिए किसी अन्य सिद्धांत को लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों के बीच बाजार निर्धारित मूल्य की खोज के बाद सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए।

इसके अलावा, समिति ने यह कहा है कि पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से खोजे गए बाजार निर्धारित मूल्य की अनुपस्थिति में, जहां गैस का मूल्यांकन आवश्यक रूप से सरकार द्वारा किया जाना है, इसे वर्तमान में विधिवत रूप से सूचीबद्ध क्षेत्र में सबसे पहले हाल की प्रतिस्पर्धात्मक रूप से निर्धारित संविदा में मूल्य के आधार पर किया जा सकता है। सूचीकरण बाजार निर्धारित संदर्भ अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार किया जाना है क्योंकि प्रत्येक बाजार निर्धारित संविदा में मूल्य समीक्षा तंत्र सहित आपूर्ति के विभिन्न निबंधनों और शर्तों का उल्लेख है।

समिति ने यह नोट किया है कि प्रत्येक संविदा में, सामान्य रूप से, प्रत्येक पांच वर्षों में मूल्य समीक्षा खंड होता है। यदि संदर्भ संविदा के अनुसार मूल्य की समीक्षा की जाती है, तो यह नया संदर्भ मूल्य बन सकता है। अंतरिम अवधियों के लिए समिति ने यह सिफारिश की है कि सूचीकरण को सबसे सस्ते तरल ईंधन, अर्थात भट्ठी तेल (एफओ) के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि से संबद्ध किया जा सकता है, जो न केवल सबसे सस्ता ईंधन, बल्कि जिसने हाल के वर्षों में कम मूल्य उतार–चढ़ाव भी दर्शाया है।

समिति का यह मत है कि उपर्युक्त मूल्यांकन को केवल तब लागू किया जा सकता है, जब वास्तविक आपूर्ति आरंभ हो गई हो और मूल्य की बाजार प्रणाली के माध्यम से खोज न की गई हो। तथापि, अगर वास्तविक मूल्य, जिस पर कोई उत्पादक किसी उपभोक्ता को आपूर्ति करता है, उपर्युक्त पद्धति द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक है, तो सरकारी प्राप्ति के लिए उच्चतर मूल्य की गणना की जानी है। यदि समिति का दृष्टिकोण कभी भी लागू न किया जाए तो यह आदर्श स्थिति होगी, पर यदि आकस्मिकता उत्पन्न हो जाती है, तो महानिदेशक डीजीएच और निदेशक, पीपीएसी समिति की सिफारिशों के आधार पर गणनाएं करेंगे। यह सुनिश्चित करना डीजीएच का उत्तरदायित्व होगा कि उत्पादक सरकारी प्राप्ति तदनुसार भेज दे।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री को लिखित रूप में यह अनुरोध किया है कि अपस्ट्रीम गैस मूल्यनिर्धारण के लिए स्वतंत्र बाजार विनियामक को नियुक्त किया जाए।

(च) सरकार ने देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस के मूल्यनिर्धारण से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए एक शक्तिप्रदत्त मंत्री समूह का गठन करने के लिए आदेश जारी किए हैं।

[हिन्दी]

उर्वरकों पर राजसहायता

*80. **श्री पुन्नूलाल मोहले** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को उर्वरकों पर दी जा रही राजसहायता की वर्तमान दर में वृद्धि की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) उर्वरकों पर राजसहायता की दर (राजसहायता

प्रति मी.टन) फार्म गेट स्तर पर उर्वरकों की निर्देशात्मक सुपुर्दगी लागत तथा सरकार द्वारा अधिसूचित इसके बिक्री मूल्यों के बीच का अंतर होती है। कच्ची सामग्रियों, मध्यवर्तियों और तैयार उर्वरकों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में तीव्र वृद्धि होने के कारण पिछले कुछ वर्षों में फार्म गेट स्तर पर उर्वरकों की सुपुर्दगी लागत में वृद्धि हुई है जिससे उर्वरकों की राजसहायता की वर्तमान दर में वृद्धि हुई है।

विभिन्न राजसहायता प्राप्त उर्वरकों पर पिछले तीन वर्षों के दौरान दी गई राजसहायता में हुई औसत वृद्धि निम्नानुसार है :–

रुपए प्रति मी. टन

उर्वरक	2004–05	2005–06	2006–07
यूरिया*	4800	5528	6945
स्वदेशी डीएपी	4826	5966	7087
आयातित डीएपी	4397	5725	6392
एमओपी	5610	6594	7025
एसएसपी	650	30.9.2005 तक 650 1.10.2005 से 975	975
एनपीके (11 ग्रेड)	3833	4947	5871

*भाड़ा राजसहायता को छोड़कर। दरें अनंतिम हैं।

[अनुवाद]

जनजातीय नृत्य, कला तथा लोककथाएं

521. श्री नवीन जिन्दल : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनजातीय नृत्य, कला तथा लोककथाओं का अध्ययन करने के लिए दुर्गम क्षेत्रों में दल भेजे जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उनके पारंपरिक सांस्कृतिक क्रियाकलापों को समुचित मान्यता प्रदान करने के लिए कौन–कौन से अन्य उपाय किए जा रहे हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ग) भारत सरकार ने देश के लोक एवं पारंपरिक कलाकारों और दस्तकारों को सहायता देने के लिए सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित किए हैं। ये क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र लुप्त हो रहे कलारूपों के प्रलेखन की स्कीम के तहत जनजातीय नृत्यों कला तथा लोक साहित्य का अध्ययन करने के दूरस्थ क्षेत्रों में दल भेजते हैं। अभी तक जिन कुछेक पारंपरिक कलारूपों का प्रलेखन किया गया है। वे हैं : सिक्किम का लामा नृत्य; पहाड़ों तथा उड़ीसा के क्षेत्रों में लोक कथाएं; मिजो के पारंपरिक खेल; असम का मलिता (बैलेड); मणिपुर का वारीलीबा; मणिपुर पारंपरिक वस्त्र तथा इसका सामाजिक सांस्कृतिक महत्व; उड़ीसा के लोक वाद्ययंत्र; कलिबोपाल नट (अंकिया गीत), असम के गीत; पश्चिम बंगाल गंभीरा; उड़ीसा का संबलपुरी नृत्य; उड़ीसा का मयुरभंज छऊ; पश्चिम बंगाल पुरूलिया छऊ; उड़ीसा का गोटीपुवा तथा पत्र चित्र; लद्दाख का जीवन शैली; स्पिति तथा कुल्लू घाटी में जीवन परंपरा; किन्नौर की जीवन शैली।

संस्कृति मंत्रालय जनजातीय/लोक कला एवं संस्कृति के संवर्द्धन एवं प्रलेखन की एक स्कीम का कार्यान्वयन भी कर रहा है। इस स्कीम के तहत् जनजातीय/लोक कला एवं संस्कृति के परिरक्षण तथा संवर्द्धन में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं/व्यक्तियों को वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अलावा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय लोक एवं जनजातीय कला रंगमंच की एक स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है जिसके तहत् प्रत्येक वर्ष विभिन्न लोक तथा जनजातीय रंगमंच समूहों को राष्ट्रीय रंगमंच उत्सव तथा बाल संगम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसके अलावा क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान प्रदान के तहत् जनजातीय मंडलियों के क्षेत्र के भीतर तथा अन्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों की परिधि में आने वाले राज्यों के विभिन्न भागों में भेजा जाता है। नवंबर, 2006 में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव 'प्रकृति' में भाग लिया जिसमें 400 से अधिक कलाकारों ने भाग लिया। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र पारंपरिक एवं लोक रंगमंच के संवर्द्धन हेतु 'रंगमंच सुदृढ़ीकरण स्कीम' भी चलाते हैं।

[हिन्दी]

नई पेट्रो-रसायन नीति तथा प्लास्टिक एवं सिंथेटिक फाइबर्स का उपयोग

522. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :
श्री धर्मेन्द्र प्रधान :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेट्रो–रसायन संबंधी राष्ट्रीय नीति की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार पेट्रोलियम, रसायन तथा पेट्रो–रसायन निवेश क्षेत्रों में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश में प्लास्टिक तथा सिंथेटिक फाइबर्स का वर्षवार कितनी किलोग्राम मात्रा में उपयोग किया गया तथा इन वस्तुओं का प्रति व्यक्ति उपभोग कितना है;

(च) क्या सरकार द्वारा इन वस्तुओं के प्रति व्यक्ति उपभोग में वृद्धि के संबंध में निर्णय लिया गया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) पर्यावरण को इसके चलते कितनी हानि हो रही है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) जी हां।

(ख) पेट्रोरसायन संबंधी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य–निवेश में वृद्धि, पेट्रोरसायन उत्पादों के उत्पादन व उपभोग में वृद्धि, उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि, आर एंड डी संवर्धन और पर्यावरण अनुकूल संवद्धि प्राप्त करने से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है।

(ग) और (घ) मंत्रिमंडल ने हाल ही में पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्रों (पीसीपीआईआर) की स्थापना हेतु अनुमोदन किया है और इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है (असाधारण, भाग 1, खंड 1 दिनांक 4 अप्रैल, 2007) तथा इसे रसायन और पेट्रोरसायन विभाग की वेबसाइट www.chemicals.nic.in पर भी डाला गया है। पीसीपीआईआर लगभग 250 वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल का एक विनिर्दिष्ट रूपरेखाओं वाला निवेश क्षेत्र है (जिसमें कम से कम 40% क्षेत्र प्रसंस्करण गतिविधियों हेतु चिन्हित होगा।) यह क्षेत्र–उत्पादन परियोजनाओं, जन उपयोगिताओं, संभार तंत्र, पर्यावरण संरक्षण, आवासीय इलाकों और प्रशासनिक सेवाओं का सम्मिलन होगा। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास तेज करने के लिए पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन सेक्टर में वैश्विक पैमाने के निवेश को बढ़ावा देना है। केन्द्र सरकार इस नीति के संदर्भ में पीसीपीआईआर्स की स्थापना हेतु राज्य सरकारों के आवेदन पर विचार करेगी और रेल, सड़क, पत्तन व हवाई अड्डों सहित बाह्य भौतिक आधारभूत अवसंरचना की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगी। इसी प्रकार, किसी पीसीपीआईआर हेतु आवेदन करने वाली राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सभी भौतिक अवसंरचनाएं और उपयोगी संपर्क मुहैया कराए जाएं।

(ङ) से (छ) देश में प्लास्टिक एवं सिंथेटिक फाइबर की किलोग्राम में खपत वर्षवार एवं प्रतिव्यक्ति निम्नानुसार है :

समूह	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06
			खपत (मिलियन कि.ग्रा.)		
सिंथेटिक फाइबर्स	1717.31	1800.03	1881.67	1890.16	1893.28
पॉलीमर्स (प्लास्टिक्स)	3826.12	3795.68	4106.93	4177.06	4795.16
			प्रतिव्यक्ति खपत (कि.ग्रा./व्यक्ति)		
सिंथेटिक फाइबर्स	1.4	1.7	1.8	1.8	1.7
पॉलीमर्स (प्लास्टिक्स)	3.2	3.6	3.9	3.9	4.4

सरकारी की नीति, पेट्रोरसायन क्षेत्र के अपस्ट्रीम व डाउनस्ट्रीम दोनों ही में निवेश को प्रोत्साहित करना है। प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण अपस्ट्रीम क्षेत्र द्वारा उत्पादित पालीमर में मूल्य संवर्द्धन द्वारा डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में होता है। प्रमुख क्षेत्रों जैसे प्लास्टिकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार आदि क्षेत्रों में प्लास्टिक के उपयोग को बढ़ाकर सरकार, प्रति व्यक्ति खपत बढ़ाना चाहती है।

(ज) प्लास्टिक रासायनिक रूप से निष्क्रिय पदार्थ है एवं आमतौर पर अपने आप में खतरनाक नहीं हैं। अधिकतर प्लास्टिक पुनः प्रसंस्करणीय एवं पुनःचक्रीय प्रकृति के होते हैं। मुख्य समस्या है – प्लास्टिक पदार्थों का अविवेकपूर्ण बिखराव तथा शहरी क्षेत्रों में संगठित ठोस अपशिष्ट/प्लास्टिक अपशिष्ट निपटान प्रणाली का अभाव। प्लास्टिक अपशिष्ट के 30–40% को पुनःचक्रित किया जाता है जो कि काफी अच्छी मात्रा है। गैर–चक्रीय प्लास्टिक अपशिष्ट के व्युत्पादन को रोकने के लिए केन्द्र सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों ने प्लास्टिक कैरी बैगों के लिए न्यूनतम मोटाई 20 माइक्रोन रखने के संबंध में अधिसूचनाएं जारी की हैं।

हिमाचल प्रदेश में रेल नेटवर्क का विस्तार

523. प्रो. प्रेम कुमार धूमल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में रेल नेटवर्क का विस्तार करने हेतु कोई विशेष योजना तैयार करने का है जहां रेल का विस्तार तथा रेलगाड़ियों की बारंबारता कम है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं। फिलहाल ऐसी कोई योजना तैयार नहीं की गयी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

चालू उर्वरक इकाइयां

524. श्री रमेश बर्मन :

श्री जोआकिम बखला :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में राज्यवार सरकारी तथा निजी क्षेत्र में चालू उर्वरक इकाइयों की राज्य–वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या ये इकाइयां अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन इकाइयों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में नए उर्वरक कारखाने खोलने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान–वार ब्यौरा क्या है; और

(छ) कब तक इन्हें स्थापित कर दिया जायेगा?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण–I और II में दी गई है।

(घ) सरकार यूरिया के नेफ्था आधारित उत्पादन को प्राकृतिक गैस में परिवर्तित करके स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहन देने और दक्षता में सुधार करने की नीति को निरंतर बढ़ावा दे रही है। जहां तक पी एण्ड के क्षेत्र का संबंध है, आयातित कच्ची सामग्रियों और मध्यवर्तियों पर निर्भर रहने के कारण स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने में बाधाएं हैं।

(ङ) और (च) सरकार ने फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड की बन्द इकाइयों का पुनरूद्धार करने का "सैद्धांतिक" निर्णय लिया है बशर्ते कि पुनरूद्धार करने की प्रौद्योगिक–आर्थिक व्यवहार्यता हो तथा प्राकृतिक गैस उपलब्ध हो। बन्द इकाइयों के पुनरूद्धार के लिए कोई निश्चित समय–सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

विवरण-I

देश में प्रचालित प्रमुख उर्वरक इकाइयों की राज्यवार और क्षेत्रवार संख्या

क्र.सं.	राज्यों का नाम	प्रचालन इकाइयों की संख्या	क्षेत्र			
			सार्वजनिक	सहकारी समिति	निजी	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	आन्ध्र प्रदेश	4			4	4
2	असम	2	2			2
3	बिहार					
4	छत्तीसगढ़					
5	गोवा	1			1	1
6	गुजरात	8		3	5	8
7	हरियाणा	1	1			1

1	2	3	4	5	6	7
9	कर्नाटक	1			1	1
10	केरल	2	2			2
11	मध्य प्रदेश	2	2			2
12	महाराष्ट्र	5	4		1	5
13	उड़ीसा	2		1	1	2
14	पंजाब	2	2			2
15	राजस्थान	3			3	3
16	तमिलनाडु	4	1		3	4
17	उत्तर प्रदेश	7		5	2	7
18	पश्चिम बंगाल	1			1	1
	कुल	45	14	9	22	45

विवरण-II

वर्ष 2006–07 के लिए प्रमुख उर्वरकों का राज्यवार, इकाईवार उत्पादन और उनकी क्षमता उपयोगिता

राज्य का नाम/इकाई	उत्पाद का नाम	स्थापित क्षमता (1.04.06 को)	उत्पादन (हजार मी.टन) 2006–07	प्रतिशत क्षमता उपयोगिता 2006–07
		मात्रा	मात्रा	
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश				
सीएफएलः विजाग	28:28	200.0	363.2	181.6
	14:35:14	200.0	173.8	86.9
	20:20	200.0	445.4	222.7
	10:26:26*	0.0	23.6	
कुल		600.0	1006.0	167.7
जीएफसीएल : काकीनाडा	डीएपी	670.0	616.1	92.0
	14:35:14*	0.0	180.7	
	20:20*	0.0	21.4	
	10:26:26*	0.0	194.2	
	12:32:16*	0.0	75.4	
कुल		670.0	1087.8	162.4

1	2	3	4	5
एनएफसीएल : काकीनाडा–I	यूरिया	5973	726.7	121.7
एनएफसीएल : काकीनाडा–II	यूरिया	597.3	597.2	100.0
कुल		1194.6	1323.9	110.8
केरल				
फैक्ट : उद्योगमण्डल	20:20	148.5	141.7	95.4
फैक्ट : कोचिन–II	20:20	485.0	574.2	118.4
कुल		858.5	899.4	104.8
कर्नाटक				
एमसीएफ : मंगलौर	यूरिया	380.0	370.1	97.4
	डीएपी	180.0	203.9	113.3
	20:20*	0.0	52.9	
कुल		560.0	626.9	111.9
तमिलनाडु				
एमएफएल : चैन्ने	यूरिया	486.8	473.3	97.2
	17:17:17	840.0	57.1	6.8
कुल		1326.8	530.4	40.0
स्पिक : तूतीकोरिन	यूरिया	620.0	645.5	104.1
	डीएपी	475.0	286.5	60.3
	20:20*	0.0	38.3	
कुल		1095.0	970.3	88.6
सीएफएल:इन्नौर	16:20	170.0	183.8	108.1
	20:20	70.0	110.8	158.3
कुल		240.0	294.6	122.8
सीएसील : तूतीकोरिन	ए/सी	64.0	64.8	101.3
गोवा				
जैडआईएल : गोवा	यूरिया	399.3	402.5	100.8
	19:19:19	240.0	305.7	127.4
	डीएपी	330.0	198.2	60.1

1	2	3	4	5
	10:26:26*	0.0	215.3	
	12:32:16*	0.0	16.8	
कुल		969.3	1138.5	117.5
मध्य प्रदेश				
एनएफएल : विजयपुर	यूरिया	864.6	874.5	101.1
एनएफएल : विजयपुर विस्तार	यूरिया	864.6	974.9	112.8
महाराष्ट्र				
आरसीएफ : ट्राम्बे	15:15:15	300.0	482.9	161.0
आरसीएफ : ट्राम्बे–IV	20.8:20.8	361.0	35.3	9.8
आरसीएफ : ट्राम्बे–V	यूरिया	330.0	0.0	0.0
आरसीएफ : थाल	यूरिया	1706.8	1861.0	109.0
कुल (आरसीएफ)		2697.8	2379.2	88.2
डीएफपीसीएलः तलोजा	23:23	230.0	62.4	27.1
गुजरात				
इफको : कांडला	10:26:26	515.4	572.0	111.0
	12:32:16	700.0	1100.3	157.2
	डीएपी	1200.0	804.4	67.0
कुल (इफको : कांडला)		2415.4	2476.7	102.5
इफको : कालोल	यूरिया	544.5	559.9	102.8
कृभको : हजीरा	यूरिया	1729.2	1714.5	99.1
जीएसएफसीः वडोदरा	यूरिया	370.6	253.6	68.4
	ए/एस	228.0	290.7	127.5
	डीएपी	165.0	14.2	8.6
	20:20 *	0.0	242.9	
कुल (जीएसएफसी : वडोदरा)		763.6	801.4	105.0
जीएनएफसी : भरूच	यूरिया	636.0	626.2	98.5
	20:20	142.5	198.9	139.6
कुल (जीएनएफसी : भरूच)		921.0	969.1	105.2

1	2	3	4	5
जीएसएफसी : सिक्का–I	डीएपी	588.0	425.5	72.4
	12:32:16	0.0	2.7	0.0
कुल		588.0	508.0	86.4
जीएसएफसी : सिक्का–II	डीएपी	396.0	419.9	106.0
	12:32:16*	0.0	18.0	
कुल (जीएसएफसी : सिक्का–I और II)		984.0	927.9	94.3
हिन्डलको इण्डस्ट्रीज लि.	डीएपी	400.0	190.9	47.7
दाहेज	20:20*	0.0	6.2	
	10.26:26*	0.0	4.2	
	12:32:16*	0.0	17.8	
कुल		400.0	219.1	54.8
राजस्थान				
एसएफसी : कोटा	यूरिया	379.0	361.1	95.3
सीएफसीएल : गड़ेपन–I	यूरिया	864.6	973.6	112.6
सीएफसीएल : गड़ेपन–II	यूरिया	864.6	952.0	110.1
कुल (सीएफसीएल)		1729.2	1925.6	111.4
उड़ीसा				
पीपीएल : पाराद्वीप	डीएपी	720.0	822.3	114.2
	20:20*	0.0	328.8	
	28:28*	0.0	0.0	
	14:35:14*	0.0		
	12:32:16*	0.0	59.5	
	10:26:26*	0.0	109.9	
कुल		720.0	1320.5	183.4
इफको : पाराद्वीप	डीएपी	1500.0	418.2	27.9
	20:20	100.0	332.2	332.2
कुल		1600.0	750.4	46.9
पश्चिम बंगाल				
टीसीएल : हल्दिया	डीएपी	675.0	452.0	67.0
	28:28*	0.0	4.9	
	12:32:16*	0.0	244.7	

1	2	3	4	5
	10:26:26*	0.0	357.3	
	14:35:14*	0.0	47.5	
	15:15:15*	0.0	0.0	
कुल		840.0	1288.0	153.3
असम				
बीवीएफसीएल : नामरूप–II	यूरिया	240.0	60.5	25.2
बीवीएफसीएल : नामरूप–III	यूरिया	315.0	246.9	78.4
हरियाणा				
एनएफएल : पानीपत	यूरिया	511.5	508.7	99.5
पंजाब				
एनएफएल : नंगल–II	यूरिया	478.5	481.5	100.6
एनएफएल : भटिण्डा	यूरिया	511.5	511.4	100.0
उत्तर प्रदेश				
इफको : फूलपुर	यूरिया	551.1	573.8	104.1
इफको : फूलपुर विस्तार	यूरिया	864.6	882.8	102.1
इफको : आंवला	यूरिया	864.6	885.3	102.4
इफको : आंवला विस्तार	यूरिया	864.6	880.5	101.8
आईजीसीएल : जगदीशपुर	यूरिया	864.6	1028.0	118.9
टीसीएल : बबराला	यूरिया	864.6	1010.7	116.9
केएसएफएल : शाहजहांपुर	यूरिया	864.6	872.1	100.9

* इन मदों के लिए स्थापित क्षमता अलग से नहीं दर्शाई गई है।

हलदिया पेट्रो-रसायन परियोजना का आधुनिकीकरण तथा विस्तार

525. श्री हितेन बर्मन : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास हल्दिया पेट्रो–रसायन परियोजना के आधुनिकीकरण तथा विस्तार हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) संयंत्र की वर्तमान क्षमता कितनी है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) से (घ) हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने विस्तार की एक परियोजना शुरू की है। कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुमोदित विस्तार परियोजना की लागत 770 करोड़ रु. है। वर्तमान क्षमता एवं विस्तार के उपरांत प्रस्तावित क्षमताएं निम्नानुसार हैं :

क्रम सं.	उत्पाद	वर्तमान क्षमता (टन प्रति वर्ष)	प्रस्तावित क्षमता (टन प्रति वर्ष)
1	2	3	4
1.	इथाइलीन	520000	670000
2.	एचडीपीई	300000	320000

1	2	3	4
3.	पीपी	300000	320000
4.	एलएलडीपीई	260000	386000
5.	बेंजीन	85000	152000
6.	बुटाडीन	82000	100000
7.	पायरोगैसोलीन	150000	158800

कलाकारों के लिए पेंशन

526. श्री प्रहलाद जोशी : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पुराने जमाने के उन सभी कलाकारों के लिए मासिक पेंशन को क्रियान्वित कर रही है जो विपन्नता की स्थिति में हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान, अर्थात 2004 से 2007 तक विभिन्न श्रेणी के कलाकारों को दी गई इस प्रकार की पेंशनों की कुल राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बड़ी संख्या में पेंशन के आवेदन लंबित हैं;

(घ) यदि हां, तो इन लंबित आवेदन पत्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इन लंबित आवेदनों को कब तक निबटा दिया जायेगा?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 2004–05, 2005–06 और 2006–07 के दौरान केन्द्रीय कोटे तथा केन्द्र राज्य कोट में राज्यवार दिए गए पेंशन अनुदान की राशि के वर्षवार ब्यौरे क्रमशः विवरण I-क और I-ख के रूप में संलग्न है।

(ग) से (ङ) 1262 मौजूदा लाभार्थियों (केन्द्रीय कोटे में 1010 तथा केन्द्र राज्य कोटे 252) के अलावा अभी तक 1650 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं। नए आवेदनों की राज्यवार सूची विवरण-II के रूप में संलग्न है। मौजूदा लाभार्थियों के पेंशन के नवीकरण का कार्य पहले शुरू किया जा चुका है जो इस स्कीम में यथा परिकल्पित लाभार्थियों द्वारा 'जीवित' तथा 'आयकर प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करने पर निर्भर करेगा। नये आवेदनों की प्रक्रिया भी स्कीम में यथा निर्धारित पद्धति के अनुसार शुरू कर दी गई है और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन चुने गए कलाकारों को मंजूरियां जारी कर दी जाएंगी।

विवरण-Iक

पेंशन स्कीम के अधीन जारी अनुदान – केन्द्र कोटा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05		2005-06		2006-07	
	लाभार्थियों की कुल संख्या	जारी कुल राशि	लाभार्थियों की कुल संख्या	जारी कुल राशि	लाभार्थियों की कुल संख्या	जारी कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	84	2016000	148	2684000	133	3384000
बिहार	7	168000	7	168000	27	648000
छत्तीसगढ़	2	48000	2	48000	2	48000
दिल्ली	25	600000	37	828000	36	864000
गोवा	6	144000	11	264000	8	192000
गुजरात	2	48000	5	120000	8	192000
हरियाणा	9	216000	20	360000	21	504000
हिमाचल प्रदेश	5	120000	5	70000	5	120000
जम्मू और कश्मीर	1	24000	2	28000	2	48000
झारखंड	4	96000	4	96000	6	144000

1	2	3	4	5	6	7
कर्नाटक	52	1248000	155	2864000	139	3336000
केरल	37	888000	69	1336000	65	1560000
मध्य प्रदेश	12	336000	5	70000	28	672000
महाराष्ट्र	46	1104000	120	3000000	120	2880000
उड़ीसा	65	1632000	94	1966000	99	2376000
पांडिचेरी	3	72000	3	72000	12	288000
पंजाब	3	72000	5	66000	6	144000
राजस्थान	2	48000	6	144000	5	120000
तमिलनाडु	8	312000	5	120000	20	480000
उत्तर प्रदेश	78	1910000	126	2612000	120	2880000
उत्तरांचल	3	72000	3	72000	7	168000
पश्चिम बंगाल	12	288000	45	1080000	48	1152000
असम	10	240000	22	528000	21	504000
मणिपुर	56	1344000	76	1824000	69	1656000
नागालैंड	1	24000	1	24000		
त्रिपुरा	1	24000	1	24000	1	24000
मेघालय	1	24000	1	24000		
मिजोरम	1	24000	3	72000	2	48000
कुल	536	13142000	981	23544000	1010	24432000

विवरण-II

पेंशन स्कीम के अधीन जारी अनुदान – केन्द्र राज्य कोटा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004–05		2005–06		2006–07	
	लाभार्थियों की कुल संख्या	जारी कुल राशि	लाभार्थियों की कुल संख्या	जारी कुल राशि	लाभार्थियों की कुल संख्या	जारी कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	16	288000	15	270000	16	288000
असम	14	252000	15	270000	14	270000
गोवा	10	180000	10	180000	10	180000
हरियाणा	1	18000	1	18000	1	18000

1	2	3	4	5	6	7
कर्नाटक	25	450000	28	504000	29	522000
केरल	69	1296000	69	1422000	59	1062000
महाराष्ट्र	8	144000	8	180000	11	216000
मणिपुर	4	72000	3	54000	2	36000
मिजोरम	3	90000	2	36000	1	18000
उड़ीसा	80	1440000	85	1530000	101	1872000
पंजाब	2	36000	2	36000	1	18000
पांडिचेरी	1	18000	1	18000	1	18000
राजस्थान	2	36000	2	36000	2	36000
पश्चिम बंगाल	5	90000	4	72000	4	72000
कुल	240	4410000	245	4626000	252	4626000

विवरण-II

नए आवेदनों की राज्यवार स्थिति

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल आदेवन
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	364
2.	असम	21
3.	बिहार	19
4.	चंडीगढ़	1
5.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	15
6.	हरियाणा	22
7.	जम्मू और कश्मीर	2
8.	झारखंड	1
9.	कर्नाटक	239
10.	केरल	156
11.	मध्य प्रदेश	62
12.	महाराष्ट्र	411
13.	मणिपुर	63
14.	उड़ीसा	97
15.	पंजाब	2
16.	राजस्थान	1
17.	तमिलनाडु	66
18.	उत्तर प्रदेश	74
19.	पश्चिम बंगाल	34
	आवेदनों की कुल संख्या	1650

[हिन्दी]

भारतीय रेल खान-पान तथा पर्यटन निगम में घोटाला

527. श्रीमती गीता पटैरिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रेल खान–पान तथा पर्यटन निगम (आई आर सी टी सी) में करोड़ों रुपयों के घोटाले का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में किसी जांच का आदेश दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी है/किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं। भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम (आई आर सी टी सी) में करोड़ों रुपये के घोटाले का ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में ग्रामीण पर्यटन

528. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अब तक उक्त उद्देश्य के लिए कितनी राशि आबंटित की गई?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) पर्यटन मंत्रालय गंतव्यों तथा परिपथों के उत्पाद/अवसंरचना विकास की योजना के अंतर्गत पर्यटन की संभावना वाले ग्रामीण स्थलों में अवसंरचना विकास हेतु महाराष्ट्र सहित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण (सीबीएसपी) की योजना कें अंतर्गत तथा भारत सरकार–यूएनडीपी अंतर्जात पर्यटन परियोजना द्वारा क्षमता निर्माण में सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) और (ग) ग्रामीण पर्यटन के संवर्धन हेतु महाराष्ट्र सरकार को प्रदान की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :–

क्र.सं.	स्थान	स्वीकृत केन्द्रीय वित्तीय सहायता (लाख रुपए में)			
		2004–05	2005–06	2006–07	2007–08
1.	सुलीभंजन–खुलताबाद, जिला औरंगाबाद	20.00 सीबीएसपी के लिए	–	–	–
2.	मोराची चिनचौली, जिला पुणे	–	–	70.00 (50.00 लाख रुपए अवसंरचना विकास के लिए और 20.00 लाख रुपए क्षमता निर्माण के लिए)	–

[अनुवाद]

वर्ष 2008 - दि इयर ऑफ थाइलैंड एण्ड नार्थ ईस्ट इंडिया

529. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास वर्ष 2008 को 'दि इयर ऑफ थाइलैंड एण्ड नॉर्थ ईस्ट इंडिया' के रूप में मनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो सदियों पुराने भारत–थाइलैंड सांस्कृतिक तथा व्यापार संबंध को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से मनाए जाने वाले उत्सवों और आयोजित किए जाने वाले समारोहों की मुख्य विशेषताएं क्या–क्या हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

फूड पार्क

530. श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा सहायता प्रदान करने हेतु अनुमोदित 54 फूड पार्कों में से केवल 29 फूड पार्क परिचालन में हैं;

(ख) यदि हां, तो इस खराब कार्य–निष्पादन के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) समुचित समय सीमा के अंदर बाकी बचे फूड पार्कों को परिचालन में लाने के लिए सरकार द्वारा क्या तात्कालिक कदम उठाए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने देश में 56 खाद्य पार्कों के लिए वित्तीय सहायता अनुमोदित की है जिनमें से 29 को प्रचालित समझा जाता है। ये देखा गया है कि लंबी निर्माणावधि, परस्पर संपर्क की कठिनाइयों, बिजली की कमी, पानी की समस्या, स्थल संबंधी कठिनाइयों, संवर्तक के द्वारा बराबर का अंशदान करने आदि जैसी विभिन्न कठिनाइयों की वजह से खाद्य पार्कों की प्रगति धीमी है। यह मंत्रालय बाकी खाद्य पार्कों को प्रचालनयोग्य बनाने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ मिलकर नियमित रूप से समीक्षा कर रहा है।

यात्रियों की मृत्यु की घटनाएं

531. श्री एस.के. खारवेनथन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हाल ही में देश में विभिन्न एयरलाइनों में यात्रियों की मृत्यु होने की बढ़ती हुई तथा बार-बार हो रही घटनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निवारणात्मक कदम उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (घ) हाल ही में, देश में विभिन्न एयरलाइनों में दुर्घटना या किसी घटना के कारण यात्रियों की मृत्यु का कोई मामला नहीं हुआ है। यद्यपि प्राकृतिक कारणों से यात्रियों की मृत्यु के मामले हो सकते हैं जिसकी सूचना प्रत्येक एयरलाइन से अलग-अलग एकत्रित की जा रही है।

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर राज्यों में हवाईअड्डे

532. श्री कीरेन रिजीजू :
श्री धर्मेन्द्र प्रधान :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर राज्यों में नए विमानपत्तनों का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में उपर्युक्त राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार को अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर और तवांग, सिक्किम में पेक्यांग, नागालैण्ड में चीथू तथा असम में कोकराझार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। सिक्किम राज्य सरकार द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है और राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई है। ईटानगर और चीथू के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाए जाने की तैयारी करने के लिए कार्रवाई भी आरंभ कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, कोकराझार एवं तवांग में प्रस्तावित एयरपोर्टों के संबंध में व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए परामर्शदाता नियुक्त किए जाने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।

झांसी-कानपुर रेल खंड पर रेलमार्ग का दोहरीकरण

533. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को उत्तर प्रदेश में झांसी-कानपुर रेलखंड पर रेल मार्ग के दोहरीकरण का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस रेल खंड का सर्वेक्षण कार्य शुरू हो गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) झांसी-कानपुर (220 कि.मी.) रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। कानपुर-भीमसेन (11 कि.मी.) का दोहरीकरण कार्य शुरू कर दिया गया है। भीमसेन-झांसी खंड पर यातायात का स्तर इसके दोहरीकरण के लिए औचित्यपूर्ण नहीं है। दोहरीकरण के लिए कोई सर्वेक्षण शुरू नहीं किया गया है।

रेलवे सेवाओं में महिला कर्मचारी

534. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार रेलवे सेवाओं में महिला कर्मचारियों की भागीदारी बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए कोई कार्य योजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार रेलवे सेवाओं में वर्तमान में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कार्य योजना के अनुसार महिला कर्मचारियों की अनुमानित संख्या क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 31.3.2006 को उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार रेलवे में कुल 75,091 (पचहत्तर हजार इक्यानवे) महिला कर्मचारी कार्यरत हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में नया रेल मार्ग

535. श्री पुष्प जैन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान के लिए रेल बजट–2005–06 में कितने नए रेलमार्गों का प्रस्ताव है;

(ख) इन रेलमार्गों के सर्वेक्षण हेतु रेलवे ने क्या समय–सीमा निर्धारित की है;

(ग) भारत में रेल नेटवर्क का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) रेलमार्ग के संबंध में राजस्थान की स्थिति क्या है तथा अन्य राज्यों के साथ राजस्थान की रेल संपर्कता का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) राजस्थान के लिए रेल बजट 2005–06 में नई रेल लाइन का कोई प्रस्ताव शामिल नहीं किया गया है। नई लाइन के लिए दो सर्वेक्षण कार्य बजट 2005–06 में शामिल किए गए हैं।

(ख) 2007–08

(ग) और (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भारत में राज्य–वार रेल नेटवर्क का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र सं.	राज्य का नाम	31.03.2006 को मार्ग कि.मी.
1	2	3
1	आन्ध्र प्रदेश	5185.10
2	अरुणाचल प्रदेश	1.26
3	असम	2284.28
4	बिहार	3330.41
5	छत्तीसगढ़	1186.10
6	दिल्ली	204.22
7	गोवा	69.00
8	गुजरात	5282.87
9	हरियाणा	1595.00
10	हिमाचल प्रदेश	285.01
11	जम्मू और कश्मीर	137.77
12	झारखंड	1954.83
13	कर्नाटक	3002.83
14	केरल	1050.20
15	मध्य प्रदेश	4903.16
16	महाराष्ट्र	5527.98
17	मणिपुर	1.35
18	मेघालय	0.00
19	मिजोरम	1.50
20	नागालैंड	12.85
21	उड़ीसा	2281.47
22	पंजाब	2133.41
23	राजस्थान	5837.99
24	सिक्किम	0.00
25	तमिलनाडु	4170.86
26	त्रिपुरा	64.42
27	उत्तर प्रदेश	8546.36
28	उत्तराखंड	344.92
2	पश्चिम बंगाल	3910.73
संघशासित प्रदेश		
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00
2	चंडीगढ़	15.70
3	दादर एवं नागर हवेली	0.00
4	दमन एवं दीव	0.00
5	लक्षद्वीप	0.00
6	पांडिचेरी	11.10
	सम्पूर्ण भारत	63332.13

राजस्थान रेलों द्वारा अन्य राज्यों के साथ जुड़ा है।

आन्ध्र प्रदेश में नया रेल मार्ग

536. श्री एम. अंजनकुमार यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश में बिछाए जाने वाले प्रस्तावित रेल मार्ग की लंबाई कितनी है;

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर ये रेल मार्ग बिछाए जाने की संभावना है; और

(ग) आंध्र प्रदेश में उन रेल मार्गों का ब्यौरा क्या है जिन्हें ब्रॉड गेज में बदले जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश में अंशतः/पूर्णतः पड़ने वाले नई लाइन, दोहरीकरण और आमान परिवर्तन संबंधी कार्य जिन्हें 2007–08 में पूरा किए जाने का लक्ष्य है, निम्नलिखित हैं :

(i) जग्गयापेट्टा–मल्लचेरूतु (19 कि.मी.) नई लाइन;

(ii) गुटुर–कृष्ण केनल (27 कि.मी.) दोहरीकरण;

(iii) गुंतकल–कलुरू (40 कि.मी.) आमान परिवर्तन; और

(iv) धर्मावरम–पकाला आमान परिवर्तन का पकाला–मदनपल्ली (82 कि.मी.) खंड।

विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विशेष योजनाएं

537. श्री पंकज चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के पास रेलगाड़ियों में यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या के संबंध में कोई आंकड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इनसे रेलवे को कितनी आय प्राप्त हुई है;

(ग) क्या रेलवे विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कोई विशेष योजना तैयार करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भारतीय रेल ने पर्यटन उन्नयन के उपाय के रूप में 1977 में इड रेल पास योजना शुरू की थी। ये पास विदेशी नागरिकों तथा अप्रवास भारतीयों द्वारा यू एस डॉलरों, स्टर्लिंग पाउंड्स तथा यूरो करेंसी के भुगतान करने पर दिए जाते हैं। पासधारी संपूर्ण भारतीय रेल नेटवर्क पर वैधता की अवधि के दौरान और जारी की गयी श्रेणी में यात्रा करने के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय रेल ने विदेशी पर्यटकों सहित पर्यटकों के लिए छहः लक्जरी पर्यटन गाड़ियां चलायी हैं अर्थात् राजस्थान क्षेत्र में पैलेस ऑन व्हील्स, हैरिटेज ऑन व्हील्स, दिल्ली–अलवर क्षेत्र में स्टीम सफारी ट्रेन–फेयरी क्वीन, महाराष्ट्र क्षेत्र में डेक्कन ऑडिसी तथा भगवान बुद्ध से संबंधित स्थानों के लिए बुद्धिस्ट स्पेशल। उपरोक्त के अतिरिक्त, कर्नाटक और राजस्थान में दो नयी लक्जरी पर्यटन गाड़ियां भी पर्यटन वर्ष 2007–08 में चलायी जा सकती हैं। पंजाब क्षेत्र में एक लक्जरी पर्यटन गाड़ी भी अनुमोदित की गयी है। इन लक्जरी पर्यटन गाड़ी सुविधाओं का लाभ विदेशी पर्यटकों द्वारा उठाया जाता है।

[अनुवाद]

बरौनी तेलशोधक कारखाने का आधुनिकीकरण तथा मूल्यवर्धन

538. श्री राम कृपाल यादव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास इंडियन आयल कार्पोरेशन के बरौनी तेलशोधक कारखाने के आधुनिकीकरण तथा मूल्य वर्धन की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस योजना पर कितना व्यय होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ग) इंडियन आयल कार्पोरेशन (आईओसी) बरौनी रिफाइनरी में निम्नलिखित आधुनिकीकरण/मूल्य वर्धन परियोजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं :

क्र.सं.	परियोजना और उद्देश्य	अनुमानित लागत (रु. करोड़ में)	पूरा होने की प्रत्याशित तारीख
1.	यूरो–3 समतुल्य विनिर्देशों का पालन करने वाले एमएस के उत्पादन के लिए मोटर स्पिरिट (एमएस) गुणवत्ता सुधार परियोजना	1000.00	दिसंबर, 09
2.	यूरो–3 समतुल्य विनिर्देशों का पालन करने वाले उच्च वेग डीजल (एचएसडी) का उत्पादन करने के लिए डीजल हाईड्रोट्रीटर (डीएचडीटी) में तीसरे रिएक्टर की स्थापना।	84.00	दिसंबर, 08

[हिन्दी]

बगहा रेलवे स्टेशन पर गाड़ी का ठहराव

539. श्री कैलाश बैठा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बापूधाम मोतिहारी से वाराणसी होकर मादवाडिही तक शुरू की गयी नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को बगहा रेलवे स्टेशन पर ठहराव नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त रेलगाड़ी का बगहा रेलवे स्टेशन पर ठहराव करने के प्रावधान पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) प्रस्तावित 2537/2538 बापूधाम (मोतीहारी)–मादवाडिही एक्सप्रेस की सुपरफास्ट प्रकृति को ध्यान में रखते हुए बगहा स्टेशन पर इस गाड़ी को ठहराव नहीं दिया गया है ताकि मार्गवर्ती ठहरावों की निकटता से बचा जा सके। नरकटियागंज (42 कि.मी. दूर) स्टेशन पर इस गाड़ी का ठहराव निर्धारित है।

रेल लाइन का विद्युतीकरण

540. श्री गणेश सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे के विद्युतीकरण रेल मार्ग की कुल लंबाई (किलोमीटर में) कितनी है;

(ख) आज की तिथि के अनुसार गैर–विद्युतीकरण रेल मार्ग की कुल लंबाई (किलोमीटर में) कितनी है;

(ग) क्या रेलवे के पास शेष रेलमार्गों को भी विद्युतीकृत करने की योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) 31.03.2006 को 17,907 मार्ग किलोमीटर विद्युतीकृत और 45,425 मार्ग किलोमीटर गैर विद्युतीकृत है।

(ग) और (घ) रेल मार्गों का विद्युतीकरण एक आवश्यकता आधारित प्रक्रिया है जिसकी लगातार समीक्षा की जाती है। रेल विद्युतीकरण में निवेश प्रणाली की आवश्यकता के आधार पर होता है और जिन खंडों पर विद्युतीकरण आवश्यक समझा जाता है, पर विद्युतीकरण शुरू किया जाता है।

[अनुवाद]

प्राचीन तमिल हेतु केन्द्रीय संस्थान

541. श्री के.सी. पल्लानी शामी :
श्री ई.जी. सुगावनम :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्राचीन तमिल हेतु केन्द्रीय संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे स्थापित करने के लिए किन स्थानों की पहचान की गयी है;

(ग) उक्त संस्थान को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या प्राचीन तमिल साहित्यकारों की स्मृति में अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किए जाने का भी प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्री अम्बिका सोनी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) चेन्नै में केन्द्रीय श्रेण्य तमिल संस्थान (सी आई सी टी) स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। 2007–12 के दौरान 149.69 करोड़ रुपए का व्यय किए जाने की आशा है।

(घ) और (ङ) मौजूदा 'तमिल भाषा के विकास संबंधी केन्द्रीय योजना स्कीम' केन्द्रीय श्रेण्य तमिल संस्थान को हस्तांतरित की जाएगी। इस स्कीम में भारतीय विद्वान के लिए एक आजीवन उपलब्धि पुरस्कार तथा भारतीय मूल और गैर–भारतीय मूल के लिए एक–एक अर्थात् दो आजीवन उपलब्धि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रावधान है। इन पुरस्कारों का नाम बदलकर क्रमशः तिरूवलुवार पुरस्कार तथा तोलकापियार पुरस्कार करने का प्रस्ताव है।

कराड रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियों का ठहराव

542. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य रेल में हाल ही में कोल्हापुर से अहमदाबाद तक एक साप्ताहिक रेलगाड़ी शुरू की गयी है;

(ख) क्या इस रेलगाड़ी का कराड रेलवे स्टेशन पर ठहराव नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या कराड़ रेलवे स्टेशन पर इस रेलगाड़ी का ठहराव करने की कोई मांग की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो कराड स्टेशन पर इस रेलगाड़ी का ठहराव कराने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां। 07.07.2007 से 1049/1050 श्री छत्रपति साहू महाराज (टी)–अहमदाबाद एक्सप्रेस (साप्ताहिक) चलाई गई है।

(ख) जी हां। 1049/1050 श्री छत्रपति साहू महाराज (टी)–अहमदाबाद एक्सप्रेस (साप्ताहिक) कराड स्टेशन पर नहीं ठहरती है।

(ग) जी हां।

(घ) जांच की गयी, लेकिन प्रस्ताव को न तो वाणिज्यिक दृष्टि से और न ही परिचालनिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण पाया गया।

[हिन्दी]

आनन्दपुर साहिब और पटना साहिब के बीच नई रेलगाड़ी

543. श्री अविनाश राय खन्ना : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार आनन्दपुर साहिब और पटना साहिब के बीच एक नई रेलगाड़ी शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का निदेशक मंडल

544. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के निदेशक मंडल की नियुक्ति हेतु दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसे पद धारण करने के लिए सरकार ने आवश्यक शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता संबंधी अर्हता मानदण्ड तय किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार सरकारी निदेशकों के लिए ऐसा मानदण्ड निर्धारित करने का है;

(च) यदि हां, तो क्या उनके होने से सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की स्वायत्तता पर असर पड़ता है; और

(छ) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बोर्ड में सरकारी निदेशकों के कार्य–निष्पादन का सरकार किस प्रकार आकलन करती है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडलों में कार्यकारी, सरकारी एवं गैर–सरकारी निदेशक शामिल होते हैं। कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा लोक उद्यम चयन बोर्ड (पी.ई.एस.बी.) की अनुशंसाओं के आधार पर तथा सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद की जाती है। नामित निदेशकों को चुनने का अधिकार सम्बंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को प्राप्त है। गैर सरकारी निदेशकों की नियुक्ति संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा खोज समिति/पी.ई.एस.बी. की अनुशंसाओं के आधार पर तथा सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद की जाती है।

(ख) से (घ) कार्यकारी निदेशकों के मामले में शैक्षणिक योग्यताओं तथा अनुभव के संबंध में एक मानक व्यवस्था (फार्मूला) बनायी गई है जिसमें निदेशक मंडल स्तर के किसी खास पद की विशिष्ट अपेक्षाओं को ध्यान में रखा जाता है। सरकार ने केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों में अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशकों की नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता, आयु तथा अनुभव से संबंधित विशिष्ट मानदण्डों का निर्धारण किया है। गैर–सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अन्य बातों के साथ–साथ किसी व्यक्ति की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की होनी चाहिए।

(ङ) और (च) सरकारी निदेशक सामान्य तौर पर संबंधित उद्यमों के कार्यों की देख–रेख करने वाले अधिकारी होते हैं। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडलों से सरकारी अधिकारियों की संबद्धता से सम्पर्क बनाए रखने तथा सरकार एवं सरकारी उद्यमों के बीच सम्प्रेषण का एक माध्यम निर्मित करने का अवसर प्राप्त होता है।

(छ) सरकारी निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के जरिए सरकार द्वारा किया जाता है।

[हिन्दी]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा लम्बे उत्पादों का उत्पादन

545. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) भविष्य में निर्माण कार्यों में इस्तेमाल में लाए जाने वाले लम्बे उत्पादों तथा सपाट उत्पादों का उत्पादन बढ़ाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गांवों में शहरी क्षेत्रों के समान मूल्य पर इस्पात तथा अन्य उत्पादों को उपलब्ध कराने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास) : (क) और (ख) स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) की निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाले लम्बे उत्पादों (थर्मोमैकेनिकली ट्रीटिड (टी एम टी) बार) के अपने उत्पादन में वृद्धि करने की योजना है। सेल के विभिन्न इस्पात संयंत्रों में वर्ष 2010–2011 तक के लिए टी एम टी हेतु विस्तार/आधुनिकीकरण योजना निम्नानुसार है :–

(i) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में 0.7 मिलियन टन वार्षिक क्षमता की नई बार एंड रॉड मिल स्थापित करना।

(ii) इस्को स्टील प्लांट में 0.45 मिलियन टन वार्षिक क्षमता की नई वायर राड तथा बार मिल स्थापित करना।

(iii) भिलाई इस्पात संयंत्र की टी एम टी बार मिल की क्षमता बढ़ाकर 0.655 मिलियन टन करना।

(ग) और (घ) ग्रामीण क्षेत्र में इस्पात आसानी से उपलब्ध कराने के लिए सेल सभी प्रयास कर रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में सेल ने विशिष्ट तरीके से ग्रामीण बाजार में प्रवेश किया है।

ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्धता में सुधार करने के लिए सेल की चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के अंत तक भारत के प्रत्येक ज़िले में सेल का एक डीलर नियुक्त करने की योजना है।

ग्रामीण क्षेत्र में शीघ्र प्रेषण के लिए सेल ने अपनी परिवहन व्यवस्था के जरिए डीलर के परिसर में बिना लागत के सामग्री की ढुलाई की व्यवस्था भी की है। ग्रामीण क्षेत्रों सहित शहरी और अन्य स्थानों के बीच मूल्य में समानता बनाए रखने के लिए कोई निर्देशित मूल्य नियंत्रण तंत्र नहीं है तथापि सेल जिला डीलरों के लिए अपनी बिना लागत की परिवहन प्रणाली के लिए यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है कि उस राज्य में शहरी क्षेत्रों में अन्य (ग्रामीण सहित) स्थानों में सामग्री की उतराई तक की लागत समान रहे।

[अनुवाद]

यूपीडीएल को वित्तीय पैकेज

546. श्री जोआकिम बलला : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तपेदिक की दवाओं के विनिर्माण हेतु कच्ची सामग्री की आपूर्ति के बदले लघु दवा विनिर्माताओं की बकाया राशि के भुगतान के लिए उत्तर प्रदेश ड्रग फार्मास्यूटिकल लिमिटेड (यूपीडीपीएल) अथवा किसी अन्य राज्य को वित्तीय पैकेज दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लघु इकाइयों को उनकी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा अविलम्ब इस पैकेज का पूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) से (ङ) भारत सरकार ने औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा अगस्त, 2002 से मंजूर पुनर्वास योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. (यूपीडीएल) को 10 करोड़ रु. का अनुदान जारी किया था। बीआईएफआर द्वारा मंजूर पुनर्वास पैकेज में बैंकों, तकाजा करने वाले ऋणदाताओं, सांविधिक देयताओं तथा पूंजीगत व्यय के एक बारगी निपटान हेतु भुगतान शामिल हैं।

कोर्णाक और पुरी मंदिर

547. श्री अर्जुन सेठी :
श्री जुएल ओराम :
श्री तथागत सत्पथी :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ए एस आई ने उड़ीसा में विश्व प्रसिद्ध कोर्णाक मंदिर के भीतरी भाग में उसकी सुरक्षा के लिए भरे गए बालू को हटाने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो इससे मन्दिर को क्या नुकसान पहुंचने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने उड़ीसा में सूर्य मन्दिर, कोर्णाक तथा जगन्नाथ मन्दिर, पुरी का पुनरूद्धार करने का भी निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस उद्देश्य के लिए कितनी राशि खर्च किए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क)

और (ख) इस समय सूर्य मंदिर, कोर्णाक, उड़ीसा के जगमोहन के भीतर भरी रेत को हटाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) और (घ) दिन प्रतिदिन के रखरखाव के अतिरिक्त सूर्य मंदिर के जगमोहन को मजबूत बनाने के लिए अपेक्षित जांच, विश्लेषण तथा मिलते–जुलते डिजायन के आधार पर रासायनिक परिरक्षण तथा पर्यावरण संबंधी विकास के लिए एक दीर्घावधि संरक्षण नीति पर सक्रिय रूप से विचार विमर्श किया जा रहा है। इसमें भूकंपीय प्रभाव को रोकने के उपाय भी शामिल होंगे।

पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर के जगमोहन के पलस्तर को हटाने का निर्णय भी लिया गया है जो इस संरक्षित स्मारक के संरक्षण से संबंधित सभी मामलों की जांच के लिए गठित एक तकनीकी समिति के पर्यवेक्षण में किया जाएगा।

(ङ) चालू वित्तीय वर्ष में इन स्मारकों के संरक्षण, परिरक्षण तथा पर्यावरण संबंधी विकास के लिए निर्धारित धनराशि का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	मंदिर	निम्न के लिए निर्धारित धनराशि		
		संरचनात्मक संरक्षण	रासायनिक परिरक्षण	पर्यावरण संबंधी विकास
1.	सूर्य मंदिर, कोर्णाक	52.49 लाख रुपए	7.50 लाख रुपए	6.00 लाख रुपए
2.	जगन्नाथ मंदिर, पुरी	22.75 लाख रुपए	8.00 लाख रुपए	3.00 लाख रुपए

नामरूप उर्वरक संयंत्र

548. श्री सुव्रत बोस : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नामरूप उर्वरक संयंत्र (नामरूप–IV) की एक और इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कितनी अतिरिक्त क्षमता अधिष्ठापित की जाएगी, इसकी अनुमानित लागत कितनी होगी तथा क्रियान्वयन हेतु समय–सीमा क्या होगी?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशनों पर निःशक्तों को आबंटित टेलीफोन बूथों का आबंटन रद्द किया जाना

549. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विकलांग व्यक्तियों को रेलवे प्लेटफार्मों/स्टेशनों पर आबंटित विशेष टेलीफोन बूथों के ठेके रद्द किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस निर्णय से 10000 से अधिक निःशक्त व्यक्ति अपनी आजीविका के साधन को गंवा बैठेंगे;

(घ) यदि हां, तो क्या रेलवे का विचार उनके ठेकों का रद्द करने से पहले उन्हें अन्य रोजगार देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं। ठेके को 27.10.2007 तक बढ़ाने के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

गरीब रथ रेल सेवा का विस्तार

550. श्री वसंतराव भोरे : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'गरीब रथ' रेलगाड़ी सेवा को आदिवासी क्षेत्रों तक बढ़ाया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक बढ़ाए जाने की संभावना है;

(ग) क्या रेलवे का विचार अधिक यात्री संख्या वाले मार्गों पर 'गरीब रथ' शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रेलवे का विचार नई दिल्ली से महाराष्ट्र के आदिवासी बहुल क्षेत्र, नन्दूरबार के लिए गरीब रथ शुरू करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) भारतीय रेल में गरीब रथ रेल सेवाओं सहित गाड़ियों को शुरू करना/विस्तार करना एक सतत् प्रक्रिया है बशर्ते कि परिचालनिक संभाव्यता, संसाधन की उपलब्धता और यातायात औचित्य हो। भारतीय रेल जनजातीय क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सक्रिय है और उसका निम्नलिखित गरीब रथ सेवाओं को शुरू करने का प्रस्ताव है जो कि अन्य क्षेत्रों के साथ–साथ इन क्षेत्रों को भी सेवा प्रदान करेंगी :–

1. 2993/2994 जयपुर बांद्रा (टी) गरीब रथ एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन दिन)

2. 2831/2832 भुवनेश्वर–रांची गरीब रथ एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन दिन)

3. 2517/2518 कोलकाता–गुवाहाटी गरीब रथ एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन)

4. 2535/2536 रायपुर–लखनऊ गरीब रथ एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन)

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

लौह अयस्क की कीमतें

551. श्री के.एस. राव : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रक्षित लौह अयस्क खानों वाली तथा बिना ऐसी खानों वाली घरेलू इस्पात निर्माण कम्पनियों से लिए जाने वाले लौह अयस्क की कीमतों में कितना अंतर है; और

(ख) रक्षित लौह अयस्क खानों वाली तथा बिना ऐसी खानों वाली कम्पनियों द्वारा इस्पात का कितना उत्पादन किया जाता है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रति टन इस्पात उत्पादन की लागत कितनी रही है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास) : (क) जहां तक इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रम मिनरल डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड तथा उड़ीसा मिनरल डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन बर्ड ग्रुप कंपनियों में से एक कंपनी) का संबंध है, निजी लौह अयस्क खानों वाली तथा बिना ऐसी खानों वाली घरेलू इस्पात उत्पादक कंपनियों से ली जाने वाली लौह अयस्क की कीमत समान है और इसमें कोई अंतर नहीं है। निजी खान मालिकों द्वारा ली जाने वाली लौह अयस्क की कीमत संबंधी आंकड़े यह मंत्रालय नहीं रखता है।

(ख) संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार पिछले 3 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में देश में अपरिष्कृत इस्पात का कुल उत्पादन निम्नानुसार है :

मात्रा मिलियन टन

क्र.सं.	वर्ष	अपरिष्कृत इस्पात का उत्पादन
1.	2004–05	43.44
2.	2005–06	46.46
3.	2006–07 (अनंतिम)	50.85

प्रति टन इस्पात उत्पादन की लागत बताना इस्पात उत्पादकों के वाणिज्यिक हित में नहीं होगा अतः इससे संबंधित आंकड़े मंत्रालय में उपलब्ध नहीं हैं।

बंद उर्वरक संयंत्रों को पुनः चालू करना

552. श्री तथागत सत्पथी : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में तालचेर सहित बंद उर्वरक संयंत्रों को पुनः चालू करने के काम में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार का बंद उर्वरक संयंत्रों को पुनः चालू करने हेतु निजी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) कई संयंत्रों द्वारा कब से उत्पादन शुरू किया जाएगा?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) से (ग) सरकार ने गैस की सुनिश्चित उपलब्धता के अध्यधीन एफसीआईएल की तलचर इकाई सहित फर्टिलाइजर कारपोरेशन और इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) के बंद उर्वरक संयंत्रों के पुनरूद्धार की संभावना की जांच करने का सैद्धांतिक रूप से निर्णय लिया है। कार्यान्वयन के लिए सरकार ने निर्णय की सूचना एफसीआईएल और एचएफसीएल को दे दी गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक उपक्रमों/सहकारी समिति–राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ), नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) और कृषक भारती–कोऑपरेटिव लिमिटेड (कृभको) ने एफसीआईएल और एचएफसीएल की कछ इकाइयों के पुनरूद्धार की प्रक्रिया में भागदारी के लिए अपनी रूचि अभिव्यक्त की है और तदनुसार प्रौद्योगिक आर्थिक व्यवहार्यता–रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस स्तर पर पुनरूद्धार प्रक्रिया में निजी क्षेत्र को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। चूंकि एचएफसीएल और एफसीआईएल की बंद पड़ी हुई इकाइयों का पुनरूद्धार प्रक्रिया की ओर उन्मुख है, अतः उनके पुनरूद्धार के बारे में निश्चित समय सीमा बताना व्यवहार्य नहीं होगा।

हॉल्ट स्टेशनों का कार्यनिष्पादन

553. श्री नरहरि महतो : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार आद्रा मंडल (दक्षिण पूर्व रेलवे) में हॉल्ट स्टेशनों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान रेलवे द्वारा इन हॉल्ट स्टेशनों से कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(ग) क्या इस मंडल में कुछ रेलवे हॉल्ट स्टेशन ऐसे हैं जो घाटे में चल रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में कुल 24 हॉल्ट स्टेशन हैं।

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान इन हॉल्ट स्टेशनों से आमदनी लगभग 62.21 लाख रुपए है।

(ग) और (घ) एक 'हॉल्ट स्टेशन' को अलाभप्रद तभी समझा जाता है जब शाखा लाइनों पर यात्रियों की संख्या 25 प्रतिदिन (बाहरी) से तथा प्रमुख लाइनों पर 50 प्रतिदिन (बाहरी) से कम हो। समय-समय पर जिन हॉल्ट स्टेशनों पर बहुत कम यात्री आते हैं, को बंद कर दिया जाता है।

नई मुक्त आकाश नीति

554. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नई मुक्त आकाश नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या है;

(ग) क्या इन नीति के निर्माण से उड्डयन उद्योग को लाभ पहुंचने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

पेट्रोलियम नियमों के अंतर्गत शिप रिसाइक्लिंग क्रियाकलापों को शामिल करना

555. श्रीमती जयावहन वी. ठक्कर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार ने पेट्रोलियम नियम, 2002 के नियम 43 के अंतर्गत शिप रिसाइक्लिंग क्रियाकलापों को शामिल करने हेतु केन्द्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) जी हां। जहाज तोड़ने के क्रियाकलापों को शामिल करने हेतु पेट्रोलियम नियम, 2002 में संशोधन करने के लिए गुजरात सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(ग) जहाज तोड़ने के क्रियाकलापों को शामिल करने के लिए दिनांक 2 फरवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 61 (ङ) के द्वारा पेट्रोलियम नियम, 2002 में संशोधन कर दिया गया है।

[हिन्दी]

बैलेएसा क्रासिंग संख्या 29 ए पर सड़क उपरि पुल

556. चौ. मुनव्वर हसन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2006-07 में आजमगढ़ सरायरानी में बैलेएसा क्रासिंग (संख्या 29 ए) पर सड़क उपरि पुल के निर्माण हेतु आबंटित 50 लाख रुपए की राशि में से अब तक कितनी राशि काम को पूरा करने के लिए प्रयुक्त की गयी है;

(ख) क्या अब तक उक्त सड़क उपरि पुल का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) रेलवे द्वारा कब तक उक्त निर्माण कार्य शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं। अभी तक कोई खर्च वहन नहीं किया गया है।

(ख) जी हां। निर्माण (वास्तविक) कार्य शुरू नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार ने अभी अनुमान और संरचनात्मक विवरण प्रस्तुत नहीं किया है जिसके प्राप्त होने पर विस्तृत अनुमान तैयार किया जाएगा और निर्माण कार्य आरंभ किया जाएगा। अतः वास्तविक निर्माण कार्य शुरू करने का समय राज्य सरकार द्वारा ब्यौरा प्रस्तुत किए जाने पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत एन एस एफ डी सी द्वारा ऋण

557. श्रीमती के. रानी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2007–08 के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एन एस एफ डी सी) द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जारी ऋणों/सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार तथा योजना–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इससे कितने लोग लाभान्वित होंगे; और

(ग) राज्यों विशेषतः तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में चालू/शुरू की जाने वाली नई योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है जिसके लिए एन एस एफ डी सी व्यक्तियों/समूहों को वित्त पोषण उपलब्ध करा रहा है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (ग) वर्ष 2007–08 के दौरान (अप्रैल से जुलाई, 2007) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत एन एस एफ डी सी द्वारा जारी ऋणों/सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरा, उससे लाभान्वित व्यक्तियों और तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक राज्यों के लिए एन एस एफ डी सी की वित्त पोषण योजनाओं के अन्तर्गत चल रही तथा स्वीकृत परियोजना का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

2007–08 (अप्रैल से जुलाई, 2007 तक) में एन एस एफ डी सी द्वारा जारी ऋण/सहायता का ब्यौरा और उससे लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवधिक ऋण		एमसीएफ		एमएसवाई		कुल	
		जारी राशि (लाख रुपए में)	लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या	जारी राशि (लाख रुपए में)	लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या	जारी राशि (लाख रुपए में)	लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या	जारी राशि (लाख रुपए में)	लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	620.59	679	0.00	0	0.00	0	620.59	679
2.	चंडीगढ़	3.34	10	0.00	0	0.00	0	3.34	10
3.	गुजरात	0.00	0	58.05	215	0.00	0	58.05	215
4.	हरियाणा	5.95	7	0.00	0	0.00	0	5.95	7
5.	केरल	5.20	5	21.75	145	16.95	113	43.90	263
6.	महाराष्ट्र	252.34	161	24.00	120	26.00	130	302.34	411
7.	पांडिचेरी	121.28	134	8.55	57	17.25	115	147.08	306
8.	राजस्थान	28.64	24	0.00	0	0.00	0	28.64	24
9.	तमिलनाडु	133.90	206	0.00	0	0.00	0	133.90	206
10.	त्रिपुरा	0.00	0	0.00	0	3.75	25	3.75	25
	कुल	1171.24	1226	112.35	537	63.95	383	1347.54	2146

चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा जिसमें वर्ष 2007–08 (अप्रैल से जुलाई, 2007 तक) में तमिलनाडु, कर्नाटक तथा केरल राज्यों में एन एस एफ डी सी की वैयक्तिक/समूह योजनाओं के अन्तर्गत जारी निधियां और स्वीकृत परियोजनाएं

क्रम सं.	राज्य का नाम	चल रही परियोजनाएं	स्वीकृत परियोजनाएं
1.	तमिलनाडु	ऑटो (एलपीजी)	शून्य
2.	केरल	क्रेडिट वित्त और महिला समृद्धि योजना	माइक्रो क्रेडिट वित्त
3.	कर्नाटक	शून्य	लघु दुग्ध व्यवसाय, हार्डवेयर दुकान, टाटा पिकअप वैन, आटो रिक्शा

गैस की कीमतें

558. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे :
श्री तुकाराम गंगाधर गदाख :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में पाइपलाइन के माध्यम से आपूर्ति की जा रही गैस की कीमतों की समीक्षा के लिए कोई समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति द्वारा क्या सुझाव दिए गए हैं/सिफारिशें की गई हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इससे उपभोक्ताओं को कितना लाभ मिलने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में सांस्कृतिक परिसर

559. श्री पी.सी थामस : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुमारानासन स्मारक सांस्कृतिक परिसर, पल्लारा, चत्ताम्पिस्वामी मेमोरियल कल्चरल काम्प्लेक्स, त्रिवेन्द्रम तथा केरल कलामडिलम के कोडियेट्टम के संरक्षण तथा संवर्धन हेतु परियोजना प्रस्ताव सरकार के समक्ष लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ग) बहुउद्देश्यीय सांस्कृतिक परिसर स्कीम, जो 31.3.2007 तक विद्यमान थी, को चालू वित्त वर्ष से योजना आयोग द्वारा बंद कर दिया गया है। तदनुसार, मई, 2007 में प्राप्त पल्लारा में कुमारनासन स्मारक सांस्कृतिक परिसर से संबंधित प्रस्ताव लौटा दिया गया। त्रिवेन्द्रम में चत्ताम्पिस्वामी स्मारक परिसर से संबंधित कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। कोडियट्टम नाम से प्रस्ताव का पता नहीं चल सका। तथापि, केरल कलामंडलम कला एवं संस्कृति समविश्वविद्यालय ने कुट्टियट्टम के संवर्धन के लिए विश्वविद्यालय में कला और संस्कृति संबंधी स्नातकोत्तर (पी जी) और वाचस्पति (पी एच डी) पाठ्यक्रम शुरू करने संबंधी एक प्रस्ताव अग्रेषित किया था। तथापि, यह प्रस्ताव संस्कृति मंत्रालय की मौजूदा "मानवता की अमूर्त विरासत की उत्कृष्ट कृतियों की सुरक्षा एवं सहायता हेतु वित्तीय सहायता की स्कीम" के तहत नहीं आता है।

रेल आरक्षण योजना

560. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की अवधि पुनः 90 से 60 दिन कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे को छोटे शहरों विशेषतः तमिलनाडु में यात्री आरक्षण प्रणाली केन्द्रों की अपर्याप्तता के कारण यात्रियों को हो रही कठिनाइयों की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य में और पी आर एस केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) बुकिंग पैटर्न तथा क्षेत्रीय रेलों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर रेल आरक्षण के लिए अग्रिम आरक्षण अवधि 15.07.2007 से 90 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी गयी है।

(ग) छोटे शहरों सहित तमिलनाडु राज्य में 99 यात्री आरक्षण प्रणालियां कार्य कर रही हैं।

(घ) और (ङ) तमिलनाडु राज्य में स्थित लगभग 76 और स्टेशनों पर अनारक्षित टिकटिंग के लिए यात्री आरक्षण प्रणाली (पी आर एस–एवं यू टी एस) सुविधाएं स्वीकृत की गयी हैं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

न्यून दर पर बोतलबंद पेयजल की उपलब्धता

561. श्री राकेश सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम मध्य रेलवे जोन के अन्तर्गत जबलपुर मंडल की अपने स्तर पर समस्त रेलवे क्षेत्र में जलापूर्ति की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का विचार प्लेटफार्मों पर बिकने वाले मंहगे मिनरल वॉटर के स्थान पर न्यून दरों पर बोतलबंद पेयजल उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) इस समय जबलपुर मंडल के अधिकांश रेलवे स्टेशनों को रेलवे के अपने स्रोतों द्वारा नलों अथवा हैंड पंप के जरिए पानी की सप्लाई की जा रही है। बहरहाल, कुछ स्टेशनों पर पानी की सप्लाई नगर निगम/स्थानीय निकायों द्वारा की जाती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कोल्लम-सेनोगोट्टाई मीटर गेज (एम जी) लाइन

562. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को कोल्लम–सेनागोट्टाई मीटर गेज (एम जी) लाइन के आमान परिवर्तन कार्य, जिसे वर्ष 1998 में शुरू किया गया था, की धीमी प्रगति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) रेलवे द्वारा इस परियोजना को जल्दी पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) कोल्लम (कोलन) – सेनोगोट्टाई मीटर लाइन का आमान परिवर्तन कोलन–तिरूनेलवेली–तिरूचेंबुर और तेनकासी विरूधनगर आमान परिवर्तन परियोजना (357–किमी.) का हिस्सा है। इस परियोजना पर 130 कि. मी. खंड का आमान परिवर्तन पहले ही पूरा हो चुका है और कोलन–पुनलूर (45 कि.मी.) और तिरूनेलवेली–तिरूचेंबुर (61–कि.मी.) के आमान परिवर्तन कार्य को वर्ष 2007–08 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है। पुनलूर–सेनगोट्टाई (49 कि.मी.) एक घाट खंड है जहां अंतिम स्थान सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और विस्तृत अनुमत तैयार किया जा रहा है। इस खंड के आमान परिवर्तन को पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

रेलवे स्टेशनों पर वीडियो रिकार्डिंग कैमरा नेटवर्क स्थापित करना

563. श्री मिलिन्द देवरा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने रेलवे स्टेशनों पर 2700 वीडियो रिकार्डिंग कैमरा नेटवर्क स्थापित करने को अपनी मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन रेलवे स्टेशनों की भीड़भाड वाली प्रवृत्ति और 2700 कैमरों से कवर किए जान वाले स्टेशनों की संख्या को देखते हुए ऐसे कैमरे स्थापित करना व्यावहारिक होगा;

(घ) यदि हां, तो रेलवे की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) कैमरे स्थापित करने की समस्त प्रक्रिया कब तक पूरी होने की संभावना है और इन कैमरों को स्थपित करने में कुल कितना खर्च होने की संभावना है: और

(च) ऐसे कैमरों की स्थापना से प्राधिकरण को दोषियों को पकड़ने में किस हद तक सहायता मिलेगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) रेलवे बोर्ड द्वारा रेलवे स्टेशनों पर 2700 नेटवर्क वीडियो रिकार्डिंग कैमरे संस्थापित करने के लिए कोई विशिष्ट स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है।

(ग) और (घ) क्लोज सर्किट टेलीविजनों और कैमरों के संस्थापन के लिए स्टेशनों का चयन आतंकवादी खतरों की धारणा के आधार पर किया गया है और वर्ष 2006–07 के दौरान निम्नलिखित स्टेशनों पर क्लोज सर्किट टेलीविजन और कैमरों की सुविधाएं मुहैया करायी गयी है। क्षेत्रीय रेलों के शेष महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर इसकी सुविधा प्रदान की दी जायेगी बशर्ते कि पर्याप्त निधि उपलब्ध हो।

राज्य	रेलवे स्टेशनों के नाम	किए गए खर्च
बिहार	पटना, मुज्जफरपुर, समस्तीपुर	रु. 27,32,000.00
तमिलनाडु	चेन्नै, एग्मोर, त्रिवेन्द्रम, एर्नाकुलम, त्रिचूर	रु. 42,00,000.00
महाराष्ट्र	मनमाड, नासिक रोड, नागपुर, दादर, कुर्ला, थाणे, कल्याण, वासी, नांदेड	रु. 18,52,058.00
उड़ीसा	विशाखापट्टनम	रु. 1,98,100.00
कर्नाटक	बंगलुरू सिटी	रु. 25,42,200.00
उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद, नैनी, आगरा कैंट, झांसी, प्रयाग	रु. 56,21,383.00
मध्य प्रदेश	ग्वालियर, भोपाल	रु. 12,75,000.00
पश्चिम बंगाल	हावड़ा (पुराना परिसर), सियालदह, कोलकाता के 17 मेट्रो स्टेशन, न्यू जलपाईगुडी	रु. 23,38,000.00
दिल्ली	हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली मेन	रु. 7,25,000.00

(ङ) रेलवे स्टेशनों पर क्लोज सर्किट टेलीविजन और कैमरों के संस्थापन सहित सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करना एक सतत प्रक्रिया है। इस पर वर्ष 2007–08 के लिए 34,99,10006/– रु. लगभग खर्च हो चुके हैं।

(च) यह स्टेशन परिसर में संदिग्ध व्यक्तियों के आवागमन की निगरानी रखने में सहायता प्रदान करेगी।

– यह अनहोनी दुर्घटना, यदि स्टेशन परिसर में घटती हो, की जांच करने में सहायता प्रदान करेगा;

– यह स्टेशन प्लेटफार्मों पर पड़े हुए लावारिस वस्तुओं का पता लगाने में सहायता प्रदान करेगा;

– यह स्टेशन पर समग्र निगरानी करेगा।

पुरानी पाण्डुलिपियों और पुस्तकों का संरक्षण

564. श्री अबु अयीश मंडल : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में विभिन्न संस्थानों को पुरानी पाण्डुलिपियों और पुस्तकों को संरक्षित करने में वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उन्हें सुरक्षित और संरक्षित रखने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) जी, हां।

(ख) पांडुलिपियों को पूरे देश में विभिन्न सरकारी निजी संग्रहों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, मठों, मदरसों, मंदिरों आदि में रखा गया है। इन अधिकांश संस्थाओं, विशेषतः निजी संस्थाओं के पास पांडुलिपियों के परिरक्षण के लिए निधियां नहीं हैं। बुनियादी ढांचे और कौशल के संदर्भ में ये संस्थाएं पीछे हैं। पांडुलिपियों के बारे में सामान्य जागरूकता की कमी भी पांडुलिपियों के छोटे और प्रायः अज्ञात संग्रहों में पांडुलिपियों के परिरक्षण हेतु पर्याप्त निधियों का प्रवाह न होना भी एक कारण है।

(ग) सरकार ने समूचे देश में पांडुलिपियों के संग्रहों का पता लगाने, इनका प्रलेखन तथा परिरक्षण करने के उद्देश्य से फरवरी, 2003 में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन शुरू किया। मिशन में पूरे देश में पांडुलिपि संसाधन केन्द्रों तथा पांडुलिपि संरक्षण केन्द्रों के 80 भागीदार संस्थाओं का नेटवर्क तैयार किया है, जिन्हें क्षेत्रीय पांडुलिपि संग्रहों के प्रलेखन तथा उनके संरक्षण में वित्तीय सहायता दी जाती है। पांडुलिपि संग्रहों के संरक्षण हेतु प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से विशेष परियोजनाएं चलाई जा रही हैं और वित्त पोषण किया जा रहा है।

कच्चे तेल का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य

565. श्री पी. मोहन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह एक वैश्विक प्रक्रिया है कि जब कभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि होती है तो उसी अनुपात में तेल की कीमतें बढ़ा दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो वे कौन–कौन से देश हैं जिनमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि होने पर घरेलू बाजार में मूल्य बढ़ाने की अनुमति दे दी जाती है;

(ग) यदि नहीं, तो वे कौन–कौन से देश हैं जिनमें कच्चे तेल का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य बढ़ाने का पेट्रोल/डीजल/रसोई गैस/मिट्टी का तेल के खुदरा बिक्री मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है;

(घ) घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल के बिक्री मूल्य में असामान्य वृद्धि होने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार की मूल्य में और वृद्धि करने की कोई योजना है जैसा कि प्रमुख समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(च) यदि हां, तो मूल्य में कितनी वृद्धि होने की संभावना है और इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (घ) सामान्यतः यह सही है कि पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य कच्चे तेल मूल्यों के साथ बढ़ता है। तथापि, वृद्धि का परिणाम पूरी तरह एक जैसा नहीं होता। जनवरी, 07 जुलाई, 07 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेंचमार्क कच्चे तेलों तथा प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों के लिए मासिक मूल्य प्रवृत्ति संलग्न विवरण में दी गई हैं। सामान्यतः तेल आयात पर निर्भर देश, अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि के प्रभाव को घरेलू खुदरा मूल्य पर डाल देते हैं।

(ङ) और (च) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर संभव प्रयास किये हैं कि मूल्य वृद्धि के कारण आम आदमी को कोई कठिनाई न हो। सरकार ने तीन पणधारकों नामतः, उपभोक्ता, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों तथा सरकार के बीच एक समान भार वहन करने के सिद्धांत को अपनाया है ताकि आम आदमी और समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा की जा सके। सरकार अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों पर ध्यानपूर्वक मानिटरिंग कर रही है और उपभोक्ता के हितों की लगातार रक्षा की जाएगी।

विवरण

कच्चे तेल/प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों के प्रकाशित औसत मासिक मूल्य

	कच्चा तेल		कच्चा तेल		कच्चा तेल													
	दुबई अमरीकी डॉलर/ बीबी एल	बढ़ोतरी गिरावट %	ओमन अमरीकी डॉलर/ बीबी एल	बढ़ोतरी गिरावट %	ब्रेंट (डेटिड) अमरीकी डॉलर/ बीबी एल	बढ़ोतरी गिरावट %	पैट/ कैरो अरब गल्फ अमरीकी डॉलर/ बीबी एल	बढ़ोतरी गिरावट %	जीओ 5% अरब गल्फ अमरीकी डॉलर/ बीबी एस	बढ़ोतरी गिरावट %	नाफ्था अरब गल्फ अमरीकी डॉलर/ बीबी एल	बढ़ोतरी गिरावट %	सीक्सरहित सिंगापुर अमरीकी डॉलर/ मी. टन	बढ़ोतरी गिरावट %	प्रोपेन सउदी अरामको अमरीकी डालर/ मी. टन	बढ़ोतरी गिरावट %	ब्यूटेन सउदी अरामको डॉलर/ बीबी एल	बढ़ोतरी गिरावट %
जनवरी 07	51.69		52.14		53.68		66.76		63.00		54.67		60.31		545.0		550	
फरवरी 07	55.75	7.85	55.96	7.34	57.43	6.98	69.27	3.76	67.96	7.86	60.92	11.43	65.73	8.99	526.0	-3.49	528	-4.36
मार्च 07	58.80	5.47	59.19	5.76	62.15	8.22	72.24	4.29	70.52	3.78	67.21	10.31	75.52	14.89	506.0	-3.80	506	-3.80
अप्रैल 07	63.97	8.79	64.45	8.90	67.51	8.62	78.33	3.43	77.50	9.89	71.53	6.43	82.69	9.50	530.0	4.74	545	7.71
मई 07	64.61	1.00	65.05	0.93	67.23	-0.41	79.36	1.32	78.79	1.66	74.62	4.32	87.96	6.37	560.0	5.66	575	5.50
जून 07	65.79	1.83	66.08	1.58	71.54	6.42	81.19	2.30	79.09	0.38	71.57	-4.09	83.82	-4.71	592.0	5.71	612	6.43
जुलाई 07	69.49	5.63	70.09	6.07	77.01	7.63	84.43	3.99	82.85	4.75	73.35	2.49	84.36	0.64	575.0	-2.87	595	-2.78

लोको स्टॉफ और गार्डों से अभ्यावेदन

566. श्री संताश्री चटर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को गत तीन वर्षों के दौरान ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टॉफ एसोसिएशन और ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिल से उनकी सेवा शर्तों के बारे में कोई अभ्यावेदन/ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) रेलों और रेलवे बोर्ड में अखिल भारतीय लोको रनिंग कर्मचारी एसोसिएशन और अखिल भारतीय गार्ड परिषद सहित काफी बड़ी संख्या में एसोसिएशनों के अभ्यावेदन/ज्ञापन नियमित रूप से प्राप्त होते रहते हैं। अखिल भारतीय लोको रनिंग कर्मचारी एसोसिएशन और अखिल भारतीय गार्ड परिषद द्वारा मूलतः अपनी ड्यूटी घंटों, विश्रामालय, रनिंग रूमों की स्थिति, खाना बनाने की सुविधाएं और रनिंग कर्मचारी के लिए अनुमेय विभिन्न भत्तों से संबंधित मुद्दों को उठाया जाता रहा है।

(ग) लोको रनिंग कर्मचारी और गार्ड गाड़ी परिचालन के महत्वपूर्ण एवं अहम कोटि के हैं और रेल प्रशासन लोको रनिंग कर्मचारी और गार्ड की शिकायतों को दूर करने के लिए जहां तक संभव होता है, इनके हितों को ध्यान में रखते हुए और अनुमेय मापदंडों के तहत उपलब्ध सुविधाओं में विस्तार करने हेतु हमेशा बेहतर प्रयास करता रहता है। रनिंग भत्ता समिति–2002 द्वारा भी रनिंग कर्मचारी से संबंधित विभिन्न मुद्दों की विस्तृत जांच की गयी है। समिति की सिफारिशें रेल मंत्रालय के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

ग्रेटर नोएडा में विमानपत्तन

567. डा. राजेश मिश्रा :
श्री मोहन सिंह :
श्री सज्जन कुमार :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में राज्य सरकार से तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने परियोजना की वाणिज्यिक व्यवहार्यता का आकलन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त विमानपत्तन का निर्माण कब तक किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (च) उत्तर प्रदेश सरकार को गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर नामक स्थान पर एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाए जाने का प्रस्ताव हुआ है जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा जगह की पहचान कर ली गई है। मामले की जांच चल रही है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में उर्वरकों का उत्पादन

568. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना (एफ वाई पी) हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित किए गए लक्ष्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित पूंजी निवेश के बारे में आकलन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) से (घ) ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना में रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, ग्याहरवीं योजना के लिए उर्वरकों संबंधी कार्य समूह ने वर्ष 2011–12 तक 287.55 लाख मी.टन (एलएमटी) यूरिया, 95.10 लाख मी.टन डाई–अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) और 37.40 लाख मी.टन म्यूरिएट ऑफ पोटाश (एमओपी) की आवश्यकता का अनुमान लगाया है। देश में यूरिया और डीएपी के उत्पादन की कुल स्थापित प्रचालनात्मक क्षमता क्रमशः 197.01 लाख मी.टन और 72.99 लाख मी.टन है।

ग्याहरवीं योजना में एमओपी की कोई उत्पादन क्षमता स्थापित करने की संभावना नहीं है क्योंकि देश में पोटाश का आर्थिक रूप से दोहन–योग्य कोई भण्डार नहीं है। देश में फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों का उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्ची सामग्रियों/मध्यवर्तियों की उपलब्धता और मूल्य पर निर्भर करता है। अतः डीएपी के उत्पादन के लिए अतिरिक्त क्षमता सृजन का निश्चित रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

ग्याहरवीं योजना के दौरान देश में यूरिया की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता को फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड की बंद इकाइयों का पुनरूद्धार करने, ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड परियोजनाओं की स्थापना करने तथा मौजूदा इकाइयों के पुनरूद्धार के जरिए क्षमता वृद्धि के द्वारा बढ़ाए जाने की संभावना है। हालांकि, वर्तमान में कुल अपेक्षित निवेश का कोई निश्चित अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी ऐसा अनुमान है कि एक मिलियन टन की उत्पादन क्षमता वाले यूरिया संयंत्र पर लगभग 3500 करोड़ रुपए की लागत आएगी।

[अनुवाद]

स्मार्ट कार्ड प्रणाली

569. श्री एल. राजगोपाल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के केरोसीन की कालाबाजारी को रोकने और इस प्रणाली की खामियों को दूर करने हेतु तेल विपणन कंपनियों के सहयोग से स्मार्ट कार्ड प्रणाली शुरू करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो स्मार्ट कार्ड से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के केरोसीन को अन्यत्र बेचने पर रोक लगाने में कितनी सहायता मिलेगी;

(ग) क्या इसे देश के कुछ जिलों में एक प्रायोगिक योजना के आधार पर शुरू किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ विभिन्न राज्यों विशेषकर आंध्र प्रदेश राज्य में पहचाने गए जिलों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछ राज्य इस कदम का विरोध कर रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) पेट्रोलियम उत्पादों की दीर्घावधि मूल्यनिर्धारण नीति तैयार करने की दृष्टि से सरकार ने डा. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में एक अंतःमंत्रालय समिति का गठन किया था। इस समिति ने अन्य बातों के साथ–साथ यह सिंफारिश की है कि मिट्टी के तेल पर राजसहायता केवल बीपीएल परिवारों तक ही सीमित रखी जाए। सरकार ने डा. रंगराजन समिति की रिपोर्ट की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और "सिद्धांत रूप में" यह निर्णय लिया है कि पीडीएस मिट्टी तेल पर राजसहायता केवल बीपीएल परिवारों तक ही सीमित रखी जाएगी।

यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि राजसहायता का लाभ बीपीएल परिवारों को कारगर और किफायती तरीके से पहुंचे तथा किसी प्रकार की लीकेज न हो, इस मंत्रालय ने बीपीएल परिवारों को पीडीएम मिट्टी तेल के वितरण के लिए स्मार्ट कार्ड योजना आरंभ करने का प्रस्ताव रखा था। इस स्मार्ट कार्ड योजना से आशा है कि मिट्टी तेल की कालाबाजारी रोकने में सहायता मिलेगी और साथ ही इसका मिलावट के लिए विपथन भी नहीं होगा।

(ग) से (च) इस स्मार्ट कार्ड योजना को आरंभ में 2007 में तीन जिलों – महाराष्ट्र मे लातूर, बिहार में नालन्दा तथा उत्तराखंड में नैनीताल में प्रयोगात्मक आधार पर शुरू करने का प्रस्ताव था। स्मार्ट कार्ड योजना के अन्तर्गत, स्मार्ट कार्ड बीपीएल कार्ड धारियों को जारी किए जाएंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि राजसहायता प्राप्त पीडीएस मिट्टी तेल बीपीएल परिवारों को ही दिया गया है। इन लाभ प्राप्तकर्ताओं, अर्थात् बीपीएल परिवारों की पहचान जिला प्राधिकारियों द्वारा की जाएगी। इस प्रायोगिक परियोजना में स्मार्ट कार्ड के द्वारा राजसहायता प्राप्त मिट्टी तेल बीपीएल परिवारों को दिए जाने का प्रस्ताव है जबकि अन्य राशन कार्ड धारकों को गैर राजसहायता वाला मिट्टी तेल दिया जाएगा। तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा इस प्रायोगिक योजना के कार्यान्वयन की पूरी अवधि के दौरान पीडीएस के लिए राजसहायता वाले और साथ ही गैर–राजसहायता वाले मिट्टी के तेल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

महाराष्ट्र, बिहार और उत्तराखंड की राज्य सरकारों ने इस प्रायोगिक स्मार्ट कार्ड योजना के कार्यान्वयन पर असहमति व्यक्त की है। इन राज्य सरकारों का कहना है कि राजसहायता वाले पीडीएस एसकेओ की पूर्ति केवल बीपीएल परिवारों तक ही सीमित नहीं की जानी चाहिए और उसे अभी की तरह सभी परिवारों के लिए जारी रखा जाना चाहिए। बिहार सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने बीपीएल परिवारों को पीडीएस एसकेओ का वितरण कूपन के आधार पर तथा एपीएल परिवारों को राशन कार्ड के आधार पर स्वीकृत किया है और अनुरोध किया है कि नालन्दा जिले में स्मार्ट कार्ड योजना का कार्यान्वयन रोक दिया जाए।

राज्य सरकारों के प्रतिकूल उत्तर को देखते हुए यह मंत्रालय स्मार्ट कार्ड योजना को कार्यान्वित नहीं कर पाया है।

स्मार्ट कार्ड की यह प्रायोगिक योजना आंध्र प्रदेश के किसी जिले में चलाने की योजना नहीं है।

सेलम मंडल का क्षेत्राधिकार

570. श्री एम.एम. कृष्णदास :
श्री पी. मोहन :
श्री पी. सी. थामस :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण रेलवे के अंतर्गत प्रस्तावित नए सेलम मंडल के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार को अंतिम तौर पर निर्धारित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्तावित नए सेलम मंडल के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार को निर्धारित करने पर कोई विवाद है;

(घ) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इस संबंध में कोई सौहार्दपूर्ण हल निकालने हेतु उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों ने रेलमंत्री के साथ बातचीत की है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नारनभाई रठवा) : (क) और (ख) नए सेलम मंडल के लिए निम्नलिखित क्षेत्राधिकार का प्रस्ताव है :–

- उदगमंडलम–कोयंबतूर नार्थ–इरोड–सेलम–जोलारपेट्टै (छोड़कर) (पालघाट मंडल से)
- इरुगुरु–पोंदोनूर (सहित)–कोयंबतूर नार्थ (पालघाट मंडल से)
- इरोड–तिरुचिरापल्ली (छोड़कर) (पालघाट मंडल से)
- सेलम–करुर (नई लाइन)
- करुर–डिंडीगुल (छोड़कर) (पालघाट मंडल से)
- सेलम–विरुद्धचलम (छोड़कर) (तिरुचिरापल्ली मंडल से) और
- सेलम–मेटट्रधाम (पालघाट मंडल से)

(ग) जी हां। केरल राज्य के अतिविशिष्ट व्यक्तियों (वी आई पी) द्वारा कुछ आशंकाएं व्यक्त की गई हैं।

(घ) केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों से इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए एक संयुक्त बैठक का आयोजन करने का अनुरोध किया गया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

गुवाहाटी विमानपत्तन

571. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2006–07 के दौरान नई अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल बिल्डिंग, न्यू एप्रन और टैक्सी वे पर काम शुरू हो गया है जैसा कि आश्वासन दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) टैक्सी पार्किंग एरिया और पहुंच मार्ग सहित गुवाहाटी विमानपत्तन के आधुनिकीकरण हेतु जिस कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया है, उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज के निष्पादन में असाधारण विलम्ब होने की स्थिति में आगमन हॉल स्थित वीआईपी लाउंज के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) नये अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन का कार्य योजना स्तर पर है जबकि नये एप्रन तथा टैक्सीवे का कार्य दे दिया गया है तथा यह कार्य प्रगति पर है।

(ग) गुवाहाटी हवाईअड्डे के आधुनिकीकरण के कार्यों का ब्यौरा इस प्रकार है :–

(i) एयरसाइड, अतिरिक्त सुरक्षा वाला क्षेत्र, लिफ्ट तथा एसक्लेटर कार्य पूरा करने का प्रावधान।

(ii) अन्य कार्य – सिटी साइड कैनोपी, टैक्सी पार्किंग क्षेत्र का विस्तार, एप्रोच रोड का विकास तथा यात्री बोर्डिंग ब्रिजों की संस्थापना।

(घ) आगमन हॉल में वीआईपी लॉज दिनांक 7.8.2007 से शुभारम्भ कर दिया गया है।

डीजीसीए द्वारा निगरानी निरीक्षण

572. श्री उदय सिंह : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के दलों ने औचक निगरानी निरीक्षण के दौरान हाल ही में देशभर के विमानपत्तनों पर कई खामियां पाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या ऐसी खामियों के लिए विमानपत्तनों पर जिम्मेदारी निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा दिशानिर्देशों का समुचित पालन सुनिश्चित कराने हेतु और क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) नागर विमानन महानिदेशालय के दल ने देश–भर में प्रमुख हवाईअड्डों पर निगरानी जांचें की, जिनमें कतिपय कमियां/प्रक्रियाओं का गैर–अनुपालन पाया गया था।

(ग) और (घ) इस प्रकार की निगरानी जांचों के दौरान पाई गई कमियों/गैर–अनुपालन के संबंध में संबंधित प्रचालकों को अवगत कराया गया था ताकि आवश्यक निवारक कार्रवाई की जा सके। कुछ गंभीर कमियों के मामले में संबंधित कार्मिकों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की गई थी।

अनुसूचित जाति के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने हेतु विद्यालय

573. श्री सुदाम मरन्डी : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार को हरियाणा सरकार से जींद जिले में अनुसूचित जाति के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने हेतु विद्यालय चलाने की कोई परियोजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा उस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या अजा/अजजा और शारीरिक रूप से विकलांगों के अखिल भारतीय संघ ने इस संबंध में कोई अभ्यावेदन दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) और (ख) जी, हां। हरियाणा सरकार के माध्यम से अखिल भारत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और शारीरिक विकलांग संघ से जिला जिंद, हरियाणा में अनुसूचित जातियों के लिए एक स्कूल खोलने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग) और (घ) इस संबंध में हरियाणा सरकार के माध्यम से अखिल भारत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और शारीरिक विकलांग सघ द्वारा लिखित कुछ पत्रों की प्रतियां प्राप्त हुई हैं। इन सभी पत्रों का संबंध प्रश्नाधीन स्कूल को खोलने और चलाने के लिए सहायता अनुदान स्वीकृत किए जाने से है।

(ङ) चूंकि उपर्युक्त संगठन के प्रस्ताव में कुछ मामलों में कमी हैं इसलिए इसे राज्य सरकार को लौटाया जा रहा है।

ट्रांस एशियन रेलवे पर अंतर-देशीय समझौता

574. श्री अमिताभ नन्दी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने यूएन–ईएससीएपी के ट्रांस एशियन रेल परियोजना के बारे में अंतर–देशीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं,

(ख) यदि हां, तो समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना के अंतर्गत कुल कितना क्षेत्र आएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) इस करार में मिसिंग लिंक सहित अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रेल लाइनों को परिभाषित एवं सूचीबद्ध किया गया है और ट्रांस एशियन रेलवे नेटवर्क पर निर्बाध परिवहन की व्यवस्था के लिए तकनीकी विशेषताओं संबंधी दिशानिर्देशक सिद्धांत किए गए हैं।

(ग) इस समझौते द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित कुल ट्रांस एशियन रेलवे नेटवर्क में 28 देशों की 80900 कि.मी. की रेलवे लाइन हैं जिनमें 22,600 कि.मी. साउथ एशिया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इरान और टर्की में आता है।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों पर राजसहायता

575. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
डा. धीरेन्द्र अग्रवाल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा प्रति यूनिट रसोई गैस पर कितनी राजसहायता दी जाती है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान रसोई गैस यूनिट की कितनी मात्रा पर राजसहायता दी गई और इस अवधि में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने यूनिट रसोई गैस की मात्रा का प्रयोग किया गया;

(ग) सरकार द्वारा केवल घरेलू उपयोग हेतु प्रयुक्त होने वाले रसोई गैस पर राजसहायता देने हेतु क्या कदम उठाए गए तथा सरकार द्वारा इसके दुरूपयोग को रोकने हेतु किए गए प्रावधानों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त प्रावधान के अंतर्गत सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) सरकार ने राजकोषीय बजट से वर्ष 2006–07 के लिए प्रति 14.2 कि.ग्रा. के घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर 22.58 रुपये की राजसहायता प्रदान की थी।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी को बेचने में तेल विपणन कंपनियों द्वारा उठाए गए घाटों/न्यून प्राप्तियों के संबंध में वर्ष 2005–06 के लिए आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में उनको 11,500 करोड़ रुपये मूल्य के तेल बांड जारी किए थे। तेल विपणन कंपनियों द्वारा अति संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों, जिनमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी शामिल हैं, को बेचने में उठाए गए घाटों/न्यून प्राप्तियों के संबंध में सरकार ने वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान, आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में 24,121 करोड़ रुपये मूल्य के तेल बांड जारी किए थे।

(ख) सरकार ने केवल घरेलू प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त एलपीजी पर राजसहायता प्रदान की है। विगत तीन वर्षों में एलपीजी इकाइयों की ऐसी अनुमानित मात्रा जिन पर राजसहायता प्रदान की गई है, के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :–

वर्ष	मिलियन सिलेंडर
2004–05	671
2005–06	664
2006–07	685

(ग) और (घ) जबकि तेल विपणन कंपनियां एलपीजी वितरणकर्ताओं के पास पंजीकृत ग्राहकों की वास्तविक मांग पूरी करने के लिए सभी प्रयास करती है, तो भी गलती करने वाले वितरणकर्ताओं के विरुद्ध एलपीजी विपणन अनुशासन मार्गदर्शी सिद्धांतों (एमडीजी) के अनुसार कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त घरेलू एलपीजी के गैर कानूनी उपयोग के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को शक्तियां प्रदान की गई हैं।

विपथन/वाणिज्यिक प्रयोजनों से घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं –

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत जारी किए गए एलपीजी (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के अंतर्गत, तेल विपणन कंपनियों के वितरणकर्ताओं द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के विपथन/कालाबाजारी की मनाही है। इस आदेश के उपबंधों के अंतर्गत राज्य सरकारों को गलती करने वाले वितरणकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्ति प्राप्त है। अप्राधिकृत इस्तेमाल के लिए घरेलू सिलेंडरों के विपथन के विरुद्ध राज्य सरकारों को कार्रवाई करने के लिए समय–समय पर सावधान किया गया है।

(2) तेल विपणन कंपनियों के अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि कोई विपथन/कालाबाजारी न हो, वितरणकर्ताओं के गोदाम, सुपुर्दगी स्थान तथा मार्ग में औचक जांच करते हैं। वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडर का विपथन/कालाबाजारी सिद्ध होने के मामले में, वितरणकर्ता के विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई की जाती है :

– पहले अपराध के लिए, 20,000 रुपये का जुर्माना और वाणिज्यिक दरों पर विपथित एलपीजी की कीमत।

– पहले अपराध के लिए, 50,000 रुपये का जुर्माना और वाणिज्यिक दरों पर विपथित एलपीजी की कीमत।

– तीसरे अपराध के लिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप को समाप्त करना।

(3) सरकार ने जनता को सावधान करते हुए विज्ञापन जारी किया है कि गैर घरेलू प्रयोजनों के लिए घरेलू एलपीजी का इस्तेमाल गैर कानूनी, खतरनाक तथा राष्ट्रहित के विरुद्ध है। इन विज्ञापनों के जरिए, आम जनता से भी सहयोग मांगा गया है कि वे तेल विपणन कंपनियों को अनियमितता/अपराध की सूचना दें।

(4) सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को सलाह दी है कि वे घरेलू तथा गैर–घरेलू सिलेंडरों के लिए अलग–अलग रंग शुरू करें। इससे अप्राधिकृत इस्तेमाल के लिए घरेलू एलपीजी के विपथन को नियंत्रित करने में सहायता मिलने की आशा है।

पिछले तीन वर्षों में एमडीजी के उपबंधों के अनुसार तेल विपणन कंपनियों द्वारा की गई कार्रवाई संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

	2004–05				2005–06				2006–07			
	अखिल भारत				अखिल भारत				अखिल भारत			
	आईओसी	बीपीसी	एचपीसी	योग	आईओसी	बीपीसी	एचपीसी	योग	आईओसी	बीपीसी	एचपीसी	योग
किए गए निरीक्षणों की कुल संख्या	14644	7853	7382	29879	15040	8983	6566	30589	16581	8240	8508	33329
पकड़ी गई अनियमितताओं की कुल संख्या	344	202	354	900	547	232	401	1180	514	154	356	1024
विपथन के कुल मामले	119	155	210	484	168	144	205	517	121	57	169	347
विपथित पाए गए सिलेंडरों की कुल संख्या	26053	867	7573	34493	28330	21133	12593	72056	7140	2828	17262	27230
अधिक वसूली के कुल मामले	25	2	28	55	48	7	15	70	58	1	11	70
कम वजनी सिलेंडरों के कुल मामले	52	6	9	67	45	9	4	58	24	5	0	29
एमडीजी के अनुसार की गई कार्रवाई	326	43	354	723	516	80	401	997	514	154	354	1022
सावधान/चेतावनी	81	17	30	128	115	9	51	175	155	22	33	210
जुर्माना	239	24	323	586	398	65	349	812	357	125	315	797
समाप्ति	6	2	1	9	3	6	1	10	2	7	6	15

आईओसी की टिप्पणियां एमडीजी के अनुसार की गई कुल कार्रवाई पता चली अनियमितताओं की कुल संख्या से कम है क्योंकि एक बार में पता चली अनियमितताओं की संख्या, एक सावधान/चेतावनी जारी की गई।

एचपीसी की टिप्पणियां जो समाप्तियां एमडीजी कार्रवाई के कारण नहीं की गई हैं, अपितु डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार, उच्चतम न्यायालय निर्देशों, त्यागपत्र, आदि के अनुसार की गई है, 2004–05 के लिए कुल 1 और 2005–06 के लिए 8 हैं जिन्हें ऊपर सारणी में नहीं दर्शाया गया है।

नए विमानन दिशा निर्देश

576. **श्री धर्मेन्द्र प्रधान :**
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्रीमती कमला शुक्ला :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा नीति विजन 2020 में सूचीबद्ध नए विमानन दिशानिर्देशों को स्वीकृति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो नई नागर विमानन नीति के मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या रक्षा मंत्रालय ने उक्त नई नीति पर कुछ आपत्तियां उठायी हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय नागर विमानन नीति इस समय विजन 2020 के साथ मंत्रियों के समूह के विचाराधीन है।

एथानोल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम

577. **श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :**
श्री सुभाष सुरेशचन्द देशमुख :
श्री सुव्रत बोस :
श्री स्वदेश चक्रवर्ती :
श्रीमती रूपाताई डी. पाटील :
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पेट्रोल और डीजल में 10 प्रतिशत एथानोल मिश्रित करना अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को एथानोल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कोई बाधाएं आ रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एथानोल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) एथेनोल को केवल पेट्रोल के साथ मिश्रित किया जाता है। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि अनिवार्य रूप से 10% एथेनोल पेट्रोल के साथ मिलाया जाए।

(ग) और (घ) एथेनोल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सरकार के समक्ष आने वाली प्रमुख बाधाएं निम्नवत् है :–

(1) राज्य सरकारों द्वारा अपेक्षित गजट अधिसूचना के जारी होने में विलंब।

(2) एथेनोल को निर्बाध रूप से अन्तःराज्य संचलन न हो पाना।

(3) उत्पाद परमिटों के जारी होने में विलंब।

(4) एथेनोल पर कर/शुल्कों की वसूली में गैर प्रासंगिकता।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ईबीपी कार्यक्रम के तीव्र क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों के साथ मामले पर चर्चा कर रहा है।

(ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दिनांक 20.9.2006 के राजपत्र अधिसूचना संख्या जीएसआर 580(ई) द्वारा यह निदेश जारी किया है कि वाणिज्यिक व्यवहार्यता की शर्त पर, तेल विपणन कंपनियां दिनांक 1.11.2006 से अधिसूचित 20 राज्यों तथा 4 संघ शासित क्षेत्रों में, भारतीय मानक विनिर्देश ब्यूरो के अनुसार 5 प्रतिशत एथेनोल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री कर सकेंगी। तेल विपणन कंपनियां तीन वर्षों की वैध अवधि, जिसे और दो वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है, के साथ खुली निविदाओं द्वारा देशीय उत्पादकों से एथेनोल प्राप्त कर रही है।

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, बिहार, झारखंड, गोवा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश (अंशतः) राज्यों में एथेनोल की आपूर्ति के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। एथेनोल मिश्रित पेट्रोल की आपूर्ति पहले से ही उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, झारखंड (अंशतः), गुजरात (अंशतः) तथा आंध्र प्रदेश (अंशतः) राज्यों में शुरू हो गई है।

[अनुवाद]

अधिशेष रेलभूमि का वाणिज्यिक उपयोग

578. **श्री मदन लाल शर्मा :**
प्रो. एम. रामदास :
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने लक्जरी बजट होटलों की श्रृंखला स्थापित करने के लिए शहरों और कस्बों में प्रमुख संपत्तियों सहित अधिशेष रेल भूमि के वाणिज्यिक उपयोग हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों को ऐसी भूमि प्रदान करने के लिए विवेकाधीन शक्तियां दी गई हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके लिए पहचाने गए स्थलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसी भूमि के उपयोग के लिए क्या मापदंड निर्धारित किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) जी हां। रेल भूमि जिसकी निकट भविष्य में रेलवे की परिचालनिक उपयोग के लिए आवश्यकता नहीं है तथा जिसमें व्यावसायिक संभाव्यता मौजूद

है, को बजट होटल सहित व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है। जोनल रेलवे के महाप्रबंधक को 1000 वर्ग मी. तक रेलवे भूमि का वाणिज्यिक उपयोग करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। 1000 वर्ग मी. से अधिक वाले भूखंड के लिए रेलवे बोर्ड की स्वीकृति जरूरी है। राज्यवार ब्यौरा नहीं रखा जाता है, बहरहाल, वाणिज्यिक उपयोग तथा बजट होटल के लिए निर्धारित स्थलों का जोन–वार ब्यौरा संलग्न विवरण–I एवं II के रूप में दिया गया है।

विवरण-I

क्र.सं.	रेलवे	स्थल का नाम
1	2	3
1.	पूर्व	बेलघारिया
2.	पूर्व	बिधान नगर
3.	पूर्व	हलीशहर
4.	पूर्व	बालीघाट
5.	पूर्व	कांचरापाड़ा
6.	पूर्व	बज–बज
7.	पूर्व मध्य	गौतम बुद्ध संस्थान, गया
8.	पूर्व तट	विशाखापत्तनम (2 स्थल)
9.	उत्तर	रेल संस्थान विधान सभा मार्ग, लखनऊ
10.	उत्तर	दिल्ली–सराय रोहिल्ला
11.	उत्तर मध्य	ग्वालियर
12.	उत्तर मध्य	निराला नगर (कानपुर)
13.	उत्तर मध्य	इदगाह
14.	उत्तर मध्य	मथुरा जं.
15.	उत्तर मध्य	कम्पू कोठी
16.	दक्षिण पश्चिम	बेंगलुरू सिटी
17.	पूर्वोत्तर सीमा	करीमगंज
18.	पूर्वोत्तर सीमा	सिलचर
19.	पूर्वोत्तर सीमा	न्यू कूचबिहार
20.	पूर्वोत्तर सीमा	न्यू अलीपुरद्वार
21.	पूर्वोत्तर सीमा	अलीपुरद्वार
22.	पूर्वोत्तर सीमा	कुसौंग
23.	पूर्वोत्तर सीमा	दार्जिलिंग
24.	पूर्वोत्तर सीमा	किशनगंज
25.	पूर्वोत्तर सीमा	कटिहार
26.	पूर्वोत्तर सीमा	जोरहाट
27.	पूर्वोत्तर सीमा	मकुम
28.	पूर्वोत्तर सीमा	शिवसागर
29.	पूर्वोत्तर सीमा	मार्गेरिटा
30.	पूर्वोत्तर सीमा	बर्द्धवान रोड, सिल्लिगुड़ी
31.	पूर्वोत्तर सीमा	न्यू जलपाईगुड़ी के पास उपरी सड़क पुल तथा जोरापानी के बीच
32.	पूर्वोत्तर सीमा	न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के सामने
33.	पूर्वोत्तर सीमा	न्यू जलपाईगुड़ी के पावर हाऊस के सामने
34.	पूर्वोत्तर सीमा	न्यू जलपाईगुड़ी के पास तीन बत्ती मोड़
35.	पूर्वोत्तर सीमा	न्यू जलपाईगुड़ी के आस–पास वाले परिपथन क्षेत्र
36.	पूर्वोत्तर सीमा	महानदा कॉलोनी, सिल्लीगुड़ी
37.	पूर्वोत्तर सीमा	दार्जिलिंग मोड़ के बगल में
38.	पूर्वोत्तर सीमा	डीजल शेड रोड, सिल्लीगुड़ी
39.	पूर्वोत्तर सीमा	पंचनाई नदी तथा ट्रांजिट होस्टल, सिल्लीगुड़ी
40.	पूर्वोत्तर सीमा	सिल्लीगुड़ी में होकर कॉर्नर
41.	पूर्वोत्तर सीमा	हाजो–गुवाहाटी रोड के बगल में अमीनगांव
42.	पूर्वोत्तर सीमा	हाजो–गुवाहाटी रोड के बगल में अमीनगांव
43.	पूर्वोत्तर सीमा	अमीनगांव–रंगीया रोड के बगल में अमीनगांव

1	2	3
44.	पूर्वोत्तर सीमा	अमीनगांव–रंगीया रोड के बगल में अमीनगांव
45.	पूर्वोत्तर सीमा	राजीव गांधी इन्डोर स्टेडियम के पास अमीनगांव
46.	पूर्वोत्तर सीमा	अमीनगांव–आई आई टी रोड के बगल में अठोरी–अमीनगांव के बीच में
47.	पूर्वोत्तर सीमा	अमीनगांव–कॉन्कोर परिसर के पास
48.	पूर्वोत्तर सीमा	हाजो–गुवाहाटी रोड के बगल में, अमीनगांव
49.	पूर्वोत्तर सीमा	पांडु–न्यू कॉलोनी–I
50.	पूर्वोत्तर सीमा	पांडु–न्यू कॉलोनी–II
51.	पूर्वोत्तर सीमा	अदाबारी–पांडु रोड, पांडु
52.	पूर्वोत्तर सीमा	अदाबारी–पांडु रोड, पांडु
53.	पूर्वोत्तर सीमा	अदाबारी–पांडु रोड, पांडु
54.	दक्षिण मध्य	एम एम टी एस स्टेशन–भाटा नगर एवं बोराबंदा के बीच
55.	दक्षिण मध्य	उप्पल बस स्टैंड के पास
56.	दक्षिण मध्य	मौला अली–I
57.	दक्षिण मध्य	मौला अली–II
58.	दक्षिण मध्य	गुंतकल
59.	दक्षिण मध्य	गुंतकल
60.	दक्षिण मध्य	औरंगाबाद
61.	दक्षिण मध्य	हिंगोली स्टेशन क्षेत्र
62.	दक्षिण मध्य	अदिलाबाद
63.	दक्षिण मध्य	वसीम स्टेशन
64.	दक्षिण मध्य	मुदखेड
65.	दक्षिण मध्य	हाफीज़ पेट,
66.	दक्षिण मध्य	विजयवाड़ा में रेल अस्पताल के पास
67.	दक्षिण मध्य	टी ए कैम्प स्टाफ क्वाटर्स के सामने, मौलाअली
68.	दक्षिण मध्य	मौला अली फ्लाई ओवर के पास
69.	दक्षिण पूर्व	बोकारो–I
70.	दक्षिण पूर्व	बोकारो–II
71.	दक्षिण पूर्व	टाटा
72.	दक्षिण पूर्व मध्य	जोन–II/बमियाना
73.	दक्षिण पूर्व मध्य	जोन–II एवं III बमियाना
74.	दक्षिण पूर्व मध्य	जोन–III के सामने/बमियाना
75.	दक्षिण पूर्व मध्य	पी पी यार्ड/बमियाना
76.	दक्षिण पूर्व मध्य	उरकुरा
77.	दक्षिण पूर्व मध्य	कापा
78.	दक्षिण पूर्व मध्य	वारिस अलीगंज
79.	दक्षिण पश्चिम	मल्लेश्वरम रेलवे स्टेशन
80.	दक्षिण पश्चिम	यशवंतपुर
81.	दक्षिण पश्चिम	बंगलोर सिटी
82.	पश्चिम	भावनगर टर्मिनस साइड से मानकवाडी स्टेशन
83.	पश्चिम	मानकवाडी स्टेशन
84.	पश्चिम	मानकवाडी स्टेशन
85.	पश्चिम	तख्तेश्वर स्टेशन
86.	पश्चिम	तख्तेश्वर स्टेशन
87.	पश्चिम	कृषकनगर
88.	पश्चिम	कृषनगर स्टेशन से चाइनैज 246
89.	पश्चिम	जामनगर–ओल्ड स्टेशन एरिया
90.	पश्चिम	मणिनगर–(प.)
91.	पश्चिम	मणिनगर–(पू.)
92.	इंटिग्रल कोच फैक्ट्री, पेराम्बुर	कक्कापल्लम पदी, चेन्नै

विवरण-II

सस्ते होटलों के लिए प्रस्तावित स्थानों की सूची

क्र.सं.	स्थान	रेलवे
1	2	3
1.	कारनाक बन्दर	मध्य रेलवे
2.	नासिक रोड	मध्य रेलवे
3.	कोल्हापुर	मध्य रेलवे
4.	लोनावाला	मध्य रेलवे
5.	मुम्बई सी.एस.टी.	मध्य रेलवे
6.	नागपुर	मध्य रेलवे
7.	शिर्डी	मध्य रेलवे
8.	पुणे	मध्य रेलवे
9.	गया	पूर्व मध्य रेलवे
10.	पटना	पूर्व मध्य रेलवे
11.	राजगीर	पूर्व मध्य रेलवे
12.	भुवनेश्वर	पूर्व तट रेलवे
13.	पुरी	पूर्व तट रेलवे
14.	कटक	पूर्व तट रेलवे
15.	विशाखापत्तनम	पूर्व तट रेलवे
16.	सियालदह	पूर्व रेलवे
17.	हावड़ा	पूर्व रेलवे
18.	मथुरा/वृन्दावन	उत्तर मध्य रेलवे
19.	इलाहाबाद	उत्तर मध्य रेलवे
20.	ग्वालियर	उत्तर मध्य रेलवे
21.	आगरा	उत्तर मध्य रेलवे
22.	अगरतला	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
23.	सिलचर/लमडिंग	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
24.	दार्जिलिंग	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
25.	न्यू जलपाईगुड़ी	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
26.	गुवाहाटी	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
27.	श्रीनगर	उत्तर रेलवे
28.	जम्मू	उत्तर रेलवे
29.	जोगिन्दर नगर	उत्तर रेलवे
30.	लुधियाना	उत्तर रेलवे
31.	शिमला	उत्तर रेलवे
32.	वाराणसी	उत्तर रेलवे
33.	नई दिल्ली	उत्तर रेलवे
34.	निजामुद्दीन	उत्तर रेलवे
35.	दिल्ली छावनी	उत्तर रेलवे
36.	देहरादून	उत्तर रेलवे
37.	ऋषिकेश	उत्तर रेलवे
38.	कांगड़ा	उत्तर रेलवे
39.	कटरा	उत्तर रेलवे
40.	लखनऊ	उत्तर रेलवे
41.	हरिद्वार	उत्तर रेलवे
42.	अमृतसर	उत्तर रेलवे
43.	आनंद विहार (दिल्ली)	उत्तर रेलवे
44.	चंडीगढ़	उत्तर रेलवे
45.	मुरादाबाद	उत्तर रेलवे
46.	उदयपुर	उत्तर पश्चिम रेलवे
47.	लालगढ़/बीकानेर	उत्तर पश्चिम रेलवे
48.	जैसलमेर	उत्तर पश्चिम रेलवे
49.	जोधपुर	उत्तर पश्चिम रेलवे
50.	माउंटआबू	उत्तर पश्चिम रेलवे
51.	अजमेर	उत्तर पश्चिम रेलवे
52.	जयपुर	उत्तर पश्चिम रेलवे
53.	विजयवाड़ा	दक्षिण मध्य रेलवे
54.	औरंगाबाद	दक्षिण मध्य रेलवे

1	2	3
55.	तिरूपति	दक्षिण मध्य रेलवे
56.	नांदेड़	दक्षिण मध्य रेलवे
57.	हैदराबाद	दक्षिण मध्य रेलवे
58.	सिकंदराबाद	दक्षिण मध्य रेलवे
59.	बिलासपुर	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
60.	टाटानगर	दक्षिण पूर्व रेलवे
61.	रायपुर	दक्षिण पूर्व रेलवे
62.	रांची	दक्षिण पूर्व रेलवे
63.	चेन्नई	दक्षिण रेलवे
64.	चेन्नई एग्मोर	दक्षिण रेलवे
65.	मंगलोर	दक्षिण रेलवे
66.	तिरूवनन्तपुरम	दक्षिण रेलवे
67.	कोयम्बतूर	दक्षिण रेलवे
68.	रामेश्वरम	दक्षिण रेलवे
69.	ऊटी	दक्षिण रेलवे
70.	कन्याकुमारी	दक्षिण रेलवे
71.	एर्णाकुलम	दक्षिण रेलवे
72.	कोट्टायम	दक्षिण रेलवे
73.	कालीकट	दक्षिण रेलवे
74.	तूतीकोरिन	दक्षिण रेलवे
75.	पांडिचेरी	दक्षिण रेलवे
76.	अलवाय	दक्षिण रेलवे
77.	कोचिन	दक्षिण रेलवे
78.	मदुरै	दक्षिण रेलवे
79.	कोडैकनाल रोड	दक्षिण रेलवे
80.	क्यूलोन	दक्षिण रेलवे
81.	बेलगॉम	दक्षिण पश्चिम रैलवे
82.	बेंगलोर	दक्षिण पश्चिम रेलवे
83.	मडगाव	दक्षिण पश्चिम रेलवे
84.	मैसूर	दक्षिण पश्चिम रेलवे
85.	गोवा/वास्को–डि–गामा	दक्षिण पश्चिम रेलवे
86.	खुजराहो	पश्चिम मध्य रेलवे
87.	कोटा	पश्चिम मध्य रेलवे
88.	जबलपुर	पश्चिम मध्य रेलवे
89.	हबीबगंज/भोपाल	पश्चिम मध्य रेलवे
90.	इंदौर	पश्चिम रेलवे
91.	वापी	पश्चिम रेलवे
92.	वेरावल	पश्चिम रेलवे
93.	राजकोट	पश्चिम रेलवे
94.	मुम्बई सेन्ट्रल	पश्चिम रेलवे
95.	अहमदाबाद	पश्चिम रेलवे
96.	वड़ोदरा	पश्चिम रेलवे
97.	द्वारका/ओखा	पश्चिम रेलवे
98.	सूरत	पश्चिम रेलवे
99.	मुम्बई बांद्रा	पश्चिम रेलवे
100.	उज्जैन	पश्चिम रेलवे

छोटे शहरों में विमानपत्तन

579. श्री दुष्यंत सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास अधिक से अधिक छोटे शहरों को विमानन सेवा के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन शहरों में अतिरिक्त संख्या में विमानपत्तन विकसित करने तथा इन शहरों से विमान सेवा शुरू करने की इच्छुक विमान कंपनियों की पहचान करने हेतु योजना तैयार कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (घ) जी हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने राज्य सरकारों के सहयोग से कुछ अनुप्रयुक्त हवाईपट्टियों पर विकासात्मक कार्य आरंभ

करने का निर्णय लिया है। इससे छोटे शहरों को हवाई संपर्क की सुविधा दी जाएगी।

एयरलाइनों एवं राज्य सरकारों के अनुरोध पर, अकोला, कूचविहार, कुडप्पा, कोल्हापुर, मैसूर, शोलापुर, वारंगल, सूरत एवं गोंडिया के गैर–प्रचालनात्मक हवाई अड्डों का विकास किया जा रहा है।

गुजरात में आमान परिवर्तन

580. श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी :
श्री महेश कनोडीया :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को कतिपय रेल लाइनों का बड़ी रेल लाइन में आमान परिवर्तन करने हेतु गुजरात सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा रेलवे द्वारा उस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) सुरेन्द्र नगर धारंगध्र, मेहसाना–पाटन, अहमदाबाद–बोटाद रेल लाइनों की वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार गुजरात राज्य सरकार ने गुजरात राज्य में अंशतः पड़ने वाली मीटर/छोटी लाइनों के आमान परिवर्तन के लिए अनुरोध किया था। गुजरात राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली चालू परियोजनाओं/आमान परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव और उन पर की गई कार्रवाई निम्नानुसार है :

क्रमांक	परियोजना	स्थिति
चालू परियोजनाएं		
1.	भिलड़ी–समदड़ी	इस कार्य को रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। मिट्टी संबंधी और पुल संबंधी कार्य शुरू हो गए हैं। इस कार्य के 2008–09 के दौरान समाप्त होने की योजना है।
2.	भरुच–सामनी दाहेज	यह कार्य रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। भरुच–दाहेज रेलवे कम्पनी लिमिटेड के नाम से विशेष प्रयोज्य योजना का निर्माण किया गया है और अंशधारकों के भी हस्ताक्षर हो चुके हैं। रियायत अनुबंध के हस्ताक्षर होने के बाद ठेका देने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी।
3.	मेहसाणा–पाटन	वीरमगाम–मेहसाणा पर कार्य समाप्त हो चुका है। मेहसाणा–पाटन को 2007–08 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
4.	सुरेन्द्र नगर–धारणगधरा	सुरेन्द्र नगर–धारणगधरा खंड पर कार्य शुरू कर दिया गया है और इसके 2007–08 के दौरान पूरा होने का लक्ष्य है।
प्रस्ताव		
1.	अहमदाबाद–बोटाद	सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू हो चुकी है।
2.	ढ़ासा–जेतलसर	
3.	अहमदाबाद–उदयपुर	
4.	ढासा–वेरावल	ढ़ासा–खिजडिया–वेरावल मार्ग पर सर्वेक्षण शुरू नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

तेल और गैस की खोज

581. श्री काशीराम राणा :
श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में प्राकृतिक गैस और तेल क्षेत्रों की खोज हेतु ईमानदारी से प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें गत दो वर्षों के दौरान प्राकृतिक गैस और तेल की खोज की गई;

(घ) इस कार्य को करने वाली सरकारी एजेंसी का नाम क्या है तथा गत दो वर्षों के दौरान इन कार्यों पर कितना व्यय हुआ;

(ङ) क्या तेल और गैस के खोज कार्य में निजी कंपनियां भी लगी हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (च) ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी), ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) और निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियां देश में तेल व गैस अन्वेषण कार्य में संलग्न हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय तेल कंपनियों, निजी व विदेशी कंपनियों को नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) के माध्यम से लगातार अन्वेषण ब्लॉकों के प्रस्ताव दिए जा रहे हैं। भारत सरकार ने एनईएलपी के तहत छह बोली दौरों में 162 अन्वेषण ब्लॉक प्रदान किए हैं। 43 तेल व गैस खोजें हो चुकी हैं। तेल व गैस खोजों की विकास योजना/मूल्यांकन कार्य प्रगति पर हैं।

पिछले दो वर्षों में ओएनजीसी तथा ओआईएल द्वारा अन्वेषण पर किया गया व्यय क्रमशः 4210 करोड़ तथा 9€8.24 करोड़ रुपए था। एनईएलपी के तहत, निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों ने लगभग 2.5 बिलियन अमरीकी डॉलर (10,000 करोड़ रुपए) का निवेश किया है।

पिछले 2 वर्षों में, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पश्चिम बंगाल के साथ–साथ पूर्वी व पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों में अन्वेषण संबंधी गतिविधियां की जा रही हैं।

अन्वेषण संबंधी प्रयासों को पूरित करने के लिए हाईड्रोकॉर्बन महानिदेशालय (डीजीएच) ने हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तरांचल, मिज़ोरम राज्यों में और कच्छ बेसिन क्षेत्रों, सौराष्ट्र अंचल, नर्मदा कैम्बे तथा मध्य भारत के दक्षिणी द्रौणी क्षेत्र में भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण करवाया है।

[अनुवाद]

निःशक्त विमान यात्रियों हेतु सुविधाएं

582. श्री रघुनाथ झा :
श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिकांश विमान कंपनियों में, विमानपत्तनों पर निःशक्त व्यक्तियों हेतु बुनियादी सुविधाए यथा आइल चेयर्स, ऐमब्युलिफ्ट्स की कमी है बावजूद इसके कि निःशक्त अधिनियम इनकी व्यवस्था अनिवार्य बनाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या विमान कंपनियां रोगी और निःशक्त व्यक्तियों के बीच अंतर नहीं करती तथा डाक्टर का प्रमाण–पत्र मांगती हैं;

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि विमान कंपनियां मामूली आधार पर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को विमान से न उतार सकें; और

(घ) विमान कंपनियों और विमानपत्तनों को निःशक्त अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा प्रमुख एयरलाइनों ने हवाई अड्डों पर बीमार तथा अक्षम व्यक्तियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं।

(ख) सभी एयरलाइनों ने अपनी अपनी वैबसाइट्स पर बीमार तथा अक्षम व्यक्तियों सहित यात्रियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं प्रकाशित की हैं।

(ग) और (घ) नागर विमानन महानिदेशालय ने विमान द्वारा शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के वहन के विषय पर एक नागर विमानन अपेक्षा (सीएआर) का मसौदा जारी किया है। इस मसौदा सी ए आर को सार्वजनिक टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात् अन्तिम रूप दिया जाएगा। प्रकाशित होने के बाद यह सीएआर सभी एयरलाइनों तथा हवाईअड्डा प्रचालनों के लिए अनिवार्य हो जाएगी। मसौदा सीएआर में उल्लिखित है कि किसी भी एयरलाइन को अक्षम व्यक्तियों अथवा शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के वहन से मना नहीं करना चाहिए यदि ऐसे वहन से संरक्षा को कोई खतरा उत्पन्न न हो।

सेतु समुद्रम परियोजना

583. श्री जुएल ओराम : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास सेतु समुद्रम परियोजना के क्रियान्वयन से राम सेतु को विनाश से बचाने के लिए कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) अब तक उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्य के अनुसार, राम सेतु प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के उपबंधों के अधीन राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किए जाने के लिए मानदण्ड पूरे नहीं करता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य अभियंता, दक्षिण रेलवे के कार्यालय को स्थानांतरित किया जाना

584. श्री पन्नियन रविन्द्रन :
श्री सी.के. चन्द्रप्पन :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण रेलवे ने मुख्य अभियता, (निर्माण) के कार्यालय को तिरुवनंतपुरम से एग्मोर, चेन्नई स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) चेन्नै में विभिन्न विभागों के मुख्यालयों के अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय की दृष्टि से मुख्य इंजीनियर (निर्माण), तिरुवन्तपुरम कार्यालय को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया था। बहरहाल, मुख्य इंजीनियर (निर्माण) तिरुवन्तपुरम मुख्यालय के शिफ्टिंग के संबंध में जारी किए गए आदेशों को फिलहाल रद्द कर दिया गया है।

सच्चर समिति की रिपोर्ट का क्रियान्वयन

585. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :
श्री किन्जरपु येरननायडु :
श्री एल. राजगोपाल :

क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सच्चर समिति द्वारा की गई सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्रियान्वयन के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस समिति की सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) से (ग) सच्चर समिति की सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है तथा अनवुर्ती कार्रवाई संबंधी निर्णय लिया गया है। सम्बद्ध मंत्रालयों/विभागों को पहले ही यह सलाह दी गई है कि वे निर्णय के अनुसरण में समुचित कार्रवाई करें। लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करने में अलग–अलग समय लगने के कारण एक विशिष्ट समय सीमा दिया जाना संभव नहीं है।

मुसलमानों के लिए विशेष योजना

586. श्री चन्द्रभूषण सिंह : क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मुसलमानों द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और अन्य मोर्चों पर सामना की जा रही समस्याओं को दूर करने हेतु जनजातीय उपयोजना की तर्ज पर मुसलमानों हेतु एक विशेष योजना पर विचार कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि यद्यपि सरकार ने 15 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की थी परंतु इस प्रयोजनार्थ कोई तंत्र या निधियां मुहैया नहीं करायी गयीं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री ने नए 15–सूत्री कार्यक्रम में शामिल विभिन्न योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए जहां कहीं संभव हो, लक्ष्यों व परिव्ययों के 15% के निर्धारण की व्यवस्था है। सरकार ने केन्द्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम पर पूरी निगरानी रखने के लिए तंत्र की व्यवस्था की है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी ऐसी व्यवस्था करने की सलाह दी गई है। कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इसका अनुसरण भी किया है।

विलय और अर्जन नीति

587. श्री जे.एम. आरून रशीद : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को घरेलू विमान क्षेत्र विशेषकर घरेलू विमान कंपनियों में विलय और अर्जन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान कितने विलय अथवा अर्जन हुए;

(ग) इन विलयों/अर्जनों की इक्विटियों का वित्तीय ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास कोई विलय और अर्जन नीति है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी हां।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान केवल एक अनुसूचित घरेलू एयरलाइन का अधिग्रहण हुआ है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2007 में जेट–एयरवेज ने सहारा एयरलाइंस को अधिग्रहीत किया है।

(ग) यह मंत्रालय विलयित एयरलाइन कंपनियों के वित्तीय ब्यौरे की संवीक्षा नहीं करती है। बहरहाल, यह निर्धारित नागर विमानन अपेक्षाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करती है।

(घ) जी हां। एयरलाइनों के विलय/टेक–ओवर तथा विमान की बिक्री/हस्तांतरण के मामले में हवाईअड्डा अवसंरचना के उपयोग के संबंध में नीति विद्यमान है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

स्टेशनों पर एक्स-रे मशीन

588. श्री रशीद मसूद : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि महानगरों में रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के सामान की जांच करने हेतु एक्स–रे मशीनें लगाने संबंधी एक प्रस्ताव 3 वर्ष पहले तैयार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को अभी तक लागू नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) रेलवे स्टेशनों पर एक्स–रे मशीन लगाने संबंधी प्रस्ताव को कब तक पूरी तरह क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस संबंध में अतिमहत्वपूर्ण स्टेशनों पर यात्रियों के सामान की जांच करने के लिए एक्स–रे मशीनों की संस्थापना हेतु प्रापण प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक ऐसी मशीन कोलकाता टर्मिनल रेलवे स्टेशन (चित्तपुर) पर संस्थापित की गई है और दिल्ली मेन स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 18 के लिए एक और मशीन खरीदी गई है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय रेलों पर अन्य 29 एक्स–रे मशीनों के प्रापण की प्रक्रिया चालू है।

तेल और गैस अन्वेषण हेतु अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी

589. श्री हरिसिंह चावड़ा :
श्री जीवाभाई ए. पटेल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस खोज प्रक्रियाओं हेतु प्रयुक्त अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का ब्यौरा क्या है तथा किन क्षेत्रों में इनका प्रयोग किया गया;

(ख) ऐसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग से किए गए प्रगतिशील कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे किए गए प्रगतिशील कार्यों पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) भारत में तेल और गैस के अन्वेषण में लगी कंपनियां (निजी, सार्वजनिक और संयुक्त उद्यम) कुछ नवीनतम प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर रही हैं, जो निम्नानुसार है :

- क्यू मैरीन, सीब्ड लॉगिंग, जी एक्स टेकनोलॉजी का इंडिया स्पैन कैम्पेन और हवाई विद्युत चुम्बकीय सर्वेक्षण (एईएम)
- त्रिआयामी उच्च घनत्व, लम्बा आफसेट सर्वेक्षण, बहु अस्थिर विद्युत चुम्बकीय (एमटीईएम) सर्वेक्षण, वर्धुअल वेधन और पीसी समूह प्रौद्योगिकी।
- अधिक और न्यून प्रौद्योगिकी।
- नियंत्रण स्रोत विद्युत चुम्बकीय सर्वेक्षण, चुम्बकीय–वंगकिक सर्वेक्षण, महासागर तल भूकंपीय सर्वेक्षण।

इन अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों से किए गए प्रगामी कार्य उप–समूह विशेषताओं के वर्धित वियोजन और दृश्यीकरण, संगणनात्मक शक्ति और अधिक सार्थक निर्वचन के लिए आंकड़ों के विभिन्न घटकों की बड़ी मात्रा की साज–संभाल और विश्लेषण के संबंध में है, जिनके परिणामस्वरूप रकबों का वर्धित मूल्यांकन, सूक्ष्म विशेषताओं का अन्वेषण, जोखिम कमी और तुलनात्मक रूप से कम वेधन आवश्यकता रही है।

(ग) उपर्युक्त के परिणामस्वरूप गहन जल और गैर अन्वेषित बेसिनों में हाईड्रोकार्बन खोजें की गई हैं। परिपक्व बेसिनों में नई खोजें भी की जा रही है। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न हाइड्रोकार्बन क्षेत्रों में ज्ञान आधार में धातीय विकास भी हुआ है।

[अनुवाद]

रेलवे आरक्षण प्रणाली की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा

590. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी :
श्री सी.के. चन्द्रप्पन :
श्री नवजोत सिंह सिद्धू :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रेल कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली की सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) लेखापरीक्षा में कुछ गंभीर खामियां सामने आयी हैं जिनके कारण व्यर्थ का व्यय हो रहा है और यात्रियों को असुविधा हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) भारतीय रेल कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली की सूचना प्रौद्योगिकी लेखा परीक्षा से कुछ डिजाइनों में तथा मैनुअल कंट्रोल पर आधारित प्रणाली से संबंधित कतिपय क्षेत्रों में कमियां पायी गयी है।

(ग) रेल सूचना प्रणाली केन्द्र (क्रिस) जो भारतीय रेल की सूचना प्रौद्योगिकी कर शाखा है, ने अपेक्षित निवारक उपाय शुरू किए हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे व्यापक पैमाने पर सूचना प्रौद्योगिकी चालित प्रणाली के सॉफ्टवेयर की फाइन टयूनिंग करना एक सतत् प्रक्रिया है। जब भी कमी कोई सॉफ्टवेयर में खराबी या कमी देखी जाती है तो उसे प्राथमिकता के आधार पर ठीक किया जाता है।

अ.जा., अ.पि.व. और अल्पसंख्यकों हेतु छात्रवृत्ति

591. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अल्पसंख्यकों हेतु मैट्रिक पूर्व/मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति बढ़ाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त श्रेणियों को कितनी छात्रवृत्ति दी गयी तथा लाभार्थियों की संख्या कितनी है; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत निधियों के आबंटन हेतु दिशानिर्देश क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) दिशा–निर्देश मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध है।

विवरण

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विगत तीन वर्षों (अर्थात् 2004–05 से 2006–07) के दौरान जारी सहायता अनुदान और लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा

1. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

वर्ष	देश		आंध्र प्रदेश	
	जारी राशि (लाख रुपए)	लाभार्थियों की संख्या	जारी राशि (लाख रुपए)	लाभार्थियों की संख्या
2004–05	33027.29	22,64,321	8434.70	3,46,495
2005–06	54809.52	25,41,282	9435.46	3,77,529
2006–07	52602.65	29,58,742	6265.74	4,14,537

2. अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

वर्ष	देश		आंध्र प्रदेश	
	जारी राशि (लाख रुपए)	लाभार्थियों की संख्या	जारी राशि (लाख रुपए)	लाभार्थियों की संख्या
2004–05	1875.66	12,87,610	673.37	1,20,000
2005–06	1970.99	13,28,872	457.86	1,00.229
2006–07	2526.99	9,57,338	510.00	1,04,000

3. अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

वर्ष	देश		आंध्र प्रदेश	
	जारी राशि (लाख रुपए)	लाभार्थियों की संख्या	जारी राशि (लाख रुपए)	लाभार्थियों की संख्या
2004–05	2466.97	2,27,980	299.02	15,454
2005–06	2640.62	1,71,926	299.02	15,454
2006–07	5373.90	4,16,768	364.73	17,000

रिग्स की कमी

592. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल खोज कंपनियां, जिन्हें हाल के वर्षों में खोज हेतु ब्लाक आबंटित किए गए हैं, रिग्स की अनुपलब्धता की वजह से खोज कार्य शुरू नहीं कर सकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) खोज कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा रिग्स की कमी को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (घ) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपतटीय रिग्स की कमी कई अन्वेषण ब्लाकों में वेधन प्रतिबद्धता को प्रभावित करती है।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपतटीय रिग्स की अनुपलब्धता की अप्रत्याशित स्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं –

(1) सरकार ने एनईएलपी–3 तथा 4 अपतटीय ब्लाकों के चरण–1 व 2 की अन्वेषण अवधियों का एक नए चरण में विलय जिसे चरण–1 कहा जाएगा तथा चरण–2 और 3 के न्यूनतम कार्य कार्यक्रम का विलय जिसे चरण–2 कहा जाएगा, के विलयन के लिए जून, 2007 में नीतिगत दिशानिर्देश जारी किए हैं।

(2) संयुक्त रूप से रिग्स संसाधनों को बांटने तथा भाड़े पर लेने के लिए प्रचालकों के बीच रिग बांटने का कार्य प्रायोगिक आधार पर पूर्वी तट में शुरू किया गया है।

[हिन्दी]

दैनिक आधार पर 'गरीब रथ' ट्रेन

593. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार जनता में 'गरीब रथ' ट्रेन की लोकप्रियता के आलोक में उन्हें दैनिक आधार पर चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कम दूरी के स्टेशनों के बीच, 'गरीब रथ' की तर्ज पर समान किराया ढांचे के साथ वातानुकूलित कुर्सीयान ई.एम.यू. रेलगाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी नहीं। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तत्काल योजना में भ्रष्टाचार

594. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे की 'तत्काल योजना' में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो पिछले छह महीनों के दौरान इस संबंध में पता चली घटनाओं का ब्यौरा क्या है तथा उन पर क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या इस प्रकार के काम में रेलवे कर्मचारियों की मिलीभगत का पता चला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) ऐसी गतिविधियों को रोकने हेतु रेलवे द्वारा क्या कठोर उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) पिछले छः महीनों के दौरान संशोधित तत्काल योजना में भ्रष्टाचार की कोई रिपोर्ट ध्यान में नहीं आई है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) तत्काल आरक्षण योजना सहित आरक्षण में कदाचारों में लिप्त कर्मचारियों को पकड़ने के लिए समय–समय पर जांचें की जाती है।

स्टेशनों पर दलालों के कारण समस्याएं

595. श्री निखिल कुमार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर भारी संख्या में दलाल अपनी गतिविधियां चला रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान रेलवे सुरक्षा बल द्वारा कितने दलाल पकड़े गए;

(ग) क्या रेलवे स्टेशनों पर दलालों से निजात पाने हेतु रेलवे द्वारा कोई आगे की रणनीति तैयार की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी हां, रेल सुरक्षा बल (आर पी एफ), सतर्कता और वाणिज्य कर्मचारियों के संयुक्त प्रयासों के कारण, वर्ष 2006 के दौरान भारतीय रेलों पर रेल अधिनियम के प्रावधानों के अधीन 1015 दलाल और जून 2007 तक 655 दलाल पकड़े गए।

(ग) और (घ) दलालों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :–

(क) आरक्षण परिसरों पर दलालों और अन्य अवांछनीय तत्वों को रेल अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत गिरफ्तार करने के लिए उन पर निगरानी रखने हेतु रे.सु.ब. कर्मचारियों को तैनात किया जाता है।

(ख) भेद्य बुकिंग काउंटरों और आरक्षण केन्द्रों पर रे.सु.ब. सतर्कता और वाणिज्य कर्मचारियों द्वारा समय–समय पर विशेष संयुक्त छापे मारे जाते हैं।

(ग) भेद्य स्थलों पर दलालों की गतिविधियों के बारे में आसूचना एकत्र करने के लिए आसूचना तंत्र को मजबूत किया गया है।

(घ) दलालों व किसी अन्य अप्राधिकृत एजेन्टों से टिकटों की रसीद के प्रति यात्रियों को सचेत करने के लिए रेलवे स्टेशनों व आरक्षण परिसरों पर निरंतर घोषणाएं की जाती हैं।

विश्व बैंक से आर्थिक सहायता

596. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के क्षेत्र में अवसंरचनात्मक विकास हेतु विश्व बैंक से वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस प्रस्ताव पर विश्व बैंक की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) देश के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र को कितना लाभ मिलेगा?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में बुनियादी सुविधा विकास हेतु विश्व बैंक से वित्तीय सहायता की संभावनाओं के मुद्दे पर जून, 2007 में इस मंत्रालय द्वारा विश्व बैंक के अधिकारियों के साथ विचार–विमर्श किया गया था। इसके लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के वास्ते कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

दवाओं की कीमतों में वृद्धि

597. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फार्मा कंपनियों ने आमतौर पर उपयोग की जाने वाली नौ दवाओं की कीमतों में अनुचित वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने आमतौर पर उपयोग नहीं की जाने वाली उन दवाओं की कीमतें नियत की हैं जिसमें यह नोटिस किया गया कि उनके मूल्यों में बगैर उचित कारणों से कीमतें बढ़ गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) से (ङ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1955 (डीपीसीओ 95) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट 74 बल्क औषध एवं उन पर आधारित फार्मूलेशन मूल्य नियंत्रणाधीन हैं एवं उनके मूल्य, राष्ट्रीय औषधीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा डीपीसीओ 95 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित/संशोधित किए जाते हैं। डीपीसीओ, 95 के अंतर्गत अनुसूचीबद्ध औषधों एवं फार्मूलेशनों का मूल्य निर्धारण/संशोधन एक सतत प्रक्रिया है। एनपीपीए द्वारा निर्धारित मूल्य का कोई उल्लंघन होने पर अतिप्रभारित राशि की वसूली के लिए एनपीपीए द्वारा कार्रवाई की जाती है।

एनपीपीए, अपने मूल्य मानीटरिंग कार्यकलाप के अंग के रूप में गैर–अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों के मूल्यों में उतार–चढ़ाव की कुछ आंतरिक दिशानिर्देशों के साथ नियमित रूप से जांच करता है। गैर–अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों के मूल्यों की मानीटरिंग के लिए ओआरजी–आईएमएस की मासिक रिपोर्टों तथा व्यक्तिगत विनिर्माताओं द्वारा दी गई सूचना का प्रयोग किया जाता है। जहां कहीं असामान्य मूल्य–वृद्धि पाई जाती है, वहां आवश्यक कार्रवाई की जाती है। विनिर्माताओं को मूल्यों में कमी लाने के लिए कहा जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

एनपीपीए ने 13.06.2007 व 27.06.2007 को नौ गैर–अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों के मूल्य निर्धारित किए हैं और तत्पश्चात जनहित में डीपीसीओ, 1995 के पैरा 10(ख) के तहत उन 11 गैर–अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों, जिनकी मूल्य वृद्धि जायज नहीं थी, के मूल्य 30.7.2007 को निर्धारित किए।

[हिन्दी]

रेलवे में माल की बुकिंग में विलम्ब

598. श्री जीवाभाई ए. पटेल :
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि रेलवे में माल की बुकिंग में अनावश्यक विलम्ब होता है तथा माल की ढुलाई मांग के अनुसार नहीं होती है;

(ख) यदि हां, तो इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) माल की ढुलाई मांग के अनुसार समय पर सुनिश्चित करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) सामान की बुकिंग और पारवहन मौजूदा नीति–निर्देशों के अनुसार किया जाता है। परिचालनिक आवश्यकताओं के अध्ययधीन माल का समय पर पारवहन करने के सभी संभव प्रयत्न किए जाते हैं।

[अनुवाद]

वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन

599. प्रो. हन्नान मोल्लाह :
श्री प्रतीक पी. पाटील :

क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** वक्फ अधिनियम, 1995 मे संशोधन के बारे में 15 मार्च, 2007 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2344 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन की प्रक्रिया के संबंध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) उक्त अधिनियम में कब तक संशोधन किए जाने की संभावना है?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) वक्फ अधिनियम, 1995 में एक व्यापक संशोधन, सरकार के विचाराधीन है।

(ख) इस चरण पर सही समय सीमा बताना संभव नहीं है। फिर भी इसे शीघ्र अति शीघ्र किया जाएगा।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में खाद्य पार्क

600. योगी आदित्यनाथ : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर खाद्य पार्कों की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जी.आई.डी.ए.) से इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गोरखपुर में खाद्य पार्क की स्थापना में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(च) गोरखपुर में खाद्य पार्क की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (च) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य पार्कों की स्थाना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। यह मंत्रालय स्वयं खाद्य पार्कों की स्थापना नहीं करता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में पांच खाद्य पार्कों यानी गाजियाबाद, खरकीयों (जिला–वाराणसी), बाराबंकी, खुशालीपुर (जिला–सहारनपुर) और सहजनवा (जिला–गोरखपुर), के लिए वित्तीय सहायता अनुमोदित की है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण से प्राप्त सहजनवा (जिला–गोरखपुर) स्थित खाद्य पार्क संबंधी परियोजना प्रस्ताव के लिए वर्ष 2004–05 में 323.11 लाख रुपये की सहायता अनुमोदित की गई थी। मंत्रालय द्वारा लगातार निगरानी और अनुसरण के बाद निधियां जारी करने संबंधी औपचारिकताएं उक्त प्राधिकरण द्वारा पूरी की गई, उक्त प्राधिकरण को 80.77 लाख रुपये वितरित किए गए हैं। उक्त प्राधिकरण परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आगे और आवश्यक कदम उठा रहा है। मंत्रालय का उद्देश्य एक निर्धारित समय–सीमा के भीतर खाद्य पार्कों की स्थापना करना है ताकि समूहीकृत तथा मांग प्रेरित खेती द्वारा किसानों को अत्यधिक लाभ हो।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को परीक्षा-पूर्व कोचिंग सुविधा

601. श्री रामदास आठवले : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों ने गत तीन वर्षों के दौरान सिविल सेवाओं के लिए तैयारी करने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग/ट्यूटोरियल कक्षाएं चलाने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वीकृत किए जा रहे प्रस्ताव तथा आबंटित की जा रही निधियों/अनुदानों की राशि का राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त छात्रों के लिए अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु देश के विभिन्न स्थानों में विशेषकर गुजरात के जनजातीय क्षेत्रों में केन्द्रीय सहायता से चलाई जा रही निःशुल्क कोचिंग कक्षाओं का राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (ग) जी, हां। गत तीन वर्षों अर्थात् 2004–05 से 2006–07 के दौरान अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों को समूह 'क' सेवाओं के लिए कोचिंग और संबद्ध सहायता प्रदान करने तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग और संबद्ध सहायता प्रदान करने की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों को जारी की गई सहायता अनुदान राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(घ) अनुसूचित जातियों (अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों सहित) तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को कोचिंग प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों, विश्वविद्यालयों और निजी संस्थानों को वर्ष 2006–07 के दौरान जारी की गई केन्द्रीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

विवरण-I

अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को समूह 'क' सेवाओं के लिए कोचिंग प्रदान करने हेतु कोचिंग और संबद्ध सहायता योजना के अंतर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी की गई निधियां

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य का नाम	जारी की गई निधि		
		2004–05	2005–06	2006–07
1.	आंध्र प्रदेश	11.62	9.34	85.82
2.	पंजाब	8.05	0	0.00
3.	दिल्ली	0	3.47	0

सिविल सेवाओं के लिए अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को कोचिंग प्रदान करने के लिए कोचिंग और संबद्ध सहायता योजना के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई निधियां

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य का नाम	जारी की गई निधि		
		2004–05	2005–06	2006–07
1.	आंध्र प्रदेश	2.24	12.84	2.88
2.	असम	1.57	1.99	0.00
3.	छत्तीसगढ़	3.06	0.00	0.00
4.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	0.80	0.00	0.00
5.	कर्नाटक	1.49	0.88	8.47
6.	केरल	0.00	0.48	0.00
7.	महाराष्ट्र	0.00	7.12	0.00
8.	उड़ीसा	0.00	14.3	0.00

विवरण-II

वर्ष 2006–07 के दौरान अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को कोचिंग प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी निधियां

लाख रुपए

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश/ विश्वविद्यालय/गैर सरकारी संगठन	2006–07
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	125.32
2.	एनआईआईटी लि. हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	7.60
3.	ट्रेनिंग रीकंसट्रक्शन एज्यूकेशनल एन्वायर. मेंटल सोसाइटी (ट्रीज) नैल्लोर, आंध्र प्रदेश	3.59
4.	जाकिर हुसैन प्री एगजामीनेशनन कोचिंग सेंटर, गुंटूर, आंध्र प्रदेश	3.65
5.	विकास सेवा समिति, चित्तोर, आंध्र प्रदेश	7.71
6.	नव चेतन्य यूथ एसो. संघरेड्डी मेडक, आंध्र प्रदेश	3.65

1	2	3
7.	हनुमान रेतु सेवा संगम, संघरेड्डी मेडक, आंध्र प्रदेश	1.22
8.	श्री राजू एज्यूकेशनल सोसाइटी, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश	2.43
9.	राष्ट्रीय कंप्यूटर प्रबंधन संस्थान, नौगांव, असम	1.22
10.	जिला कृषि एवं ग्रामीण विकास संघ, दारांग, असम	1.22
11.	शिक्षा प्रतिष्ठान, असम	2.43
12.	महिला मंडल, नोगांव, असम	1.22
13.	जीएआरडी, कामरूप, असम	1.22
14.	बहुमुखी कृषि और समाज कल्याण समिति, नोगांव, असम	1.22
15.	पटना विश्वविद्यालय, पटना बिहार	6.58
16.	सूवानी शिक्षण समिति, दुर्ग, छत्तीसगढ़	1.22
17.	महाकौशल प्रशासनिक कैरियर अकादमी, रायपुर छत्तीसगढ़	3.29
18.	एनआईआईटी, छत्तीसगढ़	2.53
19.	एनआईआईटी, नई दिल्ली	11.41
20.	दिल्ली शिक्षा केन्द्र, नई दिल्ली	3.71
21.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश	2.90
22.	एनआईआईटी, शिमला, हिमाचल प्रदेश	2.53
23.	डा. सक्सेना दृष्टि प्रतिष्ठान, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर	3.71
24.	यूनिवर्सल कोचिंग, कर्नाटक	5.77
25.	दलित महासभा देवानगीर, कर्नाटक	1.86
26.	एपीएस विश्वविद्यालय रीवा, मध्य प्रदेश	7.70
27.	श्रीमती शांति देवी महिला मंडल, भिंड, मध्य प्रदेश	0.79
28.	सुरूचि वीपीएस, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	2.43
29.	संत कबीर शिक्षा समिति, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	1.22
30.	ग्राम भारती संस्थान, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	2.43
31.	अहिल्या बहुशिक्षा प्रसार मंडल, लातूर, महाराष्ट्र	2.43
32.	अखिल भारतीय सेवा समाज उत्कर्ष मंडल, जलगांव, महाराष्ट्र	4.38
33.	मानव सेवा मंडल, बीड़, महाराष्ट्र	1.35
34.	एनआईआईटी मुंबई, महाराष्ट्र	15.04
35.	स्वामी विवेकानंद शिक्षण प्रसारक मंडल, हिंगोली, महाराष्ट्र	1.35
36.	अन्नपूर्णा शिक्षण संस्थान, हिंगोली, महाराष्ट्र	1.22
37.	ज्ञानवर्धनी शैक्षिक और प्रमार्थ प्रतिष्ठान, शोलापुर, महाराष्ट्र	4.38
38.	गुरू कृपा कल्याण समिति, औरंगाबाद, महाराष्ट्र	1.35
39.	महिला आर्थिक विकास समिति, इंफाल मणिपुर	3.64
40.	पर्यावरण और आर्थिक प्रबंधन परिसंघ, इंफाल मणिपुर	1.22
41.	ग्रामीण उद्योग विकास परिसंघ, मणिपुर	2.43
42.	सामाजिक विकास और पुनर्वास परिसर, फुदेन, थोबल	4.86
43.	केयर, इंफाल पूर्व, मणिपुर	1.22
44.	ग्रामीण विकास केन्द्र, थोबल, मणिपुर	1.35
45.	टंकण संस्थान और विकास सेवाएं, मणिपुर	2.10
46.	सामाजिक जागरूकता और विकास अधिकरण, इंफाल, मणिपुर	3.65
47.	पश्चिमी ग्रामीण समाजार्थिक विकास संगठन, इंफाल पश्चिम, मणिपुर	1.22
48.	सामाजिक शैक्षिक हेल्पलाइन प्रतिष्ठान, मणिपुर	1.22
49.	ग्रामीण विकास आयोजन के लिए सामाजिक केन्द्र, कटक, उड़ीसा	2.70
50.	अभिनव, कटक, उड़ीसा	1.22
51.	एनएसए, कृषि समिति, जयपुर, राजस्थान	19.44
52.	बलराम आदर्श विद्यालय समिति, जयपुर, राजस्थान	0.76

1	2	3
53.	श्रीकृष्ण विद्यालय प्रबंधन समिति, श्रीगंगानगर, राजस्थान	1.22
54.	विद्यामंदिर शिक्षा समिति, श्रीगंगानगर, राजस्थान	6.13
55.	विद्या मंदिर शिक्षा समिति, हनुमानगढ़, राजस्थान	2.52
56.	इंदिरा देवी मेमोरियल जनकल्याण संस्था, श्रीगंगानगर, राजस्थान	3.74
57.	राजस्थान जनकल्याण और महिला विकास समिति, श्रीगंगानगर, राजस्थान	1.22
58.	न्यू पब्लिक मॉर्डन शिक्षण संस्थान, पाली, मारवाड़, राजस्थान	1.22
59.	जीइएनयूएस, जयपुर, राजस्थान	1.22
60.	भारतीय विद्यापीठ, डुंगरपुर, राजस्थान	1.22
61.	सृजन संस्थान, भरतपुर, राजस्थान	1.22
62.	एनआईआईटी, चेन्नई तमिलनाडु	15.04
63.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	9.76
64.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश	26.36
65.	एनआईआईटी लि. कोलकाता, पश्चिम बंगाल	17.68
	कुल	390.70

वर्ष 2006–07 के दौरान अनुसूचित जनजाति के छात्रों को कोचिंग प्रदान करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी निधियां

1.	आंध्र प्रदेश	15.76
2.	बिहार	2.36
3.	दिल्ली शिक्षा केन्द्र, दिल्ली (गैर सरकारी संगठन)	5.52
4.	कर्नाटक	10
5.	मध्य प्रदेश	22.05
6.	स्टडी फोरम, जी 30, चानमारी, आइजाल, मिजोरम	6.68
7.	मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर राजस्थान	7.56
	कुल	69.93

[अनुवाद]

जम्मू एवं कश्मीर में संरक्षित स्मारक

602. चौधरी लाल सिंह : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू एवं कश्मीर स्थित केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान स्मारकों के रख–रखाव के लिए कितनी राशि आबंटित की गई; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन स्मारकों से सरकार द्वारा कितना राजस्व अर्जित किया गया?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) जम्मू और कश्मीर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के श्रीनगर मण्डल के क्षेत्राधिकार में राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित 69 स्मारक/स्थल हैं और इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन स्मारकों के रख–रखाव के लिए आबंटित राशि निम्नानुसार है :–

2004–05	240.00 लाख रुपए
2005–06	275.00 लाख रुपए
2006–07	275.70 लाख रुपए

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रवेश शुल्क द्वारा अर्जित राजस्व की राशि निम्नानुसार है :–

2004–05	2.35 लाख रुपए
2005–06	2.37 लाख रुपए
2006–07	2.31 लाख रुपए

विवरण

जम्मू और कश्मीर में केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों की सूची

क्र.सं.	स्मारक/स्थल का नाम	स्थान	जिला
1	2	3	4
1.	चक्रधर/सेमथन का प्राचीन स्थल	सेमथन	अनंतनाग
2.	मुगल आर्कड तथा स्प्रींग, वेरीनाग	वेरीनाग	अनंतनाग

1	2	3	4
3.	करतन्दा (सूर्य मंदिर)	रणवीरपुर	अनंतनाग
4.	वमजुवा गुफा तथा मंदिर	वमजुवा	अनंतनाग
5.	देतहा मंदिर	बांदी	बारामूला
6.	प्राचीन मंदिर	बुनियार	बारामूला
7.	प्राचीन मंदिर	फतेहगढ़	बारामूला
8.	प्राचीन स्तूप (उत्खनित अवशेष)	ऊषकर	बारामूला
9.	प्रतापस्वामी मंदिर	तप्पवारीपोर	बारामूला
10.	शंकरा गौरीश्वरा मंदिर	पट्टन	बारामूला
11.	सुगन्धेसा मंदिर	पट्टन	बारामूला
12.	प्राचीन स्तूप, चैत्य तथा मठ	देवर याखामनपजोर/ परिहासपजोरा	बारामूला
13.	प्राचीन स्थल	सम्बल	बारामूला
14.	दीप समूह पर मस्जिद तथा अन्य प्राचीन अवशेष	नूलर लेक	बारामूला
15.	खानपुर सराय	खानपुर	बड़गाम
16.	अखनूर स्थित किला	अखनूर	जम्मू
17.	प्राचीन स्थलों के अवशेष (पम्बारन)	अंबारन	जम्मू
18.	प्राचीन मंदिर (हरिहर)	बिल्लावर	कथुआ
19.	शेर पर सवार देवी की शैल मूर्ति	बसोहली	कथुआ
20.	सीतला, नारद, ब्रह्मा तथा राधा कृष्ण की शैल मूर्तियां	बसोहली	कथुआ
21.	विश्वेश्वरा तथा अन्य गुफा मंदिर	बसोहली	कथुआ
22.	त्रिलोचननाथ मंदिर	महाडेरा	कथुआ
23.	द्रास की मूर्तियां	द्रास	कारगिल
24.	शैलकृत मूर्तियां	मलबाग	कारगिल
25.	बौद्ध मठ	लामायूरू	लेह
26.	बौद्ध मठ	लाकिर	लेह
27.	बौद्ध मठ	अल्ची	लेह
28.	बौद्ध गोंपा	फ्यांग	लेह
29.	प्राचीन महल	लेह	लेह
30.	पुराना महल (टसेमो पहाड़ी)	लेह	लेह
31.	स्तूप	तिस्सेरू	लेह
32.	प्राचीन महल तथा वेदी	शेह	लेह
33.	हेमिस गोंपा	हेमिस	लेह
34.	प्राचीन गोंपा	थिकशे	लेह
35.	चार देवों की वेदी गोन–खांग (टसेमों पहाड़ी)	लेह	लेह
36.	आलियाबाद सराय	अलियाबाद	पुलवामा
37.	अवन्ति स्वामी मंदिर	अवन्तिपुरा	पुलवामा
38.	अवनितस्वारा मंदिर	अवन्तिपुरा	पुलवामा
39.	हीरपुर सराय	हीरपुर	पुलवामा
40.	प्राचीन मंदिर	काकापोरा	पुलवामा
41.	एकाश्म वेदी	खेरू	पुलवामा
42.	प्राचीन मंदिर के अवशेष	खेरू	पुलवामा
43.	प्राचीन मंदिर	लोदुव	पुलवामा
44.	प्राचीन स्तूप के अवशेष	मलन गोपुरा	पुलवामा
45.	प्राचीन मंदिर के अवशेष	पामपुर	पुलवामा
46.	प्राचीन शिव मंदिर	पायर	पुलवामा
47.	पत्थर मस्जिद	जैना कादल	श्रीनगर
48.	प्राचीन मंदिर	बोहरी कादल	श्रीनगर
49.	जैनऊल अबूदीन की मां का मकबरा	जैना कादल	श्रीनगर
50.	शाह हंदन की खान काह	शाह हंडन	श्रीनगर
51.	अखुंद मुल्ला शाह की मस्जिद	काठी दरवाजा	श्रीनगर
52.	किले के रैमपर्ट में दरवाजे	काठी दरवाजा	श्रीनगर

1	2	3	4
	(क) काठी दरवाजा		
	(ख) संगेन दरवाजा	संगेन दरवाजा	
53.	प्राचीन मंदिर	हरि पर्वत	श्रीनगर
54.	प्राचीन मंदिर समूह	नारानाग	श्रीनगर
55.	प्राचीन स्थल तथा अवशेष	बुर्जहोम	श्रीनगर
56.	प्राचीन मठ तथा स्तूप	हरवान	श्रीनगर
57.	मेहराबी छतों का समूह/ संरचनात्मक परिसर	परी महल	श्रीनगर
58.	शंकराचार्य मंदिर	कोठी बाग/ दुर्गानाग	श्रीनगर
59.	प्राचीन स्थल	पंडरेथन	श्रीनगर
60.	उत्खनित अवशेष	पंडरेथन	श्रीनगर
61.	पंडरेशन मंदिर	पंडरेथन	श्रीनगर
62.	प्राचीन स्थल बाबौर	थलोरा	उधमपुर
63.	देवी भगवती मंदिर,बाबौर	थलोरा	उधमपुर
64.	प्राचीन मंदिर डेरा, बाबौर	थलोरा	उधमपुर
65.	प्राचीन मंदिर काला डेरा I और II	मनवल	उधमपुर
66.	प्राचीन मंदिर, बाबौर	मनवल	उधमपुर
67.	मंदिरों का समूह	किरमची	उधमपुर
68.	राजा सुचेत सिंह को समर्पित प्राचीन किला तथा राजा सुचेत सिंह की रानी की समाधि	रामनगर	जम्मू
69.	राजा सुचेत सिंह को समर्पित प्राचीन महल	रामनगर	जम्मू

जैव ईंधन का उत्पादन

603. श्री रेवती रमन सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में शुगर को डाइवर्ट करके जैव ईंधन के उत्पादन के लिए इस प्रयोजनार्थ कोई अनुसंधान किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुसंधान करने वाली संस्थाओं ने खाद्य के अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र के विशेष संपर्क अधिकारी द्वारा पश्चिमी देशों को दी गई उस चेतावनी पर ध्यान दिया है जिसमें उन पर आयातित तेल पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए जैव ईंधनों को बढ़ावा देने के लिए "कोरे पाखण्ड" का आरोप लगाया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई अनुसंधान नहीं किया गया है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पेट्रोल पंपों/गैस एजेंसियों का आबंटन

604. श्री तूफानी सरोज : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सामान्य श्रेणी तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को पेट्रोल पंपों/गैस एजेंसियों के आबंटन के लिए कतिपय मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) क्या सरकार को इन मानदंडों के उल्लंघन के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य विशेषकर उत्तर प्रदेश से ऐसी कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (घ) प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (एपीएम) की 1.4.2002 को समाप्ति के पश्चात, सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज़) को स्थान चुनने की तथा अपने वाणिज्यिक दृष्टिकोणों के अनुसार खुदरा बिक्री केन्द्र (आरओ) डीलरों/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों को चुनने की स्वतंत्रता दी गई है।

किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप तथा आरओ डीलरशिप की स्थापना से पहले स्थान की संभाव्यता/वाणिज्यिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए ओएमसीज़ व्यवहार्यता सर्वेक्षण आयोजित करती हैं और यदि यह व्यवहार्य पाए जाते हैं तो विज्ञापन जारी करना, पात्र उम्मीदवारों के साक्षात्कार आयोजित करना आदि जैसी अगली आवश्यक कार्रवाईयां की जाती हैं। प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत निम्नलिखित है :

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी)	–	25%
रक्षा श्रेणी (डीसी)	–	8%
अद्धसैनिक/पुलिस/सरकारी कार्मिक (पीएमपी)	–	8%
शारीरिक रूप से विकलांक व्यक्ति (पीएच)	–	5%
स्वतंत्रता सेनानी (एफएफ)	–	2%
उत्कृष्ट खिलाड़ी (ओएसपी)	–	2%
		50%

ओएमसीज़ ने आरओ डीलरों/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन में आरक्षण की शर्तों के संबंध में दिशानिर्देशों के किसी प्रकार के उल्लंघन के बारे में सूचित नहीं किया है।

[अनुवाद]

यौनकर्मियों के बच्चों का पुनर्वास

605. श्रीमती मिनाती सेन : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा यौनकर्मियों, शारीरिक हिंसा तथा यौन–शोषण के पीड़ितों के बच्चों के पुनर्वास के लिए सामाजिक सुरक्षा की सामान्य योजना के अंतर्गत कोई योजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन योजनाओं में प्रत्येक योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार कितनी निधियां आबंटित तथा जारी की गई?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) और (ख) जी, हां। समाज रक्षा के क्षेत्र में सहायता के लिए सामान्य सहायता अनुदान कार्यक्रम के अंतर्गत उन परियोजनाओं को जो निवाराणात्मक, सुरक्षात्मक, विकास तथा पुनर्वासात्मक सेवाएं प्रदान करते हैं, वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। समस्या मूलक क्षेत्रों से निपटने के लिए परियोजनाएं जो आमतौर पर सेवारहित है लेकिन जिसके लिए तत्काल जरूरत है, इस योजना के अंतर्गत भी शामिल किए जाते हैं।

(ग) वर्ष 2004–05 के दौरान आंध्र प्रदेश और गुजरात प्रत्येक में एक–एक परियोजनाओं के लिए क्रमशः 1.59 लाख रुपए और 37.44 लाख रुपए जारी किया गया था जबकि 2004–05, 2005–06 तथा 2006–07 के दौरान पश्चिम बंगाल में 5 परियोजनाओं के लिए क्रमशः 21.62 लाख रुपए, 51.7 लाख रुपए तथा 16.15 लाख रुपए जारी किया गया था।

[हिन्दी]

नवी मुंबई में विमानपत्तन

606. श्री संजय धोत्रे :

श्री मिलिन्द देवरा :

क्या **नागर विमानन मंत्री** नवी मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का निर्माण के बारे में 26 अप्रैल, 2007 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3483 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नवी मुम्बई में विमानपत्तन के निर्माण के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कुल कितना व्यय होने की संभावना है तथा इसका निर्माण कब तक किए जाने तथा चालू होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) भारत सरकार ने, नवी मुम्बई में सरकारी निजी भागीदारी के माध्यम से एक नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना का अनुमोदन "सिद्धान्तरूप में" प्रदान कर दिया है। परियोजना की लागत लगभग 9970 करोड़ रुपये है। परियोजना का निर्माण 1140 हेक्टेअर भूमि पर होगा और 4 चरणों में क्रियान्वित की जाने वाली परियोजना का पहला चरण 2012 में पूरा किया जाएगा।

कच्चे तेल का उत्पादन

607. श्री रमेश दूबे : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रति वर्ष औसतन कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जा रहा है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रति वर्ष औसतन कितनी मात्रा में कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जा रहा है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में वर्तमान में चल रही योजनाओं/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज तथा अभिवृद्धि के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं/योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) पिछले 3 वर्षों में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का औसतन उत्पादन क्रमशः लगभग 33.38 मिलियन मीट्रिक टन और 31.82 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) प्रति वर्ष था। कच्चे तेल और गैस का वर्षवार उत्पादन निम्नानुसार है :

वर्ष	कच्चा तेल (एमएमटी)	प्राकृतिक गैस (बीसीएम)
2004–05	33.98	31.762
2005–06	32.191	32.206
2006–07	33.98	31.51

(ख) पिछले 3 वर्षों में औसत कच्चा तेल आयात 102.25 एमएमटी था। आयातित कच्चे तेल का वर्षवार ब्यौरा निम्नानुसार है :

वर्ष	आयातित कच्चा तेल (एमएमटी)
2004–05	95.861
2005–06	99.409
2006–07	111.502

प्राकृतिक गैस का आयात तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के रूप में किया जाता है। आयातित एलएनजी का वर्षवार ब्यौरा निम्नानुसार है :

वर्ष	आयातित एलएलजी(एमएमटी)
2004–05	2.43
2005–06	2.60
2006–07	6.95

(ग) भारत सरकार ने तेल और गैस के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए नई अन्वेषण लाइसेसिंग नीति (एनईएलपी) के अंतर्गत पहले ही 162 अन्वेषण ब्लाक प्रदान किए हैं।

आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी), आयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) और निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियां असम, गुजरात, पूर्वी और पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों में तेल और गैस विकास परियोजनाएं लागू कर रही हैं।

[अनुवाद]

स्कूलों में मुस्लिम बालिकाओं का नामांकन

608. श्री फ्रांसिस फैन्थम : क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि सर्व शिक्षा अभियान के बावजूद लगभग 10 प्रतिशत मुस्लिम बालिकाओं का स्कूलों में नामांकन नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के स्कूलों में मुस्लिम बालिकाओं के नामांकन को प्राथमिकता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इंडियन एअरलाइंस के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

609. श्री अधीर चौधरी :

श्री एस.के. खारवेनथन :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी स्वामित्व वाली विमान कंपनी 'इंडियन' के कर्मचारियों ने हाल ही में देश–भर में हड़ताल की थी;

(ख) क्या देश के सरकारी क्षेत्र की विमान कंपनियों के ग्राउन्ड स्टाफ द्वारा हड़ताल के दौरान कई उड़ाने प्रभावित हुई;

(ग) यदि हां, तो हड़ताल के दौरान विमान कंपनियों को हुई हानि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में ऐसी हड़ताल की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) एयर कारपोरेशन कर्मचारी यूनियन के अधीन आने वाले इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारी संपूर्ण भारत में 12 जून 2007 की रात्रि शिफ्ट से सांकेतिक हड़ताल पर चले गए। दिनांक 14 जून, 2007 के अपराह्न को हड़ताल वापस ले ली गई। यद्यपि, स्थिति से निपटने के लिए आपात योजनाएं प्रचालन में लाई गई थी, हड़ताल की वजह से बड़ी संख्या में उड़ानें प्रभावित हुई।

(ग) अंशदान की हानि, व्यवधानित उड़ानों इत्यादि के लिए होटल, भोजन तथा वाहन प्रभारों पर अतिरिक्त व्यय के रूप में हड़ताल के कारण इंडियन एयरलाइन्स को (एलायंस एअर सहित) अनुमानित हानि 3.5 करोड़ रुपये हुआ।

(घ) प्रबंधन द्वारा तथा भत्तों के संशोधन, बकायों के भुगतान आदि को समाविष्ट करने वाला निपटान करार 8 मान्यता प्राप्त यूनियनों/एसोसिएशनों में से 5 के साथ हस्ताक्षरित किया गया है। एसीईयू जो लगभग 12200 कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है के साथ किए गए निपटान करार में, यूनियन संवैधानिक उपाय अपनाने तथा विद्रोहात्मक कदमों तथा/अथवा संगठित कार्रवाई अथवा ऐसे किसी अन्य उपाय का आश्रय न लेने पर सहमत हो गई है जिनका प्रभाव कंपनी के कार्य अथवा कंपनी की सेवाओं के प्रचालन में रूकावट अथवा व्यवधान डालने का हो सकता है।

[हिन्दी]

पुरानी रेलवे कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण

610. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :
श्री प्रहलाद जोशी :
श्री संजय धोत्रे :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में 10 चुनिंदा पुरानी रेलवे कार्यशालाओं विशेषकर गोल्डन रॉक तथा हुबली कार्यशाला का आधुनिकीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावों का जोन–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी निधियां आबंटित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां, 9 कारखानों के आधुनिकीकरण के कार्य को अनुमोदित कर दिया गया है और वर्ष 2007–08 के रेल बजट में शामिल कर लिया गया है।

(ख) और (ग)

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	रेलवे	कारखाना	प्रत्याशित लागत	2007–08 के दौरान आबंटित धनराशि
1.	म.रे.	माटुंगा	40.00	0.15
2.	उत्तर म.रे.	झांसी	76.00	0.15
3.	पूर्वोत्तर रे.	इज्जतनगर	58.00	0.05
4.	उत्तर प.रे.	अजमेर	70.00	0.10
5.	द.म.रे.	लालगुडा	65.00	0.10
6.	द.पू.रे.	खड़गपुर	45.00	0.15
7.	द.रे.	पोनमलाई	75.00	0.15
8.	द.प.रे.	हुबली	77.50	0.15
9.	प.म.रे.	कोटा	48.00	0.05

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों में रसोई यान सुविधा

611. श्री भर्तृहरि महताब : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे लंबी दूरी की सभी सुपरफास्ट रेलगाड़ियों में रसोई यान की सुविधा प्रदान कर रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे का प्रस्ताव कुछ और रेलगाड़ियों में रसोई यान सुविधा प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 2007–08 के दौरान ऐसी सुविधा के प्रावधान के लिए चयन की गई रेलगाड़ियों के नाम क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) इस समय, सभी लंबी दूरी की सुपर फास्ट गाड़ियों में पैंट्री कार सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। गाड़ियों में पैंट्रीकार लगाना एक सतत् प्रक्रिया है जो विभिन्न कारणों जैसे गाड़ियों की प्राथमिकता, यात्रा समय, वाणिज्यिक औचित्य, पैंट्री कारों की उपलब्धता आदि पर निर्भर करता है। 2007–08 के दौरान पैंट्री कार लगाने के लिए चुनी गयी गाड़ियों के नाम इस प्रकार हैं :–

क्रमांक	गाड़ी संख्या	गाड़ी का नाम
1.	2905/2906	पोरबंदर–हावड़ा एक्सप्रेस
2.	9269/9270	पोरबंदर–मोतीहारी एक्सप्रेस
3.	2397/2398	गया–नई दिल्ली, महाबोधि एक्सप्रेस*
4.	6359/6360	एर्णाकुलम–पटना एक्सप्रेस
5.	2603/2604	हावड़ा–चैन्ने एक्सप्रेस

*उपरोक्त गाड़ियों में से, 01.08.2007 से 2397/2398 गया–नई दिल्ली, महाबोधि एक्सप्रेस में पैंट्री कार सेवाएं शुरू की जा चुकी है।

[हिन्दी]

रसोई गैस की आपूर्ति

612. श्री मित्रसेन यादव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में विशेषकर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस की आपूर्ति के लिए कोई नई योजना तैयार की है अथवा करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रसोई गैस अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को इस बात की स्वतंत्रता दे रखी है कि वे अपनी अलग डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को बनाए रखने के लिए उपलब्ध रिफिल बिक्री संभाव्यता के आधार पर उनके द्वारा पता लगाए गए कार्यस्थलों तथा उनके वाणिज्यिक मूल्यांकन के अनुसार एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना कर सकती हैं। तथापि, सरकार ने ओएमसीज को सलाह दी है कि वे अर्ध शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विपणन योजनाएं तैयार करें। ओएमसीज ने उत्तर प्रदेश राज्य में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना के लिए मुख्यतः ग्रामीण तथा शहरी–ग्रामीण (अर्ध–शहरी) 47 स्थलों सहित 841 स्थलों के लिए एक साझा औद्योगिक विपणन योजना को अंतिम रूप दिया है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना एक सतत प्रक्रिया है और इसमें उपयुक्त स्थल का पता लगाना, गोदाम स्थापना के लिए भूमि व्यवस्था तथा अन्य सांविधिक मंजूरियां शामिल हैं।

(ग) से (ङ) दिनांक 1.7.2007 की स्थिति के अनुसार, ओएमसीज ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी 1138 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें तथा शहरी–ग्रामीण क्षेत्रों में 1209 डिस्ट्रीब्यूटरशिपों द्वारा देश में लगभग 212 लाख ग्रामीण एलपीजी ग्राहकों की सेवा कर रही हैं।

ओएमसीज ने शहरी, अर्ध शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कम आय वाले समूहों की मांग को पूरा करने तथा परिवहन व्यवस्था में सुविधा के कारण उत्तर प्रदेश सहित देश के पर्वतीय क्षेत्रों तथा अंदरूनी क्षेत्रों तक एलपीजी पहुंचाने के लिए अगस्त 2002 से 5 कि.ग्रा. वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की भी शुरूआत की है। दिनांक 30.6.2007 को, उत्तर प्रदेश में 0.42 लाख ऐसे सिलेंडरों के एलपीजी ग्राहकों सहित देश में 3.86 लाख एलपीजी ग्राहक हैं।

नांदेड़ रेल मंडल

613. श्री डी.बी. पाटिल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि नांदेड़ रेल मंडल के अंतर्गत किए जा रहे आमान परिवर्तन कार्य में अनियमितताएं पाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या इस्लापुर–जलदारा तथा इस्लापुर–कोस्माते रेलवे लाइन पर रेलवे अंडर–ब्रिज का निर्माण उच्च स्तरीय नहीं था तथा उक्त निर्माण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो दोषी के खिलाफ रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) एक मामले में जांच–पड़ताल पूरी हो गई है और मामले को परामर्श हेतु केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी) को भेज दिया गया है। दो अन्य मामलों में जांच की जा रही है।

(ग) और (घ) इस मामले में जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

राज्य-वार अल्पसंख्यक स्थिति

614. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय दर्जे के स्थान पर राज्य–वार अल्पसंख्यक दर्जा देने के लिए 103वें संविधान संशोधन को लाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संशोधन का क्या औचित्य है;

(ग) क्या यह संशोधन अनुच्छेद 25 से 30 का उल्लंघन है जिसमें धार्मिक अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस संशोधन को लाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस संशोधन के बाद कुछ अल्पसंख्यक समुदायों का अपने संबंधित राज्यों में अल्पसंख्यक दर्जा छिनने तथा उन्हें सुविधाएं नहीं दिए जाने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए. आर. अंतुले) : (क) से (च) संविधान (एक सौ तीनवां संशोधन) विधेयक, 2004, दिसम्बर, 2004 में लोकसभा में पेश किया गया था। इस विधेयक को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति को भेज दिया गया था। जिसने अपना प्रतिवेदन लोकसभा में फरवरी, 2006 में प्रस्तुत किया। विधेयक में अधिकारिक संशोधन किए जाने संबंधी अंतिम निर्णय अभी किया जाना है।

[हिन्दी]

भारतीय रेलवे का अन्य देशों के साथ सहयोग

615. श्री मोहन सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रेलवे को अन्य देशों में रेलवे लाइन बिछाने तथा रेल वैगनों की आपूर्ति करने का ठेका प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ठेका देने वाले देशों के नाम क्या हैं तथा इनकी लागत कितनी है;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जहां भारतीय रेल 2007 के पूर्व रेलवे प्रणाली स्थापित करने तथा चलाने के लिए सहयोग कर रही है;

(घ) क्या भारतीय रेल अफगानिस्तान में भी रेलवे लाइन बिछाने तथा रेलवे नेटवर्क का विस्तार करने का कार्य कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो अफगानिस्तान में प्रस्तावित कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं, विदेशों में रेल लाइनें बिछाने तथा रेल माल डिब्बों की सप्लाई के लिए कोई ठेका आबंटित नहीं किया गया है। बहरहाल, रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने विदेशों में रेल लाइन बिछाने के लिए ठेके आबंटित करती है।

(ख) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को निम्नलिखित देशों में रेल लाइनें बिछाने के लिए न कि रेल माल डिब्बों की सप्लाई के लिए ठेका आबंटित किया गया है :–

देश का नाम	परियोजना की लागत
मोजाम्बिक	यू एस डी 73.41 मिलियन
मलेशिया	रिंगगिट 56 मिलियन

(ग) भारतीय रेलें, विदेशों में रेल प्रणाली की स्थापना और परिचालन के लिए सहयोग नहीं कर रही हैं। बहरहाल, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम राइट्स लिमिटेड जो रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है तथा 2007 से पहले रेल प्रणाली की स्थापना और परिचालन के लिए कोलंबिया और मोजाम्बिक के साथ सहयोग कर रही है।

(घ) जी नहीं। न तो रेल मंत्रालय और न ही इसका कोई सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम अफगानिस्तान में रेल लाइनें बिछाने तथा रेल नेटवर्क का विस्तार कार्य कर रही है।

(ङ) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

महात्मा गांधी की पांडुलिपियां

616. श्री पी.सी. गद्दीगउडर : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग को महात्मा गांधी की 1948 में हत्या के 19 दिन पूर्व उनके द्वारा लिखित एक दुर्लभ पांडुलिपि की बिक्री को रोकने के लिए ब्रिटिश नीलामी हाउस "क्रिस्टीज" को कानूनी नोटिस देने के लिए सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चल प्रयोगशालाओं का खोला जाना

617. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान विभिन्न राज्यों को अधिकाधिक चल प्रयोगशाला प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई आकलन किया गया है कि प्रत्येक राज्य में कितनी प्रयोगशालाओं की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने पेट्रोलियम तथा अन्य उत्पादों में मिलावट को रोकने के लिए 120 चल प्रयोगशाला खोलने के लिए केन्द्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है;

(ङ) यदि हां, तो मंत्रालय को अनुरोध कब प्राप्त हुआ; और

(च) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ग) पेट्रोलियम उत्पादों में मिलावट की जांच करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) नामतः, इंडियन आयल कार्पोरेशन (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के नियंत्रणाधीन अखिल भारत आधार पर 92 चल प्रयोगशालाएं तथा 97 स्थिर प्रयोगशालाएं हैं। यद्यपि चल प्रयोगशालाएं राज्यवार अवस्थित हैं, तथापि, कि सी आपात स्थिति में, निकटवर्ती राज्यों में स्थित चल प्रयोगशालाओं की सेवाओं का भी उपयोग किया जा सकता है। आईओसी तथा बीपीसी की निकट भविष्य में देश में नई चल प्रयोगशाला शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, जबकि एचपीसीएल की देश में 3 चल प्रयोगशालाएं शामिल करने की योजना है।

(घ) से (च) भार और माप से संबंधित कानून को लागू करने के

लिए 121 चल प्रयोगशालाओं की आपूर्ति के लिए खाद्य, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा अक्तूबर, 2006 में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। योजना/बजटीय प्रावधानों के कारण उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा इस पर विचार नहीं किया जा सका।

कोलकाता विमानपत्तन पर सुरक्षा

618. श्री प्रबोध पाण्डा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेताजी सुभाषचन्द्र बोस अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर गत तीन वर्षों के दौरान यात्रियों की संख्या में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई लेकिन उनकी सुविधा के लिए सुरक्षा काउन्टरों की संख्या तीन से अधिक नहीं हुई;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी हां। एन एस सी बी आई एयरपोर्ट, कोलकाता में वर्ष 2006–07 के दौरान यात्री वृद्धि 36 प्रतिशत थी। यह वृद्धि विमानन में सामान्य वृद्धि, बेहतर संपर्कता तथा प्रतिस्पर्धी कीमतों के कारण हुई हैं। बढ़ते हुए यात्री यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए घरेलू टर्मिनल पर हैण्ड बैगेज की स्क्रीनिंग के लिए एक्स–रे मशीनों की संख्या को भी बढ़ाकर तीन से पांच किया गया है। घरेलू टर्मिनल पर फ्रिस्किंग बूथों की संख्या भी बढ़ाई गई है। नौ फ्रिस्किंग बूथ दिन में काम करते हैं और चार बूथ रात में कार्यरत रहते हैं।

(ग) यात्री यातायात में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, अतिरिक्त सिक्योरिटी होल्ड क्षेत्रों की योजना बनाई गई तथा 40 अतिरिक्त सीआईएसएफ कार्मिकों की तैनाती के पश्चात् दिनांक 22.05.2007 से नई योजना प्रचालन में लाई गई है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में रेल लाइन का विद्युतीकरण

619. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने सोलापुर मण्डल के अधीन सोलापुर–पुणे के बीच रेल लाइन का विद्युतीकरण करने तथा भिगवान से सोलापुर तक रेल लाइन का दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) जी हां। पुणे से गुंतकल तक विद्युतीकरण सहित भिगवान–सोलापुर–गुलबर्ग ल ाइन के दोहरीकरण का कार्य रेल विकास निगम लि. (आरवीएनएल) को सौंपा गया है। सोलापुर–पनकी–मोहोल खंड के दोहरीकरण का कार्य प्रगति पर है। पुणे–सोलापुर–गुंतकल खंड के विद्युतीकरण सहित शेष खंड के दोहरीकरण के लिए आरवीएनएल द्वारा अध्ययन पूरा कर लिया गया है। इस प्रस्ताव के अनुमोदन की प्रक्रिया जारी है।

"न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी" (एनईएलपी) की निविदा

620. श्री संतोष गंगवार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एनईएलपी की नई निविदा में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भाग नहीं ले रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन कंपनियों को आकर्षित करने के लिए इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ग) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) के तहत बोली के नए दौर में भाग लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया है क्योंकि नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति का सातवां दौर अर्थात् एनईएलपी–6 में अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की प्रतिक्रिया बहुत प्रोत्साहक थी। उस बोली दौर में कुल 36 विदेशी कंपनियों और 32 राष्ट्रीय कंपनियों ने भाग लिया है।

[अनुवाद]

फलों तथा सब्जियों का विपणन

621. श्री अनन्त नायक : क्या खाद्य प्रसंस्करण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास फलों तथा सब्जियों का विपणन करने के लिए राज्य सरकारों की सहायता करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है तथा इस प्रयोजनार्थ चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) फलों तथा सब्जियों को संरक्षित रखने हेतु अतिरिक्त भण्डारण सुविधाएं सृजित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (घ) कृषि मंत्रालय (कृषि तथा सहकारिता विभाग) द्वारा लागू की जा रही "कृषि विपणन बुनियादी सुविधा श्रेणीकरण तथा मानकीकरण का विकास/सुदृढ़ीकरण" नामक केन्द्रीय सेक्टर स्कीम के तहत निजी एजेंसियों को पूंजी निवेश पर क्रेडिट लिंक्ड बैक एन्डेड सब्सिडी दी जाती है और उन राज्य एजेंसियों को प्रत्यक्ष सहातया दी जाती है जिन्हें फल और सब्जियों का विपणन सुकर बनाने के लिए कार्यात्मक बुनियादी सुविधा की स्थापना और बाजार प्रयोक्ता सामान्य सुविधाओं की स्थापना अथवा प्रत्यक्ष विपणन सुविधाओं के साथ–साथ फसलोत्तर कार्यों के लिए चलती–फिरती बुनियादी सुविधाओं (दुलाई उपकरण शामिल नहीं है) के लिए बैंक क्रेडिट की जरूरत नहीं होती। इस स्कीम के तहत, फल–सब्जियों के परिरक्षण के लिए अतिरिक्त भंडारण सुविधाएं सृजित करने के लिए सहायता दी जाती सकती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष यानी 2007–08 के दौरान कृषि तथा सहकारिता विभाग के योजना बजट में इस स्कीम के लिए 62.50 करोड़ रुपये का आबंटन उपलब्ध है।

इसके अलावा, कृषि मंत्रालय पूर्वोत्तर और हिमालय के राज्यों में समेकित बागवानी विकास प्रौद्योगिकी मिशन पर केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम कार्यान्वित कर रहा है जिसके तहत इस क्षेत्र में फल और सब्जियों के भंडारण और विपणन समेत बागवानी के व्यापक विकास के लिए एंड टू एंड अप्रोच अपनाया जाता है। पूर्वोत्तर के राज्यों, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में समेकित बागवानी विकास के प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन–III के तहत, विपणन के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान निम्नलिखित निधियां निर्धारित की गई हैं :–

पूर्वोत्तर राज्य	5.00 करोड़ रुपये
जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड	3.00 करोड़ रुपये

पूर्वोत्तर और हिमालय के राज्यों में समेकित बागवानी विकास प्रौद्योगिकी मिशन के तहत इस क्षेत्र में भंडारण–सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के जरिए सहायता दी जा रही है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के जरिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों हेतु बुनियादी सुविधाओं जिसमें शीतागार, नियंत्रित/संशोधित वातावरण सुविधाओं वाले विशेष किस्म के शीतागार तथा प्रसंस्करण यूनिटों के अभिन्न अंग अथवा खाद्य पार्क में सामान्य सुविधाओं के अंग के रूप में शीतागार शामिल हैं, के विकास को बढ़ावा दे रहा है। 10वीं योजना के दौरान, मंत्रालय ने शीत श्रृंखला संबंधी एक स्कीम कार्यान्वित की है जिसके तहत सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को सामान्य क्षेत्रों में, संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25% तक और दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% तक जिसकी अधिकतम सीमा दोनों मामलों में 75 लाख रुपये हैं, वित्तीय सहायता देय है। 11वीं योजना अवधि के दौरान मंत्रालय का प्रस्ताव विभिन्न स्तरों पर – खेत स्तरीय मूल प्रसंस्करण केन्द्र–सह–शीत श्रृंखला, एकत्रीकरण/संग्रहण केन्द्र तथा आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वितरण केन्द्र – समेकित शीत श्रृंखला बुनियादी सुविधा के सृजन हेतु एक संशोधित व्यापक शीत श्रृंखला बुनियादी सुविधा संबंधी स्कीम शुरू करने का है। इस मंत्रालय द्वारा की जा रही पहल का उद्देश्य सप्लाई श्रृंखला में मौजूद अन्तर को पाटना, शीघ्र श्रृंखला संबंधी बुनियादी सुविधाओं को मजूबत करना है ताकि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का समग्र विकास हो और अपव्यय में कमी आये।

लग्जरी पर्यटन रेलगाड़ी

622. श्री नवजोत सिंह सिद्धू :
श्री नकुल दास राई :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न राज्यों में लग्जरी पर्यटन रेलगाड़ी शुरू करने के संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या इस संबंध में कुछ राज्य सरकारों से भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) रेल मंत्रालय द्वारा फिलहाल मात्र तीन लग्जरी पर्यटक गाड़ियां तथा "पैलेस ऑन व्हील्स" और "हैरिटेज ऑन व्हील्स" राजस्थान क्षेत्र में और "डेक्कन ओडिसी" महाराष्ट्र क्षेत्र में चलाई जा रही हैं। इसके अलावा, भारतीय रेल ने कर्नाटक और राजस्थान में लग्जरी पर्यटक गाड़ियां अर्थात् राजस्थान में दूसरी "पैलेस ऑन व्हील्स" चलाने का अनुमोदन किया है और ये गाड़ियां 2007–08 के पर्यटन सीजन के दौरान समझौता ज्ञापन/करार पर हस्ताक्षर किए जाने के उपरांत ही परिचालित होंगी। पंजाब क्षेत्र में भी लग्जरी पर्यटक गाड़ी चलाने पर विचार किया गया है और समझौता ज्ञापन/करार हस्ताक्षरित होने और इस गाड़ी के लिए सवारी डिब्बों के विनिर्माण के बाद ही इस गाड़ी को चलाया जा सकता है।

इंडियन एयरलाइंस की सेवाएं बंद किया जाना

623. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उन क्षेत्रों का वर्ष-वार तथा क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है जहां इंडियन एयरलाइन्स द्वारा अपनी सेवाएं बन्द कर दी गई है;

(ख) इंडियन एयरलाइन्स की सेवाएं बंद करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ क्षेत्रों में इंडियन एयरलाइन्स को पर्याप्त राजस्व प्राप्त हो रहा था तथा यात्री भार भी पर्याप्त था; और

(घ) यदि हां, तो लाभदायक क्षेत्रों पर इंडियन एयरलाइन्स की सेवाएं बन्द करने के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) इंडियन एयरलाइंस तथा इसकी अनुषंगी एलाइंस एयर द्वारा बंद की गई सेवाओं के संबंध में सूचना निम्न प्रकार है :-

इंडियन एयरलाइंस	वर्ष	सेक्टर
	2006	मुम्बई-पुणे
	2007	कोलकाता-ढाका
एलाइंस एयर	2004	पटना-बागडोगरा-पटना
		पटना-गुवाहाटी-पटना
	2005	दिल्ली-आगरा-खुजराहो-वाराणसी तथा वापसी
		मुम्बई-भावनगर-मुम्बई
		कोलकाता-विजाग-कोलकाता
		विजाग-भुवनेश्वर-विजाग
		लेह/चण्डीगढ़/लेह
		मुम्बई-राजकोट-मुम्बई
		शिलांग-सिल्चर-शिलांग
		शिलांग-ऐजवाल-शिलांग
		गुवाहाटी-इम्फाल-गुवाहाटी
	2006	कोलकाता-हैदराबाद-कोलकाता

(ख) इंडियन एयरलाइंस ने मुम्बई-पुणे और कोलकाता-ढाका विमान सेवा सम्पर्क को बंद कर दिया है चूंकि इन मार्गों पर उड़ानें हानि में चल रही थीं। एलाइंस एयर ने प्रचालनात्मक तंगी और असंतोषजनक लोड फैक्टर/राजस्व के कारण अपनी सेवाओं को बंद कर दिया/कमी कर दी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रद्द की गई टिकटों की धन वापसी

624. श्री मो. ताहिर : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सस्ती हवाई यात्रा की पेशकश करने वाली एयरलाइन्स अपनी घरेलू उड़ानों को रद्द कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ये एयरलाइन्स रद्द टिकटों की धनराशि यात्रियों को वापस करने में विलम्ब करती हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसी एयरलाइनों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (घ) उड़ानें सामान्यतया खराब मौसम, तकनीकी समस्या आदि के मामले में रद्द होती हैं जिनके लिए अनुसूचित एयरलाइनों की प्रक्रियाएं हैं जिसमें यात्रियों को अग्रिम में सूचित किया जाता है तथा उन्हें अगली उपलब्ध उड़ान में भेजने की व्यवस्था की जाती है।

एयरलाइनें अपनी कंपनी की नीति के अनुसार टिकटों के किरायों को वापस भी करती हैं।

सभी अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों को कहा गया है कि वे विमान यात्रियों की सुविधा के लिए यात्रियों तथा/या एयरलाइनों द्वारा उड़ानों के रद्द किए जाने पर धन वापसी की निर्धारित समय सीमा के अनुसार विमान किरायों की वापसी से संबंधित शर्तों के संबंध में अपनी नीतियों का पुनरावलोकन करें।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में चालू परियोजनाएं

625. श्री नवीन जिन्दल : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) द्वारा विशेषकर महाराष्ट्र में क्रियान्वित की जा रही चालू परियोजनाओं की स्थिति की हाल ही में समीक्षा की गई है जैसा कि दिनांक 3 जुलाई, 2007 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने इन परियोजनाओं को पूरा कर शीघ्र कार्यशील बनाने हेतु मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (घ) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) द्वारा क्रियान्वित सभी चालू परियोजनाओं की स्थिति की इस मंत्रालय में नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री ने दिनांक 27.06.2007 को महाराष्ट्र में राज्य सरकार के ऊर्जा मंत्री के साथ भेल द्वारा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं की विशेष समीक्षा की थी। भेल ने पहले ही न्यू पार्ली यूनिट 1 (250 मेगावाट) तथा पारस यूनिट 1 (250 मेगावाट) को क्रमशः फरवरी, 2007 तथा मई, 2007 में आरंभ कर दिया है। वर्तमान में पार्ली यूनिट 1 निर्धारित क्षमता पर चल रहा है। इसके अतिरिक्त, भेल को न्यू पार्ली यूनिट 2 (250 मेगावाट) तथा पारस 2 (250 मेगावाट) के लिए अगस्त, 2006 में तथा कापरखेड़ा (1x500 मेगावाट) तथा भुसावल (2x500 मेगावाट) के लिए जनवरी, 2007 में ठेका दिया गया है जिसे क्रमशः वर्ष 2009 तथा 2010 में चालू किया जाना है। भेल, दामोल संयंत्र के पुनरुद्धार में भी सक्रिय रूप से शामिल है जो विगत 5 वर्षों से प्रचालन में नहीं है। इस संयंत्र के ब्लॉक II (740 मेगावाट) को पहले ही पुनः चालू कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र में नाजुक विद्युत स्थिति की दृष्टि से इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए अनुरोध किया है।

महाराष्ट्र में उपरोक्त परियोजनाओं में भेल संलिप्तता बायलर और टरबाइन जेनेरेटर पैकेज (बीटीजी) तक सीमित है, जो शामिल कुल कार्य का लगभग 55–60 प्रतिशत है। सिविल कार्य तथा संयंत्र का शेष कार्य महाजेनको (महाराष्ट्र राज्य विद्युत जेनरेशन कंपनी) द्वारा अन्य ठेकेदारों के जरिए क्रियान्वित किया जा रहा है तथा इकाइयों को चालू करने का कार्य महाजेनको के पास निवेश तथा तैयारियों की उपलब्धता पर निर्भर है। महाजेनको तथा भेल इन परियोजनाओं को शीघ्र चालू करने के लिए संयुक्त रूप से भरपूर प्रयास कर रहे हैं।

[हिन्दी]

पी.एस.ई. के संबंध में बी.आर.पी.एस.ई. की सिफारिशें

626. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री कीरेन रिजीजू :
श्री धर्मेन्द्र प्रधान :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बी.आर.पी.एस.ई.) ने कुछ सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का पुनरुद्धार करने के संबंध में सरकार से कोई सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनके पुनरुद्धार हेतु सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) ऐसे उपक्रमों के पुनरुद्धार के लिए सरकार को सिफारिश करने हेतु बी.आर.पी.एस.ई. के पास लम्बित पड़े मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड ने अब तक सरकार को केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 43 उद्यमों के पुनर्स्थापन के मामलों की सिफारिश की है (विवरण–I)। इसके अलावा सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड ने फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एफ.सी.आई.एल.) तथा हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि. (एच.एफ.सी.एल.) के एककों को बन्द करने संबंधी अपने पहले निर्णय को बदलने के लिए सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्रदान कर दिया है ताकि उनके पुनर्स्थापन के विभिन्न विकल्पों का पता लगाया जा सके।

(ग) सरकार ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 26 उद्यमों के पुनर्स्थापन प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया है (विवरण–II) जिसमें भारत सरकार की ओर से 8263.68 करोड़ रुपए की कुल सहायता (1941.30 करोड़ रुपए की नकद सहायता तथा 6322.38 करोड़ रुपए की गैर नकद सहायता) शामिल है। सरकार ने एफ.सी.आई.एल. तथा एच.एफ.सी.एल. के पुनर्स्थापन की संभावना की जांच करने का भी सैद्धांतिक रूप से निर्णय लिया है बशर्ते कि गैस की उपलब्धता की पुष्टि हो।

(घ) और (ङ) दो सम्पूर्ण प्रस्तावों (बीको लॉरी लि. तथा कोंकण रेलवे कारपोरेशन लि.) पर बी.आर.पी.एस.ई. द्वारा विचार किए जाने की प्रतीक्षा की जा रही है। बी.आर.पी.एस.ई. द्वारा इन दो मामलों पर सितम्बर, 2007 तक विचार किए जाने की संभावना है।

विवरण-I

केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उन उद्यमों की सूची जिनके पुनरूद्धार के प्रस्ताव बीआरपीएसई द्वारा अनुमोदित किए जा चुके हैं

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/ केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	बीआरपीएसई की सिफारिश का स्थूल सारांश	भारत में सहायता प्राप्त		
			नकद#	नकद भिन्न@	योग
1	2	3	4	5	6
भारी उद्योग विभाग					
1.	हिंदुस्तान साल्ट्स लि., जयपुर, राजस्थान	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरूद्धार	4.28	73.30	77.58
2.	ब्रिज एंड रूफ कं. (इंडिया) लि., कोलकाता	–तदैव–	60.00	112.92	172.92
3.	बी बी जे कंस्ट्रक्शन कं. लि., कोलकाता	–तदैव–	0.00	54.61	54.61
4.	टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. कोलकाता	–तदैव–	0.00	818.79	818.79
5.	एच.एम.टी. बियरिंग्स लि., हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश	–तदैव–	7.40	43.97	51.37
6.	प्रागा टूल्स लि., सिकन्दराबाद, आं. प्र.	–तदैव–	10.00	204.71	214.71
7.	ब्रेथवेट एंड कंपनी लि., कोलकाता	–तदैव–	0.00	288.21	288.21
8.	नेपा लि., नेपा नगर, म.प्र.	संयुक्त उद्यम/विनिवेश के माध्यम से पुनरूद्धार	0.00	229.07	229.07
9.	रिचर्डसन एंड क्रूडास लि., मुम्बई	–तदैव–	0.00	0.00	0.00
10.	तुंगभद्रा स्टील प्राडक्ट लि. बेल्लारी, कर्नाटक	–तदैव–	0.00	0.00	0.00
11.	भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कम्पनी लि., पटना, बिहार	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरूद्धार	25.66	164.45	190.11

1	2	3	4	5	6
12.	भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेसर्स लि. इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	संयुक्त उद्यम/विनिवेश के माध्यम से पुनरूद्धार	0.00	137.00	137.00
13.	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि., दिल्ली	बिना प्रचालन वाली इकाई बंद कर दी जाए। अन्य प्रचालनरत इकाइयों का सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरूद्धार किया जाएगा	184.29	1267.95	1452.24
14.	एच एम टी मशीन टूल्स लि. बैंगलोर, कर्नाटक	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरूद्धार	623.00	112.00	735.00
15.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि. रांची, झारखंड	–तदैव–	102.00	1266.30	1368.30
16.	एण्ड्रयू येलू एण्ड कम्पनी लि., कोलकाता	–तदैव–	146.62	508.87	655.49
17.	इंस्ट्रूमेंटेशन लि., कोटा राजस्थान	–तदैव–	85.44	603.00	688.44
18.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि. इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	–तदैव–	93.74	290.73	384.47
19.	एच एम टी लि. बैंगलोर	–तदैव–	0.00	83.28	83.28
20.	एच एम टी लि. बैंगलोर	–तदैव– बैंगलोर इकाई को बन्द करना और उसके बन्द करने से पूर्व रानीबाग इकाई को राज्य सरकार को हस्तान्तरित करना	204.42	302.15	506.57
21.	भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसिल्स लि.	वित्तीय पुनर्गठन के माध्यम से पुनरूद्धार तथा बीएचईएल द्वारा अधिग्रहीत	0.00	414.95	414.95
कपड़ा मंत्रालय					
22.	ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लि. कानपुर, उत्तर प्रदेश	संयुक्त उद्यम/विनिवेश के माध्यम से पुनरूद्धार	47.35	0.00	47.35
23.	नेटेका लि. और इसकी सहायक कम्पनियां, दिल्ली व अन्य राज्य	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में 15 मिलों और संयुक्त उद्यम के रूप में 19 मिलों का पुनरूद्धार	0.00	0.00	0.00
उर्वरक विभाग					
24.	मद्रास फर्टिलाइर्जस लि. मनाली, तमिलनाडु	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरूद्धार	0.00	185.31	185.31

1	2	3	4	5	6
25.	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लि. कोच्ची, केरल	–तदैव–	0.00	670.37	670.37
नौवहन विभाग					
26.	सेंट्रल इंलैण्ड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लि., कलकत्ता	संयुक्त उद्यम/विनिवेश के माध्यम से पुनरूद्धार	17.00	400.00	417.00
27.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि., दिल्ली	–तदैव–	548.50	253.70	802.20
28.	हुगली डाक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लि.	–तदैव–	87.99	366.38	454.37
रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग					
29.	हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि. पुणे महाराष्ट्र	–तदैव–	80.62	121.75	204.37
30.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि. मुम्बई	–तदैव–	250.00	100.00	350.00
31.	हिन्दुस्तान इंसैक्टिसाइड्स लि., दिल्ली	–तदैव–	0.00	240.01	240.01
32.	बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि., कोलकाता	–तदैव–	207.19	233.41	440.60
33.	आईडीपीएल लि., गुड़गांव, हरियाणा	–तदैव–	361.00	2861.76	3222.76
34.	आईडीपीएल (तमिलनाडु) लि. चैन्नई	आईडीपीएल के साथ संविलयन	0.00	0.00	0.00
35.	बिहार ड्रग्स एण्ड ऑर्गेनिक केमिकल्स लि., मुजफ्फरपुर, बिहार	–तदैव–	0.00	0.00	0.00
कोयला मंत्रालय					
36.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. वर्धमान, पश्चिम बंगाल	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरूद्धार	0.00	0.00	0.00''
खान मंत्रालय					
37.	मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लि., नागपुर, महाराष्ट्र	–तदैव–	0.00	104.64	104.64

1	2	3	4	5	6
38.	हिन्दुस्तान कॉपर लि., कोलकाता	–तदैव–	0.00	637.26	637.26
	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग				
39.	सेन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लि., दिल्ली	–तदैव–	0.00	28.60	28.60
	जल संसाधन मंत्रालय				
40.	नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन लि. दिल्ली	–तदैव–	60.00	745.97	805.97
	इस्पात मंत्रालय				
41.	मेकॉन लि. रांची, झारखंड	–तदैव–	93.00	7.721	100.72*
42.	भारत रिफ्रेक्ट्रीज लि., बोकारो, झारखंड	वित्तीय पुनर्निर्माण और सेल के साथ संविलयन के माध्यम से पुनरूद्धार	0.00	428.45	428.45
	कृषि एवं सहकारिता विभाग				
43.	स्टेट फार्म्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि., दिल्ली	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरूद्धार	37.63	227.00	264.63
	जोड़		3337.13	14590.59	17927.72

नकद सहायता से इक्विटी/ऋण/अनुदान के माध्यम से बजटीय सहायता शामिल है।

@ नकद भिन्न सहायता में ब्याज/पेनल ब्याज/भारत सरकार का ऋण/गारन्टी शुल्क की छूट, ऋण को इक्विटी/ऋण–पत्र में बदलना आदि शामिल है।

** बीआरपीएसई द्वारा सिफारिश की गई पुनरूद्धार योजना में अन्य बातों के साथ–साथ 2470.77 करोड़ रुपए की नकद – भिन्न सहायता और कोल इण्डिया लिमिटेड से वर्ष 2004–05 से 14 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के सेवा प्रभार की छूट शामिल है।

* बीआरएस योजना ऋण पर 1.92 करोड़ रुपए प्रति वर्ष से अनधिक गारण्टी शुल्क को छोड़कर और बीआरएस योजना ऋण पर 6.50 करोड़ प्रति वर्ष से अनधिक ब्याज सम्बन्धी 50 प्रतिशत आर्थिक सहायता जारी रहना।

विवरण-II

बीआरपीएसई द्वारा अनुशंसित पुनरूद्धार प्रस्तावों के संबंध में सरकार द्वारा अनुमोदित नकद एवं गैर–नकद सहायता

क्र.सं.	सरकारी उद्यम का नाम	सहायता (करोड़ रुपयों में)		
		नकद#	गैर–नकद@	योग
1	2	3	4	5
1.	हिंदुस्तान साल्ट्स लि.	4.28	73.30	77.58
2.	एनटीसी लि. इसकी सहायक कंपनियां	39.23	–	39.23
3.	ब्रिज एंड रूफ कं. (इंडिया) लि.	60.00	42.92	102.92
4.	बी बी जे कंस्ट्रक्शन कं. लि.	–	54.61	54.61

1	2	3	4	5
5.	एचएमटी बियरिंग्स लि.	7.40	43.97	51.37
6.	प्रागा टूल्स लि.	5.00	209.71	214.71
7.	ब्रैथवेट एंड कंपनी लि.	4.00	280.21	284.21
8.	ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि.	47.35	–	47.35
9.	केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि.	73.60	280.00	353.60
10.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि.	102.00	1116.30	1218.30
11.	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	184.29	1267.95	1452.24
12.	रिचर्डसन एंड क्रूडास लि.	–	–	–
13.	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लि.	137.59	267.57	405.16
14.	हिंदुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि.	250.00	अनुपलब्ध	250.00
15.	फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स (त्रावणकोर) लि.	–	670.37	670.37
16.	तुंगभद्रा स्टील प्राडक्ट्स लि.	–	–	–
17.	हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लि.	–	267.29	267.29
18.	मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लि.	–	104.64	104.64
19.	सेंट्रल इलेक्ट्रानिक्स लि.	–	6.02	6.02
20.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	–*	–*	–*
21.	भारत पम्पस एंड कम्प्रेसर्स लि.	3.37$	153.15	156.52$
22.	बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.	207.19	233.41	440.60
23.	एचएमटी मशीन टूल्स लि.	723.00	157.80	880.80
24.	मेकॉन लि.	93.00	23.08	116.08**
25.	एंड्रयू यूले एंड कं. लि.	–	457.14	457.14
26.	हिंदुस्तान कॉपर लि.	–	612.94	612.94
	योग	1941.30*	6322.38*	8263.68*

नकद सहायता से इक्विटी/ऋण/अनुदान के माध्यम से बजटीय सहायता शामिल है।

@ गैर–नकद भिन्न सहायता में ब्याज, पेनल ब्याज, भारत सरकार का ऋण, गारन्टी शुल्क की छूट, ऋण को इक्विटी/ऋण–पत्र में बदलना आदि शामिल है।

* सरकार द्वारा अनुमोदित पुनरूद्धार योजना में अन्य बातों के साथ–साथ 2470.77 करोड़ रु. की गैर–नकद सहायता तथा वर्ष 2004–05 से कोल इंडिया लि. से सेवा प्रभार के प्रति वर्ष 14 करोड़ रु. की छूट शामिल है।

$ इसके अतिरिक्त ओएनजीसी तथा बीएचईएल क्रमशः 150 करोड़ रुपए तथा 20 करोड़ रुपए की नकद सहायता प्रदान करेंगे।

** बीआरएस संबंधी ऋणों पर 50 प्रतिशत ब्याज सहायता (प्रतिवर्ष 6.50 करोड़ रुपयों से अधिक नहीं) जारी रखे जाने को छोड़कर।

तनखान जाति को अनुसूचित जाति सूची में शामिल किया जाना

627. प्रो. प्रेम कुमार धूमल : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जन प्रतिनिधियों ने तरखान जाति (बढ़ई) को लोहार के बराबर दर्जा देने के लिए अनुसूचित जाति का दर्जा देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) और (ख) तरखान जाति को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किए जाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर अनुमोदित रीति के अनुसार विचार किया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने राज्य सरकार के प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी। इसलिए, इसे निरस्त कर दिया गया।

[अनुवाद]

धारवाड़ में क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र

628. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या संस्कृति मंत्री धारवाड़ में क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र के बारे में 23 नवम्बर, 2006 के अतारांकित प्रश्न संख्या 383 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने धारवाड़ में क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र की स्थापना हेतु उपयुक्त भूमि उपलब्ध करवा दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना हेतु केन्द्र सरकार द्वारा आवश्यक धनराशि कब तक स्वीकृत/जारी कर दिए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) जी, हां। कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक विश्वविद्यालय परिसर में लगभग 12 एकड़ क्षेत्रफल का एक भू-खंड चिन्हित किया है। संस्कृति मंत्रालय के तहत इस स्कीम को कार्यान्वित करने वाली नोडल एजेंसी, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद ने यह रिपोर्ट दी है कि कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तावित उक्त भू-खंड, क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र की स्थापना के लिए उपयुक्त है। इस स्कीम के मौजूदा मानदंडों के अनुसार एक क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र स्थापित करने की कुल लागत 6.50 करोड़ रु. है जिसमें केन्द्र सरकार और राज्य सरकार का 50-50 प्रतिशत हिस्सा होता है।

(ग) इस परियोजना हेतु निधियां, स्थायी वित्त समिति (एस एफ सी) की अनुमति के बाद भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा जारी की जायेगी।

औषधि नियंत्रण तंत्र का केन्द्रीकरण

629. श्री हितेन बर्मन : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में औषधि नियंत्रण तंत्र के दोहरीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे सभी राज्यों में कब तक लागू कर दिए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) से (ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में भारत के औषध महानियंत्रक ने सूचित किया है कि लाइसेंसिंग में एकरूपता लाने के लिए राष्ट्रीय औषध विनियामक प्रणाली का स्तरोन्नयन करने तथा औषध एवं सौंदर्य प्रसाधन क्षेत्र के लिए तकनीकी दृष्टि और नीति निर्देश उपलब्ध कराने के लिए भारतीय केन्द्रीय औषध प्राधिकरण गठित किए जाने के प्रस्ताव पर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। प्राधिकरण के पास औषध और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 में यथा परिकल्पित कार्यों के निष्पादन हेतु दस मुख्य प्रभाग होंगे। राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा विनिर्माण लाइसेंस दिए जाने की वर्तमान प्रणाली से चरणबद्ध ढंग से भारत सरकार द्वारा औषध विनिर्माण इकाइयों को केन्द्रीय लाइसेंस में अंतरित किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रयोजन के लिए औषध और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 को संशोधित करने का प्रस्ताव है।

आरयूबी तथा आरओबी उपलब्ध कराने संबंधी योजनाएं

630. श्री प्रहलाद जोशी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के पास संबंधित स्थानीय सरकारों/स्थानीय निकायों के अनुरोध पर आरयूबी तथा आर ओ बी उपलब्ध कराने की कोई विनिर्दिष्ट योजना है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे आरयूबी तथा आरओबी हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं जिनकी रेलवे संबंधित स्थानीय निकायों से पूरी लागत वसूल कर रहा है और साथ ही मरम्मत लागत तथा 'लीव अवे' खर्च भी वसूल कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) मौजूदा व्यस्त समपारों अर्थात् एक लाख अथवा एक लाख से अधिक टी वी यू के यातायात घनत्व (एक इकाई जिसे समपार पर 24 घंटे में गुजरने वाली रेलगाड़ियों की संख्या और सड़क वाहनों की संख्या को गुणा करके प्राप्त किया जाता है), वाले समपारों के बदले ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण लागत भागीदारी के आधार पर किया जाता है, अन्यथा अर्थात् कम यातायात घनत्व के मामले में अथवा

नया स्थान जहां कोई समपार मौजूद नहीं है, इस प्रकार के कार्य निक्षेप शर्तों पर किए जाते हैं। दोनों ही मामलों में मौजूदा नियमों के तहत कतिपय प्रारंभिक पूर्व अपेक्षित शर्तों को विधिवत् पूरा करते हुए संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव प्रायोजित किया जाना होता है।

(ग) जी हां।

(घ) अनुरक्षण प्रभारों के संबंध में 3% प्रति वर्ष की दर से निक्षेप कार्य की प्रभारित लागत का 30% पूंजी के रूप में परिणत किया जाता है। दो लेन वाले दो रेलपथ के लिए सड़क क्रासिंग के लिए 6000/– प्रति वर्ष की दर से और यदि पुल 2 लेन से बड़ा हो और/अथवा क्रासिंग हो रेल पथों से अधिक होने के मामले में, 12000/–रु. प्रतिवर्ष की दर से मार्ग उपलब्ध कराने के प्रभार लगाए जाते हैं।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों का विलम्ब से चलना

631. श्रीमती गीता पटैरिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत चार माह के दौरान पूरे देश में रेलगाड़ियों के विलम्ब से चलने के कारण यात्रियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ा तथा इससे रेलवे को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी माह–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलगाड़ियों को समयानुसार चलाना सुनिश्चित करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा उठाए जाने हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी नहीं। विगत चार माह में गाड़ियों का समयपालन निम्नानुसार है :–

माह	बड़ी आमान	मीटर आमान
अप्रैल, 2007	91.7%	99.5%
मई, 2007	96.6%	99.5%
जून, 2007	91.4%	99.6%
जुलाई, 2007	93.9%	99.3%

समय पालन निष्पादन लक्ष्य से ज्यादा है जो बड़ी आमान के लिए 90% एवं मीटर आमान के लिए 96% है। गाड़ियों के विलंम्ब से चलने के कारण अर्जन में हानि कल्पित है और इसलिए उसके आंकड़े अनुरक्षित नहीं रखे जा सकते हैं।

(ग) गाड़ियों का समय पर परिचालन सुनिश्चित करने के लिए रेलवे द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :–

1. सभी तीन स्तरों अर्थात् मण्डल, जोनल मुख्यालय तथा रेलवे बोर्ड स्तर पर गाड़ियों की गहन, चौबीस घंटे निगरानी।
2. स्पष्ट मार्ग मुहैया कराने के लिए समय सारणी बनाने में सुधार।
3. उपकरण की खराबी को कम करने के लिए परिसंपत्तियों के मानक अनुरक्षण में सुधार।
4. समय पर परिचालन सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को सलाह देना एवं उत्साहित करना।
5. कानून एवं व्यवस्था से संबंधित समस्याओं और शरारती तत्वों पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार के साथ संपर्क।
6. रेलपथ, चल स्टॉक तथा सिग्नल व्यवस्था की तकनीकी का उन्नयन।

महाराष्ट्र में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारक

632. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन स्मारकों के अनुरक्षण के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन स्मारकों से सरकार द्वारा कितना राजस्व अर्जित किया गया?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) महाराष्ट्र राज्य में 285 स्मारक स्थल हैं जिन्हें राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किया गया है। इनमें से 168 स्मारक औरंगाबाद मण्डल के क्षेत्राधिकार में हैं तथा 117 स्मारक मुंबई मंडल (1 दिसम्बर, 2004 से बनाया गया) के अधीन हैं। महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद तथा मुंबई मंडल के नियंत्रणाधीन केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) महाराष्ट्र में औरंगाबाद तथा मुंबई मंडलों के नियन्त्रणाधीन राष्ट्रीय महत्व के घोषित स्मारकों/स्थलों के संरक्षण, परिरक्षण तथा रखरखाव के लिए आबंटित धनराशि तथा किए गए व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है :

2004–05	448.03 लाख रुपए
2005–06	507.25 लाख रुपए
2006–07	675.00 लाख रुपए

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य में स्मारकों/स्थलों से अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नानुसार है :

2004–05	95.88 लाख रुपए
2005–06	147.76 लाख रुपए
2006–07	155.76 लाख रुपए

विवरण

महाराष्ट्र में केन्द्रीय सरक्षित स्मारकों की सूची

क्र.सं.	स्मारक/स्थल का नाम	स्थान	जिला
1	2	3	4
औरंगाबाद मंडल			
1.	डमरी मस्जिद	अहमदनगर	अहमदनगर
2.	नियामत खां के महल के समीप द्वार	अहमदनगर	अहमदनगर
3.	बारह इमामों का कोटला	अहमदनगर	अहमदनगर
4.	मक्का मस्जिद	अहमदनगर	अहमदनगर
5.	चंगेज खां के महल के समीप प्राचीन मकबरा	अहमदनगर	अहमदनगर
6.	निजाम अहमद शाह का मकबरा	अहमदनगर	अहमदनगर
7.	हेमपंथी मंदिर	बेमिनी	अहमदनगर
8.	ढोकेश्वर गुफाएं	ढोके	अहमदनगर
9.	फरिया बाग के नाम से प्रसिद्ध भवन	घोटन	अहमदनगर
10.	जैन मंदिर	भिंगर कैंट	अहमदनगर
11.	मल्लिकार्जुन का मंदिर	घोटन	अहमदनगर
12.	गुफा एवं मंदिर	हरीचश्चन्द्र गड	अहमदनगर
13.	जरासंघ नगरी	जोरवे	अहमदनगर
14.	मल्लिकार्जुन का मंदिर	करजात	अहमदनगर
15.	शिवा का मंदिर जिसे नकटीचेदुल कहा जाता है	करजात	अहमदनगर
16.	प्राचीन मंदिर	कोकमथान	अहमदनगर
17.	देवी का मंदिर	मांडवगांव कठराबाद	अहमदनगर
18.	सल्बाथान का मकबरा	मोहेकारी	अहमदनगर
19.	झरने के साथ शिवा का मंदिर	पारनेर	अहमदनगर
20.	बालेश्वर मंदिर	पेडगांव	अहमदनगर
21.	लक्ष्मी नारायण मंदिर	पेडगांव	अहमदनगर
22.	अमृतेश्वर मंदिर	रतनवाड़ी	अहमदनगर
23.	भवानी का तीन मूर्तियों वाला मंदिर	तहाकारी	अहमदनगर
24.	पांच पत्थरों के द्वार	तीसगांव	अहमदनगर
25.	देवी का मंदिर	टोका	अहमदनगर
26.	सिद्धेश्वर महादेव मंदिर	टोका	अहमदनगर
27.	विष्णु के मंदिर के साथ लगे हुए पांच घाट	टोका	अहमदनगर
28.	दैमाबाद स्थित प्राचीन स्थल एवं अवशेष	दैमाबाद लाडगांव	अहमदनगर
29.	प्राचीन स्थल जिसे स्थानीय रूप से लाडमोड जाना जाता है	नेवासा	अहमदनगर

1	2	3	4
30.	शहरी की बाहरी दीवार का दहीहांडा द्वार	अकोला	अकोला
31.	शहर की बाहरी दीवार में खिड़की द्वार	अकोला	अकोला
32.	शहर की बाहरी दीवार की दक्षिण पूर्वी बुर्जी के साथ प्रत्येक दिशा में 10 वर्षों की लगी हुई दीवारें जिन्हें पंच बुर्ज हसरथ याद जाना जाता है तथा एक फारसी अभिलेख	अकोला	अकोला
33.	बालापुर किला	बालापुर	अकोला
34.	डाक बंगला के समीप छतरी	बालापुर	अकोला
35.	भवानी का काले पत्थर का मंदिर	बरसी ताकिल	अकोला
36.	नरनाला किला 1 अकोट प्रवेशद्वार, 2 अंबर महल, 3 दिल्ली प्रवेशद्वार, 4 बड़ी एवं दो छोटी बंदूकें 5 महाकाली प्रवेशद्वार 6 मेंधेयो प्रवेशद्वार 7 शाहपुर प्रवेशद्वार 8 सिरपुर प्रवेशद्वार 9 छोटी मस्जिद 10 तेल एवं घी रखने के लिए हौज	पातुर	अकोला
37.	पातुर गुफा दो गुफा	पातुर	अकोला
38.	लाल खान के मकबरे के सामने तालाब	अमनेर	अकोला
39.	लाल खान का मकबरा	अमनेर	अमरावती
40.	गाविलगढ़ किला दीवारें तथा उनके द्वारा घेरा हुआ समस्त क्षेत्र	चिकालदा	अमरावती
41.	नवाब इस्माइल खान की नगर दीवार	बिलचपुर अचलपुर	अमरावती
42.	दूला द्वार	बिलचपुर अचलपुर	अमरावती
43.	हरिपुरा द्वार	बिलचपुर अचलपुर	अमरावती
44.	हौज कटोरा	बिलचपुर अचलपुर	अमरावती
45.	जीवनपुरा द्वार	बिलचपुर अचलपुर	अमरावती
46.	अनंदेश्वर का मंदिर	लासुर	अमरावती
47.	अजन्ता गुफाएं	अजन्ता	औरंगाबाद
48.	औरंगाबाद गुफाएं	औरंगाबाद	औरंगाबाद
49.	रबिया दोरानी का मकबरा बीबी का मकबरा	औरंगाबाद	औरंगाबाद
50.	दौलताबाद किला तथा उसके अंदर के स्मारक जैसे चांद मीनार	दौलताबाद	औरंगाबाद
51.	एलोरा गुफाएं	एलोरा	औरंगाबाद
52.	औरंगजेब का मकबरा	खुलताबाद	औरंगाबाद
53.	मलिक अम्बर का मकबरा	खिलताबाद	औरंगाबाद
54.	प्राचीन स्थल टीका	पैठन	औरंगाबाद
55.	पीतलखोरा गुफाएं	पीतलखेरा	औरंगाबाद
56.	धृष्णेश्वर मंदिर, छतरी तथा अन्य प्राचीन स्थल	वेरूल एलोरा	औरंगाबाद
57.	दो मंदिरों के प्राचीन अवशेषों का क्षेत्र जोकि बड़े पत्थरों के मिश्रण से दो अलग अलग जगहों पर बने हैं जिसमें एक एकदम पदमपुर के उत्तर में तथा दूसरा एकदम गणेशपुर के दक्षिण में है	पदमपुर	भंडारा

1	2	3	4
58.	गांव के उत्तर में मंदिर के अवशेष	पदमपुर	भंडारा
59.	गांव के उत्तर पश्चिम में मंदिर के अवशेष	पदमपुर	भंडारा
60.	गणेशपुर गांव के दक्षिण के समीप मंदिर के अवशेष	पदमपुर	भंडारा
61.	मंदिर के अवशेष जिन्हें स्थानीय रूप से नाथ बाबा जाना जाता है	पदमपुर	भंडारा
62.	किला	प्रतापगढ़	भंडारा
63.	पौनी किले की चारदीवारी के अवशेष	पौनी	भंडारा
64.	प्राचीन टीले जिन पर जगन्नाथ का आधुनिक मंदिर खड़ा है	पौनी	भंडारा
65.	हरदुलाला की टैकरी के नाम से जाना जाने वाला टीला	पौनी	भंडारा
66.	क्रोमलिश जिसे टिलोरा फ्राहंग पैन कहा जाता है	पीपलगांव	भंडारा
67.	उक्कडेश्वर महादेव मंदिर	उक्कड पिम्परी	बीड
68.	मोती समाधि	देउलगांव राजा	बुलढाना
69.	तीन प्राचीन मंदिर	धोतरा	बुलढाना
70.	मस्जिद	फतेखेयडा साखरखेडा	बुलढाना
71.	दो प्राचीन मंदिर	कोथाली	बुलढाना
72.	धर्मशाला जिसे स्थानीय रूप से छतरी कहा जाता है	लोनार	बुलढाना
73.	पन्द्रह मंदिर	लोनार	बुलढाना
74.	गायमुखा मंदिर एवं तालाब	लोनार	बुलढाना
75.	दतिया सुदाना का गायमुखा मंदिर सं. 1	लोनार	बुलढाना
76.	शहर के पूर्व में वर्गाकार कुंड	लोनार	बुलढाना
77.	दतिया सुदाना का मंदिर	लोनार	बुलढाना
78.	शहर के उत्तर पूर्व कोने में स्थित धर्मशाला	मेहकर	बुलढाना
79.	मस्जिद	रोहिनखेड	बुलढाना
80.	महादेव का मंदिर	साकेगांव	बुलढाना
81.	विष्णु का मंदिर, इस मंदिर के पूर्व में एक प्राचीन भवन के अवशेष एवं छोटे मंदिर के अवशेष	सातगांव	बुलढाना
82.	तालाब	सिंधखेड राजा	बुलढाना
83.	महादेव का मंदिर	सिंधखेड राजा	बुलढाना
84.	लाखुजी जाधवराज की समाधि	सिंधखेड	बुलढाना
85.	किले की दीवार	बल्लारपुर	चन्द्रपुर
86.	किला	भांडक	चन्द्रपुर
87.	एक मंदिर के अवशेषों सहित भद्रनाथ मंदिर के एक दम पूर्व में बड़ा व ऊंचा नोल	भांडक	चन्द्रपुर
88.	तीन आकृतियों सहित पांडवों की गुफाएं	भांडक	चन्द्रपुर
89.	अंचलेश्वर मंदिर एवं अहाता सहित अन्य छोटा मंदिर	चन्द्रपुर	चन्द्रपुर
	शहर के अंचलेश्वर द्वार के बाहर गोंड राजा के मकबरे का अहाता तथा भवन	चन्द्रपुर	चन्द्रपुर

1	2	3	4
91.	किले की दीवार	चन्द्रपुर	चन्द्रपुर
92.	सोलह बडे पत्थरों की आकृतियों सहित लालपेठ मोनोलिथ 1 अन्न पूर्णा 2 भीम 3 मछली 4 गंगा 5 गणपति 6 हनुमान 7 हनुमान 8 काली 9 महादेव 10 महादेव 11 नंदी 12 रावण 13 सांप 14 कछुआ 15 गणपति 16 गंगा	चन्द्रपुर	चन्द्रपुर
93.	नगर निगम कार्यालय के समीप महादेव मंदिर	चन्द्रपुर	चन्द्रपुर
94.	महाकाली का मंदिर	चन्द्रपुर	चन्द्रपुर
95.	केशवनाथ का मंदिर	चुरूल	चन्द्रपुर
96.	प्राचीन मंदिर	देओटेक	चन्द्रपुर
97.	दत्तात्रेय, महादेव एव लक्ष्मीनारायण की आकृतियों वाला हेमदपंथी मंदिर	धनोरा	चन्द्रपुर
98.	प्राचीन पुल	घुटकला	चन्द्रपुर
99.	चंडिकादेवी का प्राचीन मंदिर	घुटकाला	चन्द्रपुर
100.	एक प्राचीन किले के अवशेष	खटोरा	चन्द्रपुर
101.	महादेव का मंदिर	महाद्वारी	चन्द्रपुर
102.	महादेव का मंदिर	नेरी	चन्द्रपुर
103.	रामडिगि मंदिर एवं रामडिगि तालाब	नीमढेला जंगल	चन्द्रपुर
104.	प्राचीन हेमदपंथी मंदिर	पालेबारस	चन्द्रपुर
105.	महादेव का प्राचीन मंदिर	राजगढ़	चन्द्रपुर
106.	मठ	बलसाना	धुलिया
107.	सर्वे नं. 141 में छोटा मंदिर	बलसाना	धुलिया
108.	दुर्गा का मंदिर	बलसाना	धुलिया
109.	शिव का मंदिर	बलसाना	धुलिया
110.	सर्वे नं. 418 में शिव मंदिर के बाईं भाग में मंदिर	बलसाना	धुलिया
111.	सर्वे नं. 418 में उपरोक्त के सामने मंदिर	बलसाना	धुलिया
112.	सर्वे नं. 141 में दुर्गा मंदिर एवं मठ के मध्य मंदिर	बलसाना	धुलिया
113.	ध्वस्त किले एवं गुफाओं के प्राचीन प्रवेशद्वार	भामेर	धुलिया
114.	सात मुस्लिम मकबरे	थालनेर	धुलिया
115.	तीन मुस्लिम मकबरे	थालनेर	धुलिया
116.	प्राचीन स्थल एवं अवशेष	प्रकाशा	धुलिया
117.	प्राचीन मंदिर	अरमोरी	गडचिरोली
118.	पत्थरों का सर्किल	अरसोदा	गडचिरोली
119.	बीस क्रोमलेचिस अथवा किस्तवाएंस का समूह	चामुर्शी	गडचिरोली
120.	शैलकृत गुफाएं	झारापापरा	गडचिरोली
121.	मंदिर समूह	मरकंडा	गडचिरोली

1	2	3	4
122.	टीपागढ़ की गढ़ी	मुरूमगांव	गडचिरोली
123.	बड़ा मंदिर	थानेगांव	गडचिरोली
124.	किले की दीवार	वाइरा	गडचिरोली
125.	भंडारेश्वर का मंदिर	वाइरा	गडचिरोली
126.	पवार की गढ़ी के नाम से जाना जाने वाला प्राचीन टीला एवं स्मारक	बाहाल	जलगांव
127.	चांगदेव का मंदिर	चांगदेव	जलगांव
128.	देवी एवं सांभा का मंदिर	दिघी	जलगांव
129.	महेश्वर मंदिर	पाटन	जलगांव
130.	चंडिका देवी का मंदिर	पाटन	जलगांव
131.	नागार्जुन का मंदिर	पाटन	जलगांव
132.	श्रृंगेर चावडी का मंदिर	पाटन	जलगांव
133.	महादेव मंदिर	संगमेश्वर	जलगांव
134.	मुधाई देवी मंदिर	वाघली	जलगांव
135.	तीन शिलालेखों सहित सिद्धेश्वर का मंदिर	वाघली	जलगांव
136.	प्राचीन स्थल एवं अवशेष	टेकवाड़ा	जलगांव
137.	पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष	भोकरदान	जालना
138.	पहाड़ी पर एक प्राचीन किले के अवशेष	भीवागढ़	नागपुर
139.	किला	दपनागरतल	नागपुर
140.	महादेव का मंदिर	घोगरा	नागपुर
141.	पत्थरों का सर्किल	जूनापानी	नागपुर
142.	पत्थरों का सर्किल	घोरार	नागपुर
143.	मठ, स्तूप एवं शैलकृत शिलालेख आदि सहित प्राचीन बौद्ध अवशेष	मनसर एवं कहारी	नागपुर
144.	प्रस्तर सर्किल	निलघो	नागपुर
145.	कालीमाता का मंदिर	रामटेक	नागपुर
146.	रामटेक पहाड़ी के अंत में पश्चिमी चढ़ाई पर स्थित बहुत ही प्राचीन वेदियों के अवशेष जिसमें एक मंदिर के पोर्च का हिस्सा है तथा विष्णु के त्रिविक्रम अवतारों की विकृत प्रतिमा है	रामटेक	नागपुर
147.	दत्तात्रेय मंदिर के विपरीत हौदी तथा मंडप	रामटेक	नागपुर
148.	प्रस्तर सर्किल	टकलघाट	नागपुर
149.	पांडवलेना के नाम से स्थानीय तौर पर मशहूर ब्राहमनिकल गुफाएं	माहूर गांव	नांदेड़
150.	हिन्दू मंदिर	अम्बेगांव	नासिक
151.	प्राचीन मंदिर	अंजानेरी	नासिक
152.	गुफाएं	अनकई	नासिक
153.	हिन्दु मंदिर	देवथान	नासिक

1	2	3	4
154.	प्राचीन माटीची गढ़ी	नासिक	नासिक
155.	पांडव लेना गुफाएं	पथरडीह	नासिक
156.	ऐईश्वर मंदिर	सिन्नार	नासिक
157.	गोंडेश्वर महादेव का मंदिर	सिन्नार	नासिक
158.	त्रयम्बकेश्वर मंदिर	त्रिगांलवाडी	नासिक
159.	जैन मंदिर	त्रिगांलवाडी	नासिक
160.	महादेव का हेमदपंथी मंदिर	जोडगे	नासिक
161.	किला	पोनार	वर्धा
162.	महादेव का हेमपंथी मंदिर	नेयर	यवतमाल
163.	भगवती पंडारादेवी का मंदिर	पंढारदेवी	यवतमाल
164.	कमलेश्वर का मंदिर	पाथरोट	यवतमाल
165.	महादेव मंदिर	रांत स्वांगि	यवतमाल
166.	महादेव मंदिर	रूई–वाई	यवतमाल
167.	श्रीमहादेव का हेमदपंथी मंदिर तपोनेश्वर	तापोना	यवतमाल
168.	महादेव मंदिर	येलाबारा	यवतमाल
मुम्बई मंडल			
1.	ब्रहमपुरी स्थित प्राचीन स्थल	कोल्हापुर	कोल्हापुर
2.	पन्हाला किला 1 अम्बरखाना 2 आंध्र वाव 3 धर्म कोपथी 4 नाइकिनिचा सज्जा 5 तीन दरवाजा 6 वाघ दरवाजा 7 बुर्जियों के साथ तातावानी	पन्हाला	कोल्हापुर
3.	बौद्ध गुफाएं	पन्हाला	कोल्हापुर
4.	सायन की समस्त पहाड़ी जिसके साथ पहाड़ी के उत्तर, पूर्व एवं दक्षिण – पूर्व स्थित भवनों के प्राचीन पुर्तगाली अवशेष भी हैं	सायन	मुम्बई
5.	शिव को दर्शाती हुई एकाम बैस रिलीफ	परेल गांव	मुम्बई
6.	प्राचीन पुर्तगाली चर्च, मीनारे तथा गुफाएं	मंडपेश्वर	मुम्बई सब अर्बन
7.	बौद्ध गुफाएं	कन्हेरी	मुम्बई सब अर्बन
8.	जोगेश्वरी गुफाएं	माजस	मुम्बई सब अर्बन
9.	कॉंडिवाटे गुफाएं	कॉंडिवाटे	मुम्बई सब अर्बन
10.	मंडपेश्वर गुफाएं	मंडपेश्वर	मुम्बई सब अर्बन
11.	गुफा के ऊपर पुर्तगाली मठ एवं साथ की पहाड़ी पर विशाल वाच टावर	मंडपेश्वर	मुम्बई सब अर्बन
12.	सोनागढ़	अचलोली	रायगढ़
13.	कैथेडल	अगरकोट	रायगढ़
14.	चौबुर्जी कैसल अथवा चेउल का कारखाना	अगरकोट	रायगढ़
15.	अगस्टाइन के चर्च एवं कान्वेंटस	अगरकोट	रायगढ़

1	2	3	4
16.	डोमिनियन चर्च एवं कान्वेंट	अगरकोट	रायगढ़
17.	जुसुइट मठ	अगरकोट	रायगढ़
18.	कोठी	अगरकोट	रायगढ़
19.	बुरूज	अगरकोट	रायगढ़
20.	सेंट फ्रांसिस जेवियर की चेपल	अगरकोट	रायगढ़
21.	सातखानी सेंट बारबरा की मीनार	अगरकोट	रायगढ़
22.	दो द्वार – पोर्टा दा मार तथा पोर्टा दा टेरा	अगरकोट	रायगढ़
23.	हीराकोटा प्राचीन किला	अगरकोट	रायगढ़
24.	कोलाबा किला जिसमें शामिल हैं 1 मासिक चवाडा 2 नानीसाहिब कस महल 3 उत्तरी कासवे 4 पदमावती की श्राइन 5 जलाश्रय अप्सरा 6 सरोज कोट 7 भवानी की श्राइन 8 मारूति की श्राइन 9 यशवंतादरी की श्राइन 10 तालधर 11 दक्षिण कासवे 12 बोपडेक का मंदिर 13 अनपती–पेन–चयाटेन का मंदिर 14 गुलाबाई अथवा महाश्रुति का मंदिर 15 कनोबा का मंदिर 16 थोर्ले वाडा 17 महादेव का मंदिर 18 मुस्लिम संत का मकबरा	अगरकोट	रायगढ़
25.	गुफा	अम्बीवली	रायगढ़
26.	बीरवाडी किला	बीरवाडी	रायगढ़
27.	बारबर का महल	चेउल	रायगढ़
28.	दादेर सीढियां	चेउल	रायगढ़
29.	कमान आर्च	चेउल	रायगढ़
30.	मस्जिद	चेउल	रायगढ़
31.	राजकोट	चेउल	रायगढ़
32.	अंगरे का मकबरा	चेउल	रायगढ़
33.	नृत्यरत लड़कियों का वाडा	चेउल	रायगढ़
34.	चन्द्रगढ़	धवाला	रायगढ़
35.	एलीफेंटा गुफाएं	धारापुरी	रायगढ़
36.	धेरागढ़ अथवा सुरगढ़ किला	धेरा सुरगढ	रायगढ़
37.	धोसालगढ किला	धोसाले	रायगढ़
38.	प्राचीन किला जिसमें गोड कंगोरमेल का मंदिर तथा दो तालाब हैं	कादासारी कंगोरी	रायगढ़
39.	बौद्ध गुफाएं	गोमाशी	रायगढ़
40.	रायगढ़ किले के पास एक प्रपाती पहाड़ी जिसमें पानी की एक शैलकृत हौदी है। इसे पहले कैदियों के लिए कारागार के रूप में प्रयुक्त किया जाता था।	कादासारी लिंगाना	रायगढ़
41.	गुफाएं	कोल	रायगढ़
42.	सर्वे नं. 49 व 50 में गुफाएं	कोल	रायगढ़

1	2	3	4
43.	गुफाएं	कोंधाने	रायगढ़
44.	प्राचीन किला	कोरलाई	रायगढ़
45.	औधितगढ़	मेधे	रायगढ़
46.	गुफाएं	कुडा	रायगढ़
47.	कासा कामसा किला	मुरूद	रायगढ़
48.	थनाला गुफाएं	नाडसुर	रायगढ़
49.	नागोथाना पुल	नागोथाना	रायगढ़
50.	खडसामाला गुफाएं	नेनावाली	रायगढ़
51.	चार मीनारों सहित जीजामाता की समाधि	पचाड	रायगढ़
52.	जीजामाता का वाडा जिसमें चार जीर्णशीर्ण अवस्था के मकान तथा तीन कुएं जोकि प्रस्तर दीवार से घिरे हैं	पचाड	रायगढ़
53.	गुफाएं	पाले	रायगढ़
54.	कोटाली जिले के समीप गुफाएं	पेठ	रायगढ़
55.	दो लोहें की बंदूकों तथा एक कांस्य की बंदूक सहित कोटाली किला	पेठ	रायगढ़
56.	जंजीरा किला	राजापुरी	रायगढ़
57.	खोल्कर नाजिक घुमज स्थित मकबरे खोखेरी घुमज	राजापुरी	रायगढ़
58.	रायगढ़ स्थित किला	रायगढ़	रायगढ़
59.	ताला किला	ताला	रायगढ़
60.	एलीफेंटा द्वीप पर ईंटों का प्राचीन स्तूप	धारापुरी	रायगढ़
61.	कोंडाने गुफाएं	खपोली	रायगढ़
62.	आगा खां पैलेस भवन	पुणे	पुणे
63.	भांबुराडा का गुफा मंदिर	पूना	पुणे
64.	प्राचीन दुर्ग जिसे शनिवारवाडा के रूप में जाना जाता है	पूना	पुणे
65.	प्राचीन यूरोपियन मकबरे	पूना	पुणे
66.	किला	राजामारची	पुणे
67.	उत्खनन एवं शिलालेख	शेलारवाडी	पुणे
68.	किला	वीसापुर	पुणे
69.	हबसी गुंबज के समीप छोटी दरगाह	अगार	पुणे
70.	गुफा मंदिर तथा शिलालेख	बेडसा	पुणे
71.	गुफा मंदिर तथा शिलालेख	भाजा	पुणे
72.	नाना पास नानेघाट स्थित गुफाएं एवं शिलालेख	घाटघर	पुणे
73.	गुफाएं, मंदिर तथा शिलालेख	जुनार	पुणे
74.	शिवनेरी का किला	जुनार	पुणे
75.	हबसी गुंबज	जुनार	पुणे

1	2	3	4
76.	गुफाएं, मंदिर तथा शिलालेख	कारला	पुणे
77.	लाक एवं स्लूस द्वारों सहित पुराना पुल	खेड	पुणे
78.	दिलावर खान की मस्जिद	खेड	पुणे
79.	दिलावर खान का मकबरा	खेड	पुणे
80.	लोहागढ़ किला	लोहागढ	पुणे
81.	भुलेश्वर महादेव मंदिर	मालसिरस	पुणे
82.	मोहम्मद तुगलक की मस्जिद	खानापुर	सांगली
83.	मस्जिद	दभोल	रत्नागिरी
84.	शैलकृत गुफाएं गणेश लेना समूह	दपोली	रत्नागिरी
85.	सुवर्णदुर्ग किला	हरनाई	रत्नागिरी
86.	जयगढ़ किला	जयगढ़	रत्नागिरी
87.	विजयदुर्ग किला	विजयदुर्ग	रत्नागिरी
88.	पंता का कोट अथवा गोट खुला स्थान	कराड	सतारा
89.	कृष्णा नदी का प्राचीन मंदिर	प्राचीन महाबलेश्वर	सतारा
90.	अम्बरेश्वर महादेव मंदिर	फाल्टन	सतारा
91.	बौद्ध गुफाएं	जाखिनवाड़ी	शोलापुर
92.	बेगमी का मकबरा	घोडेश्वर	शोलापुर
93.	औरंगजेब का किला	मचनुर	शोलापुर
94.	श्रीसिद्धेश्वर का प्राचीन मंदिर जोकि पेवढ़ कोर्ट में है	मचनुर	शोलापुर
95.	ढका हुआ कोलोनेड कुएं के दक्षिणी और	महालुंग	शोलापुर
96.	महादेव का हेमदपंथी मंदिर	महालुंग	शोलापुर
97.	विठोबा का हेमदपंथी मंदिर	महालुंग	शोलापुर
98.	हेमदपंथी कुआं	महालुंग	शोलापुर
99.	महादेव प्रस्तर	महालुंग	शोलापुर
100.	देवी यमाई का मंदिर	महालुंग	शोलापुर
101.	प्राचीन किला	शोलापुर	शोलापुर
102.	प्रत्सेक और विरागल प्रस्तरों सहित प्रवेशद्वार एवं प्राचीन मारूति मंदिर	वेलापुर	शोलापुर
103.	दो श्राइन वाला प्राचीन मंदिर	वेलापुर	शोलापुर
104.	प्राचीन मंदिर तथा विरागल अथवा मूर्तिकला स्मारक प्रस्तर	वेलापुर	शोलापुर
105.	सरकारवाडा का प्राचीन मंदिर जिसे स्थानीय रूप से पारसनाथ मंदिर जाना जाता है	वेलापुर	शोलापुर
106.	हरनारेश्वर तथा अर्द्धनारीश्वर का मंदिर, एक देमपंथी हौज छोटा वर्गाकार कुंड तथा परिसर में रखे हुए विन्ग्रगल प्रस्तर	वेलापुर	सिंधुदुर्ग
107.	सिंधुदुर्ग किला	मालवन	थाणे
108.	अम्बरनाथ का मंदिर	अम्बरनाथ	थाणे

1	2	3	4
109.	किला	अरनाला	थाणे
110.	किला तथा पुर्तगाली अवशेष	बसैन	थाणे
111.	उमाराले गांव से बोलिंज वाले मार्ग के पश्चिम की तरफ तालाब	बोलिंज	थाणे
112.	सोनार भाट के नाम से स्थानीय रूप से जाना जाने वाला टीला	गास	थाणे
113.	बूरूड पहाड़ी पर गुफाएं	खनवाड़ा	थाणे
114.	माहुली किला	माहुलि	थाणे
115.	बुरूड कोट मारडेस के नाम से स्थानीय रूप से जाना जाने वाला टीला	मारदेस	थाणे
116.	ब्राहमणिकल गुफाएं	पोलु सोनाला	थाणे
117.	उत्कीर्ण प्रस्तर	वाडा	थाणे

[अनुवाद]

मजुली द्वीप

633. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मजुली द्वीप का बाढ़ तथा अपरदन से संरक्षण हेतु कोई परियोजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितनी लागत आएगी; और

(ग) इसके क्रियान्वयन तथा इस वर्ष मौसमी वर्षा तथा बाढ़ शुरू होने से पूर्व इस कार्य को पूरा किए जाने के संबंध में क्या प्रगति हुई है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ग) जल संसाधन मंत्रालय के अधीन ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने बाढ़ तथा अपरदन से मजुली द्वीप के संरक्षण हेतु 86.56 करोड़ रुपए की राशि की एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की है। स्वीकृत डीपीआर के अनुसार ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने तीन चरणों में किए जाने वाले इस कार्य को अपने हाथ में ले लिया है। इसका चरणवार ब्रेकअप नीचे दिया गया है :–

चरण–I	41.28 करोड़ रुपए
चरण–II	18.28 करोड़ रुपए
चरण–III	27.00 करोड़ रुपए

चरण–I की शुरूआत वर्ष 2005 में हुई। अब तक इस पर 21.88 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।

मेल/एक्सप्रेस तथा मालगाड़ियों की गति

634. श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में मेल/एक्सप्रेस तथा मालगाड़ियों की गति में कितना अंतर है;

(ख) क्या रेलवे ने मेल/एक्सप्रेस तथा मालगाड़ियों की गति में अंतर को कम करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) भारतीय रेल प्रणाली में चलने वाली अधिकतम मेल, एक्सप्रेस गाड़ियों की अधिकतम अनुमत गति 110 कि.मी. प्रति घंटे तथा माल गाड़ियों की 75 किमी. प्रति घंटे के आस–पास है। भारतीय रेल ने 100 किमी. प्रति घंटे के लिए अनुकूल फ्रेट स्टॉक डिज़ाइन किया है। ऐसे कुछ रेकों का निर्माण किया गया है और उनका परिचालन किया जा चुका है। अधिकतर कंटेनर गाड़ियां 100 किमी. प्रति घंटे की गति से चलने के लिए उपयुक्त है। फ्रेट गाड़ियों की शक्ति भी बढ़ायी जा रही है ताकि मेल, एक्सप्रेस एवं माल एक्सप्रेस गाड़ियों के बीच गतियों का अंतर भी कम किया जा रहा है।

पम्बन रेल पुल

635. श्री एस.के. खारवेन्थन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु के रामेश्वरम में पाक जलडमरुमध्य पर बना पम्बन रेल पुल यातायात के लिए खोल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे के पास रामेश्वरम से देश में अन्य स्थानों के लिए और अधिक सेवाएं शुरू करने तथा पम्बन रेल पुल हेतु विश्व विरासत स्थल का दर्जा भी प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) पम्बन पुल सहित मानमदुरै–रामेश्वरम् का आमान परिवर्तन कार्य पहले ही पूरा हो गया है तथा बदले गए बड़ी लाइन खंड पर 12.8.07 से 3 जोड़ी गाड़ियां अर्थात् 6713/6714 चेन्नै एग्मोर–रामेश्वरम एक्सप्रेस, 751/752 एवं 753/754 मदुरै–रामेश्वरम पैसेंजर चला दी गई है।

(ग) और (घ) 8495/8496 भुवनेश्वर–रामेश्वरम एक्सप्रेस (साप्ताहिक) तथा मदुरै–रामेश्वरम पैसेंजर गाड़ी चलाने के लिए क्रमशः 2007–08 तथा 2006–07 के रेल बजट में घोषणा की गयी है।

दक्षिण रेलवे ने पम्बन पुल को विश्व विरासत स्थल का दर्जा देने के लिए योजना बनाई है।

[हिन्दी]

स्काई बस मेट्रो परियोजना

636. श्री एम. अंजनकुमार यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्काई बस मेट्रो परियोजना के क्रियान्वयन में क्या प्रगति हुई है;

(ख) परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है तथा वर्ष 2007–08 के दौरान परियोजना हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) इसे कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) स्काई बस मेट्रो प्रौद्योगिकी फिलहाल विकास के चरण में है। परीक्षण करने के लिए, मडगांव में लगभग 1.6 किमी. लंबी परीक्षण ट्रैक बनाया गया है।

स्काई बस प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन करने के लिए, शहरी विकास मंत्रालय ने डा. पी.वी. इन्द्रसेन, भूतपूर्व निदेशक, आई आई टी/चेन्नै की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति की रिपोर्ट अगस्त, 2005 में प्रस्तुत की गई थी, में अनुशंसा की गई थी कि नई प्रणाली का मूल्यांकन और प्रौद्योगिकी के और विकास के लिए मार्गदर्शन हेतु तकनीकी सलाहकार समूह (टी ए जी) का गठन किया जाए। टी ए जी का गठन पहले ही हो चुका है और अब तक तीन बैठकें हो गई हैं।

(ख) तकनीकी सलाहकार समूह के मार्गदर्शन में प्रौद्योगिकी के प्रमाणन के लिए स्काई बस मेट्रो के और परीक्षण करने हेतु रेल मंत्रालय ने योजना शीर्ष "रेलवे अनुसंधान" के अंतर्गत केवल 25 करोड़ रुपए का आबंटन किया है।

(ग) निर्धारित समय–सीमा नहीं बताई जा सकती क्योंकि एक प्रौद्योगिकी विकास परियोजना होने के कारण परियोजना की सफलता रेल संरक्षा आयुक्त अथवा निर्धारित प्रयोजन के लिए नियुक्त एजेंसी द्वारा प्रौद्योगिकी के प्रमाणन के लिए किए गए परीक्षणों के दौरान हासिल परीक्षणों के परिणामों पर निर्भर करेगी।

[अनुवाद]

रेलवे की सस्ती दरों पर विमान यात्रा कराने वाली एयरलाइनों से प्रतिस्पर्धा

637. श्री के.सी. पल्लानी शामी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को सस्ती दरों पर विमान यात्रा कराने वाली एयरलाइनों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए रेलवे द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) रेलवे द्वारा अब तक कितने सॉफ्ट कार्ड जारी किए गए हैं तथा कार्ड धारकों को क्या सुविधाएं दी गई हैं;

(घ) क्या रेलवे ने बारम्बार यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए इस योजना (साफ्ट) को और अधिक आकर्षित बनाने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) एयर लाइन्स सेक्टर विशेषकर कम कीमत के एयर लाइन्स से प्रतिस्पर्धा के लिए रेलें जागरूक हैं। स्पर्धा में तेजी लाने के लिए रेलों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) प्रथम वातानुकूल एवं द्वितीय वातानुकूल श्रेणियों के किराए कम करना।

(ii) अतिरिक्त गाड़ियां चलाना।

(iii) अधिक से अधिक मांग को पूरा करने के लिए लोकप्रिय गाड़ियों के भार में वृद्धि करना।

(iv) प्रतीक्षा सूची को समाप्त करने के लिए गाड़ियों में अतिरिक्त डिब्बे लगाना।

(v) बार–बार यात्रा करने वाले यात्री योजना शुरू करना (एस ओ एफ टी)।

(vi) अतिरिक्त प्रभार वसूल किए बिना यात्री गाड़ियों का उन्नयन।

(ग) से (ङ) 31.7.2007 तक 33428 सॉफ्ट (बार–बार यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए योजना) कार्ड जारी किए जा चुके हैं। कतिपय संख्या में रिकार्ड प्वाइंट इकट्ठा करने के बाद बार–बार यात्रा करने वाले यात्री मानार्थ गाड़ी यात्रा के फेरे प्राप्त करता है। अन्य सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं और इस योजना को अधिक आकर्षक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :–

1. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, अर्जित प्वाइंटों का नवीकरण और उनमें वृद्धि करना।
2. इस कार्ड के माध्यम से किए गये क्रेडिट कार्ड के लेन देन पर 1.8 प्रतिशत की छूट।
3. इस योजना और अर्जित रेलवे प्वाइंट के अंतर्गत जारी कार्ड के आधार पर शॉप डाउन आउट या यात्रा की सुविधाएं।
4. चुनिंदा पेट्रोल पम्पों पर पेट्रोल की खरीद पर कार्डों पर रियायत भी मिलती है और संव्यवहार शुल्क की बचत भी होती है।

अन्तर्राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव

638. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने भी शिवकुमार कला संघ, स्नेहल्ली, होसादुर्ग तालुक, चित्रदुर्ग जिला, कर्नाटक द्वारा आयोजित किए जाने वाले "अन्तर्राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव" के लिए वित्तीय सहायता की मंजूरी हेतु केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने प्रस्ताव पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो संघ को वित्तीय सहायता कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) में जनशक्ति में कटौती

639. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) में जनशक्ति में कटौती की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में कितने कर्मचारी स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त हुए तथा कितने लोगों को भर्ती किया गया;

(घ) क्या सेल में बहुत से पद रिक्त हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(च) रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास) : (क) और (ख) जी, हां। सामान्य सेवानिवृत्ति तथा अन्य पृथक्करणों के कारण सेल की जनशक्ति कम हो रही है। पिछले 3 वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में जून, 2007 तक जनशक्ति की स्थिति और वर्ष–वार कमी निम्नानुसार है :–

वर्ष	सेल की जनशक्ति (आईएसपी सहित)	जनशक्ति में कमी
2004–05	143075	–
2005–06	138211	4864
2006–07	132973	5238
2007–08 (30 जून, 2007 तक)	131890	1083

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के तहत सेवा निवृत्त किए कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है :–

वर्ष	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08 (जून, 07 तक)
स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के तहत सेवा निवृत्त हुए कर्मचारियों की संख्या	1440	881	539	0

कुशल जनशक्ति की आवश्यकता पूरी करने और पृथक्करणों की भरपाई करने के लिए पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष में जून, 2007 तक की गई भर्ती निम्नानुसार है :–

वर्ष	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08 (जून, 07 तक)
भर्ती	720	1031	1350	450

(घ) से (च) कंपनी जनशक्ति आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक बजटिंग सिस्टम अर्थात वार्षिक मानव संसाधन आयोजना का पालन करती है। वर्धित उत्पादन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सेल दक्ष प्रचालनों तथा ऑटोमेशन के उच्चतर स्तरों के जरिए अपनी श्रम उत्पादकता बढ़ाएगा। विस्तार परियोजनाओं में वर्क लोड को पूरा करने के लिए परियोजना क्षेत्र में भर्ती किए जाने की जरूरत होगी। तथापि, वार्षिक पृथक्करणों के कारण कारखाना और गैर–कारखाना क्षेत्रों में कर्मचारियों की संख्या में प्रगामी रूप से कमी होगी। पृथक्करणों की भरपाई और जनशक्ति के आयु मिश्र में सुधार करने के लिए भर्ती भी की जाएगी। मौजूदा कर्मचारियों को पुनः प्रशिक्षण देकर और उनकी पुनर्तैनाती के जरिए विस्तार परियोजनाओं की आवश्यकता को भी आंशिक रूप से पूरा किया जाएगा।

[अनुवाद]

एनपीपी तथा दवा मूल्य निर्धारण फार्मूला

640. श्री सुव्रत बोस : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय भेषज नीति (एनपीपी), 2007 की घोषणा करने के लिए सरकार ने मसौदा तैयार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने दवा मूल्य निर्धारण फार्मूला नीति का विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय औषध नीति, 2006 के प्रारूप को वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) सहित विभिन्न स्टेकधारकों की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था। सीएसआईआर ने प्रारूप नोट पर अपनी टिप्पणियों में सीएसआईआर ने अन्य बातों के साथ–साथ यह मत व्यक्त किया था कि अधिकाधिक औषधों/फार्मूलेशनों पर मूल्य नियंत्रण करने से आवश्यक दवाओं के उत्पादन में कमी आएगी जिससे औषधों के आयात की आवश्यकता पड़ेगी।

प्रस्तावित राष्ट्रीय औषध नीति, 2006 संबंधी मंत्रिमंडलीय नोट, विभिन्न विभागों के विचारों के साथ मंत्रिमंडल के समक्ष इसके विचार/अनुमोदन हेतु रखा गया था। मंत्रिमंडल ने 11 जनवरी, 2007 को हुई अपनी बैठक में इस पर विचार किया। यह निर्णय लिया गया कि पहले इस मामले पर एक मंत्री समूह (जीओएम) द्वारा विचार किया जाए। अब जीओएम का गठन किया जा चुका है। इस जीओएम की पहली बैठक 10.4.2007 को हुई थी। यह जीओएम इस नीति के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चाओं के उपरांत मंत्रिमंडल को अपनी संस्तुतियां देगा।

[हिन्दी]

सुपरफास्ट शुल्क

641. श्री वसंतराव भोरे : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश भर में और अंतर्राज्यीय मार्गों पर चल रही सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्रियों से सुपर फास्ट शुल्क के रूप में दस रुपए अधिक वसूले जा रहे हैं;

(ख) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि कम दूरी की रेलगाड़ियों तथा एक ही राज्य में चलने वाली रेलगाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्रियों से भी सुपर फास्ट शुल्क वसूला जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या रेलवे को महाराष्ट्र में चल रही सेवाग्राम एक्सप्रेस के यात्रियों से इस अतिरिक्त किराए के वसूले जाने की जानकारी है, जिससे कि यात्रियों में बहुत असंताष पनप रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) सुपर फास्ट गाड़ियों से यात्रा के लिए सुपर फास्ट अधिप्रभार की दर 8/–रुपए से 50/–रुपए तक है जो यात्रा की श्रेणी पर निर्भर करता है। द्वितीय श्रेणी के लिए, सुपर फास्ट अधिप्रभार 8/–रुपए प्रति यात्री है। यह अधिप्रभार यात्रा की दूरी या राज्य की सीमाओं से संबंधित नहीं है।

(ग) और (घ) ऐसी गाड़ियां जिनकी दोनों दिशाओं में औसत गति

बड़ी लाइन पर 55 किमी. प्रति घंटा है तथा मीटर लाइन पर 45 किमी. प्रति घंटा है, को सुपर फास्ट माना जाता है तथा इन गाड़ियों में यात्रा के लिए नाममात्र का अधिप्रभार लगाया जाता है। सेवाग्राम एक्सप्रेस से यात्रा करने के लिए भी अधिप्रभार लगाया जाता है क्योंकि यह गाड़ी भी उपरोक्त उल्लिखित न्यूनतम गति मापदंड के अनुरूप है।

(ङ) द्वितीय श्रेणी की टिकटों पर अधिप्रभार भी 10/–रुपए से घटाकर 8/–रुपए किया जा चुका है। मासिक द्वितीय श्रेणी सीजन टिकटों के लिए मासिक सुपर फास्ट अधिप्रभार की दर 600/–रुपए के स्थान पर केवल 150/–रुपए है। सीजन टिकटधारियों के लिए जो सुपर फास्ट गाड़ियों से यात्रा करते हैं जिनकी कुल यात्रा दूरी 325 किमी. से कम है, पर कोई सुपरफास्ट अधिप्रभार नहीं लगाया जाता।

[अनुवाद]

नई नागर विमानन नीति

642. श्री के.एस. राव : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वायु यातायात में कितनी संभावित वृद्धि होने का अनुमान है तथा अतिरिक्त विमान हासिल करने की आवश्यकता तथा विमानपत्तनों पर अवसंरचना के विकास पर कितना खर्च आने का अनुमान है;

(ख) अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस से प्रतिस्पर्धा करने में भारतीय विमानन क्षेत्र को किन–किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में सरकारी–निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए नई विकासोन्मुख नागर विमानन नीति को बनाने, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को पुनर्गठित करने, वायु (एयर) कनैक्टिविटी को सुधारने तथा वित्तीय संसाधनों की इस क्षेत्र में भारी मांग को पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु उदार मानक बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) इस समय घरेलू यात्री यातायात में लगभग 37% की दर से तथा अंतर्राष्ट्रीय यातायात में लगभग 16% की दर से वृद्धि हो रही है।

11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल यात्री यातायात का अनुमान क्रमशः 21.6% तथा 17.8% की दर से लगाया गया है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने हवाईअड्डों के आधार संरचना विकास के लिए 11वीं योजना के दौरान 12434/–करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया है। नागर विमानन सेक्टर की संवृद्धि, आर्थिक संवृद्धि, कारोबार तथा पर्यटक यातयात, विदेशी पर्यटक आगमन क्षमता इत्यादि पर निर्भर करती है। विमानों को सेवा में लगाए जाने से आने वाले वर्षों में यात्री यातायात में संवृद्धि के साथ तालमेल बैठने की आशा है।

(ख) विदेशों के साथ यातायात अधिकारों का विनियमन पारस्परिकता के सिद्धान्त पर किया जाता है तथापि, भारतीय राष्ट्रीय वाहकों की तुलना में विदेशी विमान कंपनियां, विमान बेड़ा तथा अन्य आधार संरचना में कमी के कारण कम उपयोगिता कर पाती है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय नागर विमानन नीति पर इस समय मंत्री समूह में विचार चल रहा है।

पश्चिम बंगाल में नई रेल लाइन

643. श्री नरहरि महतो : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारग्राम से आद्रा वाया पुरूलिया पश्चिम बंगाल के लिए लंबे समय से एक नई रेल लाइन की मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) आद्रा से पुरूलिया पहले से ही एक बड़े आमान वाली लाइन से जुड़े हुए हैं। पुरूलिया और झारग्राम के बीच नई लाइन के निर्माण के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। झारग्राम–पुरूलिया के बीच एक नई रेल लाइन के लिए एक अद्यतन सर्वेक्षण के अनुसार 136 किमी. लंबी नई लाइन की लागत का आकलन (–) 7.17% की प्रतिफल की दर से 356.22 करोड़ रुपये आंका गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के पश्चात ही इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली दिवस

644. श्री जी. करूणाकर रेड्डी : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली दिवस के अवसर पर बच्चों के लिए किसी कठपुतली शो का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितना व्यय हुआ; और

(घ) बच्चों में कठपुतली शो के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ग) संगीत नाटक अकादमी ने, जो संस्कृति मंत्रालय का एक स्वायत्त संगठन है, ने 20 से 27 मार्च, 2005 तक मुम्बई में अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली कला दिवस के अवसर पर 'पुतुल यात्रा' नामक उत्सव एवं प्रदर्शनी आयोजित की। इस उत्सव तथा प्रदर्शनी में भारतीय कठपुतली कला की विभिन्न परंपराओं को प्रस्तुत किया गया जिसे अनेक बच्चों ने देखा। समूचे देश से पारंपरिक कठपतुली कलाकारों ने 10 कला प्रदर्शन प्रस्तुती और इस पर 19.20 लाख रुपए का व्यय आया। संस्कृति मंत्रालय एक स्वायत्त संगठन संस्कृति स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र ने भी जनवरी, 2007 में विभिन्न स्थानों पर शिक्षा में कठपुतली की भूमिका विषय पर प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जिनमें विभिन्न राज्यों से अध्यापकों तथा स्थानीय विद्यार्थियों ने भाग लिया। उपर्युक्त कार्यक्रमों पर लगभग 26 लाख रुपए की राशि खर्च की गई।

(घ) कठपुतली कला के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से संगीत नाटक अकादमी द्वारा कठपुतली निर्माण और इन्हें नचाने की कला सीखने के लिए बच्चों सहित सभी को अवसर प्रदान करने के लिए समय–समय पर कठपुतली शो की मासिक प्रस्तुतियां, प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यशालाएं तथा कठपुतलियों की प्रदर्शनियां और प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। कठपुतल रंगमंच भी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित किए जा रहे बाल रंगमंच उत्सव तथा भारत रंग महोत्सव का भाग है। कठपुतली कला पर संस्कृति स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा आयोजित की जा रही प्रशिक्षण कार्यशालाओं में विद्यार्थी एवं अध्यापक लाभान्वित होते हैं। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र की बच्चों के लिए कठपुतली बनाने की कला के संबंध में कठपुतली कला शो तथा कार्यशालाएं आयोजित करते हैं।

गुजरात में नई रेल लाइनें

645. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने रेलवे के पास दस रेल लाइनों के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार, ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विश्राम गृह को खाली करना

646. पी. मुनव्वर हसन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर रेलवे स्टेशन का विश्राम गृह अब भी राजकीय रेलवे पुलिस (जी आर पी) के कब्जे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विश्राम गृह को खाली कराने के लिए रेलवे द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं/किए जा रहे हैं; और

(घ) विश्राम गृह को कब तक जनता को उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा जौनपुर शहर रेलवे स्टेशन के प्रतीक्षालय का इस आधार पर कब्जा कर लिया गया था कि राजकीय पुलिस थाना के लिए जौनपुर रेलवे स्टेशन की कार्यालय इमारत में कोई स्थान नहीं था।

(ग) और (घ) मंडल रेल प्रबंधक/लखनऊ ने जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन की निर्माणाधीन नई इमारत में राजकीय रेलवे पुलिस थाना के लिए जगह की व्यवस्था की है। बिजली की फिटिंग करने, खिड़कियां/दरवाजे और कमरों के फर्स का कार्य प्रगति पर है और निकट भविष्य में पूरा हो जाएगा। कार्य पूरा होने पर इसे राजकीय रेलवे पुलिस को सौंप दिया जाएगा तथा प्रतीक्षालय जनता के लिए उपलब्ध हो जाएगा।

[अनुवाद]

बाजार मूल्य पर तेल और गैस की बिक्री

647. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति कंपनियों को खोजे गए तेल एवं गैस को बाजार मूल्य पर बेचने का अधिकार देती है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा खोजी गई गैस के मूल्य निर्धारण पर विचार करने हेतु एक समिति गठित की है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस संबंध में ब्रिटिश पेट्रोलियम, हार्डी एक्सप्लोरेशन तथा ब्रिटिश गैस जैसे विदेशी निवेशकों ने विरोध दर्ज कराया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में और क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) जी हां। सरकार द्वारा नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) के तहत उत्पादन भागीदारी संविदा पर किए गए हस्ताक्षर के अनुसार प्रचालक तेल का विपणन अंतर्राष्ट्रीय मूल्य समता आधार पर स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं तथा आर्म्स लैंथ आधार पर गैस का घरेलू विपणन कर सकते हैं।

(ख) और (ग) पीएससी के प्रावधानों में दी गई शर्तों के आधार पर आरआईएल ने सरकार के पास गैस की बिक्री का एक मूल्य संबंधी फार्मूला अनुमोदन हेतु भेजा है। इस मूल्य संबंधी फॉर्मूले पर मंत्रिमंडल सचिव ने विचार किया जिनसे गैस मूल्य–निर्धारण के मुद्दे पर विचार करने के लिए कहा गया था।

(घ) और (ङ) किसी कंपनी की और से इस संबंध में किसी प्रकार का विरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, ब्रिटिश गैस एंड ब्रिटिश पेट्रोलियम ने सरकार से पीएससी प्रावधान की पवित्रता को बनाए रखने का अनुरोध किया है।

(च) एनईएलपी के तहत गैस मूल्य निर्धारण से जुड़े मुद्दों पर एक शक्तिप्रदत्त मंत्रि–समूह द्वारा विचार किया जाना है।

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि/कमी

648. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान पेट्रोल, केरोसीन, एलपीजी तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में की गई वृद्धि अथवा कमी का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उपर्युक्त मदों के मूल्यों में वृद्धि अथवा कमी अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के मूल्यों के गिरने/चढ़ने के प्रतिशत में ही हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान दिल्ली में संवदेनशील पेट्रोलियम उत्पादों के खुदरा बिक्री मूल्यों में प्रमुख संशोधनों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

की स्थिति के अनुसार	रुपए प्रति लीटर			रुपए प्रति सिलेंडर
	पेट्रोल	पीडीएस मिट्टी तेल	डीज़ल	घरेलू एलपीजी
1	2	3	4	5
1.4.05	37.99	9.05	28.22	294.75
4.5.05 (डीजल पर वैट की दर को घटाकर 12.5% कर दिया गया)	–	–	26.45	–
21.6.05	40.49	7	28.45	–

1	2	3	4	5
7.9.05	43.49	–	30.45	–
6.6.06	47.51	–	32.25	–
21.6.06 (पेट्रोल और डीजल पर वैट में कर संबंधी छूट दी गई)	46.85	–	32.25	–
30.11.06	44.85		31.25	
16.02.07	42.85		30.25	
वर्तमान मूल्य (6.6.07 से वैट में संशोधन के कारण मूल्यों में संशोधन किया गया)	43.52	9.09	30.48	294.75

(ख) से (घ) अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों तथा दिल्ली में घरेलू खुदरा मूल्यों में बढ़ोतरी का ब्यौरा निम्नानुसार है :

	कच्चा तेल भारतीय बास्केट	पेट्रोल	डीजल	मिट्टी तेल	घरेलू एलपीजी
		अमरीकी डॉलर/ बीबीएल			अमरीकी डॉलर/टन
मार्च 05	49.21	58.72	59.83	63.74	380.00
2005–06	55.72	64.51	64.70	69.43	481.04
2006–07	62.46	72.67	74.12	77.03	499.67
मार्च 05 की तुलना में प्रतिशत बढ़ोतरी	26.9	23.7	23.9	20.9	31.5

की स्थिति के अनुसार खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी)	(रुपए/प्रति लीटर) पेट्रोल	डीजल	पीडीएस मिट्टी तेल	रुपए/प्रति सिलेण्डर घरेलू एलपीजी
1.4.05	37.99	28.22	9.05	294.75
31.03.07	42.85	30.25	9.09	294.75
प्रतिशत बढ़ोतरी	12.8	7.2	0.4	–

सरकार ने आम आदमी के हितों तथा समाज के पिछड़े वर्गों की रक्षा के लिए तीन पणधारको नामतः उपभोक्ता, पीएसयू तेल कंपनिया तथा सरकार के बीच समान भार भागीदारी का सिद्धांत अपनाया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्यों में गिरावट के परिणामस्वरूप दो अवसरों पर अर्थात 30 नवंबर 2006 और 16 फरवरी 2007 को पेट्रोल और डीजल के मूल्यों को घटाया गया था। पीडीएस मिट्टी तेल के आधारभूत मूल्यों को 1 मार्च 2002 से अब तक संशोधित नहीं किया गया है तथा घरेलू एलपीजी को पिछली बार 5.11.204 को संशोधित किया गया था। इस प्रकार, कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में बढ़ोतरी का भार पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल और एलपीजी के उपभोक्ताओं पर नहीं डाला गया है।

बांद्रा, महाराष्ट्र में ऐतिहासिक किलों का जीर्णोद्धार

649. श्री मिलिन्द देवरा : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को मुंबई शहर के बांद्रा (वान्द्रे) और वरली क्षेत्रों में कुछ ऐतिहासिक किलों तथा ठाणे जिले के बसैन (वसई) किले के जीर्णोद्धार हेतु कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनमें से कोई किला यूनेस्को की धरोहर सूची में है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) वसई स्थित बसैन किला एक केन्द्रीय संरक्षित स्मारक है और किले के अन्दर गोंसालो गार्सिया चर्च का संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अपने बजट से किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 11.00 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

बांद्रा तथा वरली क्षेत्रों में स्थित किले केन्द्रीय संरक्षित नहीं है।

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को वित्तीय सहायता के रूप में 7.28 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं जिसमें से 582.75 लाख रुपए मुम्बई में किलों के संरक्षण और विकास के लिए रिलीज किए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने बांद्रा, वरली, शिवड़ी तथा घोड बांदर स्थित किलों को इस योजना के अधीन अभिनिर्धारित किया है जिसमें संरक्षण, सौंदर्यकरण, भृदृश्य निर्माण तथा पर्यटकों के लिए आधारभूत सुविधाएं प्रदान करना शामिल है। बांद्रा तथा वरली किलों पर कार्य चल रहा है।

(ग) और (घ) इनमें से कोई भी किला यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है।

वरिष्ठ नागरिकों हेतु नया विधेयक

650. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वरिष्ठ नागरिकों के प्रति उनके परिवार के सदस्यों द्वारा उपेक्षा के मामलों में दिन-प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिक (कल्याण एवं देखभाल) विधेयक, 2000 को अंतिम रूप दिया जा चुका है;

(ग) यदि हां, तो इस विधेयक की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) इस विधेयक को कब तक पारित तथा क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (घ) दिनांक 20.3.2007 को संसद (लोक सभा) में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण और कल्याण विधेयक में माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए जरूरत आधारित अनुरक्षण प्रदान करने के लिए उपयुक्त तंत्र सृजित करने; प्रत्येक जिले में वृद्धावस्था गृहों की स्थापना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधाओं और वृद्ध व्यक्तियों की जानमाल की सुरक्षा के लिए एक उपयुक्त तंत्र का सांस्थानीकरण का प्रावधान है। समय सीमा का संकेत नहीं दिया जा सकता कि यह विधेयक कब तक पारित होगा।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

651. श्री अनवर हुसैन : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में सिक्किम सहित असम तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में कितने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किए गए; और

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25% की दर से जिसकी अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये है और दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर से जिसकी अधिकतम समीा 75 लाख रुपये है, सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देता है। मंत्रालय स्वयं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना नहीं करता है। मंत्रालय ने गत तीन वर्षों यानी 2004-05, 2005-06, 2006-07 के दौरान सिक्किम समेत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 40 परियोजनाओं के लिए 16.00 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता अनुमोदित की है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए, कुल परियोजना परिव्यय का 10% पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, मंत्रालय की योजना स्कीमों के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र समेत दुर्गम क्षेत्रों के लिए संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों के 33.33% के उच्चतर स्तर पर जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रुपये है सहायता अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। समेकित बागवानी विकास प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन-IV के तहत, पूर्वोत्तर राज्यों, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर में, क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में सहायता का उच्चतर स्तर उपलब्ध है जो नई इकाइयों की स्थापना के लिए अधिकतम 4.00 करोड़ रुपये की सीमा के अधीन संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 50% की सीमा और वर्तमान इकाइयों के उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए 1.00 करोड़ रुपये तक है।

एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों से संबंधित मुद्दे

652. श्री बसुदेव आचार्य :
श्री रशीद मसूद :
श्री पी.एस. गढ़वी :
श्री एस.के. खारवेनथन :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के विलय से पूर्व कर्मचारियों से संबंधित प्रमुख मुद्दों के समाधान के लिए इंडियन एयरलाइंस कर्मचारी संघों द्वारा सरकार का ध्यान इस और आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) जी, हां। कुछ कर्मचारी संघों ने विलय पर अपनी चिन्ताएं व्यक्त करने के लिए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इस अभ्यावेदन के प्राप्त होने पर सरकार ने दिनांक 27.7.207 को संबंधित संघों/संगठनों को आमंत्रित किया था तथा उनकी चिंताओं को शांत किया तथा दोहराया कि विलय के परिणामस्वरूप किसी भी कर्मचारी की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा।

[हिन्दी]

पेट्रोल पंपों का रद्द किया जाना

653. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 अप्रैल, 1999 से 30 जून, 2007 की अवधि के दौरान रद्द की गई एलपीजी गैस एजेंसियों तथा पेट्रोल पंपों के नाम क्या हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इन्हें रद्द करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या रद्द किए गए पेट्रोल पंपों के बारे में किसी अनियमितता का पता लगा था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज़) ने क्रमशः 1 अप्रैल 1999 से 30 जून 2007 की अवधि के दौरान 194 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों तथा 1195 खुदरा बिक्री केन्द्रों (आरओज़) को रद्द/निरस्त किया है। रद्द/निरस्त की गई एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों तथा आरओज़ का नाम व ब्यौरा संबंधित ओएमसीज़ के निदेशक (विपणन) के पास उपलब्ध हैं।

(ख) से (घ) एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों तथा खुदरा बिक्री केन्द्रों (आरओज़) को रद्द/निरस्त करने की कार्रवाई विभिन्न सिद्ध कदाचारों में शामिल होने, डिस्ट्रीब्यूटरशिप समझौते की शर्तों के उल्लंघन तथा न्यायालय के आदेशों के अनुसरण आदि के कारण विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों (एमडीजी) के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। ओएमसीज़ ने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों तथा खुदरा बिक्री केन्द्रों (आरओज़) को रद्द करने/निरस्त करने में किसी प्रकार की अनियमितता की सूचना नहीं दी है।

वातानूकुलित डिब्बों में जवानों का अनधिकृत प्रवेश

654. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेना, नौसेना और वायु सेना तथा अर्द्धसैनिक बलों के जवान गुवाहाटी–दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के ए.सी. थ्री टियर के डिब्बों में अवैध रूप से यात्रा करते हैं, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) इस प्रकार की अवैध गतिविधियों के परिणामस्वरूप रेलवे को कितनी धनराशि की हानि हो रही है; और

(घ) इस प्रकार की गतिविधियां रोकने तथा इससे होने वाली हानि से बचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) गुवाहाटी–दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के ए सी–II टियर सवारी डिब्बों में थल सेना, नौसेना और वायु सेना के जवानों के साथ–साथ अर्ध सैनिक बल के जवानों की अनधिकृत यात्रा का कोई मामला सामने नहीं आया है। बहरहाल, यदि कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो संबंधित नियमों के अनुसार उस पर जुर्माना लगाया जाता है।

(घ) राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों में पूरी तरह से कर्मचारी तैनात रहते हैं। गाड़ी में तैनात कर्मचारी स्टेशनों पर अपने सवारी डिब्बों के बाहर और अंदर सतर्क रहते हैं ताकि अनधिकृत यात्रियों के प्रवेश को रोका जा सके।

[अनुवाद]

विश्व के सात अजूबों में ताजमहल को शामिल किया जाना

655. श्री ए.साई प्रताप :

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सकार हाल ही में ताजमहल को विश्व के सात अजूबों में शामिल किए जाने की घोषणा के मद्देनजर ताजमहल के भ्रमण हेतु घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की भारी भीड़ के आने का पूर्वानुमान लगा रही है; और

(ख) यदि हां, तो किए गए अतिरिक्त और प्रबंधों का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) ताजमहल पहले ही अति दर्शनीय केन्द्रीय संरक्षित स्मारक है। वर्ष 2006–07 में 26,03,571 पर्यटक (भारतीय 20,71,243 तथा विदेशी 5,32,328) ताजमहल देखने आए थे। हाल ही में विश्व के सात अजूबों में से एक ताजमहल को शामिल किए जाने की घोषणा के फलस्वरूप इनकी संख्या में कुछ वृद्धि होना प्रत्याशित है।

(ख) नियमित पहरा और निगरानी के अलावा, ताजमहल की सुरक्षा तथा संरक्षा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सौंपी गई है। पेय जल, प्रसाधन–कक्ष, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए पहिया–कुर्सियां, लॉकर्स आदि जैसी पर्यटक संबंधी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं।

[हिन्दी]

इंडियन ऑयल कारपोरेशन का लाभ

656. श्री रामजीलाल सुमन :
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डॉलर के मुकाबले रुपए के मजबूत होने से देश में तेल कंपनियों को लाभ हुआ है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2007–08 की पहली तिमाही में इस शीर्ष के अंतर्गत इंडियन ऑयल कारपोरेशन को कितना वित्तीय लाभ हुआ; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित कुल लाभ में से इस प्रकार के लाभ का प्रतिशत कितना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) तेल विपणन कंपनियों (आई ओ सी, एच पी सी तथा बी पी सी) को डॉलर की तुलना में रुपया मजबूत होने के कारण लाभ हुआ है, क्योंकि वे परिशोधन के लिए कच्चे तेल का आयात करते हैं। तथापि, रेल और गैस उत्पादक कंपनियों (ओ एन जी सी, ओ आई एल तथा गेल) को लाभ नहीं मिला है।

(ख) वर्ष 2007–08 के प्रथम तिमाही के दौरान, इंडियन ऑयल कारपोरेशन के लिए कच्चे तेल देयताओं पर विनिमय परिवर्तन को छोड़कर विनिमय परिवर्तन लाभ 726 करोड़ रुपए है।

(ग) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड का विनिमय परिवर्तन लाभ वर्ष 2007–08 की प्रथम तिमाही के लिए उनके द्वारा दर्ज कर पूर्व लाभ का 34.55% बनता है।

[अनुवाद]

नए पेट्रोल पम्पों की स्थापना

657. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2007–08 के दौरान देश में और पेट्रोल पम्प खोलने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न राज्यों में अब तक कंपनीवार कितने पेट्रोल पंप स्थापित किए गए हैं; और

(घ) वर्ष 2007–08 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) प्रशासित मूल्य–निर्धारण व्यवस्था (ए पी एम) की 1.4.2002 को समाप्ति के पश्चात, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) को स्थान चुनने की तथा अपने वाणिज्यिक दृष्टिकोणों के अनुसार खुदरा बिक्री केन्द्र (आर ओ) डीलरों/एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरों को चुनने की स्वतंत्रता दी गई है। ओ एम सीज के खुदरा बिक्री केन्द्रों के आबंटन में सरकार की कोई सीधी भूमिका नहीं है।

वर्ष 2007–08 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज़) अर्थात इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) की पूरे देश में लगभग 3215 खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने की योजना है।

(ग) 30.6.2007 की स्थिति के अनुसार, ओएमसीज ने पूरे देश में 32,558 खुदरा बिक्री केन्द्र (आरओ) डीलरशिपें स्थापित की हैं। कंपनीवार ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

ओएमसी का नाम	आरओ डीलरशिपों की संख्या
आईओसी	16622
बीपीसी	7876
एचपीसी	8060
योग	32,558

(घ) खुदरा बिक्री केन्द्र की स्थापना ओ एम सीज द्वारा की जानी होती है। खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों की स्थापना की प्रक्रिया में विभिन्न कदम जैसे आवेदनों व दस्तावेज़ की पड़ताल, डीलर/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के चयन हेतु पात्र उम्मीदरवारों के साक्षात्कार का आयोजन करना, योग्यता सूची जारी करना, चुने गए उम्मीदवारों के संबंध में स्थलीय जांच, भूमि/सांविधिक अनुमोदन/लाइसेंस प्राप्त करना, विनिर्माण आदि शामिल हैं।

रेलवे द्वारा डीजल के लोकोमोटिव खरीदे जाना

658. श्री सर्वे सत्यनारायण : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने 11वीं योजना के दौरान डीजल के लोकोमोटिव खरीदने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी हां। रेलवे ने 11वीं योजना अवधि के लिए 1800 डीजल रेल इंजनों की अनंतिम आवश्यकता का आकलन किया है।

(ग) मौजूदा वर्ष 2007–08 के दौरान, रेलवे ने डीजल रेल इंजन कारखाना (डी एल डब्ल्यू) वाराणसी में 200 डीजल रेल इंजनों के विनिर्माण की योजना बनाई है। इसके अलावा, डीजल रेल इंजनों की विनिर्माण क्षमता में वृद्धि के लिए बिहार में मरहोबरा में एक नई फैक्टरी की स्थापना की जा रही है।

रेल दुर्घटनाएं

659. श्री हेमलाल मुर्मू :
श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्री रघुराज सिंह शाक्य :
श्री निखिल कुमार :
श्री अधीर चौधरी :
श्री असादूद्दीन आवेसी :
श्री अजीत जोगी :
डा. के.एस. मनोज :
श्री के.सी. पल्लानी शामी :
श्री ए. साई प्रताप :
श्री एम. अप्पादुरई :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी, 2007 से हुई रेल दुर्घटनाओं, उनके प्रथम दृष्टया कारणों, जान और माल की हानि तथा पीड़ितों को दिए गए मुआवजे/अनुग्रह राशि का दुर्घटनावार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन दुर्घटनाओं की जांचों का ब्यौरा क्या है तथा उनके निष्कर्ष क्या निकले और उन पर क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या माननीय उच्चतम न्यायायल ने चौकीदार रहित समपारों पर बढ़ती दुर्घटनाओं के बारे में रेलवे के विरुद्ध अवक्षेप पारित किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई तथा चालू वर्ष के दौरान जोनवार कितने समपारों पर चौकीदार तैनात किये जाने हैं;

(ङ) आज की स्थिति के अनुसार देश में कितने चौकीदार वाले तथा कितने चौकीदार रहित समपार हैं तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान जोनवार कितने समपारों पर चौकीदार तैनात किए गए;

(च) क्या समपार बंद करने के लिए राज्य सरकारों की सहमति की आवश्यकता होती है;

(छ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ज) विशेषकर चौकीदार रहित समपारों पर रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जनवरी से जुलाई, 2007 की अवधि के दौरान भारतीय रेलवे पर 106* परिणामी रेल दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 128* व्यक्तियों की मृत्यु हुई। इन दुर्घटनाओं के कारण (लगभग) 26.53 करोड़ रुपए की रेलवे संपत्ति की हानि हुई। जहां अनुमेय है वहां 5.10 लाख रुपए (लगभग) अनुग्रह राशि के रूप में दी गई। बहरहाल, क्षतिपूर्ति दावे को दायर करने और दावा अधिकरण द्वारा निर्णय देने पर देय होती है।

इन 106* दुर्घटनाओं में से, 14 मामलों की संबंधित रेल संरक्षा आयुक्तों द्वारा जांच की जा रही है और शेष 92 मामलों में विभागीय जांच समितियां गठित की गई थी। अभी तक अंतिम रूप दी गई जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासन और अपील नियमों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई सहित यथावश्यक कार्रवाई प्रगति पर है। दुर्घटनावार ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता। बहरहाल, रेलवे ने 2007–08 के दौरान 447 बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार रखने का लक्ष्य रखा है और क्षेत्रवार विवरण निम्नानुसार है :–

रेलवे जोन	2007–08 के दौरान चौकीदार नियुक्त करने का लक्ष्य
1	2
मध्य	3
पूर्व	1
पूर्व मध्य	10
पूर्व तट	0
उत्तर	100
उत्तर मध्य	20
पूर्वोत्तर	17
पूर्वोत्तर सीमा	6
उत्तर पश्चिम	54
दक्षिण	100
दक्षिण मध्य	20
दक्षिण पूर्व	6
दक्षिण पूर्व मध्य	15
दक्षिण पश्चिम	30
पश्चिम	55
पश्चिम मध्य	10
जोड़	447

(ङ) 01.04.2006 को भारतीय रेलवे पर चौकीदार वाले और बिना चौकीदार वाले समपारों की क्षेत्रवार संख्या और पिछले तीन वर्षों के दौरान चौकीदार नियुक्त किए समपारों की संख्या निम्नानुसार है :–

रेलवे	चौकीदार वाले	बिना चौकीदार वाले	पिछले तीन वर्षों के दौरान बिना चौकीदार वाले समपार पर नियुक्त किए गए चौकीदार		
			2004–05	2005–06	2006–07*
मध्य	932	503	0	06	0
पूर्व	912	779	11	11	1
उत्तर	2333	2021	10	43	24
पूर्वोत्तर	1008	1729	24	21	28
पूर्वोत्तर सीमा	673	1092	06	14	08
दक्षिण	1714	1333	05	51	49
दक्षिण मध्य	1241	1373	15	23	12
दक्षिण पूर्व	414	964	04	02	03
पश्चिम	1743	2301	04	26	29
पूर्व मध्य	962	879	21	10	5
पूर्व तट	437	985	20	22	14
उत्तर मध्य	1009	625	24	02	9
उत्तर पश्चिम	1320	1414	18	05	21
दक्षिण पूर्व मध्य	405	821	13	19	12
दक्षिण पश्चिम	617	913	12	22	17
पश्चिम मध्य	880	365	03	0	04
जोड़	16600	18297	190	291	236

+ "घ" श्रेणी के मवेशी समपार और केनाल समपारों को छोड़कर

(च) और (छ) जी हां। रेलवे को एक समपार बंद करने से पहले राज्य सरकार प्राधिकरणों की सहमति की आवश्यकता होती है। बहरहाल, राज्य सरकार की प्रतिक्रिया हमेशा उत्साहवर्धक नहीं होती है।

(ज) बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सामान सड़क सतह का प्रावधान, उचित ढाल वाले पहुंच मार्ग, सड़क साइन बोर्ड और समपारों के पहुंच मार्गों पर स्पीड ब्रेकर/रम्बल स्ट्रीपस, समपारों को पहुंच मार्गों पर रेलपथ के साथ व्हीसल बोर्ड और पूर्व निर्धारित अहर्कताओं के आधार पर बिना चौकीदार वाले समपारों का चौकीदारों की प्रगामी नियुक्ति शामिल है। बिना चौकीदार वाले समपार को पार करने के लिए दूरदर्शन, समाचार–पत्र, नुक्कड़ नाटकों आदि विभिन्न माध्यमों के द्वारा जन जागरण अभियान भी चलाए जाते हैं और स्थानीय प्राधिकारियों के साथ मिलकर औचक जांचें की जाती है। कम उपयोग में आने वाले बिना चौकीदार वाले समपारों को बंद करने, समीप के समपारों के साथ विलय करने पर भी जोर दिया जा रहा है अथवा कम गाड़ी वाहन इकाई (टी वी यू) "सीमित प्रयोग वाले उपमार्गों" का निर्माण किया जाता है।

*आंकड़े अनंतिम हैं।

विवरण

क्र. सं.	दुर्घटना की तिथि	दुर्घटना की किस्म	रेलवे	खंड	गाड़ी सं.	संक्षिप्त ब्यौरा	हताहत		क्षति की लागत
							मृत	घायल	
1	01.01.07	बिना चौकिदार वाला समपार	उत्तर	जाखल–हिसार	7एल जेएच पैसेंजर	एक ट्रैक्टर ने गाड़ी को टक्कर मारी	1		0
2	04.01.07	गाड़ी का पटरी से उतरना	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	न्यू जलपाईगुड़ी-अलीपुरद्वार	अप एचवीएन गुड्स	सात मालडिब्बे पटरी से उतर गए			15619684
3	05.01.07	टक्कर	पश्चिम	वडोदरा-गोधरा	डाउन जीआईएम–एसएचएम गुड्स एवं डाउन टीकेडी गुड्स	डाऊन टीकेडी गुड्स, गांधीधाम–शालीमार गुड्स के पीछे से टकरा गई		2	45190000
4	10.01.07	गाड़ी का पटरी से उतरना	पूर्व	रामपुहाट-गुमानी	कोल गुड्स	गाड़ी इंजन एवं 4 मालडिब्बे पटरी से उतर गए			1137626
5	12.01.07	गाड़ी का पटरी से उतरना	पूर्व मध्य	बरकाकाना-गारवा रोड	अप पानीपत गुड्स	बैंकर इंजन एवं 4 मालडिब्बे पटरी से उतर गए	8	7	10807000
6	14.01.07	गाड़ी का पटरी से उतरना	दक्षिण पश्चिम	हसन-मंगलौर	ट्रिपल लाइट	तीन इंजन पटरी से उतर गए			40150000
7	20.01.07	गाड़ी का पटरी से उतरना	उत्तर मध्य	[illegible]निकपुर–बांदा	अप मेला स्पेशल	गाड़ी इंजन पटरी से उतर गए			5000
8	21.01.07	बिना चौकिदार वाला समपार	उत्तर	जम्मू–तवी-पठानकोट	8102 एक्सप्रेस	एक टाटा सूमो ने गाड़ी इंजन से टक्कर मारी	2	7	0
9	21.01.07	बिना चौकिदार वाला समपार	दक्षिण मध्य	गाडिकुडी-पागिडीपल्लि	2719 एक्सप्रेस	अज्ञात वाहन ने गाड़ी के संचालन का उल्लंघन किया	1	4	0
10	24.01.07	चौकिदार वाला समपार	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	बरसोई-न्यू जलपाईगुड़ी	अप एनजीक्यू गुड्स	एक ट्रक ने गाड़ी इंजन से टक्कर मारी	1	4	30000
11	24.01.07	बिना चौकीदार वाला समपार	उत्तर	लुधियाना-फिरोजपुर	4 एलएफ पैसेंजर	एक मारुति कार ने गाड़ी इंजन से टक्कर मारी	3	0	0
12	27.01.07	गाड़ी का पटरी से उतरना	पूर्व तट रेलवे	बीलंगीर-झारसुगुड़ा	एन/एलपीजी गुड्स	12 मालडिब्बे पटरी से उतर गए			17590458
13	28.01.07	गाड़ी का पटरी से उतरना	दक्षिण	जोलारपेट्टै–कटपाडि	2674 एक्सप्रेस	5 माल डिब्बे पटरी से उतरे		10	4788000
14	01.02.07	गाड़ी का पटरी से उतरना	दक्षिण पश्चिम	रायदुर्ग-बिजापुर	584 पैसेंजर	1 माल डिब्बा पटरी से उतर गया			99900
15	03.02.07	बिना चौकीदार वाला समपार	उत्तर	दिल्ली–सहारनपुर–सहारनपुर	1 एसएसडी पैसेंजर	एक ट्रक ने गाड़ी इंजन से टक्कर मारी	1	4	500
16	03.02.07	बिना चौकीदार वाला समपार	दक्षिण	मनमदुरै-कीरायकुडी	854 पैसेंजर	एक ट्रैक्टर ट्राली ने गाड़ी इंजन से टक्कर मारी	1		38837
17	08.02.07	बिना चौकीदार वाला समपार	उत्तर	कुरुक्षेत्र-लधाना	4 जे.एन.के. पैसेंजर	एक ट्रक ने गाड़ी इंजन से टक्कर मारी	1	4	10000

विवरण

अनुग्रह राशि/ मुआवजा	प्रथम दृष्टया कारण	जांच कि किस्म	निष्कर्ष/परिणाम	उत्तरदायित्व	अनुवर्तन एवं अपील कार्रवाई
0	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
0	तोड़फोड़	विभागीय	तोड़फोड़	शरारती तत्व	लागू नहीं
0	ड्यूटी स्विचमैन की लापरवाही और आउटर होम सिगनल के लीवर लॉक की खराबी जिसके परिणाम अंतर्पाशन विफल हुआ	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	स्विचमैन, एसएसई (सिगनल), एएमसीएफ, स्टेशन मास्टर, सीएसआई, ड्राइवर, सहायक ड्राइवर, टीआई और एएसएम	टीआई–2 वर्ष के लिए वेतन वृद्धि का रोका जाना, एएसएम–1 वर्ष के लिए वेतन वृद्धि को रोका जाना, शेष कार्रवाई चल रही है
0	चालक दल की अविधिक्षमता के बिना गाड़ी चलाना	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	ड्राइवर और सहायक ड्राइवर, दो गार्ड और चार फुटरमैन	3 कर्मचारियों के वेतन में कटौती और शेष कार्रवाई चल रही है
0	अभी सिद्ध होना है	रेल संरक्षा आयुक्त	प्रतीक्षारत	—	—
0	रेल पथ की खराबी	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	एसई/रेलपथ, दो गैंगमेन, ड्राइवर और सहायक ड्राइवर	एसई/रेलपथ–2 के लिए वेतन में एक चरण द्वारा कटौती, गैंगमेन–कार्रवाई चल रही है, ड्राईवर एवं सहायक ड्राइवर–2 वर्ष के लिए वेतन वृद्धि को रोका जाना
0	ड्राइवर द्वारा अधिक गति और अचानक ब्रेक लगाना	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	ड्राइवर	3 वर्ष के लिए वेतन वृद्धि का रोका जाना
0	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
35000	अज्ञात वाहन द्वारा उल्लंघन	रेल संरक्षा आयुक्त	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
6500	प्रारंभ में समपार बंद था और फिर यातायात की निकासी के लिए उसे खोल दिया गया और उसी दौरान	रेल संरक्षा आयुक्त	रेल कर्मचारी की चूक	ड्राइवर, सहायक ड्राइवर और चौकीदार	कार्रवाई चल रही है
0	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही.	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
0	निजी साइडिंग मालिक की लापरवाही	विभागीय	निजी साइडिंग मालिक की लापरवाही	प्राइवेट साइडिंग मालिक (मैसर्स भूषण स्टील)	लागू नहीं
5000	गर्म धुरा	रेल संरक्षा आयुक्त	उपस्कर की खराबी	कोई रेल कर्मचारी उत्तरदायी नहीं ठहराया गया	लागू नहीं
0	फाटों का समय से पहले परिचालन	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	स्टेशन मास्टर और टीआरएच	छह महीने के लिए वरिष्ठता के ह्रास के साथ निम्नतर ग्रेड में कटौती
0	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
0	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
0	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं

विवरण

क्र. सं.	दुर्घटना की तिथि	दुर्घटना की किस्म	रेलवे	खंड	गाड़ी सं.	संक्षिप्त ब्यौरा	हताहत		क्षति की लागत
							मृत	घायल	
18	11.02.07	गाड़ी का पटरी से उतरना	पूर्व-मध्य	कटिहार-बरौनी	2505 एक्सप्रेस	1 सवारी डिब्बा पटरी से उतर गया			43443
19	18.02.07	गाड़ी का पटरी से उतरना	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	डिब्रूगढ़ टाउन-न्यू तिनसुकिया	4055 एक्सप्रेस	गाड़ी इंजन पटरी से उतर गया			48000
20	19.02.07	गाड़ी का पटरी से उतरना	उत्तर पश्चिम	फुलेरा-अजमेर	अप एमजीजेड/ई/ डीसीएन	1 मालडिब्बा पटरी से उतर गया			1295000
21	22.02.07	गाड़ी का पटरी से उतरना	मध्य	पुणे-कोल्हापुर	1023 एक्सप्रेस	गाड़ी इंजन पटरी से उतर गया			0
22	22.02.07	गाड़ी का पटरी से उतरना	दक्षिण पूर्व	गंगक-खड़गपुर	डाउन डीसीएन स्पेशल	1 मालडिब्बा पटरी से उतर गया			1520000
23	23.02.07	बिना चौकीदार वाला समपार	दक्षिण मध्य	निजामाबाद-मुदखेड़	533 पैसेंजर	एक कार ने गाड़ी इंजन से टक्कर मारी	2	0	0
24	26.02.07	बिना चौकीदार वाला समपार	उत्तर	दिल्ली-शामली-सहारनपुर	6 एसडी पैसेंजर	एक कार ने गाड़ी इंजन से टक्कर मारी	1	0	0
25	01.03.07	बिना चौकीदार वाला समपार	दक्षिण	तेनकासी-विरुद्धनगर	786 पैसेंजर	एक ट्रैक्टर ने गाड़ी इंजन को टक्कर मारी		1	64252
26	01.03.07	गाड़ी का पटरी से उतरना	उत्तर	रिवाड़ी-दिल्ली	4312 डाउन एक्सप्रेस	गाड़ी इंजन पटरी से उतर गया			0
27	02.03.07	बिना चौकीदार वाला समपार	उत्तर	लोहिया खास-फिरोजपुर	3308 डाउन एक्सप्रेस	एक ऑटो ने गाड़ी इंजन से टक्कर मारी	1	0	0
28	05.03.07	गाड़ी का पटरी से उतरना	पश्चिम	बड़ोदरा-गोधरा	डाउन डब्ल्यूडेवी गुड्स	एक माल डिब्बा पटरी से उतर गया			40000
29	12.03.07	गाड़ी का पटरी से उतरना	पूर्व	रानाघाट-गेडे	दर्शना-रानाघाट 36 डाउन गुड्स	तीन मालडिब्बे पटरी से उतरे			61000
30	12.03.07	बिना चौकीदार वाला समपार	दक्षिण मध्य	कटपाडि-तिरुपति	डी 168 डीएमयू	एक कार ने गाड़ी इंजन से टक्कर मारी	1		0
31	19.03.07	गाड़ी का पटरी से उतरना	दक्षिण पश्चिम	अरसीकेरे-हुबली	एसटी-11 गुड्स	एक माल डिब्बा पटरी से उतर गया			2700000
32	21.03.07	गाड़ी का पटरी से उतरना	उत्तर	मुरादाबाद-शाहजहांपुर	5716 डाउन एक्सप्रेस	छह माल डिब्बे पटरी से उतर गए			1010000
33	23.03.07	गाड़ी का पटरी से उतरना	पश्चिम मध्य	बीना-भोपाल	सीडीजी गुड्स	ग्यारह माल डिब्बे पटरी से उतर गए			11100000
34	26.03.07	गाड़ी का पटरी से उतरना	उत्तर	दिल्ली-अम्बाला	एलएचएल गुड्स	पांच माल डिब्बे पटरी से उतर गए			197000

विवरण

अनुसूचित गाड़ी/ मुआवजा	प्रमुख दुर्घटना कारण	जोन कि डिवि	निष्कर्ष/परिणाम	उत्तरदायित्व	अनुशासन एवं अपील कार्रवाई
0	धुरा का टूटा हुआ	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	कारखाना कर्मचारी	कार्रवाई चल रही है
0	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
0	गैस से टक्कर	विभागीय	मवेशी कुचला जाना	ड्राइवर, सहायक ड्राइवर, गार्ड और सेक्शन कंट्रोलर	सहायक ड्राइवर–2 वर्ष के लिए वेतन वृद्धि का रोका जाना, सेक्शन कंट्रोलर–चेतावनी पत्र जारी किया गया, ड्राइवर और गार्ड–कार्रवाई चल रही है।
0	इंजन की खराबी	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	लोको इंजन कर्मचारी	कार्रवाई चल रही है।
0	सवारी डिब्बे की पिछले ट्रॉली धुरकी टूटफूट	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	टीएक्सआर कर्मचारी, गार्ड और ट्रैफिक प्वाइंट्स मैन	ट्रैफिक प्वाइंट्स मैन–एक वर्ष के लिए वेतन वृद्धि बंद किया जाना, टीएक्सआर कर्मचारी और गार्ड–कार्रवाई चल रही है।
	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
0	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
0	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
0	इंजन की खराबी	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	इंजन रखरखाव कर्मचारी	कार्रवाई चल रही है
0	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
0	गर्म धुरा	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	एसएसई/सी एंड डब्ल्यू, गार्ड सहायक ड्राइवर और दो प्वाइंट्स मैन	गार्ड–2 वर्ष के लिए वेतन वृद्धि का रोका जाना, सहायक ड्राइवर–1 वर्ष के के लिए वेतन वृद्धि का रोका जाना, एसएसई/सी एंड डब्ल्यू और दो प्वाइंट्स मैन–कार्रवाई चल रही है
0	रेलपथ और सवारियों की खराबी	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	सेक्शन कंट्रोलर, उप नियंत्रक एवं एसई/रेलपथ	कार्रवाई चल रही है।
0	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
0	गर्म धुरा और गाड़ी के ठहराव में खराबी	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूकव	सहायक स्टेशन मास्टर ड्राइवर और मुख्य नियंत्रक	एएसएम–छह महीने के लिए वेतन में एक स्तर द्वारा कटौती, ड्राइवर और मुख्य नियंत्रक–कार्रवाई चल रही है
0	पटरी की टूट फूट	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	एसएसई/यूएसएफडी, रेलपथ पर्यवेक्षक	कार्रवाई चल रही है।
0	ठंडे धुरे की टूट फूट	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	रेल पहिया कारखाना/बेंगलुरु के कर्मचारी, कर्मचारियों को अलग–अलग उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना है	-
0	अधिक भार	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	वाणिज्य कर्मचारी	कार्रवाई चल रही है

विवरण

क्र. सं.	दुर्घटना की तिथि	दुर्घटना की किस्म	रेलवे	खंड	गाड़ी सं.	संक्षिप्त ब्यौरा	हताहत		क्षति की राशि
							मृत	घायल	
35	15.03.07	गाड़ी का पटरी से उतरना	दक्षिण पूर्व	राउरकेला-झारसुगुडा	एन बॉक्स स्पेशल गुड्स	एक माल डिब्बा पटरी से उतर गया			252500
36	03.04.07	गाड़ी का पटरी से उतरना	पूर्व	भागलपुर - साहिबगंज	4056 डाउन मेल	एक माल डिब्बा पटरी से उतर गया			200600
37	03.04.07	बिना चौकीदार वाला समपार	दक्षिण पश्चिम	चिकजाजूर–हरिहर	588 पैसेंजर	एक स्कॉर्पियो ने गाड़ी इंजन से टक्कर मारी	3	0	0
38	04.04.07	बिना चौकीदार वाला समपार	उत्तर मध्य	मथुरा–अलवर	183 पैसेंजर	एक मारुति कार ने गाड़ी इंजन से टक्कर मारी	1	0	0
39	05.04.07	गाड़ी का पटरी से उतरना	पश्चिम	अहमदाबाद पालनपुर	537 डाउन इएमयू पैसेंजर	एक माल डिब्बा पटरी से उतर गया		0	0
40	07.04.07	टक्कर	दक्षिण पूर्व	राजखरस्वाल-डोंगापोसी	(i) एन बॉक्स एम्पटी (ii) एन बॉक्स एम्पटी	एनबॉक्स साइड का ड्राइवर दूसरी एनबॉक्स एम्पटी से टकरा गया			630000
41	10.04.07	गाड़ी का पटरी से उतरना	पूर्व तट	कटक-पारादीप	एनजी/एटीपी-55 गुड्स	छह मालडिब्बे पटरी से उतर गए			11800000
42	10.04.07	बिना चौकीदार वाला समपार	पूर्वोत्तर	गोंडा - बारांबंकी	डाउन गोंडा-जीकेपी गुड्स	एक मारुति वैन गाड़ी इंजन से टक्कर मारी	1	5	19000
43	15.04.07	बिना चौकीदार वाला समपार	पूर्व तट	बालनगीर-विजयनगरम	अप टीएनईवी गुड्स	एक मारुति वैन गाड़ी इंजन से टक्कर मारी	1	1	0
44	16.04.07	बिना चौकीदार वाला समपार	दक्षिण	चेंगलपट्टू–अरक्कोणम	156 डाउन पैसेंजर	एक मिनी बस ने गाड़ी इंजन से टक्कर मारी	11	11	66611
45	16.04.07	गाड़ी का पटरी से उतरना	उत्तर पश्चिम	मावली–मारवाड़	483 पैसेंजर	गाड़ी इंजन पटरी से उतर गया			0
46	20.04.07	बिना चौकीदार वाला समपार	दक्षिण मध्य	सिकंदराबाद-निजामाबाद	7040 डाउन एक्सप्रेस	एक आरटीसी बस ने गाड़ी इंजन से टक्कर मारी	1		0
47	21.04.07	गाड़ी का पटरी से उतरना	दक्षिण	चेन्नै मध्य–अरक्कोणम	एमए-17 डाउन ईएमयू पैसेंजर	एक माल डिब्बा पटरी से उतर गया			0
48	23.04.07	बिना चौकीदार वाला समपार	दक्षिण पश्चिम	बंगलौर-धर्मावरम	1013 डाउन एक्सप्रेस	एक लारी ने गाड़ी से टक्कर मारी	1		0
49	26.04.07	गाड़ी का पटरी से उतरना	दक्षिण पूर्व मध्य	गोंदिया- नागपुर	371 एमईएमयू पैसेंजर	एक माल डिब्बा पटरी से उतर गया			0
50	26.04.07	गाड़ी का पटरी से उतरना	दक्षिण पूर्व मध्य	गोंदिया- नागपुर	375 एमईएमयू पैसेंजर	गाड़ी इंजन पटरी से उतर गया			0
51	27.04.07	विविध	दक्षिण	गुडूर-चेन्नै	3351 एक्सप्रेस	एक लॉरी गाड़ी से रगड़ खा गई	1	10	13753
52	27.04.07	बिना चौकीदार वाला समपार	पूर्व तट रेलवे	झारसुगुडा–बालनगीर	333 पैसेंजर	एक ट्रैक्टर ने गाड़ी से टक्कर मारी	5	3	0

विवरण

अनुग्रह राशि/ क्षतिपूर्ति	प्रथम दृष्टया कारण	जांच कि किस्म	निष्कर्ष/परिणाम	उत्तरदायित्व	अनुशासन एवं अपील कार्रवाई
0	विषम लादान	विभागीय	विषम लदान	कोई रेल कर्मचारी उत्तरदायी नहीं	लागू नहीं
0	ड्राइवर खतरे का सिगनल पार कर गया	विभागीय	विषम लदान	ड्राइवर, सहायक ड्राइवर एवं गार्ड	कार्रवाई चल रही है
0	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
0	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
0	ट्रेप प्वाइंट खुली स्थिति में होने के कारण	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर, एसएस, और टीआई	कार्रवाई चल रही है
0	अप एन बॉक्स (ई) डीपीएस के ड्राइवर द्वारा शंट सिगनल की उपेक्षा	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	ड्राइवर, और सहायक ड्राइवर	कार्रवाई चल रही है
0	माल डिब्बे की खराबी	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	सी एंड डब्यू कर्मचारी	कार्रवाई चल रही है
0	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
0	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
0	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
0	पटरी और इंजन की खराबी	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	जेई/रेलपथ एवं इंजन रखरखाव कर्मचारी	कार्रवाई चल रही है
8500	चौकीदार द्वारा फाटक बंद नहीं करना	रेल संरक्षा आयुक्त	रेल कर्मचारी की चूक	इंजीनियरी चौकीदार	कार्रवाई चल रही है
0	स्टेशन मास्टर द्वारा कांटों को सुरक्षित नहीं करना	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	स्टेशन मास्टर, प्वाइंट्स मैन	कार्रवाई चल रही है
0	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
0	रेलपथ की खराबी	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	एसई/रेलपथ	कार्रवाई चल रही है
0	रेलपथ की खराबी	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	एसई/रेलपथ	कार्रवाई चल रही है
29000	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	रेल संरक्षा आयुक्त	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
0	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं

विवरण

क्र. सं.	दुर्घटना की तिथि	दुर्घटना की किस्म	रेलवे	खंड	गाड़ी सं.	संक्षिप्त ब्यौरा	हताहत		क्षति की लागत
							मृत	जख्मी	
53	29.04.07	बिना चौकीदार वाला समपार	पूर्वोत्तर	मऊ-बलिया	5108 एक्सप्रेस	एक ट्रैक्टर ट्रॉली से गाड़ी से टक्कर मारी	2	1	0
54	01.05.07	टक्कर	पूर्व तट	विशाखापत्तनम-विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र	ईएल/स्टील गुड्स और मल्टी डीजल लोको	मल्टी डीजल लोको साइड ईएल/ स्टील गुड्स से टकरा गई		1	2750000
55.	02.05.07	बिना चौकीदार वाला समपार	पूर्वोत्तर	घटनी–छपरा कचेरी	5028 एक्सप्रेस	एक ट्रैक्टर ट्रॉली से गाड़ी से टक्कर मारी	4	11	18125
56	02.05.07	बिना चौकीदार वाला समपार	पूर्वोत्तर	गोंडा-बाराबंकी	9039 एक्सप्रेस	एक ट्रैक्टर ट्रॉली से गाड़ी से टक्कर मारी	1	4	34891
57	05.05.07	गाड़ी का पटरी से उतरना	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	न्यू कूचबिहार–न्यू बोगाईगांव	अप एनबीक्यू आरएनसी गुड्स	एक माल डिब्बा पटरी से उतरा	1		795553
58	08.05.07	गाड़ी का पटरी से उतरना	पूर्वतट रेलवे	कोरापुट-किरंदूल	बीवीएक-20/1 गुड्स	तीन माल डिब्बे पटरी से उतर गए			1220654
59	08.05.07	बिना चौकीदार वाला समपार	पूर्वोत्तर	मऊ-शाहगंज	152 सप्पर स्पेशल	एक ट्रक से गाड़ी से टक्कर मारी	1		5229
60	08.05.07	गाड़ी का पटरी से उतरना	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	बदरपुर-लमडिंग	5694 एक्सप्रेस	एक मालडिब्बा पटरी से उतर गया			8000
61	11.05.07	विविध	पूर्व तट	खुर्दा रोड़-पुरी	214 डाउन पैसेंजर	एक डम्पर गाड़ी से रगड़ खा गया		11	0
62	13.05.07	गाड़ी का पटरी से उतरना	मध्य	पुणे-सतारा	6506 अप एक्सप्रेस	अगुवा लोको पटरी से उतर गया		500	0
63	14.05.07	गाड़ी का पटरी से उतरना	उत्तर मध्य	झांसी- ग्वालियर	डाउन एसओजी गुड्स	सोलह एन वैगन्स/एल पटरी से उतर गए			3255000
64	14.05.07	बिना चौकीदार वाला समपार	उत्तर पश्चिम	भिलड़ी - समदरी	2 एसवी पैसेंजर	एक कार से गाड़ी से टक्कर मारी	3		500
65	17.05.07	बिना चौकीदार वाला समपार	उत्तर	पठानकोट-जालन्धर	9224 एक्सप्रेस	एक कार से गाड़ी से एक कार से गाड़ी से	6		0
66	20.05.07	गाड़ी का पटरी से उतरना	पश्चिम	किशनगगर-खेड़ब्रह्मा	427 अप पैसेंजर	एक माल डिब्बा पटरी से उतर गया			0
67	21.05.07	बिना चौकीदार वाला समपार	उत्तर	लुधियाना-फिरोजपुर	लाइट इंजन	एक कार से इंजन से टक्कर मारी	2	1	0
68	23.05.07	बिना चौकीदार वाला समपार	उत्तर पश्चिम	भिलड़ी-समदरी	2 एसवी पैसेंजर	एक ऑटो से गाडी से टक्कर मारी	1	2	500
69	23.05.07	बिना चौकीदार वाला समपार	दक्षिण	मदुरै-विरुद्धनगर	6124 एक्सप्रेस	एक ट्रैक्टर से गाड़ी से टक्कर मारी	1		0
70.	26.05.07	बिना चौकीदार वाला समपार	दक्षिण मध्य	दोनाकोंडा–गंतूर-	408 पैसेंजर	एक ट्रैक्टर से गाड़ी से टक्कर मारी	1		0
71	27.05.07	गाड़ी का पटरी से उतरना	दक्षिण मध्य	अकोला-खंडवा	497 पैसेंजर	इंजन और तीन माल डिब्बे पटरी से उतर गए		1	2350000

विवरण

अनुग्रह राशि/ पुरस्कार	प्रथम दृष्टया कारण	जांच कि किस्म	निष्कर्ष/परिणाम	उत्तरदायित्व	अनुशासन एवं अपील कार्रवाई
0	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
0	मल्टी डीजल इंजन के ड्राइवर द्वारा सिग्नल की उपेक्षा	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	ड्राइवर	कार्रवाई चल रही है
61000	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	रेल संरक्षा आयुक्त	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
6500	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	रेल संरक्षा आयुक्त	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
15000	सवारीडिब्बे में लदे हुए रेल परिचलों को गलत प्रकार से सुरक्षित करना	रेल संरक्षा आयुक्त	रेल कर्मचारी की चूक	सी एंड डब्लू कर्मचारी	कार्रवाई चल रही है
0	तोड़फोड़	विभागीय	तोड़फोड़	शरारती तत्व	लागू नहीं
0	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
0	प्रतिधारण दीवार का ढहना	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	रेलवे का निर्माण विभाग	कार्रवाई चल रही है
18000	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	रेल संरक्षा आयुक्त	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
	कठोर वस्तु द्वारा पटरी पर बाधा के कारण	विभागीय	प्रतीक्षारत		
0	पटरी की टूटफूट और सवारीडिब्बे की खराबी	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	एसई/रेलपथ और सी एंड डब्लू कर्मचारी	कार्रवाई चल रही है
0	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
0	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
0	रेलपथ की खराबी	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	जेई/रेलपथ और गैंग मेट	कार्रवाई चल रही है
0	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
0	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
0	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
0	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
0	तोड़फोड़	विभागीय	तोड़फोड़	शरारती तत्व	लागू नहीं

विवरण

क्र. सं.	दुर्घटना की तिथि	दुर्घटना की किस्म	रेलवे	खंड	गाड़ी सं.	संक्षिप्त ब्यौरा	हताहत		क्षति की लागत
							मृत	घायल	
72	30.05.07	बिना चौकीदार वाला समपार	पश्चिम	अहमदाबाद-वीटाड	लाइट इंजर	एक रोड ट्रेलर ने इंजन से टक्कर मारी		1	5871
73	30.05.08	बिना चौकीदार वाला समपार	पूर्व मध्य	मुजफ्फरनगर-नरकटियागंज	329 पैसेंजर	एक वैन ने गाड़ी से टक्कर मारी	1	3	0
74	03.06.07	गाड़ी का पटरी से उतरना	मध्य	मुसावल-बड़नेरा	टाइगर एमटी वॉक्स-एन	बीस मालडिब्बे पटरी से उतर गए			365000
75	04.06.07	गाड़ी का पटरी से उतरना	दक्षिण मध्य	मौलाली - सनतनगर कॉर्ड लाइन	पी-11 एमटी वॉक्स-एन	पांच मालडिब्बे पटरी से उतर गए			2344490
76	06.06.07	बिना चौकीदार वाला समपार	दक्षिण पूर्व	चंद्रपुर-गोजूडीह	448 पैसेंजर	एक ट्रक गाड़ी से टकरा गया जिसमें एमईएमयू की आगे की यूनिट पटरी से उतर गई	1	1	1330000
77	06.06.07	चौकीदार वाला समपार	दक्षिण मध्य	नलगोंडा - मुदचेड	7063 एक्सप्रेस	एक जीप ने गाड़ी से टक्कर मारी	1	2	0
78	08.06.07	बिना चौकीदार वाला समपार	उत्तर	सहसपुरबस्ती-चर्टिया	8 जेएमके पैसेंजर	एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने गाड़ी टक्कर मारी	1		40000
79	09.06.07	गाड़ी का पटरी से उतरना	उत्तर मध्य	बांदा - झांसी	1108 एक्सप्रेस	एक माल डिब्बा पटरी से उतर गया			7500
80	09.06.07	चौकीदार वाला समपार	दक्षिण मध्य	दोनाकोंडा - गुंटूर	408 पैसेंजर	एक ट्रैक्टर ने गाड़ी से टक्कर मारी	1		0
81	10.06.07	बिना चौकीदार वाला समपार	पश्चिम	आनंद खुमनट	526 डीएमयू पैसेंजर	एक ऑटो रिक्शा ने गाड़ी से टक्कर मारी	4	6	0
82	10.06.07	बिना चौकीदार वाला समपार	पश्चिम	ढोला - मंडुआ	226 पैसेंजर	एक कार ने गाड़ी से टक्कर मारी	4	1	0
83	11.06.07	गाड़ी का पटरी से उतरना	पूर्व तट	पुरुवाड़ा-विशाखापत्तनम	2659 एक्सप्रेस	ग्यारह माल डिब्बे पटरी से उतर गए	3	26	20200000
84	15.06 07	बिना चौकीदार वाला समपार	उत्तर	पठानकोट - जालन्धर	2920 एक्सप्रेस	एक कार ने गाड़ी से टक्कर मारी	1		0
85	16.06.07	बिना चौकीदार वाला समपार	दक्षिण मध्य	सिकन्दराबाद-दोनाकल्लम	525 पैसेंजर	एक ऑटो रिक्शा ने गाड़ी से टक्कर मारी	3	2	0
86	19.06.07	गाड़ी का पटरी से उतरना	उत्तर	नई दिल्ली–दिल्ली-दिल्ली किशनगंज	एसएमपी-7 ईएमयू	दो माल डिब्बे पटरी से उतरे			6500
87	22.06.07	बिना चौकीदार वाला समपार	उत्तर पश्चिम	रायकाबाग-जैसलमेर	1 जेपीजे पैसेंजर	एक जीप ने गाड़ी से टक्कर मारी	2	3	0
88	23.06.07	बिना चौकीदार वाला समपार	पूर्व मध्य	गढ़वा रोड़-चोपान	3348 एक्सप्रेस	एक ऑटो रिक्शा ने गाड़ी से टक्कर मारी	4	4	0
89	25.06.07	गाड़ी का पटरी से उतरना	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	लमडिंग-डाफलीग डिव	डाउन एकलीआई गुड्स	मल्टीपल इंजन और छह माल डिब्बे	7	9	11239893
90	25.06.07	गाड़ी का पटरी से उतरना	पूर्व मध्य	बरकाकाना - लातेहर	डाउन बीजोवी आरएन एमटी	इंजन और वाईस मालडिब्बे पटरी से उतर गए			38905000

विवरण

अनुमन्य राशि/ पुआवजा	प्रथम दृष्टया कारण	जांच कि किस्म	निष्कर्ष/परिणाम	उत्तरदायित्व	अनुशासन एवं अपील कार्रवाई
0	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
0	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
0	सवारी डिब्बों की खराबी	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	सी एंड डब्लू कर्मचारी	कार्रवाई चल रही है
0	पटरी की खराबी और सवारी डिब्बे की खराबी	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	एसई/रेलपथ और सी एंड डब्ल्यू कर्मचारी	कार्रवाई चल रही है
5000	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
8500	इंजीनियरी चौकीदार फाटक बंद करने में विफल रहा	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	इंजीनियरी चौकीदार	कार्रवाई चल रही है
0	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
0	कुछ यात्रियों द्वारा सामान फेंका जाना	विभागीय	अज्ञात यात्री की लापरवाही	अज्ञात यात्री	लागू नहीं
8500	ड्यूटी पर तैनात सं स्ट. मा. गेटमैन के साथ प्राइवेट नंबर बदलने में विफल रहा	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	स्टेशन मास्टर और चौकीदार	कार्रवाई चल रही है
100000	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
0	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
91500	पटरी की टूटफूट	रेल संरक्षा आयुक्त	पटरी उपस्कर की खराबी	कोई रेल कर्मचारी उत्तरदायी नहीं ठहराया गया	लागू नहीं
0	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
0	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
0	पटरी और ईएमयू सवारी डिब्बे का खराब रखरखाव	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	पीई/रेलपथ, ईएमयू रखरखाव कर्मचारी और बिजली ड्राइवर	लागू नहीं
0	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
0	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
111500	चलती गाड़ी के नीचे से पुल सं. 108 का ढहना	रेल संरक्षा आयुक्त	प्रतीक्षारत	-	-
0	तोड़फोड़	विभागीय	तोड़फोड़	शरारती तत्व	लागू नहीं

विवरण

क्र. सं.	दुर्घटना की तिथि	दुर्घटना की किस्म	रेलवे	खंड	गाड़ी सं.	संक्षिप्त ब्यौरा	हताहत		क्षति की लागत
							मृत	घायल	
91	26.06.07	बिना चौकीदार वाला समपार	उत्तर	सहारनपुर-भटिंडा	2137 एक्सप्रेस	एक कार ने गाड़ी से टक्कर मारी	1		0
92	27.06.07	बिना चौकीदार वाला समपार	पूर्व मध्य	मुजफ्फरपुर - नरकटियागंज	414 पैसेंजर	एक रोड टैंकर ने गाड़ी से टक्कर मारी जिसके परिणामस्वरूप गाड़ी बनाम इंजन और दस सवारी डिब्बे पटरी से उतर गया	2		7200000
93	28.06.07	गाड़ी का पटरी से उतरना	दक्षिण मध्य	गुत्ती-धर्मावरम	डाउन डब्ल्यूएफ गुड्स	चौदह मालडिब्बे पटरी से उतर गए			4455593
94	29.06.07	बिना चौकीदार वाला समपार	दक्षिण	एर्णाकुलम–अलाप्पूजा	6308 एक्सप्रेस	एक ऑटो रिक्शा ने गाड़ी से टक्कर मारी	1		0
95	03.07.07	बिना चौकीदार समपार	पूर्व मध्य	नरकटियागंज-बाल्मिकिनगर रोड़	449 पैसेंजर	एक ट्रैक्टर ने गाड़ी से टक्कर मारी	2	2	0
96	06.07.07	गाड़ी का पटरी से उतरना	पश्चिम मध्य	कोटा-नागदा	अप बीजेडब्ल्यू/ ओटी एमटी	बारह मालडिब्बे पटरी से से उतर गए			407000
97	06.07.07	बिना चौकीदार वाला समपार	दक्षिण पूर्व	चांदी - मूरी	8101 एक्सप्रेस	एक टाटा सूमो ने गाड़ी से टक्कर मारी	9	5	102702
98	12.07.07	गाड़ी का पटरी से उतरना	पश्चिम कोटा	चित्तौड़गढ़ - कोटा	296 पैसेंजर	एक माल डिब्बा पटरी से उतर गया			0
99	12.07.07	गाड़ी का पटरी से उतरना	उत्तर	दिल्ली- अम्बाला	बीएनडीएम - सीडीजी गुड्स	छह माल डिब्बे पटरी से उतर गए			0
100	16.07.07	चौकीदार वाला समपार	उत्तर	अम्बाला-दिल्ली	2716 एक्सप्रेस	एक टैम्पो ने गाड़ी से टक्कर मारी	1	4	0
101	16.07.07	बिना चौकीदार वाला समपार	दक्षिण मध्य	पनगांव-वाटनंदूर	347 पैसेंजर	एक ऑटो रिक्शा ने गाड़ी से टक्कर मारी	5		0
102	16.07.07	गाड़ी का पटरी से उतरना	दक्षिण	कोट्टायम-एर्णाकुलम	2696 एक्सप्रेस	गाड़ी इंजन और एक सवारी डिब्बा पटरी से उतर गया			553200
103	17.07.07	बिना चौकीदार वाला समपार	उत्तर	शामली - सहारनपुर	एसडी पैसेंजर	एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने गाड़ी से टक्कर मारी	1	1	25500
104	19.07.07	बिना चौकीदार वाला समपार	पश्चिम मध्य	लखियाई- कोटा	292 पैसेंजर	एक ट्रैक्टर ने गाड़ी से टक्कर मारी	1		0
105	20.07.07	गाड़ी का पटरी से उतरना	दक्षिण पूर्व	चक्रधरपुर - आद्रा	डाउन मिलेनियम पार्सल एक्सप्रेस	ग्यारह माल डिब्बे (बीपीयू) पटरी से उतर गए			1140000
106	28.07.07	टक्कर	पश्चिम मध्य	लखियाई- कोटा	डाउन बीएसपीएस गुड्स एवं अप कोटा/एन गुड्स	डाउन बीएसपीएस गुड्स, अप कोटा/एन गुड्स से टकरा गई जिसके परिणामस्वरूप गाड़ी के दोनों इंजन और अठारह माल डिब्बे पटरी से उतर गए		2	जांचाधीन
				कुल			128	177	265295365

विवरण

अनुग्रह राशि/ मुआवजा	प्रथम दृष्टया कारण	जांच कि किस्म	निष्कर्ष/परिणाम	उत्तरदायित्व	अनुशासन एवं अपील कार्रवाई
0	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
0	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
0	अधिक लादान	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	वाणिज्य कर्मचारी	कार्रवाई चल रही है
0	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
0	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विभागीय	जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा है	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
0	माल डिब्बे की खराबी	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	कारखाना कर्मचारी, जोई–I एमसीएम एवं फिटर सी एंड डब्ल्यू	कार्रवाई चल रही है
0	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
0	कांटो का समय से पहले परिचालन	विभागीय	रेल कर्मचारी की चूक	प्वाइंट्स मैन	कार्रवाई चल रही है
0	पटरी का खराब रखरखाव, अधिक गति और लोहे की चादरों को गलत तरीके से	विभागीय	प्रतीक्षारत	-	-
0	जांच की जा रही है	रेल संरक्षा आयुक्त	प्रतीक्षारत	-	-
0	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
0	कटाव से मिट्टी का फिसलना	विभागीय	प्राकृतिक आपदा	शून्य	लागू नहीं
0	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
0	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
0	वेल्ड की खराबी	विभागीय	प्रतीक्षारत	-	-
0	खतरे का सिग्नल पार करना	रेल संरक्षा आयुक्त	प्रतीक्षारत	-	-

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से ए टी सी को पृथक करना

660. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस बात की आशंकाएं है कि वर्तमान में वायु यातायात में भारी वृद्धि देने के लिए भारतीय विमानपत्तन तैयार नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एक पृथक् निगम की स्थापना करके भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से ए.टी.सी. को अलग करने और सैन्य वायुमार्गों का मिश्रित उपयोग करने संबंधी कोई प्रस्ताय सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में हवाई यातायात में आई अप्रत्याशित वृद्धि का सामना करने के प्रयोजन से, मौजूदा हवाई अड्डा अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण/विस्तार किया जाना अपेक्षित होता है। तदनुसार सरकार ने हवाईअड्डा अवसंरचना/विस्तार के लिए एक प्रमुख योजना बनाई गई है जिसमें शामिल है : (i) संयुक्त उद्यम मार्ग के जरिए दिल्ली तथा मुम्बई हवाई अड्डों की पुनर्संरचना; (ii) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा चेन्नई तथा कोलकाता हवाईअड्डों का विस्तार तथा आधुनिकीकरणद्ध; (iii) बंगलौर तथा हैदराबाद में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का निर्माण; (iv) 35 गैर महानगरीय हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण; (v) अनेक हवाई अड्डों पर सीएनएस/एटीएम सुविधाओं का स्तरोन्नयन; (iv) बेहतर हवाई दिक्चालन सेवाओं के लिए 'गगन' परियोजना।

(ग) से (ङ) सरकार का प्रयास एक समन्वयित एप्रोच में हवाई क्षेत्र की अधिकतम उपयोगिता सुनिश्चित करने का है जिससे सभी स्टेक होल्डरों की बढ़ती हुई मांगे पूरी की जा सकें। रक्षा तथा सिविल प्राधिकारियों द्वारा 'हवाई क्षेत्र के लचीला उपयोग' की अवधारणा विचाराधीन है।

नागर विमानन सेक्टर के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से इस मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की है कि हवाई यातायात नियंत्रण (एटीसी) सेवाओं को, अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियों की तर्ज पर, भारतीय विमान प्राधिकरण के मौजूदा अधिकार क्षेत्र से बाहर निकाल दिया जाए और इन्हें एक पृथक निगमित निकाय के रूप में गठित किया जाए। यह विचाराधीन है।

इंजनों और सवारी डिब्बों के विनिर्माण हेतु संयुक्त उद्यम

661. श्री मनोरंजन भक्त : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में रेलवे द्वारा उत्पादित रोलिंग स्टॉक का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेलवे ने इंजनों और सवारी डिब्बों के विनिर्माण के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित करने के संबंध में कोई रणनीति तैयार की है; और

(ग) रेलवे द्वारा देश में इंजनों और सवारी डिब्बों की मांग और आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) रेलों के उत्पादन इकाइयों से वर्ष 2006-07 के लिए चल स्टॉक के उत्पादन का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

उत्पादन इकाई	उत्पादन
सवारी डिब्बा कारखाना, चेन्नै	1251 सवारी डिब्बे
रेल डिब्बा कारखाना, कपूरथला	1319 सवारी डिब्बे
डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी	186 डीजल रेल इंजन
चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना, चित्तरंजन	150 बिजली रेल इंजन
डीजल रेल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना, पटियाला	86 रेल इंजन पुनर्निर्माण

(ख) यातायात की मांग में प्रत्याशित वृद्धि को पूरा करने के लिए रेल इंजनों और सवारी डिब्बों के विनिर्माण के सभी संगठनात्मक और क्रियात्मक अवसंरचनाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है।

(ग) चल स्टॉक और कलपुर्जों की आवश्यकता में हुई वृद्धि को पूरा करने के लिए डीजल रेल इंजन कारखाना, चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना, सवारी डिब्बा कारखाना और रेल डिब्बा कारखाना के रेल इंजनों और सवारी डिब्बों के विनिर्माण यूनिटों में उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने से संबंधित स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसके अतिरिक्त रेल मंत्रालय, एक रेल डिब्बा कारखाना, एक डीजल रेल इंजन कारखाना, एक बिजली रेल इंजन कारखाना, और एक रेल पहिया कारखाना संस्थापित कर रहा है।

तमिलनाडु में रसोई गैस के कनेक्शन

662. श्री एन.एस.वी. चित्तन : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु को वाणिज्यिक उपयोग हेतु रसोई गैस के कितने कनेक्शन प्रदान किए गए हैं; और

(ख) प्रतीक्षा सूची में कितने आवेदन हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) ने तमिलनाडु राज्य में 1.7.2007 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान 78,571 एल पी जी वाणिज्यिक कनेक्शन प्रदान किए हैं। वर्ष–वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

वर्ष	संख्या
2004–05	12287
2005–06	27841
2006–07	32154
अप्रैल–जून, 2007	6289

(ख) 30.06.2007 की स्थिति के अनुसार एल पी जी वाणिज्यिक कनेक्शन जारी करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पास कोई प्रतीक्षा सूची नहीं है।

रेल दुर्घटनाओं की जवाबदेही और जिम्मेदारी

663. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि रेल दुर्घटनाओं के वास्तविक कारणों की जांच करने के स्थान पर रेल दुर्घटनाओं की जवाबदेही और जिम्मेदारी को प्रायः "मानव त्रुटि" का नाम दे दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं और इनमें से कितनी दुर्घटनाओं की जांच पूरी कर ली गई है तथा कितने मामले अभी तक लंबित है;

(घ) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि दुर्घटना संबंधी मामलों की जांच की धीमी प्रगति के कारण यह मुद्दा महत्वहीन हो जाता है और जांच के बारे में पता ही नहीं चलता तथा "मानव त्रुटि" वास्तव में व्यक्ति विशेष बन जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किसी व्यक्ति के स्थान पर दुर्घटना के वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) रेल दुर्घटना की जवाबदेही केवल दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच के बाद निर्धारित की जाती है। दुर्घटना की जवाबदेही तय करने से पहले सर्वप्रथम जांच रपट में दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जाता है।

(ग) से (ङ) वर्ष 2004–05, 2005–06 और 2006–07 के दौरान भारतीय रेलों पर कुल 663 परिणामी गाड़ी दुर्घटनाएं हुईं जिनमें से 67 की रेलवे संरक्षा आयुक्त द्वारा जांच की गई थी और शेष 596 की विभागीय समिति द्वारा जांच की गई थी। इन दुर्घटनाओं की जांच पूरी हो गई है सिवाय वर्ष 2006–07 के, एक मामले के जिसकी अभी रेलवे संरक्षा आयुक्त द्वारा जांच की जा रही है। अधिकांश दुर्घटनाओं की जांच लक्ष्य की जांच समय सीमा में पूरी हो गई है और केवल आपवादिक मामले में अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण विलंब होता है। बहरहाल, इस प्रकार के विलंब का यह अर्थ नहीं है कि तथ्यों की वास्तविकता का पता नहीं लग सकता या वास्तविकता धूमिल हो सकती है क्योंकि दुर्घटना होने की परिस्थिति में जांच के दौरान समिति के समक्ष वास्तविक सामग्री और सबूत के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। जांच रपट के निष्कर्ष सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के अध्यधीन है।

नागर विमानन क्षेत्र संबंधी मंत्री समूह की सिफारिशें

664. डा. एम. जगन्नाथ :
श्री जे.एम. आरून रशीद :
श्री पी.एस. गढ़वी :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी मंत्री समूह को नागर विमानन क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं पर गौर करने का जिम्मा सौंपा गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार महाराष्ट्र में गोंदिया में एक फ्लाइंग इंस्टिट्यूट और नागपुर में एक कार्गो हब की स्थापना करने जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या फ्लाइंग इंस्टिट्यूट की स्थापना के लिए मंत्री समूह की सिफारिशों की आवश्यकता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :

(क) और (ख) राष्ट्रीय नागर विमानन नीति इस समय मंत्रियों के समूह (जीओएम) के पास विचाराधीन है।

(ग) और (घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के तत्वावधान में गोंदिया में संयुक्त उद्यम के रूप में एक नया उड़ान प्रशिक्षण संस्थान प्रस्तावित है।

नागपुर में मल्टीनोडल अंतर्राष्ट्रीय यात्री तथा कार्गो हब की स्थापना करने के लिए नागपुर हवाई अड्डा संयुक्त उद्यम कम्पनी को सौंपने के लिए महाराष्ट्र सरकार/महाराष्ट्र हवाई अड्डा विकास कम्पनी लिमिटेड तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच दिनांक 18.12.2006 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

कुवैत हेतु विमान सेवा

665. श्री एल. राजगोपाल : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार कुवैत के उस प्रस्ताव से सहमत हो गई है जिसमें कुवैत और भारत के विमानों में प्रति सप्ताह सीटों की संख्या को बढ़ाने की बात कही गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे दोनों देशों को कितना लाभ होगा?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी हां।

(ख) भारत और कुवैत के बीच 28–30 जून, 2007 को संपन्न हवाई सेवा परामर्श के दौरान, प्रत्येक साइड के लिए क्षमता हकदारी को 8320 सीट/सप्ताह से बढ़ाकर 12000 सीट/सप्ताह कर दिया गया है।

(ग) भारत–कुवैत मार्ग पर चालित एयरलाइनों द्वारा प्रचालनों के बढ़ाए जाने से यात्रा करने वाले लोगों को लाभ होगा।

रसोई गैस की कमी

666. श्री एन.एन. कृष्णदास :
श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री जी.एम. सिद्दीश्वर :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा आपूर्ति को सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या देश में बढ़ते हुए उपभोक्ताओं के मद्देनजर बड़े पैमाने पर नए वितरकों को नियुक्त करने पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) वर्तमान में देश में एल पी जी समग्रतः कमी नहीं है तथा डिस्ट्रीब्यूटरों को एल पी जी की आपूर्ति सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) द्वारा एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरों के पास पंजीकृत ग्राहकों की वास्तविक मांग के अनुसार स्वदेशी उत्पादन और आयातों के जरिए की जा रही है। तथापि ओ एम सीज ने प्राकृतिक आपदाओं, केरल पेट्रोलियम और गैस कर्मकार संघ द्वारा हड़ताल और थोक एल पी जी के पहुंचने में विलम्ब के कारण आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल और तमिलनाडु में एक से सात दिन के बकाया की सूचना भेजी है। सरकार ने ओ एम सीज को छुट्टी वाले दिनों को और बढ़ाए गए कार्य घंटों के दौरान भरण संयंत्रों का प्रचालन करके इन राज्यों में बकाया को समाप्त करने की सलाह दी है।

(ग) और (घ) सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) को अपने वाणिज्यिक आकलन के अनुसार एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने की स्वतंत्रता दी है तथा उनके द्वारा स्थानों की पहचान वहनीय स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए उपलब्ध रीफिल बिक्री संभाव्यता के आधार पर की जाती है। तथापि सरकार ने ओ एम सीज को अर्द्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करने के लिए विपणन योजनाएं तैयार करने की सलाह दी है। ओ एम सीज ने मुख्यतः ग्रामीण और शहरी–ग्रामीण (अर्ध शहरी) स्थानों में एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित करने के लिए 841 स्थान को शामिल करते हुए एक साझा उद्योग विपणन योजना को अंतिम रूप दिया है। एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना एक सतत प्रक्रिया है और इसमें उपयुक्त स्थान की पहचान करना, गोदाम स्थापित करने के लिए भूमि का प्रबंध करना तथा अन्य सांविधिक स्वीकृतियां आदि शामिल हैं।

विश्व दाय स्थल

667. डा. अरुण कुमार शर्मा :
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :
श्री नवीन जिन्दल :
श्री राकेश सिंह :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में श्रेणीवार ऐसे दाय स्थलों का ब्यौरा क्या है जिन्हें वर्ष 2007, 2008 और 2009 के दौरान विश्व दाय स्थल के रूप में नामांकित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) भारत में उन स्मारकों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिन्हें विश्व दाय स्थल घोषित किया गया है;

(ग) सरकार द्वारा इस सूची में देश के अन्य स्मारकों को शामिल कराए जाने के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यूनेस्को की सूची में शामिल स्मारकों को क्या लाभ मिलते हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) भारत के निम्नलिखित विरासत स्थलों को विश्व विरासत स्थलों के रूप में नामित करने का प्रस्ताव किया गया है :

सांस्कृतिक स्थल :

2007 लाल किला परिसर, दिल्ली (पहले ही शामिल)

2008 (1) माजुली द्वीप

(2) कालका – शिमला रेलवे

प्राकृतिक स्थल

2009 पश्चिमी घाट (क्रमिक नामांकन)

(ख) भारत में विश्व विरासत स्थलों के रूप में घोषित स्मारकों/स्थलों का राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ग) यूनेस्को विश्व विरासत समिति द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार भारत के सांस्कृतिक श्रेणी के अन्तर्गत 15 स्थलों तथा प्राकृतिक श्रेणी के अन्तर्गत 4 स्थलों को यूनेस्को की अस्थाई सूची में पहले ही शामिल किया जा चुका है। इनका ब्यौरा विवरण–II में दिया गया है।

(घ) विश्व विरासत सूची में शामिल स्मारकों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर प्राप्त होता है। इससे स्वेदशी तथा विदेशी दोनों तरह के पर्यटकों की वृद्धि होती है, जिससे उस क्षेत्र के आर्थिक विकास में योगदान मिलता है तथा स्मारक के प्रबंधन, संरक्षण तथा परिरक्षण आदि के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है।

विवरण-I

विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए भारत के सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक स्थल

क्रम संख्या	राज्य	स्मारक/स्थल का नाम
सांस्कृतिक स्थल		
1	2	3
1.	बिहार	महाबोधि मंदिर, बोधगया (2002)
2.	दिल्ली	हुमायूं का मकबरा (1993)
3.	दिल्ली	कुतुब मीनार परिसर, दिल्ली
4.	दिल्ली	लाल किला परिसर (2007)
5.	गोवा	चर्चें तथा कॉन्वेंटे, गोवा (1986)
6.	गुजरात	चम्पानेर – पावागढ़ पुरातत्वीय उद्यान (2004)
7.	कर्नाटक	मंदिर समूह, पट्टडकल (1987)
8.	कर्नाटक	स्मारक समूह, हम्पी (1986)
9.	महाराष्ट्र	छत्रपति शिवाजी टर्मिनस (पूर्व विक्टोरिया टर्मिनस), (2004)
10.	मध्य प्रदेश	मंदिर समूह, खुजराहो (1986)
11.	मध्य प्रदेश	बौद्ध स्मारक, सांची (1989)
12.	मध्य प्रदेश	प्रागैतिहासिक शैलाश्रय, भीमबेटका (2003)
13.	महाराष्ट्र	अजन्ता गुफाएं

1	2	3
14.	महाराष्ट्र	एलोरा गुफाएं (1983)
15.	महाराष्ट्र	एलिफेंटा गुफाएं (1987)
16.	उड़ीसा	सूर्य मंदिर, कोणार्क (1984)
17.	तमिलनाडु	स्मारक समूह, महाबलीपुरम् (1984)
18.	तमिलनाडु	तंजावुर, गंगईकोंडाचोलापुरम् तथा दारासुरम स्थित महान विद्यमान चोल मंदिर (1987 तथा 2004) (विस्तार) (2005) माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया
19.	उत्तर प्रदेश	आगरा किला (1983)
20.	उत्तर प्रदेश	ताजमहल (1983)
21.	उत्तर प्रदेश	स्मारक समूह फतेहपुर सीकरी (1986)
22.	पश्चिम बंगाल	माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया (1999 तथा 2005)
प्राकृतिक स्थल		
1.	असम	काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (1985)
2.	असम	मानस वन्य जीव अभयारण्य (1985)
3.	राजस्थान	केयोलादेव राष्ट्रीय उद्यान (1985)
4.	उत्तराखंड	नंदा देवी तथा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान (1988, 2005)
5.	पश्चिम बंगाल	सुन्दरवन राष्ट्रीय उद्यान (1987)

विवरण-II

यूनेस्को विश्व विरासत समिति द्वारा अनुमोदित अनंतिम सूची में शामिल किए गए भारत के सांस्कृतिक स्थलों की सूची (15 मार्च, 2006 तक)

क्रम संख्या	स्मारक/स्थल का नाम	राज्य का नाम
1	2	3
सांस्कृतिक विरासत स्थल		
1.	प्राचीन बौद्ध स्थल, सारनाथ	उत्तर प्रदेश
2.	अल्ची चोस–कोर के नाम से विख्यात बौद्ध मठीय परिसर, अल्ची (लेह)	जम्मू और कश्मीर
3.	हड़प्पन शहर धोलावीरा, जिला कच्छ	गुजरात
4.	गोलकोंडा किला, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
5.	स्मारक समूह, मांडू, जिला धार	मध्य प्रदेश
6.	हेमिस गुम्फा	जम्मू और कश्मीर

1	2	3
7.	मत्तनचेरी महल, एरनाकुलम	केरल
8.	रानी की वाव (रानी का सीढ़ीदार कुआं) पाटन, जिला मेहसाणा	गुजरात
9.	ब्रहमपुत्र नदी की मध्य धारा में माजुली नदी द्वीप	असम
10.	विष्णुपुर स्थित मंदिर	पश्चिम बंगाल
11.	शेर शाह सूरी का मकबरा, सासाराम	बिहार
12.	श्री हरि मंदिर साहिब, अमृतसर	पंजाब
13.	कालका शिमला रेलवे	हरियाणा/हिमाचल प्रदेश
14.	माथेरन लाइट रेलवे (भारत की माउंटेन रेलवे का विस्तार)	महाराष्ट्र
15.	चंडीगढ़ आधुनिक वास्तुकला (ले करबूसियर)	चंडीगढ़
प्राकृतिक विरासत स्थल		
16.	कैंगचेंडजोंगा राष्ट्रीय पार्क	पश्चिम बंगाल
17.	वाइल्ड ऐस सैंचुरी	गुजरात
18.	नामदफाह राष्ट्रीय पार्क	अरुणाचल प्रदेश
19.	पश्चिमी घाट (सात सब क्लस्टरों सहित)	
	1. पश्चिमी घाट – अगस्तमलई सब क्लस्टर (पांच स्थल एलीमेंट सहित)	तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात
	2. पश्चिमी घाट – पेरियार सब क्लस्टर (छः स्थल एलीमेंट सहित)	
	3. पश्चिमी घाट – अन्नामलई सब क्लस्टर (सात स्थल एलीमेंट सहित)	
	4. पश्चिमी घाट – नीलगिरि सब क्लस्टर (छः स्थल एलीमेंट सहित)	
	5. पश्चिमी घाट – तलकावेरी सब क्लस्टर (छः स्थल एलीमेंट सहित)	
	6. पश्चिमी घाट – कुदरेमुख सब क्लस्टर (पांच स्थल एलीमेंट सहित)	
	7. पश्चिमी घाट – सहेदरी सब क्लस्टर (चार स्थल एलीमेंट सहित)	

आंध्र प्रदेश की गैस आवश्यकता

668. श्री रायापति साबांसिवा राव : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रिलायंस उद्योग लिमिटेड को राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही आंध्र प्रदेश से गैस बाहर ले जाने की अनुमति देने संबंधी कोई तंत्र तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ग) मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा नाइको ने वर्ष 2000 में ब्लाक के जी–डी डब्ल्यू एन–98/3 के अन्वेषण के लिए सरकार के साथ उत्पादन हिस्सेदारी करार (पी एस सी) पर हस्ताक्षर किए हैं। पी एस सी की शर्तों के अनुसार, संविदाकार आंध्र प्रदेश तथा देश के बाकी भागों में प्राकृतिक गैस के विपणन के लिए स्वतंत्र हैं।

एयरलाइन्सों द्वारा मानदंडों का उल्लंघन

669. श्री उदय सिंह : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न एयरलाइंसों द्वारा नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन किया जाता है और हमारी उड़ानें किलर ब्लू लाइन सरीखी है जैसाकि दिनांक 20 जुलाई, 2007 के हिन्दुस्तान टाइम्स में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनेक उड़ानों के पायलट वर्षा की स्थिति में विमान उड़ानें में असमर्थ हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। नागर विमानन महानिदेशालय समय-समय पर परिपत्र जारी करता रहता है जिसमें अपेक्षा की जाती है कि ऐसी उड़ानों के लिए केवल उन्हीं पायलटों को तैनात किया जाए जिन्हें मानसून प्रचालनों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई हो तथा सभी निर्वासित क्रू सदस्यों को मानसून अवधि के दौरान उड़ान पर जाने के लिए मानसून जांचों से गुजरना होगा।

विमानपत्तनों के रनवे

670. श्री अमिताभ नन्दी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न विमानपत्तनों पर मौजूद अनेक रनवे अपेक्षित लम्बाई से छोटे हैं और इस बात की भी रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि कुछ विमानपत्तनों के रनवे के आखिर में जल जमाव भी हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे त्रुटिपूर्ण रनवेज की पहचान की है ताकि ऐसी त्रुटि के कारण होने वाली किसी दुर्घटना को रोका जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) विमान के श्रेणी के अनुसार रन वे लम्बाई प्रदान की जाती है। मदुरै, त्रिची, सूरत, अकोला, देहरादून, पंतनगर, उदयपुर, जयपुर, वाराणसी और कोलकाता हवाई अड्डों पर रन वे विस्तार कार्य किए जा रहे हैं। आस-पास के क्षेत्रों की निकासी समस्या के कारण दीमापुर, मुम्बई तथा विजाग पर भारी वर्षा के दौरान कुछ हवाई अड्डों पर जल ठहराव का अनुभव किया गया है। समस्या पर काबू पाने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कदम उठा रही है।

[हिन्दी]

गुगली स्टेशन से नौथनवा तक नई रेल लाइन

671. श्री पंकज चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने वर्ष 1988 और 1999 में महाराजगंज से होकर गुगली स्टेशन से नौथनवा तक नई रेल लाइन की मंजूरी दी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त परियोजना के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है;

(ग) क्या रेलवे बोर्ड ने उक्त रेल लाइन के लिए कोई सर्वेक्षण किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी नहीं। बहरहाल, 1998-99 में बरास्ता महाराजगंज आंनद नगर-घुघुली के लिए एक सर्वेक्षण किया गया था। प्रस्तावित लाइन के प्रस्ताव के अलाभप्रद प्रकृति, परियोजनाओं के अत्यधिक थ्रो-फारवर्ड और संसाधनों की तंगी के कारण विचार नहीं किया जा सका।

प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ

672. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
डा. धीरेंद्र अग्रवाल :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में उत्पादित प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के मूल्य का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) आयातित प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के क्या नाम हैं और इनका मूल्य कितना है;

(ग) उन प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के क्या नाम हैं जिन पर 30 से 35 प्रतिशत का आयात शुल्क लगाया गया है; और

(घ) प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात के लिए वर्तमान में क्या प्रोत्साहन दिए जाते हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) देश में उत्पादित प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के मूल्य के ब्यौरे दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) आयातित प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के मूल्य और नामों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(ग) उन पदार्थों की सूची जिन पर 30–35% आयात शुल्क लगता है ब्यौरा संलग्न विवरण–III में दिया गया है।

(घ) प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात के लिए हाल ही में उपलब्ध कराए गए प्रोत्साहन विवरण–IV पर दिए गए हैं।

विवरण-I

एसएसआई 2001–02 की तृतीय गणना पर आधारित पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का राज्यवार प्रमुख विशेषताएं

मूल्य (लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	इकायों की संख्या	रोजगार	सकल उत्पादन
1	2	3	4	5
1.	जम्मू और कश्मीर	2341	8903	80839
2.	हिमाचल प्रदेश	3997	7508	42613
3.	पंजाब	5838	35951	289541
4.	चंडीगढ़	59	434	6757
5.	उत्तरांचल	3693	8911	67140
6.	हरियाणा	4524	23883	276492
7.	दिल्ली	152	1660	44646
8.	राजस्थान	7908	23394	290875
9.	उत्तर प्रदेश	29486	89584	269385
10.	बिहार	8087	21416	19843
11	सिक्किम	67	344	956
12.	अरुणाचल प्रदेश	99	365	677
13.	नागालैंड	90	544	1449
14.	मणिपुर	836	3013	1750
15.	मिजोरम	331	1024	637
16.	त्रिपुरा	253	7119	6226
17.	मेघालय	469	2264	5206
18.	असम	3293	16145	61852
19.	पश्चिम बंगाल	5978	35998	124748
20.	झारखंड	1509	4817	3783
21.	उड़ीसा	3765	20404	136693
22.	छत्तीसगढ़	2618	11158	32168
23.	मध्य प्रदेश	15026	33889	239786
24.	गुजरात	6236	26094	73830
25.	दमन और दीव	45	384	7278
26.	दादर और नागर हवेली	9	79	2901
27.	महाराष्ट्र	7866	63196	755447
28.	आन्ध्र प्रदेश	15867	102825	594634
29.	कर्नाटक	20482	83283	217911
30.	गोवा	607	4141	9481
31.	लक्षद्वीप	18	71	126
32.	केरल	26505	97145	226160
33.	तमिलनाडु	20587	109403	272953
34.	पाण्डिचेरी	328	2253	20897
35.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	102	302	820
	अखिल भारत	199067	847902	4186502

विवरण-II

आयातित प्रसंस्कृत खाद्य मदों के मूल्य का नाम

(मूल्य लाख रुपये में)

क्र.सं.	पण्य	2005–2006	2006–07 (अप्रैल–दिसम्बर)
1	2	3	4
1.	मांस तथा खाद्य मांस छीछड़	198.33	131.54
2.	मछली और क्रस्टेशियन, मोलस्क और अन्य अपृष्ठवंशीय जलचर	9,906.54	8,919.45
3.	दूध उत्पाद, पक्षियों के अंडे, प्राकृतिक शहद, पशु मूल के खाद्य उत्पाद जो कहीं अन्य निर्दिष्ट या शामिल न हों।	4,108.05	9,611.50

1	2	3	4
4.	पशु मूल के खाद्य उत्पाद जो कहीं अन्य निर्दिष्ट या शामिन न हों।	5,374.53	6,267.53
5.	जीवित वृक्ष और अन्य पौधे, बल्द, जड़ समरूप, कट फ्लावर और सजावटी बेल–बूटे	1,796.33	2,295.49
6.	खाद्य सब्जियां और चुनिन्दा जड़े और कन्द	282,303.78	338,865.62
7.	खाद्य फल तथा मेवे, छिलके अथवा खट्टे फल अथवा खरबूज, तरबूज	348,468.03	285,691.06
8.	काफी, चाय, मेट और मसाले	84,551.55	61,830.63
9.	अनाज	3,045.67	139,509.51
10.	धान कुटाई उद्योग के उत्पाद, मॉल्ट, स्टार्च, इनुलिन, गेहूं–लासा	3,707.69	4,803.05
11.	तिलहन और ओल्या फल:, फुटकर खाद्यान्न, बीज तथा फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, घास–फूस और चारा।	32,050.88	28,883.82
12.	लाख, गोंद, राल और अन्य सब्जी रस और सत्त।	24,130.98	26,037.78
13.	वेजिटेबल प्लेटिंग सामग्री, सब्जी उत्पाद जो कहीं अन्य निर्दिष्ट या शामिल न हों।	1,491.89	1,558.02
14.	पशु अथवा सब्जी वसा और तेल तथा उनके क्लिवेज उत्पाद, पूर्व खाद्य वसा:, पशु अथवा सब्जी वैक्स	1,015,169.75	804,956.92
15.	मांस के, मछली के, क्रस्टेशियन मोलस्क और अन्य अपृष्ठवंशीय जलचरों से तैयार व्यंजन	804.04	430.12
16.	चीनी तथा चीनी मिष्टान्न।	78,386.67	8,072.46
17.	कोको और कोको के व्यंजन।	11,286.53	8,568.83
18.	अनाज, आटा, स्टार्च अथवा दूध से बने व्यंजन, पेस्ट्रीकुक्स उत्पाद।	12,511.91	10,324.63
19.	सब्जी, फल, मेवे अथवा पौधे के अन्य हिस्सों से बने व्यंजन।	9,720.45	9,728.22
20.	फुटकर खाद्य व्यंजन।	10,769.02	8,272.87
21.	पेय स्प्रिट और सिरका	96,753.10	36,735.68

स्रोत: डी.जी.सी.आई.एस., कोलकाता

विवरण-III

उन खाद्य उत्पादों के नाम जिन पर 30–35% आयात शुल्क लगाया जाता है

क्र.सं.	मद का ब्यौरा	निर्धारित मूल सीमा शुल्क
1	2	3
1.	प्रशीतित मछली, फिश–फिलेट, अन्य मछली मांस, सूखी, नमकीन अथवा लवण–जल मछली, लोबस्टर, झींगी, झींगा (ताजा, शीतित, जमी हुई)	30
2.	दूध तथा क्रीम (न सांद्रित न ही अलग से चीनी अथवा कोई अन्य मिठास मिलाई हुई), पनीर, दही, योगर्ट	30

1	2	3
3.	एसोर्टिड डिब्बाबंद सूखी सब्जी, साबुत, कटी फांक करी हुई, टूटी अथवा चूर्ण।	30
4.	सूखे खजूर, अंजीर, एवोकडोस, अमरूद, आम	30
5.	गेहूं/मॉस्लिन आटा, अन्य अनाजों का आटा, मॉल्ट, निर्दिष्ट स्टार्च	30
6.	तैयार/परिरक्षित मांस (गॉलेस डोमेस्टिक्स को छोड़कर) तैयार/परिरक्षित मछली, केवियर, क्रस्टेशियन और मोलस्क	30
7.	चीनी मिष्टान्न	30
8.	कोको और उसके व्यंजन	30
9.	मॉल्ट निस्सारण, पेस्ट, कार्न फ्लैक्स, पॉज, डबलरोटी, केक, पेस्ट्री, बिस्कुट, रस आदि	30
10.	फल रस, जैम जैली, मार्मलैड, फल या नट प्यूरी तथा फल और नट पेस्ट, तैयार अथवा परिरक्षित फल तथा सूखे मेवे, खुंबी, तैयार अथवा परिरक्षित सब्जियां।	30
11.	इंस्टेंट चाय या कॉफी, रोस्टेड चिकॅरि या अन्य कॉफी प्रतिस्थापन्न	30
12.	सॉस, सूप और आइसक्रीम	30
13.	खनिज जल तथा वातित जल, लेमानेड, सोया मिल्क ड्रिंक्स, फल गूदा अथवा फल जूस आधारित ड्रिंक्स	30
14.	सिरका तथा एसेटिक एसिड से प्राप्त इसके स्थानापन्न	30

विवरण-IV

प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं के निर्यात के लिए हाल ही में उपलब्ध कराए गए प्रोत्साहन

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण निम्नलिखित प्रोत्साहन संघटक उपलब्ध करा रहा है

व्यापार मेले में भागीदारी के लिए सहायता समेत बाजार विकास संबंधी स्कीम	10 लाख रुपये तक सहायता
बुनियादी ढांचा विकास संबंधी स्कीम	25 लाख रुपये तक सहायता
गुणवत्ता विकास संबंधी स्कीम	50 लाख रुपये तक सहायता
अनुसंधान एवं विकास संबंधी स्कीम	10 लाख रुपये तक सहायता

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण निम्नलिखित प्रोत्साहन संघटक उपलब्ध करा रहा है:-

अमरीका में गोदाम खोलना/किराए पर लेना	
अमरीका में अंतर्राष्ट्रीय डिपार्टमेंटल स्टोरों में प्रदर्शनी	
प्रचार अभियान – अमरीका की लोकप्रिय पत्रिकाओं आदि में विज्ञापन देना	प्रतिनिर्यातक अधिकतम पात्र सहायता 50 लाख रुपये सालाना है।
अमरीका में व्यापार मेला/क्रेता–विक्रेता बैठकों में भागीदारी	
प्रमुख खरीददारों की अमरीका से रिवर्स विजिट हेतु सहायता	

[अनुवाद]

एयर इंडिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कार्गो सेवा

673. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया ने अपना अंतर्राष्ट्रीय कार्गो ऑपरेशन शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस ऑपरेशन में कितने विमान लगे हुए हैं;

(घ) क्या एयर इंडिया ने पूर्व में अपने कार्गो ऑपरेशन को बंद कर दिया था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस बार कार्गो ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) जी, हां। एयर इंडिया ने दिनांक 27 जून, 2007 से एक ए310 एफ विमान के प्रचालन द्वारा भारत से यूरोप के लिए प्रति सप्ताह चार उड़ानों से अन्तर्राष्ट्रीय कार्गो प्रचालन आरंभ किया है। 2 अगस्त, 2007 को दूसरे कार्गो विमान को शामिल करने के साथ अब उड़ाने प्रति सप्ताह चार से बढ़कर सात हो गई हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। एयर इंडिया द्वारा एक दशक पहले पट्टे पर लिए गए मालवाहक विमान के प्रचालन को बंद कर दिया गया था। मालवाहक विमानों की उच्च पट्टा लागतों तथा राजस्व हानि के कारण इनके प्रचालनों को बंद किया गया था।

(च) एयर इंडिया ने अपने दो ए310 यात्री विमानों को समर्पित मालभाड़ा विमानों में परिवर्तित कर दिया है जो एयरलाइन के विमान कार्गो व्यवसाय के प्रभावपूर्ण ढंग से दोहन में सहायक होगा।

पेट्रोलियम उत्पादों की मांग और आपूर्ति

674. श्री सुग्रीव सिंह :

श्री किसनभाई वी. पटेल :

श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आज की स्थिति के अनुसार विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों की मांग और आपूर्ति के बीच कितना अंतर है;

(ख) घरेलू उत्पादन से ऐसे पेट्रोलियम उत्पादों की उत्पादवार किस सीमा तक मांग पूरी की जाती है; और

(ग) वर्तमान मांग और भावी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पेट्रोलियम उत्पाद के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ग) वर्ष 2006–07 के लिए मुख्य पेट्रोलियम उत्पादों की मांग, घरेलू उत्पादन और आधिक्य/कमी के ब्यौरे (अनंतिम) नीचे दिए गए हैं –

(आंकड़े हजार मीटरी टनों में)

उत्पाद	मांग	उत्पादन	आधिक्य/कमी +/–
1	2	3	4
एल पी जी	10855	8454	–2401
एम एस	9295	12536	3241
नाफ्था	13784	18176	4392
एस के ओ	9474	8621	–853
ए टी एफ	4008	7850	3842
एच एस डी	42884	53676	10792
एफ ओ/एल एस एच एस	12578	15524	2946
सभी उत्पाद	119845	139969	20124

देश घरेलू स्रोतों से मांग पूरी करने के लिए समग्र आधार पर आत्म–निर्भर है। तथापि वर्ष 2006–07 के दौरान एल पी जी और एस के ओ की घरेलू उपलब्धता में कमी थी। घरेलू स्रोतों से उपलब्धता में आई कमी को आयातों के जरिए पूरा किया जाता है।

प्रति वर्ष 148.97 मिलियन मीटरी टन (एम एम टी पी ए) की कुल स्थापित क्षमता के मुकाबले, 11वीं योजना के दौरान 92 एम एम टी पी ए की अतिरिक्त रिफाइनरिंग क्षमता बढ़ाए जाने की संभावना है।

कच्चे तेल का देशी उत्पाद घरेलू मांग के अनुरूप नहीं होने से कच्चे तेल की आयात निर्भरता 2006–07 में लगभग 73% हो गई है। बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए देश में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और उत्पादन कार्यकलापों में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं –

(i) नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एन ई एल पी) के विभिन्न दौरों के अन्तर्गत, अन्वेषण के लिए अधिकाधिक क्षेत्रों को चिन्हित करना तथा उन्हें पेशकश पर रखना।

(ii) उत्पादन चालू करने के लिए समर्थ बनाने हेतु खोजे गए भंडारों का अधिक तेजी से विकास करना।

(iii) वर्तमान क्षेत्रों से उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक तकनीकों का प्रयोग करना।

(iv) वर्तमान क्षेत्रों से प्राप्ति बढ़ाने के लिए वर्धित तेल निकासी/उन्नत तेल निकासी तकनीकों को लागू करना।

(v) पुराने क्षेत्रों में आ रही गिरावट को रोकना।

(vi) देश में इक्विटी तेल लाने के लिए अन्वेषण रकबों और उत्पादनशील सम्पत्तियों का अर्जन करना।

(vii) ऊर्जा के गैर परम्परागत स्रोतों, जैसे बायो डीजल, एथेनोल, आदि के इस्तेमाल के जरिए तेल को प्रतिस्थापित करना।

[हिन्दी]

हरित क्षेत्र विमानपत्तनों का निर्माण

675. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :
श्रीमती रूपाताई डी. पाटील :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एक हरित क्षेत्र विमानपत्तन योजना चला रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के अन्तर्गत बनाए जाने वाले विमानपत्तनों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त योजना के अन्तर्गत शत–प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन–किन कंपनियों ने इसमें अपनी रूचि दिखाई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) हवाई अड्डा अवसंरचना पर नीति 1997 में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के विकास के लिए आवश्यक आधारभूत रूपरेखा का प्रावधान है। नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे संयुक्त उद्यमों के रूप में हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) तथा बंगलौर (कर्णाटक) में निर्माणाधीन हैं। सरकार ने मोपा (गोवा) तथा नवी मुम्बई (महाराष्ट्र) में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के लिए भी "सिद्धान्त रूप में" अनुमोदन प्रदान किया है।

(ग) जी हां,। वर्तमान नीति में हवाईअड्डों के लिए 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रावधान है।

(घ) अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ हैं जिसमें किसी नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अभिकल्पना हो।

नियंत्रित सूची से दवाइयों को हटाया जाना

676. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कम दरों पर दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए घोषित नियंत्रित सूची से कतिपय दवाइयों को निकाल दिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सूची में पहले शामिल की गई और तत्पश्चात निकाल दी गई दवाइयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सूची से ऐसी दवाइयों को निकाल दिए जाने के क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) से (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ 95) 6 जनवरी 1995 को प्रख्यापित किया गया था। डीपीसीओ 95 की प्रथम अनुसूची में यथा उल्लिखित 78 बल्क औषधों को सितम्बर 1994 में घोषित "औषध नीति, 1986 में संशोधन" में उल्लिखित मानदंडों के आधार पर मूल्य नियंत्रण के अधीन रखा गया था।

तत्पश्चात डीपीसीओ 1995 की प्रथम अनुसूची में मेफेनामिक एसिड एवं एमिकासिन सल्फेट सहित कतिपय औषधों को शामिल करने से संबंधित सरकार को प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों पर कार्रवाई करने के लिए, तत्कालीन सचिव (रसायन एवं पेट्रोरसासन) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। समिति ने पाया कि इन दोनों बल्क औषधों के मामले में किसी प्रकार की एकाधिकार की स्थिति नहीं है जिसके आधार पर इन्हें डीपीसीओ 1995 की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया था। इस समिति की सिफारिश के आधार पर इन दोनों बल्क औषधों को दिनांक 2 सितंबर 1997 के का.आ. 626(अ) के अंतर्गत डीपीसीओ 1995 से हटा दिया गया।

[अनुवाद]

विमान कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)

677. श्री मदन लाल शर्मा :
श्री सनत कुमार मंडल :
प्रो. एम. रामदास :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार मौजूदा नागर विमानन मानदंडों की समीक्षा करने और तत्पश्चात् घरेलू एयरलाइनों में हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए विदेशी एयरलाइनों को अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) घरेलू एयरलाइनों के ऐसी विदेशी एयरलाइनों से किस सीमा तक प्रभावित होने की संभावना है; और

(घ) देश के नागर विमानन क्षेत्र में कितनी विकास दर की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वर्तमान में घरेलू नागर विमानन क्षेत्र लगभग 37% की दर से बढ़ रहा है तथा अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र लगभग 16% की दर से बढ रहा है।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों पर राजसहायता

678. श्री सूरज सिंह :
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एक समिति गठित की है और देश में पेट्रोलियम उत्पादों पर दी जा रही राजसहायता समाप्त करने हेतु इसके सुझाव मांगे हैं;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख को इस समिति का गठन किया गया था और इसके सदस्य कौन–कौन हैं;

(ग) क्या उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों को भी इस समिति में शामिल किया गया है;

(घ) यदि हां, तो समिति में उपभोक्ताओं और सरकार के कितने प्रतिनिधि हैं; और

(ङ) समिति अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) एक दीर्घावधिक मूल्य निर्धारण नीति तैयार करने के लिए, सरकार ने प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डा. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में एक अन्तमंत्रालयीन समिति का गठन किया था, जिसने पेट्रोलियम राजसहायता के मुद्दे की भी जांच की थी।

(ख) से (घ) दिनांक 26.10.2005 को समिति का गठन किया गया था। अन्तर्मंत्रालयीन समिति का संयोजन संलग्न विवरण में दिया गया है। समिति ने सरकार के पदाधिकारी तथा प्रख्यात विशेषज्ञ एक समान संख्या में शामिल हैं।

(ङ) समिति ने दिनांक 17.12.2006 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी।

विवरण

अन्तर्मंत्रालयीन समिति का संयोजन इस प्रकार है :–

(i)	डा. सी रंगराजन, अध्यक्ष, प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद	अध्यक्ष
(ii)	डा. कीरित एस. पारिख, सदस्य, योजना आयोग	सदस्य
(iii)	सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	सदस्य
(iv)	डा. अशोक लाहिरी, मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय	सदस्य
(v)	श्री सोमित्रा चौधरी, मुख्य अर्थशास्त्री, आई सी आर ए, नई दिल्ली	सदस्य
(vi)	प्रो. बी. एच. ढोलकिया, निदेशक, आई आई एम, अहमदाबाद	सदस्य

[अनुवाद]

एल. एन. जी. की कमी

679. श्री दुष्यंत सिंह : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल एन जी) की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार एल एन जी की मांग और उपलब्धता की स्थिति क्या है; और

(ग) एल एन जी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) प्राकृतिक गैस का एक स्रोत तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल एन जी) है, जिसका तरल रूप में आयात किया जाता है और प्रयोग से पूर्व उसे पुनः गैसीकृत किया जाता है। पुनः गैसीकृत तरलीकृत प्राकृतिक गैस (आर एल एन जी) की मांग को अलग से निर्धारित नहीं किया जाता। यह देश में प्राकृतिक गैस की कुल मांग पर निर्भर करती है। ग्याहरवीं योजना के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र पर बने कार्य समूह का अनुमान है कि वर्ष 2007–08 के लिए प्राकृतिक गैस की मांग 179.17 मिलियन मानक घन मीटर प्रति दिन (एम एम एस सी एम डी) है। वर्ष 2006–07 में देश में 23 एम एम एस सी एम डी आर एल एन जी सहित प्राकृतिक गैस की औसत उपलब्धता लगभग 96 एम एम एस सी एम डी थी। प्राकृतिक गैस की मांग की तुलना में उपलब्धता में कमी को अन्य बातों के साथ साथ एल एन जी के आयात द्वारा पूरा किया जा सकेगा। वर्ष 2006–07 के दौरान, लगभग 6.95 मि.मी. टन एल एन जी का आयात किया गया था, जो लगभग 23 एम एम एस सी एम डी आर एल एन जी के समतुल्य है।

(ग) देश में प्राकृतिक गैस की मांग और आपूर्ति के बीच एक बड़ा अंतर है। भारत सरकार ने निम्नलिखित द्वारा गैस आपूर्तियों में वृद्धि तथा घरेलू बाजार के लिए आपूर्ति तथा मांग के बीच के अंतर को कम करने के लिए एक बहु–आयामी कार्यनीति अपनाई है :–

(1) घरेलू ई एण्ड पी कार्यों में तीव्रीकरण।

(2) गैर पारम्परिक स्रोतों, जैस कोल बेड मिथेन का दोहन।

(3) हाइड्रेट संसाधनों के मूल्यांकन तथा उनके संभावित वाणिज्यिक दोहन के लिए प्राकृतिक गैस हाइड्रेट कार्यक्रम (एन जी एच पी) का क्रियान्वयन।

(4) राष्ट्रपार गैस पाइपलाइनों द्वारा गैस का आयात।

(5) एल एन जी के रूप में गैस का आयात।

एल एन जी के आयात में वृद्धि के लिए, देश में अतिरिक्त एल एन जी बुनियादी सुविधा का सृजन किया जा रहा है। दहेज एल एन जी टर्मिनल का वर्तमान 5 मि.मी. टन प्रति वर्ष के स्तर से 10 मि. मी. टन प्रति वर्ष तक क्षमता विस्तार किया जाएगा। दाभोल एल एन जी टर्मिनल की मार्च, 2008 के अंत तक पूरा होने की संभावना है। मई, 2010 में तरंगरोध सुविधाओं के पूरा होने के बाद ही यह टर्मिनल पूरी तरह प्रचालन योग्य हो जाएगा। पेट्रोनेट एल एन जी लिमिटेड (पी एल एल), मि. मी. टन प्रति वर्ष तक क्षमता विस्तार के प्रावधान के साथ, 2.5 मि.मी. टन प्रति वर्ष क्षमता वाले कोच्चि एल एन जी टर्मिनल का कार्य हाथ में ले रहा है।

एल एन जी की मौजूदा आपूर्तियों के अलावा, वर्ष 2009 में रास गैस कतर से 2.5 मि. मी. टन प्रति वर्ष की एल एन जी की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। इसके अलावा, पी एल एल तथा गेल द्वारा एल एन जी की दीर्घावधिक व्यवस्था के लिए विभिन्न संभाव्य आपूर्तिकर्ताओं के साथ सक्रिय रूप से चर्चा की जा रही है।

अहमदाबाद और उदयपुर के बीच आमान परिवर्तन

680. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी :
श्री महेश कनोडीया :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को अहमदाबाद और उदयपुर के बीच आमान परिवर्तन कार्य के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) गुजरात और राजस्थान राज्य सरकारों को परियोजना की लागत में भागीदारी करने का आग्रह किया गया है। प्रस्ताव आवश्यक अनुमोदनों के लिए प्रक्रियाधीन है।

[हिन्दी]

इफको को राजसहायता

681. श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री वी.के. दुग्मर :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि. (इफको) को राजसहायता की शेष धनराशि का भुगतान कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारणा हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इफको को शीघ्र भुगतान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) से (घ) उत्पादकों/आयातकर्ताओं को राजसहायता जारी किया जाना सतत प्रक्रिया है। वर्ष 2006-07 के अंत में कुल 8788.37 करोड़ रुपए की अग्रेनीत देयता थी जिसमें इफको की 1737.82 करोड़ रुपए की लंबित देयराशि भी शामिल थी। इसमें से 1733.38 करोड़ रुपए की राशि इफको को जारी की जा चुकी है। शेष राशि प्रोफार्मा बी के समाधान के बाद जारी की जाएगी। अग्रेनीत देयताओं के अतिरिक्त, इफको सहित सभी उर्वरक कंपनियों के चालू बिलों का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है। इफको सहित सभी कंपनियों के लंबित बिल मुख्य रूप से चालू देयता के हैं जिनका संवितरण निर्धारित प्रक्रिया के पश्चात् किया जाता है।

कौंच स्टेशन पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र

682. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में कौंच स्टेशन पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) कौंच स्टेशन के लिए अनारक्षित टिकट प्रणाली के साथ-साथ कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली (पी आर एस एंड यू टी एस) की व्यवस्था करने के कार्य को स्वीकृत कर दिया गया है।

[अनुवाद]

एल पी जी कनेक्शन

683. श्री पन्नियन रवीन्द्रन :
श्री सी. के. चन्द्रप्पन :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 जून, 2007 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य विशेषकर केरल में विभिन्न तेल कंपनियों के पास घरेलू और वाणिज्यिक दोनों के नए एल पी जी कनेक्शन हेतु लंबित आवेदनों का ब्यौरा क्या है?

(ख) इन लंबित आवेदनों को स्वीकृत करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

(ग) क्या राज्यों में तेल कंपनियों द्वारा लंबे समय से दूसरे सिलेंडर के लिए आवेदन को स्वीकृत नहीं किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन अनुरोधों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी) ने सूचित किया है कि सिलेंडर निर्माताओं द्वारा सिलेंडरों की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण, दिनांक 30.6.2007 की स्थिति के अनुसार, उनके एल पी जी वितरणकर्ताओं के पास नए घरेलू एल पी जी कनेक्शन जारी करने के लिए देश में 64934 ग्राहकों की प्रतीक्षा सूची है जिसमें केरल के 31974 ग्राहक सम्मिलित हैं। 30.6.2007 की स्थिति के अनुसार, नए घरेलू एल पी जी कनेक्शनों को जारी करने के लिए राज्यवार प्रतीक्षा सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

30.6.2007 की स्थिति के अनुसार, नए एल पी जी वाणिज्यिक कनेक्शनों के जारी करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपिनयों (ओ एम सीज) के पास कोई प्रतीक्षा सूची लंबित नहीं है।

(ख) नए एल पी जी कनेक्शन लेने के लिए 30.06.2007 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची के सभी व्यक्तियों को सूचना पत्र भिजवा दिए गए हैं। राज्यों के स्थानीय और राष्ट्रीय समाचार पत्रों में जनता को सलाह देते हुए विज्ञापन भी जारी कर दिए गए हैं कि वे इसका लाभ उठाने के लिए वितरणकर्ताओं से संपर्क करें। इसके अतिरिक्त, सरकार ने आई ओ सी को सलाह दी है कि वह प्राथमिकता आधार पर अन्य आपूर्तिकत्तोओं के जरिए सिलेंडरों की आपूर्ति के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करें।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) ऊपर (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

देश में 30.06.2007 की स्थिति के अनुसार नए एल पी जी कनेक्शनों को जारी करने के लिए राज्यवार प्रतीक्षा सूची।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	संख्या
उत्तर प्रदेश	9461
छत्तीसगढ़	962
मध्य प्रदेश	990
आंध्र प्रदेश	8854
केरल	31974
लक्षद्वीप	74
पांडिचेरी	50
तमिलनाडु	12569
योग	64934

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को घाटा

684. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :
श्री चन्द्रभूषण सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को लागत से कम मूल्य पर ईंधन बेचने पर चालू वित्तीय वर्ष में 50,000 करोड़ रुपए का घाटा होने की संभावना है;

(ख) इंडियन आयल कंपनी को पेट्रोल, डीजल, एल पी जी और मिट्टी के तेल की वर्तमान मूल्य स्तर पर बिक्री पर प्रतिदिन कितना घाटा हो रहा है;

(ग) क्या सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने सरकार से सभी पेट्रोलियम उत्पादों पर कीमत बढ़ाने की अनुमति देने के लिए कहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) वर्ष 2007–08 की पहली तिमाही के लिए संवदेनशील पेट्रोलियम उत्पादों अर्थात पेट्रोल, डीजल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली मिट्टी तेल और घरेलू एल पी जी की बिक्री पर सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों की अनुमानित सकल अल्प वसूलियां निम्नानुसार दी गई हैं –

(करोड़ रुपए)

अल्प वसूलियां *	अप्रैल–जून, 07 (अनन्तिम)
पेट्रोल	1,553
डीजल	4,633
सा. वि. प्र. मिट्टी तेल	4,028
घरेलू एल·पी जी	2,698
योग	12,912

*रिफाइनरी छूट, तेल बांडों और अपस्ट्रीम सहायता पर विचार किए बना सकल अल्प वसूलियां।

उपर्युक्त के आधार पर, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों की सकल अल्प वसूलियों का वर्तमान वित्तीय वर्ष में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक अनुमान लगाया जा सकता है।

(ख) आई ओ सी ने यह सूचित किया है कि आई ओ सी द्वारा पेट्रोल, डीजल, सा. वि. प्र. मिट्टी तेल और घरेलू एल पी जी की बिक्री पर वर्तमान स्तर पर वहन की जा रही हानि निम्नानुसार है :–

(करोड़ रुपए)

उत्पाद	प्रतिदिन अल्प वसूली सरकारी राजसहायता को निकालकर
पेट्रोल	6.64
डीजल	40.12
सा. वि. प्र. मिट्टी तेल	30.55
घरेलू एल पी जी	15.90

(ग) और (घ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) ने संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों में संशोधन मूल्य में एक अन्य संशोधन के लिए अनुरोध किया है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव उपाय करती रही है कि मूल्य वृद्धि के कारण आम आदमी को कोई परेशानी न हो। सरकार ने आम आदमी और समाज के गरीब तबकों के हितों की रक्षा करने के लिए तीन पणधारकों नामतः उपभोक्ताओं, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कंपनियों और सरकार के बीच समान भार वहन का सिद्धांत अपनाया है। सरकार अंतरराष्ट्रीय तेल मूल्यों की ध्यानपूर्वक निगरानी कर रही है और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना जारी रखेगी।

डाकघरों के माध्यम से आरक्षित टिकटों की बिक्री

685. श्री चन्द्रभूषण सिंह :
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने डाकघरों के माध्यम से रेल टिकटों की बिक्री के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में रेल टिकटों को जारी करने के लिए अभी तक कितने डाकघरों को चुना गया है;

(घ) क्या रेलवे की अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए उक्त प्रणाली शुरू करने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) डाकघरों के माध्यम से आरक्षित रेल टिकटों की बिक्री के लिए रेल मंत्रालय और डाक विभाग, भारत सरकार के बीच 31 जुलाई, 2007 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। डाक विभाग टिकटें जारी करने के बदले यात्रियों से निम्नलिखित सेवा प्रभार वसूल करेंगे :–

क्र.सं.	कोटि	प्रति टिकट सेवा प्रभार (रुपए)
1.	द्वितीय श्रेणी स्लीपर तथा द्वितीय श्रेणी सीट (2 एस)	15*
2.	III ए सी तथा ए सी कुर्सीयन	20*
3.	II ए सी, I ए सी तथा प्रथम श्रेणी	30*
4.	रद्दीकरण प्रभार (सभी श्रेणियों के लिए)	10*

* नोट : प्रभारों में सर्विस टैक्स शामिल है।

(ग) अभी तक इस प्रयोजन के लिए 28 डाकघरों का चयन किया गया है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

नए विमानों को शामिल किया जाना

686. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील :
श्री प्रहलाद जोशी :
श्री असादूद्दीन ओवेसी :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के बेड़े में नए विमानों को शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कुल कितना व्यय हुआ है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) अब कुल कितने विमान उड़ान प्रचालन में हैं;

(घ) क्या भविष्य में और विमानों, यदि कोई हों, को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) प्रचालन में विमानों की औसत उड़ान अवधि कितनी है;

(च) क्या नए विमानों की खरीद के कारण पुराने विमानों को प्रचालन से हटा लिया जाएगा; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। दोनों एयरलाइनें अपने बेड़े में नए विमान शामिल करने की प्रक्रिया में हैं। एयर इंडिया ने 34,615/–करोड़ रुपए की लागत पर 68 विमानों की खरीद के लिए मैसर्स बोइंग कम्पनी के साथ एक क्रय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें एयर इंडिया के लिए 8 एक्स बी–777–200 एलआर, 15 एक्स बी 777–300 ईआर और 27 एक्स बी 787–8 विमान एवं एयर इंडिया चार्टर लिमिटेड (एयर इंडिया की सहायक कंपनी) के लिए 18 एक्स बी 737–800 डब्ल्यू विमान शामिल हैं। इसी प्रकार से इंडियन एयरलाइंस ने 10,169 करोड़ रुपए की लागत पर 43 एयरबस विमान प्राप्त करने के लिए मैसर्स एयरबस इंडस्ट्रीज एण्ड सी.एफ.एम. इंटरनेशनल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें 19 ए–319, 4 ए–320 एवं ए–321 विमान शामिल हैं।

(ग) इस समय, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस की सहायक कम्पनियों सहित, क्रमशः 52 और 76 विमान इनके पास हैं।

(घ) एयर इंडिया और इसकी सहायक कम्पनी सहित, आदेशित 68 विमानों में से 11 विमान बेड़े में शामिल कर लिए गए हैं और 57 विमानों को वर्ष 2011 तक शामिल किया जाना है। इंडियन एयरलाइंस के संबंध में, आदेश दिए गए 43 विमानों में से इसने 3 विमानों की डिलीवरी ले ली है तथा 40 विमानों की डिलीवरी अप्रैल, 2010 तक कर दी जाएगी। इंडियन एयरलाइंस (एलाइंस एयर सहित) लीज़ आधार पर 5 विमान और शामिल करने की योजना बना रही है।

(ङ) एयर इंडिया एवं इंडियन एयरलाइंस के विमानों की औसत आयु क्रमशः 15.4 वर्ष एवं 18.1 वर्ष है।

(च) और (छ) बेड़ा विस्तार कार्यक्रम में, कुछ पुराने विमानों को हटा लिए जाने सहित चरणबद्ध तरीके से विमान शामिल करने की परिकल्पना की गई है। इंडियन एयरलाइंस जबकि, एलाइंस एयर द्वारा प्रचालित 3 ए–300, 11 बी 737–200 एवं 2 डोनियर डीओ – 228 विमानों को हटाने का प्रस्ताव कर रही है, वहीं एयर इंडिया 6 ए 310–300 एवं 2 बी 747–300 विमानों को हटाने का प्रस्ताव कर रही है।

आई.जी.आई. विमानपत्तन पर वाहनों की भिड़न्त

687. **श्री जे.एम. आरून रशीद :**
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन (आई जी आई) पर दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या विमानपत्तन पर कोई यातायात योजना बनाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विमानपत्तन के भीतर प्रतिदिन कितने वाहन चलते हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त विमानपत्तन के लिए कब तक यातायात योजना तैयार और कार्यान्वित कर दी जाएगी?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क), (ख), (ग) और (ङ) इंदिरागांधी अंतरर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विगत हाल में दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (डायल) ने एप्रन पर यात्रियों/ड्राइवरों आदि की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं –

1. वाहनों के संचलन की मानिटरिंग/नियंत्रण के लिए स्पीडगन का प्रयोग,
2. एप्रन की नियमों तथा विनियमों को लागू करने के लिए एयरसाइड मानिटरिंग तथा निरीक्षण जीपों को तैनात करना,
3. कुछ दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में गति पर प्रतिबंध अर्थात 30 कि. मी. प्रति घंटा से 15 किमी. प्रति घंटा,
4. गति सीमा से संबंधित अतिरिक्त सूचना चिन्हों का संस्थापन
5. वाहनों/उपकरणों के प्रवेश/निकास को नियंत्रित करने के लिए संवेदनशील उपकरण पार्किंग क्षेत्रों की बाढ़ लगाना
6. वाहनों के संचलन को कम करने के लिए एप्रन क्षेत्र का पुनःअभिकल्पन।

(घ) इंदिरागांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर मोटरीकृत वाहनों के लिए 1693 एयरपोर्ट ड्राइविंग परमिट जारी किए गए हैं। बहरहाल ये सभी वाहन रोजाना एक ही समय पर प्रचालित नहीं होते हैं।

[हिन्दी]

मॉन्ट्रियल पर्यावरण कन्वेंशन के अनुसार वातानुकूलित डिब्बों को शामिल किया जाना

688. श्री रशीद मसूद : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने मॉन्ट्रियल पर्यावरण कन्वेंशन के अनुपालन में 10 हजार वातानुकूलित डिब्बों को चरणबद्ध रूप से हटाए जाने के लिए एक नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने मौजूदा वातानुकूलित डिब्बों को ऐसे डिब्बों में बदले जाने की संभावना पर विचार किया है जिन्हें पर्यावरणानुकूल आर–134ए गैस से चलाया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) जी हां। रेलवे ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकाल का अनुसरण करने की दृष्टि से 780 एयर कंडीशंड (ए सी) को सेवा से हटाने/आर–134 एक रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल करके उन्हें आशोधित करने की योजना बनाई है ताकि 2010 तक आर–12 रेफ्रिजरेंट का बदलाव किया जा सके। वर्ष 1994 के बाद रेलवे ने पर्यावरण के अनुकूल रेफ्रिजरेंट आर–22 वाले ए सी सवारी डिब्बों का ही विनिर्माण किया है; मॉन्ट्रियल प्रोटोकाल के अनुसार जिसका इस्तेमाल 2040 तक अनुमेय है और ऐसे सवारी डिब्बों की मौजूदा संख्या लगभग 4200 है।

[अनुवाद]

ट्रेनों के प्रचालन का निजीकरण

689. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी :
श्री सी.के. चन्द्रप्पन :
श्री बाडिगा रामकृष्णा :
श्री मिलिन्द देवरा :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे देश के कुछ शहरों में कुछ उपनगरीय ट्रेनों का सरकारी–निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) के माध्यम से निजीकरण करने की योजना बना रही है, जैसाकि दिनांक 7 जुलाई 2007 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ पहचान की गई ट्रेनों/क्षेत्रों और शहरों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपनगरीय ट्रेनों के प्रचालन का निजीकरण करने अथवा इसके लिए निजी भागीदारी आमंत्रित करने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में स्मारकों का सर्वेक्षण

690. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश में स्मारकों का सर्वेक्षण करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ग) जी नहीं। आंध्र प्रदेश में स्मारकों का सर्वेक्षण करना राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। तथापि, स्मारक और पुरावशेष संबंधी राष्ट्रीय मिशन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जिसकी नोडल एजेंसी है, को आंध्र प्रदेश सहित समस्त देश में सर्वेक्षण करने तथा पाए गए स्मारकों के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर डाटावेस तैयार करने का आदेश प्राप्त है।

विमानपत्तनों पर सुरक्षा

691. श्री निखिल चौधरी :
श्री अधीर चौधरी :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आतंकवादियों के खतरे और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की बार–बार चेतावनियों के बावजूद एयरलाइनें बिना रोक–टोक के लगातार सुरक्षा लागत बिलों में कटौती कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने विभिन्न विमानपत्तनों पर पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो खतरे की आशंकाओं से निपटने के लिए विमानपत्तनों पर पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु क्या योजनाएं तैयार की गई हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, नहीं। सभी एयरलाइनों के लिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) द्वारा विमानन सुरक्षा के लिए सभी सिफारिशों का अनुपालन

करना अनिवार्य है। बीसीएएस नियमित आडिट तथा निरीक्षणों के माध्यम से अनुपालन किए जाने की मानीटरिंग करती है।

(ग) सरकार द्वारा स्वीकृत नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम के अनुपालन में विमानन सुरक्षा पर प्रक्रियाओं तथा उपायों के निर्धारण के माध्यम से नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने विमानन सुरक्षा को विनियमित करने के लिए पर्याप्त तथा प्रभावी कदम उठाए हैं।

(घ) खतरों की संभावनाओं से निपटने के लिए हवाई अड्डों पर पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए निम्नलिखित योजनाएं तैयार की गई हैं।

(i) नागर विमानन प्रचालनों में गैर कानूनी हस्तक्षेपों से निपटने के लिए आपात कालीन योजना को देश के सभी हवाई अड्डों में परिचालित किया गया है ताकि हर समय किसी गैर कानूनी हस्तक्षेप के प्रति वे तैयार रह सकें।

(ii) किसी आपात कालीन स्थिति से प्रभावपूर्ण ढंग से निपटने के लिए आतंकवाद निपटान योजना भी तैयार की गई है।

(iii) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो प्रत्येक वर्ष में राष्ट्रीय विमान सुरक्षा गुणवत्ता योजना भी तैयार करती है।

[हिन्दी]

बहुमूल्य किताबें और पाण्डुलिपियां

692. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले दो दशकों से कश्मीर घाटी में चल रहे आतंकवाद के कारण हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा रही दुर्लभ तथा बहुमूल्य किताबें और पाण्डुलिपियां नष्ट हो गई हैं, जैसाकि दिनांक 18 मई, 2007 के "जनसत्ता" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार उन्हें संरक्षित रखने के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) उग्रवाद के कारण कश्मीर घाटी में पांडुलिपियों की क्षति की सीमा का आकलन करने के लिए सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) संस्कृति मंत्रालय के तहत् राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य में पांडुलिपियों का पता लगाने और उनका प्रलेखन करने के लिए राज्य पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय निदेशालय के साथ सहयोग किया है। मिशन में इस राज्य में 163 पांडुलिपि भंडारों में 22,000 से अधिक पांडुलिपियों के बारे में सूचना एकत्र की है जिसे मिशन की पांडुलिपियों में विहित ज्ञान के संरक्षण हेतु मिशन ने पांडुलिपियों के डिजीटीकरण का एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसके तहत् जम्मू कश्मीर राज्य से दुर्लभ पांडुलिपियों के 14 लाख से अधिक पन्नों का पहले डिजिटीकरण किया जा चुका है। भंडारों के मालिकों को उनके पांडुलिपि संग्रहों के संरक्षण की पद्धति के संबंध में उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए मिशन द्वारा जनजागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय संस्कृति नीति

693. श्री सनत कुमार मंडल :
श्री बाडिगा रामकृष्णा :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय संस्कृति नीति बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो समिति के विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो नीति में प्रस्तावित मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) जी, हां।

(ख) विचारार्थ विषयों का मसौदा इस प्रकार है :–

(i) संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की कार्य सीमा और भूमिका का अध्ययन करना।

(ii) विभिन्न संस्थानों के दायित्व का मूल्यांकन करना और उन्हें, बदले परिदृश्यों तथा प्राथमिकताओं के अनुरूप तैयार करने की आवश्यकता की जांच करना।

(iii) अन्य क्षेत्र के साथ सम्पर्कों के संभावित क्षेत्रों का अध्ययन करना।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए छात्रवृत्ति योजना

694. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए उच्चतर शिक्षा हेतु एक छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी है जैसाकि दिनांक 1 अगस्त, 2007 के 'द हिन्दु' में समाचार प्रकाशित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत प्रत्येक छात्र को कितनी धनराशि दी जाएगी तथा इससे कितने छात्रों को लाभ मिलने की संभावना है; और

(घ) उक्त छात्रवृत्ति योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (घ) जी हां। केन्द्र सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित छात्रों के लिए 12वीं कक्षा से आगे उच्चतर शिक्षा के लिए नई छात्रवृत्ति योजनाएं घोषित की हैं। ये योजनाएं चालू शैक्षिक वर्ष से लागू की गई हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ऐसे छात्र जो अधिसूचित संस्थानों में प्रवेश लेंगे और जिनकी कुल पारिवारिक आय 2.00 लाख रुपए प्रति वर्ष है, उन्हें (i) ट्यूशन फीस और अन्य अप्रतिदेय प्रभार (ii) भोजन तथा आवास खर्चे (iii) पुस्तकें और लेखन सामग्री तथा (iv) सभी आवश्यक अनुषंगियों सहित नवीनतम कंप्यूटर की लागत को पूरा करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। नई योजनाओं के अंतर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन के प्रथम वर्ष में अनुसूचित जाति के 1,220 छात्रों और अनुसूचित जनजाति के 635 छात्रों के लाभान्वित होने की संभावना है।

पुराने विमानों को बदला जाना

695. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया के पुराने विमान कभी-कभी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन विमानों को कब तक तथा किस प्रकार बदले जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, जैसे-जैसे विमान पुराने होते जाते हैं विमान में होने वाली टूट-फूट तथा चक्रीय भार की वजह से विमानों के पुर्जों तथा ढांचागत हिस्सों में कुछ खामियां उत्पन्न होने लगती हैं। समय-समय पर विमान निर्माता प्रत्येक श्रेणी के विमानों के लिए अनुरक्षण अपेक्षाएं निर्धारित करते रहते हैं। नागर विमानन महानिदेशालय सुनिश्चित करता है कि प्रचालक अपने विमानों के अनुरक्षण के लिए निर्माताओं के अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन करें। इस प्रकार एअर इंडिया के प्रत्येक विमान को विमान निर्माताओं के अनुदेशों के अनुसार अनुरक्षित किया जाता है और प्रचालनों के लिए उड़नयोग्य तथा सुरक्षित समझा जाता है। अपने बेड़े के आधुनिकीकरण के लिए एअर इंडिया अपने बेड़े में नए विमान शामिल करने की प्रक्रिया में है तथा इसने 68 विमानों की खरीद के लिए मैसर्स बोईंग के साथ एक खरीद करार हस्ताक्षरित किया है। उपरोक्त बेड़ा विस्तार कार्यक्रम में वर्ष 2011 तक चरणबद्ध तरीके से विमानों को शामिल किए जाने तथा कुछ अपेक्षाकृत पुराने विमानों को बेड़े से बाहर किए जाने की भी अभिकल्पना की गई है।

[हिन्दी]

पेट्रोल पंपों के आबंटन में भ्रष्टाचार

696. श्री रामदास आठवले : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पेट्रोल पंपों तथा गैस एजेंसियों के आबंटन में भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों को देखते हुए विभिन्न डीलर चयन बोर्डों के कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे चयन बोर्डों का ब्यौरा क्या है जिनके कार्य पर प्रतिबंध लगाया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (घ) पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के चयन/आबंटन के विरुद्ध अनियमितताओं के बारे में सरकार को समय समय पर शिकायतें मिलती हैं।

सरकार द्वारा तय किए गए कतिपय व्यापक प्राचलों के आधार पर 1.4.2002 से प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (ए पी एम) के समाप्त होने के बाद, सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियां (ओ एम सीज) खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप तथा एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के चयन/नियुक्ति के इन दिशा-निर्देशों में, जो निष्पक्ष और पारदर्शी प्रकृति के हैं, डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर का चयन करने में ओ एम सीज द्वारा पालन किए जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है और साथ ही इसमें शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान भी है।

प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था के समाप्त किए जाने से पहले डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन पूर्व डीलर चयन बोर्डों (डी एस बी) द्वारा किया जाता था। ए पी एम के पश्चात डी एस बीज को मई, 2002 में बंद कर दिया गया था और डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन अब संबंधित ओ एम सीज के अधिकारियों की डीलर चयन समितियों द्वारा किया जाता है। साक्षात्कार के लिए चयन समिति स्थायी नहीं होती है और इसे किसी चयन विशेष के लिए ही मनोनीत किया जाता है।

[अनुवाद]

जम्मू-कटरा रेल लाइन की स्थिति

697. चौधरी लाल सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पठानकोट–जम्मू–उधमपुर रेल लाइन पर मानवरहित रेल समपारों की संख्या कितनी है तथा इन समपारों पर दुर्घटना की किसी संभावना को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) आज की तिथि के अनुसार जम्मू–कटरा तथा बारामूला–उरी रेल लाइनों की स्थिति क्या है;

(ग) इन्हें कब तक प्रचलनात्मक बनाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) पठानकोट–जम्मूतवी–ऊधमपुर रेल लाइन पर 11 बिना चौकीदार वाले समपार हैं। रेलवे इन समपारों पर किसी प्रकार की संभावित दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए संरक्षा के निम्नलिखित उपाय कर रही है :–

1. सड़क सतह का उचित ढंग से रख–रखाव।
2. सड़क ढाल का उचित रख–रखाव।
3. पहुंच मार्गों पर गतिरोधक की व्यवस्था।
4. सड़क चेतावनी साइन बोर्डों की व्यवस्था।
5. निर्धारित मापदंडों के आधार पर बिना चौकीदार वाते समपारों पर चौकीदार की तैनाती करना।

(ख) और (ग) जम्मू से ऊधमपुर तक के रेल लाइन को यातायात के लिए खोल दिया गया है। ऊधमपुर–कटरा रेल लाइन कार्य को दिसम्बर, 2008 तक पूरा करने का लक्ष्य है। बारामुला–ऊरी एक स्वीकृत कार्य नहीं है।

ओ.एन.जी.सी. द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन में बढ़ोतरी

698. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओ एन जी सी) का विचार कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ओ.एन.जी.सी. द्वारा वर्तमान में कितने कच्चे तेल का उत्पादन किया जाता है;

(घ) इसमें कितनी बढ़ोतरी की जाएगी; और

(ङ) कच्चे तेल के उत्पादन के लिए ओ एन जी सी द्वारा क्या वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) जी हां।

ऑयल और प्राकृतिक गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) की अगले तीन वर्षों के लिए कच्चे तेल की उत्पादन संबंधी योजना निम्नानुसार है :–

वर्ष	कच्चे तेल के उत्पादन की योजना मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) में
2007–08	27.160
2008–09	28.001
2009–10	29.003

(ग) ओनएनजीसी का वर्ष 2006–07 में कच्चे तेल का उत्पादन 26.051 एमएमटी था। वर्ष 2007–08 (अप्रैल–जून, 2007) की पहली तिमाही में कच्चे तेल का उत्पादन 6.379 एमएमटी था।

(घ) अगले तीन वर्षों में पिछले वर्ष (2006–07) के उत्पादन के संदर्भ में कच्चे तेल के उत्पादन में बढ़ोतरी की सीमा निम्नलिखित है :–

वर्ष	वर्ष 2006–07 के संदर्भ में कच्चे तेल का उत्पादन में परिकल्पित बढ़ोतरी एमएमटी में
2007–08	1.109
2008–09	1.950
2009–10	2.952

(ङ) ओएनजीसी का वर्ष 2007–08 के लिए कच्चे तेल का वार्षिक उत्पादन लक्ष्य 27.160 एमएमटी है।

मुंबई में लोकल ट्रेनों के यात्रियों की समस्याएं

699. श्री रेवती रमन सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे मुंबई में लोकल ट्रेनों का प्रचालन करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां यात्रियों को पेश आने वाली समस्याओं का पता लगाने के लिए कोई प्रयास किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन समस्याओं को सुलझाने के लिए रेलवे द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जी हां। मुंबई में दैनिक यात्रियों द्वारा झेली जा रही समस्याओं से निपटने के लिए रेलवे उपनगरीय गाड़ियों के फेरों में निरंतर वृद्धि कर रही है और मुंबई क्षेत्र में 9 कार ईएमयू गाड़ियों को 12 कार ईएमयू गाड़ियों में बदला जा रहा है।

रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार दोनों में मल्टी मॉडल मुंबई शहरी यातायात परियोजना (एमयूटीपी) के रेल कम्पोनेंट के क्रियान्वयन के माध्यम से मुंबई उपनगरीय रेलवे प्रणाली में नवीकरण करने के लिए पहले ही कदम उठाए गए हैं। इस प्रणाली के पीछे निम्नलिखित उद्देश्य हैं :–

(i) व्यस्त अवधि व व्यस्त दिशा में भीड़ को कम करने के लिए मौजूदा लगभग 5000 यात्रियों की अपेक्षा 9 कार वाली गाड़ी में 3000 यात्रियों की व्यवस्था और (ii) मुख्य लाइन यात्री गाड़ी और माल सेवाओं वाली गाड़ी से उपनगरीय गाड़ी परिचालन को अलग–अलग रखना।

मल्टी मॉडल मुंबई शहरी यातायात परियोजना (एमयूटीपी) चरण–I 3125.20 करोड़ रु. की लागत पर स्वीकृत हुई थी। एमयूटीपी चरण–I से निम्नलिखित लाभ प्राप्त हो रहे हैं:–

(i) 550 नई गाड़ियां – प्रतिदिन कुल गाड़ियों में 25 प्रतिशत की वृद्धि।

(ii) तेज गति वाली लाइन पर सभी गाड़ियां 12 कारों की होंगी। धीमी गति वाली लाइन पर 12 कारों की 20 प्रतिशत गाड़ियां होंगी।

(iii) प्रतिदिन वाहन कि.मी. में 33 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

(iv) व्यस्त अवधि और व्यस्त दिशा के दौरान अधिक भीड़ मौजूदा 5000 दैनिक यात्रियों से घटकर प्रति 9–कार रेक 3600 दैनिक यात्री हो जाएगी।

हावेरी में राष्ट्रीय राजमार्ग-4 पर रेल उपरिपुल

700. श्री मंजुनाथ कुन्नुर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हावेरी जिला, कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग–4 पर 321 तथा 328 कि.मी. में रेल समानान्तर–लाइन पर रेल उपरिपुल का निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त पुल पर कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) राष्ट्रीय राजमार्ग–4 के एन एच चैनैज 311 और 328 पर समपार सं. 234 और 222 के स्थान पर दो ऊपरी सड़क पुलों का निर्माण किया जा रहा है। 321 कि.मी. पर किसी ऊपरी सड़क पुल का निर्माण नहीं किया जा रहा है।

(ख) इन कार्यों को, रेलवे के हिस्से सहित, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि संविदागत समस्या के कारण इन कार्यों के ठेके रद्द करने पड़े थे। निविदाएं पुनः आमंत्रित की गई हैं और एनएचएआई द्वारा ठेके प्रदान किए जाने के बाद निर्माण कार्य आरंभ किए जाएंगे।

(ग) एनएचएआई के पदाधिकारियों ने बताया है कि ठेके प्रदान किए जाने के एक वर्ष बाद यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

टी.आर.आई.पी.एस. समझौता

701. श्री रनेन बर्मन : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार टी.आर.आई.पी.एस. समझौते के अनुच्छेद 39.3 के अनुसार आंकड़ों की सुरक्षा से संबंधित कोई कदम उठाने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार द्वारा विशिष्ट रूप से कृषि रसायनों के आंकड़े देने पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) से (ग) वाणिज्य विभाग के सुझाव के अनुसार कृषि रसायनों एवं औषधों के संबंध में अघोषित सूचना की रक्षा के लिए ट्रिप्स समझौते की धारा 39.3 के प्रावधानों के संदर्भ में सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की जांच करने के लिए रसायन और पेट्रोरसायन विभाग द्वारा 19.2.2004 को सचिव, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग की अध्यक्षता में एक अन्तर–मंत्रालयी

परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट 31.5.2007 को वाणिज्य विभाग को सौंप दी गई है और यह रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग की वेबसाइट www.Chemicals.gov.in पर भी उपलब्ध है।

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में बढ़ोतरी

702. श्री तथागत सत्पथी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों के एक और संशोधन की पुनः मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में पूर्व में किए गए संशोधन के कारण उपभोक्ताओं पर पड़े भारी बोझ की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने तथा पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में बढ़ोतरी पर विलम्बन लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) ने संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों नामतः पेट्रोल, डीजल, पी डी एस मिट्टी तेल और घरेलू एल पी जी के मूल्यों में, इन उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि के कारण, एक और संशोधन की मांग की है। अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में वृद्धि के आधार पर ओ एम सीज इन उत्पादों के विपणन पर अल्पवसूलियां झेल रही हैं। वर्ष 2007–08 की प्रथम तिमाही के लिए संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री पर तेल विपणन कंपनियों की अनुमानित कुल अल्प वसूलियां निम्नवत् हैं –

(करोड़ रुपए)

अल्प वसूली *	अप्रैल–जून, 07 (अनन्तिम)
पेट्रोल	1,553
डीजल	4,633
पी डी एस मिट्टी तेल	4,028
घरेलू एल पी जी	2,698
योग	12,912

* रिफाइनरी छूट, तेल बाण्ड और अपस्ट्रीम सहायता को गणना में लिए बिना कुल अल्प वसूलियां।

(ग) और (घ) चूंकि तेल मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि का पूरा बोझ उपभोक्ताओं पर डालने से घरेलू मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हो जाती इसलिए सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव उपाय करती है कि मूल्य वृद्धि के कारण आम आदमी को कोई कठिनाई न हो। सरकार ने आम आदमी और समाज के कमजारे वर्गों के हित की रक्षा के लिए तीनों पणधारकों नामतः उपभोक्ताओं, पी एस यू तेल कंपनियों और सरकार के बीच समान बोझ हिस्सेदारी के सिद्धांत को अपनाया है। सरकार अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों की ध्यानपूर्वक निगरानी कर रही है और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना जारी रखेगी।

[हिन्दी]

पेट्रोल पंपों का खोला जाना

703. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :
श्री संजय धोत्रे :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एन आर एल) द्वारा देश में खोले जा रहे पेट्रोल पंपों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस रिफाइनरी लिमिटेड का महाराष्ट्र में पेट्रोल पंप खोलने का विचार है;

(ग) पेट्रोल पंपों के संबंध में इस कंपनी द्वारा क्या दिशानिर्देश जारी किए गए हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) 31.7.2007 की स्थिति के अनुसार, नुमालीगढ़ रिफानरी लिमिटेड (एन आर एल) ने देश में 74 खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित किए हैं। राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) इस समय एन आर एल की महाराष्ट्र राज्य में खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना नहीं है।

(ग) और (घ) एन आर एल पारदर्शी और एक समान डीलर चयन प्रक्रिया अपनाती है जो सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों (ओ एम सीज) अर्थात इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि. (आई ओ सी), भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी पी सी एल) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच पी सी एल) द्वारा अपनाए जा रहे मार्गदर्शी सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के अनुरूप हैं। खुदरा बिक्री केन्द्र देने के लिए एन आर एल द्वारा अपनाए जा रहे मार्गदर्शी सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के ब्यौरों का पर्याप्त प्रचार किया जाता है जो एन आर एल की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डाट. एन आर एल डाट सी ओ डाट. इन पर उपलब्ध है।

विवरण

31.07.2007 की स्थिति के अनुसार देश में एन आर एल द्वारा स्थापित खुदरा बिक्री केन्द्रों का ब्यौरा।

क्र.सं.	राज्य का नाम	खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या
1	2	3
1.	असम	21
2.	मेघालय	13
3.	नागालैण्ड	2
4.	मणिपुर	5
5.	अरुणाचल प्रदेश	1
6.	पश्चिम बंगाल	2
7.	उड़ीसा	1
8.	आंध्र प्रदेश	2
9.	बिहार	1
10.	हरियाणा	8
11.	दिल्ली	1
12.	राजस्थान	10
13.	उत्तर प्रदेश	6
14.	उत्तरांचल	1
	कुल योग	74

वृद्धाश्रमों के निर्माण हेतु धनराशि

704. श्री गणेश सिंह : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने वृद्धाश्रम तथा दैनिक परिचर्या (डे केयर) केन्द्रों को चलाने तथा वृद्धाश्रमों के लिए भवनों के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (ग) जी, हां। संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार वर्ष 2007–08 के दौरान कुछ राज्य सरकारों से वृद्धावस्था गृहों और दिवा देखभाल केन्द्रों को चलाने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रस्तावों की प्राप्ति और समेकित आंतरिक वित्त प्रभाग के परामर्श से उन पर विचार करना एक सतत प्रक्रिया है।

विवरण

वर्ष 2007–08 के दौरान राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य का नाम	प्रस्ताव की संख्या		ओ.ए.एच	डीसीसी
		चल रही परियोजनाएं	नई परियोजनाएं		
1.	पश्चिम बंगाल	8	7	11	2
2.	हरियाणा	15	14	11	15
3.	तमिलनाडु	48	3	42	5
4.	राजस्थान	3	7	9	1
5.	मिजोरम	0	4	0	4
6.	उड़ीसा	92	22	48	62
7.	कर्नाटक	21	4	23	1
8.	महाराष्ट्र	8	0	2	4
9.	गुजरात	0	8	5	0
	कुल	195	69	151	94

एच.पी.सी.एल. तथा बी.पी.एल. द्वारा अर्जित लाभ

705. श्री मित्रसेन यादव : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच पी सी एल) तथा भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी पी सी एल) द्वारा कुल कितना लाभ अर्जित किया गया है;

(ख) क्या वर्ष 2005–06 के दौरान इन दोनो कंपनियों का कुल कितना लाभ कम हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त दो कंपनियों के राजस्व और लाभ को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच पी सी एल) और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी पी सी एल) द्वारा विगत तीन वर्षों में अर्जित कर पश्चात शुद्ध लाभ के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) वर्ष 2005–06 के दौरान इन दोनों कंपनियों के शुद्ध लाभ में गिरावट आई है जिसका कारण अन्तर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि होना और अति संवदेनशील पेट्रोलियम उत्पादों जैसे पेट्रोल, डीजल, पी डी एस मिट्टी तेल और घरेलू एल पी जी के घरेलू बिक्री मूल्य में सदृश वृद्धि नहीं किया जाना था।

(ङ) उक्त दोनों कंपनियों का राजस्व और लाभ बढ़ाने के लिए सरकार ने तेल बांड जारी किए हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों 2004–05, 2005–06 और 2006–07 के दौरान हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. (एच पी सी एल) और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी पी सी एल) द्वारा अर्जित लाभ

क्र.सं.	तेल विपणन कंपनियों के नाम	कर पश्चात लाभ (करोड़ रुपयों में)		
		2004–05	2005–06	2006–07
1.	एच पी सी एल	1277.33	405.63	1571.17
2.	बी पी सी एल	965.80	291.65**	1805.48**

** कोच्चि रिफाइनरी लि. के बी पी सी एल के साथ विलय के अनुसरण में कोच्चि रिफाइनरी (के आर एल) सम्मिलित है।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों पर सुरक्षा हेतु प्रौद्योगिकी

706. श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के सभी घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर प्रभावी सुरक्षा के लिए उच्च प्रौद्योगिकी वाली विधियां शुरू करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन विधियों को देश के सभी विमानपत्तनों पर कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) पूरे देश में उच्च प्रौद्योगिकी वाली विधियों के कार्यान्वयन पर अनुमानतः कितनी लागत आने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सभी प्रचालनात्मक एयरपोर्टों प्रचालकों द्वारा विस्फोटक खोजी, बम डिस्पोजल उपकरण, पेरीमीटर, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम (पीआईडीएस) स्मार्टकार्ड एवं बायोमैट्रिक्स आधारित प्रवेश नियंत्रण प्रणाली, इंटीग्रेटेड एक्स–रे बैगेज स्क्रीनिंग सिस्टम इत्यादि जैसी नई तकनीकों पर आधारित सुरक्षा उपकरणों एवं प्रणालियों को अनिवार्य रूप से लगाए जाने एवं प्रचालित किए जाने की सिफारिश की गई है। सुरक्षा तंत्र को भी क्लोज सर्किट टेलीविजन निगरानी (सीसीटीवी) द्वारा इंट्रीगेट एवं इंटरफेस किया गया है। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने प्रत्येक एयरपोर्ट को होने वाले खतरे की संभावना को देखते हुए उनके द्वारा सिफारिश किए गए सुरक्षा उपकरणों एवं तंत्रों के लिए तकनीकी निर्देश जारी किए हैं। सभी संबंधित एयरपोर्ट प्रचालकों/एजेंसियों को तदनुसार सुरक्षा तकनीक का उन्नयन करने के लिए तत्काल आवश्यक कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं।

(घ) इन–लाइन एक्स बी आई एस दिए गए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्टों के लिए आर्डर के मूल्य का अनुमान 45 करोड़ रुपये लगाया गया है।

एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर – मौजूदा कस्टम ड्यूटी को मिलाकर लगभग 91.0 करोड़ रुपये का आर्डर दिया गया है।

अन्य सुरक्षा उपकरण लगाए जा रहे हैं और संभावित लागत निम्नानुसार है –

जीसीटीवी	–	70 करोड़ रुपये (अनुमानतः)
मेटल डिटेक्टर	–	577 करोड़ रुपये (अनुमानतः)
एक्स रे बैगेज इस्पेक्शन प्रणाली	–	140 करोड़ रुपये (अनुमानतः)

राष्ट्रीय धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट

707. श्री असादुद्दीन ओवेसी :
श्री हंसराज गं. अहीर :

क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक आयोग (एन सी आर एल एम) ने सरकार को अपनी रिपोर्ट भेज दी है;

(ख) यदि हां, तो आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कोई कार्यवाही शुरू नहीं की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस रिपोर्ट को कब तक सार्वजनिक किए जाने की संभावना है तथा इसमें जिन सिफारिशों का सुझाव दिया गया है उन्हें कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए. आर. अंतुले) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) राष्ट्रीय धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक आयोग की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

हाइड्रोजन ईंधन आधारित प्रौद्योगिकी

708. श्री अबु अयीश मंडल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाइड्रोजन ईंधन आधारित प्रौद्योगिकी के विकास हेतु रूप–रेखा तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो पूरे देश में हाइड्रोजन ईंधन सेल्स आधारित ऑटोमोटिव प्रणालियों को कब तक लागू किया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में निजी–सरकारी भागीदारी के साथ प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) भारत में हाइड्रोजन ऊर्जा के विकास के लिए नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड के मार्गदर्शन में एक राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा रोड मैप तैयार किया गया है। देश में इस रोड मैप में हाइड्रोजन ईंधन द्वारा चालित वाहनों को क्रमिक आधार पर आरंभ करने की परिकल्पना की गई है और वर्ष 2020 तक लगभग एक मिलियन हाइड्रोजन ईंधन द्वारा चालित वाहनों के भारतीय सड़कों पर आने की संभावना है। इनमें से अधिकांश वाहनों के इंटरनल कंबस्टन (आई सी) इंजिन प्रौद्योगिकी पर आधारित होने की संभावना है। इस समय ईंधन सैल आधारित मोटरवाहन बहुत महंगे हैं, इसलिए ये लागत प्रतिस्पर्धी होने से पहले बहुत लम्बा समय ले सकते हैं।

(ग) राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा रोड मैप में अनुसंधान, विकास तथा प्रदर्शन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सरकारी–निजी भागीदारी पद्धति अभिज्ञात की गई है। वाहनों में हाइड्रोजन सी एन जी मिश्रण आरंभ करने के बारे में सरकारी निजी भागीदारी की पहली परियोजना नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 2007–08 के दौरान इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्यूफैक्चर्स सोसायटी (एस आई ए एम) और इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा आरंभ किए जाने की योजना है। पांच प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियां इस परियोजना में भागीदारी करेंगी। चूंकि उद्योग/उद्योग संघों द्वारा परियोजनाएं सरकारी निजी साझेदारी के लिए तैयार की जाती हैं, इसलिए इनके कार्यान्वयन पर भी विचार किया जा सकता है।

निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 में संशोधन

709. श्री पी.सी. गद्दीगउडर : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 'निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995' में संशोधन की प्रक्रिया में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस अधिनियम में संशोधन करने के विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इसमें तेजी लाने के लिए क्या कार्य योजना तैयार की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (ग) जैसा कि राष्ट्रीय निःशक्त व्यक्ति नीति में दर्शाया गया है, अधिनियम में संशोधन के लिए दावाधारकों से परामर्श की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। पटना और चेन्नई में दो परामर्श बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। निःशक्तता क्षेत्र में गैर–सरकारी

संगठनों की मांग पर संशोधन की प्रक्रिया को संयुक्त राष्ट्र अभिसमय को अंतिम रूप दिए जाने तक स्थगित रखा गया। भारत द्वारा इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद संशोधन की प्रक्रिया पुनः शुरू कर दी गई है। तीसरी परामर्श बैठक दिल्ली में 14 अगस्त, 2007 को आयोजित की गई है।

पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल में मिलावट

710. **श्री बाडिगा रामकृष्णा :**
श्री पुष्प जैन :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी मिली है कि देश में पेट्रोल पंप मालिकों तथा उच्चाधिकारियों की मिली–भगत के कारण बड़े पैमाने पर पेट्रोल और डीजल में मिलावट की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि मिलावट के कारण चलते वाहनों में आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं;

(घ) यदि हां, तो पेट्रोल, डीजल तथा मिट्टी के तेल में गिरावट रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम/नई प्रौद्योगिकियां अपनाई गई हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों में मिलावट के कितने मामलों की सूचना मिली है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) पेट्रोल/डीजल और बाजार में उपलब्ध विभिन्न अपमिश्रकों के मूल्य के बीच भारी अंतर और पेट्रोल/डीजल में इन उत्पादों के आसानी से घुल जाने के कारण कुछ बेईमान तत्वों द्वारा पेट्रोल/डीजल में मिलावट की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। सरकार को इस संबंध में पेट्रोल पंप मालिकों और तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज़) के उच्चाधिकारियों की किसी प्रकार की मिलीभगत की जानकारी नहीं है।

(ग) तेल विपणन कंपनियों ने सूचित किया है कि उनके पास मिलावट के कारण वाहनों में आग लगने की बढ़ती घटनाओं की किसी प्रकार की रिपोर्ट नहीं है।

(घ) ऑटो ईंधनों में मिलावट तथा पीडीएस मिट्टी तेल के विपथन की जांच के उद्देश्य से, सरकार ने तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज़) को मिलावट की शिकायतों की रोकथाम हेतु विभिन्न कदम उठाने के लिए कहा है :–

(i) अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत ईंधन मिलावट की रोकथाम करने के लिए सरकार द्वारा जारी किए नियंत्रण आदेशों के तहत राज्य सरकारें मिलावट में लिप्त होने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए शक्ति प्रदत्त हैं। सरकार ने राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों से मिलावट को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया है।

(ii) ओ एम सीज खुदरा बिक्री केन्द्रों का नियमित और औचेक निरीक्षण करती हैं और मिलावट एवं कदाचारों में लिप्त होने वालों के विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों (एम डी जी) और डीलरशिप करारों के अंतर्गत कार्रवाई भी करती हैं। एम डी जी में मिलावट सिद्ध होने के मामलें में डीलरशिप की समाप्ति का प्रावधान है।

(iii) सरकार ने टैंक ट्रकों की आवाजाही की निगरानी करने के लिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जी पी एस) को लगाने में तेजी लाने के लिए पहल की हैं।

(iv) परिवहनकर्त्ताओं द्वारा बीच रास्ते में मिलावट की रोकथाम करने के लिए ओ एम सीज ने नई टैंपर प्रूफ टैंक ट्रक लाकिंग प्रणाली लागू की है।

(v) मिलावट के लिए एस के ओ के दुरुपयोग/विपथन के मद्देनजर निजी पक्षकारों द्वारा एस के ओ का आयात ओ एम सीज के माध्यम से होता है।

(vi) सरकार द्वारा दी गई सलाह के अनुसार, तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) ने निदेशक (विपणन) के अलावा एक निदेशक को रिपोर्ट करने के लिए एक पृथक विंग का सृजन किया है जो मिलावट की रोकथाम करने के लिए सभी क्रियाकलापों और प्रचालनों की देखरेख और निगरानी करेगा तथा इस संबंध में मानक और दिशानिर्देश विनिर्दिष्ट करेगा।

मिलावट की जांच के लिए सरकार ने हाल ही में कई अतिरिक्त पहलें की हैं जो संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) मिलावट के संदिग्ध मामलों की संख्या तथा ओएमसीज़ द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान मिलावट के कारण रद्द किए गए खुदरा बिक्री केन्द्रों (आरओ) की संख्या निम्नलिखित है :

वर्ष	मिलावट के संबंध मामलों की संख्या	मिलावट के कारण रद्द किए गए खुदरा बिक्री केन्द्रों (आरओ) की संख्या
2004–05	225	19
2005–06	229	38
2006–07	187	79

विवरण

पेट्रोल/डीजल में मिलावट को रोकने और सा.वि.प्र. मिट्टी तेल वितरण को सुप्रावही बनाने के लिए की गई नई पहलों का ब्यौरा।

मिलावट की जांच करना एक सतत प्रक्रिया है और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय समय–समय पर मिलावट को नियंत्रित करने के लिए उपायों की समीक्षा करता रहा है। इस प्रक्रिया में मिलावट को नियंत्रित करने के लिए कई प्रौद्योगिकीय और संस्थागत उपाय किए गए हैं। मंत्रालय द्वारा किए गए हाल के उपाय नीचे संक्षेप में दिए गए हैं –

(1) **खुदरा बिक्री केन्द्रों का स्वचलन :** नवीनतम प्रौद्योगिकीय सुधार अपनाकर खुदरा बिक्री केन्द्रों में क्रियाकलापों की निगरानी करने के लिए उनके स्वचलन को लागू किया जा रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने तेल विपणन कंपनियों को प्रति माह 200 कि.ली. से अधिक की बिक्री करने वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों का स्वचलन पूरा करने के निर्देश दिये हैं।

(2) **खुदरा बिक्री केन्द्रों का तृतीय पक्षकार प्रमाणन :** तेल विपणन कंपनियों को 100 कि.ली. प्रति माह से अधिक बिक्री करने वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों का तृतीय पक्षकार प्रमाणन पूरा करने का निर्देश दिया है।

(3) **जीपीएस के माध्यम से टैंक ट्रकों के संचलन की निगरानी :** परिवहन के दौरान मिलावट रोकने के लिए तेल विपणन कंपनियों को कंपनी के स्वामित्व/डीलर के स्वामित्व/अनुबंधकर्ता के स्वामित्व वाले सभी टैंक ट्रकों के संचलन की पूर्ण निगरानी के लिए जीपीएस की स्थापना करने का निर्देश दिया गया है।

(4) **मिट्टी तेल में मार्कर प्रणाली :** वाहन ईंधनों में मिलावट रोकने के लिए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को विभिन्न उपाय करने को कहा है जिसमें अपमिश्रकों में मार्कर प्रणाली आरंभ करना सम्मिलित है। ओएमसीज ने 1.10.2006 से अखिल भारत आधार पर मिट्टी तेल में मार्कर प्रणाली आरंभ कर दी है। नई प्रणाली के अंतर्गत सभी डिपुओं में मिट्टी तेल में मार्कर डाला जा रहा है। यह प्रणाली संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला में परिवहन ईंधनों में मिलावट नियंत्रित करने और अंततः समाप्त करने के लिए विश्व स्तर की प्रौद्योगिकी का आरंभ किए जाने की द्योतक है। मार्कर की उपस्थिति से मिट्टी तेल में बहुत थोड़ी मिलावट का भी पता लगाया जा सकता है। मिलावट रोकने के लिए मिट्टी तेल में मार्कर प्रणाली आरंभ करने के संबंध में प्रावधान बनाने के लिए एमएस/एचएसडी नियंत्रण आदेश, 2005, मिट्टी तेल नियंत्रण आदेश, 1993 तथा एमडीजी 2005 को संशोधित किया गया है। मार्कर प्रणाली की प्रगति की निगरानी हेतु मंत्रालय द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। साथ ही साथ निजी क्षेत्र में तेल विपणन कंपनियों से भी मिट्टी तेल में मार्कर आरंभ करने के लिए कहा गया है, जैसा कि सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज़ द्वारा किया जा रहा है।

(5) **विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों को संशोधित करना :** विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों (एमडीजी), जिनके अंतर्गत तेल विपणन कंपनियां चूककर्ता डीलरों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करती हैं, में अगस्त 2005 के दौरान संशोधन कर दिया गया है और दंडात्मक कार्रवाई को और अधिक कठोर बना दिया गया है। एमडीजी, 2005 के अनुसार मिलावट के पहले ही मामले में डीलरशिप समाप्त हो जाएगी।

(6) **जन केरोसीन परियोजना :** पीडीएस मिट्टी तेल वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनाने के लिए और मिलावट तथा अन्य अनधिकृत उपयोगों के लिए मिट्टी तेल के विपथन को नियंत्रित करने के लिए 2.10.2005 से आरंभ में 6 महीनों की अवधि के लिए 414 ब्लाकों में प्रायोगिक आधार पर जन केरोसीन परियोजना आरंभ की गई थी। इस प्रायोगिक परियोजना की समयावधि आगे बढ़ाकर 31.8.2007 तक कर दी गई है।

(7) **स्मार्ट कार्ड योजना :** इस उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए कि राजसहायता लक्षित उपभोक्ताओं के पास कारगर और किफायती ढंग से पहुंचे और दुरूपयोगों को रोकने के लिए इस मंत्रालय ने पीडीएस मिट्टी तेल के वितरण के लिए स्मार्ट कार्ड प्रणाली आरंभ करने का प्रस्ताव किया है। यह योजना प्रारंभ में प्रायोगिक आधार पर लागू करने का प्रस्ताव है। प्रायोगिक परियोजना में स्मार्ट कार्ड के माध्यम से रियायती मिट्टी तेल गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है जबकि सभी अन्य राशन कार्ड धारकों को गैर रियायती मिट्टी तेल दिया जाएगा। प्रायोगिक योजना के कार्यान्वयन की संपूर्ण अवधि के दौरान तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) पीडीएस और गैर रियायती मिट्टी तेल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी।

[हिन्दी]

छत्रपति शिवाजी स्टेशन

711. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने 19 सितम्बर, 2003 को रेलवे को छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन के विकास हेतु कोई प्रस्ताव भेजा था;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने इसके विकास के लिए अतिरिक्त भूमि की पेशकश भी की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) रेलवे द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। ऐसे विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोई भूमि नहीं दी गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस क्षेत्र में, पी.डी. मैलो रोड पर नए आधुनिक स्टेशन भवन के विकास के लिए मुंबई रेल विकास निगम (एमआरवीसी) को बाजार के व्यावहारिक अध्ययन के लिए एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया था। मुंबई रेल विकास निगम ने अध्ययन पूरा कर लिया है तथा रेलवे के विचारार्थ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

[अनुवाद]

नांदेड़ रेलवे स्टेशन के नाम को बदला जाना

712. श्री नवजोत सिंह सिद्धू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को 'नांदेड़' रेलवे स्टेशन के नाम को बदल कर 'हजूर साहिब–नांदेड़' रेलवे स्टेशन करने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) 'नांदेड़' रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर 'हजूर साहेब–नांदेड़' रेलवे स्टेशन करने के संबंध में कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) गृह मंत्रालय रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने के संबंध में अनुमोदन प्रदान करने के लिए एक नोडल मंत्रालय है जो संबंधित राज्य सरकार से प्राप्त अनुरोधों तथा रेल मंत्रालय सहित विभिन्न एजेंसियों के विचारों पर आधारित होते हैं। इस संबंध में गृह मंत्रालय से अभी तक कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

विदेश में पर्यटन योजनाओं को बढ़ावा

713. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 2010 में राष्ट्रमंडल खेल शुरू होने से पहले विदेश में "मेडिकल टूरिज्म", "बीच टूरिज्म", "हेरिटेज टूरिज्म", "पिलग्रिमेज टूरिज्म" और "डेजर्ट टूरिज्म" जैसी योजनाओं को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रमंडल खेल से पहले पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) जी, हां। पर्यटन मंत्रालय प्रिंट, टी.वी. इंटरनेट तथा आउटडोर मीडिया के माध्यम से विदेशी बाजार में मेडिकल टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म, पिलग्रिमेज टूरिज्म तथा डेजर्ट टूरिज्म को शामिल करते हुए अनेक विषयों को बढ़ावा देता है। इसके अलावा, विश्वव्यापी संवर्धन के लिए मंत्रालय की सरकारी वेबसाइट पर निरन्तर जानकारी होस्ट की जाती है और देश के भीतर तथा विदेश में भारत पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से इनका प्रसार किया जाता है।

(ग) वर्ष 2007–08 के दौरान विदेशी संवर्धन के लिए 165 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसके बाद के वर्षों के लिए आबंटन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

गुड्स शेड का निर्माण

714. श्री अर्जुन सेठी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ईस्ट–कोस्ट रेलवे द्वारा अपने नियंत्रणाधीन विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर गुड्स शेड्स के निर्माण/विस्तार हेतु कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रत्येक रेलवे स्टेशन के लिए स्वीकृत धनराशि का मद–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर इन परियोजनाओं के लिए खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क)

अनुमोदन वर्ष	कार्यों की संख्या	कुल अनुमोदित राशि (हजार रु. में)
2005–06	10	91543
2006–07	06	187792
2007–08	02	138554
कुल	18	417889

(ख) और (ग)

(राशि '000' रु. में)

क्रमांक	स्टेशन का नाम	स्वीकृति का वर्ष	अनुमानित लागत	बजट आबंटन			मार्च, 07 तक व्यय
				2005–06	2006–07	2007–08	
1.	बरगथ रोड़	2005–06	24808	10000	10000	14000	10424
2.	जेयपोर	2005–06	30229	10000	10000	14000	15776
3.	रायगड़ा	2005–06	23600	10000	10000	12220	11380
4.	श्रीकाकुलम	2005–06	20200	10000	10000	10000	10000
5.	नेरगुंडी	2005–06	41020	15000	15000	22355	18665
6.	जगदलपुर	2005–06	24036	10000	10000	10000	13023
7.	मंदिर हासौद	2005–06	24646	10000	10000	9094	13200
8.	कटक	2005–06	30974	15000	10000	19177	11796
9.	हरिदासपुर	2006–07	12646	0	50000	7646	5000
10.	हिंदोई रोड़	2006–07	13920	0	50000	8920	5000
11	भगुआपाई	2007–08	7942	0	0	4200	0
12	कपिलास रोड़	2007–08	23493	0	0	4200	0
13	जाजपुर क्योंरा रोड़	2005–06	1201	543	500	100	0
14	हिराकुड	2005–06	2836	1000	1000	100	808
15	रजतगढ़	2006–07	4545	0	1000	1000	1188
16	भद्रक	2006–07	2587	0	100	100	0
17	नयागढ़*	2006–07	4919	0	0	100	0
18	महसमुंद	2006–07	1534	0	192	1342	192
	जोड़		295136	91543	187792	138554	116452

* नयागढ़ कार्य बाद में शुरू किया गया और समाप्त हो चुका है।

[हिन्दी]

रेलवे लाइन का विद्युतीकरण

715. श्री विजय कृष्ण : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा वर्ष 2007–08 के दौरान कितनी रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण की योजना बनाई गई है; और

(ख) उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल की किन–किन रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण और नवीकरण किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) 2007–08 के दौरान 11 रेल लाइनों/खंडों जिनमें 500 मार्ग शामिल हैं, विद्युतीकरण करने की योजना बनाई गई है।

(ख) उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में रेल लाइनों के विद्युतीकरण के लिए प्रस्ताव निम्नानुसार हैं :

क्र.सं.	खंड का नाम	मार्ग किलोमीटर	राज्य	टिप्पणी
1.	कानपुर–झांसी	220	उत्तर प्रदेश	जांचाधीन
2.	फफामन–प्रयाग–इलाहाबाद सहित वाराणसी–जंघई–ऊंचानगर	207	उत्तर प्रदेश	जांचाधीन
3.	बरौनी–कटिहार–गुवाहाटी	809	अंशतः बंगाल और बिहार में	जांचाधीन

[अनुवाद]

तमिलनाडु के स्मारकों हेतु वित्तीय सहायता

716. श्रीमती के. रानी : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) स्मारकों के संरक्षण हेतु वित्तीय सहायता के लिए तमिलनाडु सरकार से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) तमिलनाडु में प्रत्येक स्मारक के पुनरूद्धार पर अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) तमिलनाडु में ऐतिहासिक/सांस्कृतिक स्मारकों के संरक्षण हेतु इस वर्ष किए गए कार्यों का पूर्ण ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) तमिलनाडु में केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) तमिलनाडु राज्य सरकार से संरक्षित स्मारकों के संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) तमिलनाडु राज्य में 413 केन्द्रीय संरक्षित स्मारक हैं जो अच्छी हालत में परिरक्षित हैं। स्मारकों का संरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है। स्मारकों का संरक्षण प्राथमिकता और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार नियमित रूप से किया जाता है।

(घ) 2007–08 के लिए चुनिंदा संरक्षित स्मारकों पर नियत विशेष मरम्मत कार्यों का ब्यौरा विवरण–II में दिया गया है।

विवरण-I

तमिलनाडु में केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची

क्र.सं.	स्मारक/स्थल का नाम	स्थान	जिला
1	2	3	4
चेन्नई मंडल			
1.	सेंट जार्ज किला	चेन्नई	चेन्नई
2.	डेविड याले तथा जोसफ हिनमैर का मकबरा	चेन्नई	चेन्नई
3.	प्राचीन टाउन वाल	टॉडियारपेट	चेन्नई
4.	मुरूगननाथस्वामी मंदिर	तिरूमुरूगनपूंडी	कोयम्बतूर
5.	नितिश्वरास्वामी मंदिर	श्रीमुरनाम	कुड्डालोर
6.	चेन्नैराय पेरूमल मंदिर तथा साथ में साथ लगी भूमि	आद्यमनकोट्टई	धर्मपुरी
7	पहाड़ी किला	कृष्णागिरि	धर्मपुरी
8.	पहाड़ी किला	रायाकोट्टई	धर्मपुरी
9.	चट्टान पर किला	डिंडीगुल	डिंडीगुल

1	2	3	4
10.	जैन मंदिर	मेट्टुपुदुर	इरोडे
11.	सुब्रीश्वरा मंदिर और तालाब	सरकार पेरीयापलायम	इरोडे
12.	इरावटनेश्वरा मंदिर	कांचीपुरम्	कांचीपुरम्
13.	ज्वारहरेश्वर मंदिर	कांचीपुरम्	कांचीपुरम्
14.	[illegible]श्वर मंदिर	कांचीपुरम्	कांचीपुरम्
15.	मुक्तेश्वर मंदिर	कांचीपुरम्	कांचीपुरम्
16.	पिरवातनेश्वर मंदिर	कांचीपुरम्	कांचीपुरम्
17.	मुनकुडमिश्वर मंदिर	पी.वी. कालाथूर	कांचीपुरम्
18.	धेनुपुरिश्वरा मंदिर	मदमबक्कम	कांचीपुरम्
19.	बड़ा शिव मंदिर ([illegible] मंदिर)	तेन्मेरी	कांचीपुरम्
20.	अर्जुन का तप	ममलापुरम्	कांचीपुरम्
21.	अर्जुन का रथ	ममलापुरम	कांचीपुरम्
22.	भीम का रथ	ममलापुरम	कांचीपुरम्
23.	धर्मराज का रथ	ममलापुरम	कांचीपुरम्
24.	धर्मराज का राक कट सिंहासन	ममलापुरम	कांचीपुरम्
25.	डोलोस्तव मंडप	ममलापुरम	कांचीपुरम्
26.	द्रौपदी का स्नानागार	ममलापुरम	कांचीपुरम्
27.	द्रौपदी का रथ	ममलापुरम	कांचीपुरम्
28.	सात पिक्चर्स के रूप में मशहूर राजमिस्त्री प्लेटफार्म पर पत्थर की आठ प्रतिमाएं	ममलापुरम	कांचीपुरम्
29.	सिंह, हाथी तथा सांड की विशाल प्रस्तर मूर्तियां	ममलापुरम	कांचीपुरम्
30.	ओलकानेश्वर मंदिर	ममलापुरम	कांचीपुरम्
31.	कोटीकल मंडप	ममलापुरम	कांचीपुरम्
32.	कृष्ण का बटर बाल	ममलापुरम	कांचीपुरम्
33.	कृष्ण मंडप	ममलापुरम	कांचीपुरम्
34.	अर्जुन के तप के समान बिना तराशी पत्थर की मूर्ति	ममलापुरम	कांचीपुरम्
35.	महिषामर्दिनी राक कट मंडप	ममलापुरम	कांचीपुरम्
36.	तटीय मंदिर के उत्तर में [illegible] प्रस्तर	ममलापुरम	कांचीपुरम्
37.	[illegible]नाथस्वामी मंदिर	ममलापुरम	कांचीपुरम्

1	2	3	4
38.	राक कट गणेश मंदिर	ममलापुरम	कांचीपुरम्
39.	शैलकृत वराह मंदिर जिसमें विष्णु के अवतार वराह वामन शामिल हैं	ममलापुरम	कांचीपुरम्
40.	हाथियों, बंदरों तथा मोर को दर्शानेवाली शैलकृत मूर्ति	ममलापुरम	कांचीपुरम्
41.	रायागोपुरन (अधूरा)	ममलापुरम	कांचीपुरम्
42.	सहदेव का रथ	ममलापुरम	कांचीपुरम्
43.	तटवर्ती मंदिर	ममलापुरम	कांचीपुरम्
44.	वालायानकुट्टई रथ नामक लघु एकाश्म मंदिर	ममलापुरम	कांचीपुरम्
45.	हाथियों, बंदरों के झुंड को दर्शाने वाली प्रस्तर मूर्ति	ममलापुरम	कांचीपुरम्
46.	त्रिपल नामक राक कट वेदिका साथ में इसके साथ गोपी का चूर्ण	ममलापुरम	कांचीपुरम्
47.	कोनेरी पल्लम कुंड के पूर्वोत्तर कोने में दो रॉक कट गुफा मंदिर	ममलापुरम	कांचीपुरम्
48.	तटीय मंदिर के दक्षिण में दो लघु नक्काशी युक्त शैल	ममलापुरम	कांचीपुरम्
49.	पिडारी अम्मा रथ नामक दो लघु एकाश्म मंदिर	ममलापुरम	कांचीपुरम्
50.	अपूर्ण रथ तथा प्रस्तर सोफा	ममलापुरम	कांचीपुरम्
51.	कृष्ण मंडप के दक्षिण में अपूर्ण राक कट गुफा मंदिर	ममलापुरम	कांचीपुरम्
52.	धर्मेश्वर मंदिर के रूप में ज्ञात पुराना शिव मंदिर	मनिमगलम	कांचीपुरम्
53.	वैकुंठपेरूमल मंदिर	कांचीपुरम्	कांचीपुरम्
54.	ध्वस्त डच किला तथा कब्रगाह	सद्रास	कांचीपुरम्
55.	कैलाशनाथ मंदिर	सलाबोगम	कांचीपुरम्
56.	चीते के सिर वाला राक कट मंदिर	सलवानकुप्पम	कांचीपुरम्
57.	दो शिलालेख	सलवाननकुप्पम	कांचीपुरम्
58.	तीन लिंगों वाला राक कट शिव मंदिर	सलवानकुप्पम	कांचीपुरम्
59.	छोटा शिव मंदिर (कांतालिंगेश्वर मंदिर)	टेनेरी (मडाविलम)	कांचीपुरम्
60.	नित्याकल्याण भुवाराह मंदिर	तिरूविट्टन्थई	कांचीपुरम्
61.	ओरूक्काल मंडपम	तिरूकालीपुणरम्	कांचीपुरम्
62.	वेंकटेश्वर पेरूमल मंदिर	तिरूमुकुडल	कांचीपुरम्
63.	वैकुंठ पेरूमल मंदिर	उत्तरमेरूर	कांचीपुरम्
64.	तिरूपुलेश्वर मंदिर	वयल्लूर	कांचीपुरम्
65.	मुख्य जलकटपाट पेरयिरावोईकल नट्टूवोईकल	मुसिरी	करूर
66.	कोरंगुनाथ मंदिर	श्रीनिवासनल्लूर	करूर

1	2	3	4
67.	चट्टान (कुलिथलाई)	पैगैनल्लूर	करूर
68.	पंच पांडवों के बिस्तरों के साथ एलागारमलई कंदरा जो एलागारमलई तथा कीडमपट्टी के बीच मध्य मार्ग में है।	मेलूर (अलगर कोइल)	मदुरई
69.	पहाड़ी पर जैन मूर्ति, शिलालेख तथा पंच पांडव बिस्तर	कलथू	मदुरई
70.	जैनमूर्ति का शैलकृत बास रिलीफ तथा बिस्तर एवं एक विकृत जैन प्रस्तर प्रतिमा	कराडिपट्टी	मदुरई
71.	अमनारमलई अथवा समनार मलई में शिलालेख सहित जैन मूर्तियों का शाक कट वास रिलीफ	किलाकुलीकुड्डी	मदुरई
72.	पंच पांडव बिस्तर, जैन स्तूप तथा ब्राह्मी तथा वट्टेलुट्टु (पंचपाडव पर अभिलेख)	किलईयूर–किलावलावु	मदुरई
73.	अमनारमलई या समनार मलई में प्राकृतिक शैलाश्रय के नीचे शैलकृत विस्तर	मलककुलीकुडी	मदुरई
74.	सीतारमलई गुफा	मित्तूपेटी	डिंडीगुल
75.	पहाड़ी के पश्चिमी ढलान पर पंच पांडव बिस्तर सहित कंदरा तथा इसी प्रकार के बिस्तर	तिरूपरनकुनरम	मदुरई
76.	शैलकृत गुफा एवं अभिलेख	तिरूपरनकुनरम	मदुरई
77.	रामपद मंडपम	कोडियाक्कड	नागापट्टिनम
78.	उत्कीर्ण प्रस्तर	कोडियाकरई	नागापट्टिनम
79.	टाउन गेटवे	टॉक्यूबार (तरंगमबाड़ी)	नागापट्टिनम
80.	पहाड़ी किला	नामक्कल	नामक्कल
81.	श्री रंगनाथ मंदिर तथा श्री नरसिम्हा मंदिर	नामक्कल	नामक्कल
82.	वृहदेश्वरा मंदिर	गंगईकोंडा चोलापुरम	पेरूमबलूर
83.	ग्रेनाइट से निर्मित जैन मूर्तियां	जयनकोंडा चोलापुरम	पेरूमबलूर
84.	पालूप्पर के नाम से विख्यात जैन मूर्ति	जयनकोंडा चोलापुरम	पेरूमबलूर
85.	किला	रंजनकुड्डी	पेरूमबलूर
86.	शमशखान की मस्जिद	वल्लापुरम	पेरूमबलूर
87.	शिव मंदिर	वल्किनतपुरम	पेरूमबलूर
88.	जैन तीर्थंकर मूर्ति	अलंगगुडीपट्टी	पुडुकोट्टई
89.	जैन मूर्ति	अलात्तुर	पुडुकोट्टई

1	2	3	4
90.	सम्पूर्ण गुफा जिसके पर दो जैन मूर्तियां उत्कीर्णित हैं तथा क्षतिग्रस्त उत्कीर्ण लेख	अम्मानस्वतम	पुदुकोट्टई
91.	सम्पूर्ण मीनाक्षी सुंदरेश्वरा मंदिर तथा सामने के मंडप में उत्कीर्णित पत्थर	अम्मनकुरीची	पुदुकोट्टई
92.	नारियल बगीचे में दो जैन तीर्थकर मूर्तियां	[illegible]	पुदुकोट्टई
93.	शिव मंदिर	[illegible]	पुदुकोट्टई
94.	जैन तीर्थकर प्रतिमा तथा उत्कीर्ण प्रस्तर	चित्तीपेट्टी	पुदुकोट्टई
95.	ध्वस्त जैन मंदिर	चित्तीपेट्टी	पुदुकोट्टई
96.	सारंगदेश्वरा मंदिर (तिरूवगतीश्वरा नाम से प्रसिद्ध)	चित्तूर	पुदुकोट्टई
97.	राक कट शिव वेदिका	देवस्थलई	पुदुकोट्टई
98.	कालामामुदईयार मंदिर	इलम्बनादु	पुदुकोट्टई
99.	शिव मंदिर तथा सिंह स्तंभ	इलम्बनादु	पुदुकोट्टई
100.	सौदराजापेरूमल मंदिर	इलम्बनादु	पुदुकोट्टई
101.	गणेश और अंजनेय की प्रस्तर मूर्तियां	इलम्बनादु	पुदुकोट्टई
102.	जैन तीर्थकर की मूर्ति	कन्नाडागुरूकुडी	पुदुकोट्टई
103.	जैन प्रतिमा, प्रस्तर का सिंह तथा मंदिर की आधारशिला	कन्नांगगुडी	पुदुकोट्टई
104.	बालासुब्रमण्या मंदिर	कन्नानोर	पुदुकोट्टई
105.	शिव मंदिर	[illegible] (कलियापट्टी)	पुदुकोट्टई
106.	उत्तमानादयीश्वर मंदिर	किलहट्टनीयम (कलियापट्टी)	पुदुकोट्टई
107.	उत्तमनाथ स्वामी मंदिर	किरानुर	पुदुकोट्टई
108.	मुचुकुंडेश्वर मंदिर तथा इसके सामने का कुंड	कोडम्बलुर	पुदुकोट्टई
109.	आसपास की छोटी वेदियों सहित मुथाकोइल, प्रस्तर अहाते आदि	कोडम्बलुर	पुदुकोट्टई
110.	अईयककोइल के अवशेष	कोडम्बलुर	पुदुकोट्टई
111.	ढांचागत मंदिर के अवशेष तथा प्राचीन वस्तुएं	कोडम्बलुर	पुदुकोट्टई
112.	अभिलेख वेदी	कुदुमियांमलई	पुदुकोट्टई
113.	कुदुमियांमलई के पश्चिम की ओर स्थित श्रुतपाषाण रेखा वाली प्राकृतिक कंदरा	कुदुमियांमलई	पुदुकोट्टई
114.	संगीतमय उत्कीर्ण	कुदुमियांमलई	पुदुकोट्टई
115.	सामने स्थित मंडप सहित मेलक्कोइल नामक राक कट वेदी	कुदुमियांमलई	पुदुकोट्टई

1	2	3	4
116.	सिक्कनाथ स्वामी मंदिर	कुदुमियांमलई	पुडुकोट्टई
117.	कुडागूमलई, अलादीपेरूमल कुलदूर में आठ प्राकृतिक कंदराएं, जैन मूर्तियां तथा शिलालेख	कुलथुर	पुडुकोट्टई
118.	ध्वस्त शिव मंदिर	कुलथुर	पुडुकोट्टई
119.	कुर्सी के सामने शैलकृत शिव गुफा मंदिर, स्तंभी मंडपम का हाल या पहियों वाला कार मंडपम	कुन्नानडरकोइल	पुडुकोट्टई
120.	जैन मूर्तियां तथा जैन मंदिर के अवशेष	लक्ष्मणपट्टी	पुडुकोट्टई
121.	तेप्पाकुलम या यूरानी के दक्षिण बंध में मूर्तियां	मदापट्टी	पुडुकोट्टई
122.	सक कट शिव मंदिर (पल्लव 8–9 शताब्दी)	मलायाडिपट्टी	पुडुकोट्टई
123.	सक कट विष्णु गुफा मंदिर (पल्लव 8–9 शताब्दी)	मलायाडिपट्टी	पुडुकोट्टई
124.	पहाड़ी के पूर्वी एवं दक्षिणी ढलानों पर दो सक कट शिव वेदिकाएं	मलक्कोइल	पुडुकोट्टई
125.	जैन मंदिर स्थल	मंगतेवानपट्टी	पुडुकोट्टई
126.	ध्वस्त जैन मंदिर	मंगतेवानपट्टी	पुडुकोट्टई
127.	शिव तथा पिल्लायर मंदिर	मंगुडी	पुडुकोट्टई
128.	जैन तीर्थंकर की मूर्ति तथा देवी मूर्तियां	मरदुर	पुडुकोट्टई
129.	मनडार पिल्लायर मंदिर	मेलामिलईकायल	पुडुकोट्टई
130.	जैन तीर्थंकर मूर्ति तथा पुराने जैन मंदिर के स्मृति शेष	मेलूर	पुडुकोट्टई
131.	विष्णु की मूर्ति	मेलूर	पुडुकोट्टई
132.	1. एक स्लैब के वास रीलीफ पर स्थित सुखासन मुद्रा में जैन तीर्थंकर की प्रतिमा 2. मंदिर के अवशेष 3. गणेश की प्रतिमा 4. उत्कीर्ण नंदी	मेलापट्टी	पुडुकोट्टई
133.	तिरूपेरूमनादर मंदिर	नागुपट्टी (मदत्तुकोइल)	पुडुकोट्टई
134.	जैन मूर्ति, दुर्गा की दो मूर्ति, विष्णु की एक मूर्ति तथा उत्कीर्णित प्रस्तर स्लैब	ननजूर	पुडुकोट्टई
135.	अम्मान कोइल (मलईकडाम्बर कोइल और इसके पश्चिम में शिव मंदिर)	नारातमलई	पुडुकोट्टई
136.	पत्थर का बना शिव मंदिर	नारातमलई	पुडुकोट्टई
137.	विद्यालय चोलीश्वरा तथा इसके आसपास छोटी वेदियों का समूह	नारातमलई	पुडुकोट्टई

1	2	3	4
138.	पत्थर की बनी विष्णु की वेदी	नारात्मल्लई	पुडुकोट्टई
139.	सदायट्टी के शिखर पर जैन प्रतिमा तथा इसके दक्षिण में स्थित शिलालेख	नाथम्पन्ने	पुडुकोट्टई
140.	शिव (वालामदिश्वरा) मंदिर	निरपलार्नी	पुडुकोट्टई
141.	शिव मंदिर	पननगुडी	पुडुकोट्टई
142.	विष्णु मंदिर	पननगुडी	पुडुकोट्टई
143.	राजेन्द्रचोलिश्वर मंदिर	पोन्नामोरवतेई	पुडुकोट्टई
144.	जैन तीर्थकर की प्रतिमा	पुलियर	पुडुकोट्टई
145.	जैन प्रतिमा तथा आसपास का मंदिर स्थल जिसे स्थानीय तौर पर मोट्टई पिल्लारकोइल कहा जाता है	पुटम्बूर	पुडुकोट्टई
146.	पुष्पबनेश्वर की पत्थर की बनी वेदी	पोवल्लकुड्डी	पुडुकोट्टई
147.	नंदीपोत्तन शिलालेख सहित प्रस्तर नहर	राजलपेट्टी	पुडुकोट्टई
148.	विष्णु और देवी की पत्थर की मूर्तियां तथा शिव मंदिर	राशिपुरम्	पुडुकोट्टई
149.	जैन टीला, जैन प्रतिमाएं, अन्य प्रतिमाएं तथा सिंह स्तम्भ	सांबतूर	पुडुकोट्टई
150.	अंडारमटम नामक प्राकृतिक कंदरा	सेमबुती	पुडुकोट्टई
151.	विष्णु एवं श्रीदेवी की मूर्तियां	सिंगीराई	पुडुकोट्टई
152.	श्री भूमिश्वर स्वामी मंदिर	सिवलुर	पुडुकोट्टई
153.	प्रस्तर विस्तर तथा ब्राह्मी सहित प्राकृतिक कंदरा और इलाडीपट्टम नामक प्राचीन तमिल शिलालेख	सित्नावसल	पुडुकोट्टई
154.	पत्थर का बना जैन मंदिर	सित्नावसल	पुडुकोट्टई
155.	तिरूविलानगुडी शिव मंदिर	सुरीयोर	पुडुकोट्टई
156.	शिव मंदिर	तेन्नगोड़ी	पुडुकोट्टई
157.	पुश्ते के पूर्व में पेडेस्टल पर स्थित जैन तीर्थकर की प्रतिमा	तेक्कोतूर	पुडुकोट्टई
158.	पुराने शिव मंदिर का गर्भ गृह	तिरूकलम्बूर	पुडुकोट्टई
159.	साथ उप–वेदियों सहित सुंदरेश्वर मंदिर	तिरूकोट्टालई	पुडुकोट्टई
160	पत्थर का बना शिव मंदिर (सत्यमूर्ति वेदी)	तिरूमयम्	पुडुकोट्टई
161.	पत्थर का बना विष्णु मंदिर (सत्यग्रीश्वरा मंदिर)	तिरूमयम्	पुडुकोट्टई
162.	प्रस्तर तथा ईंट का किला	तिरूमलयम्	पुडुकोट्टई
163.	चोलीस्वर मुडयार मंदिर	त्रिपुर	पुडुकोट्टई

1	2	3	4
164.	पुडुकुलम के वाटरस्प्रेड में जैन प्रतिमा	त्रिपुर	पुडुकोट्टई
165.	शिव मंदिर	टोडाईयुर	पुडुकोट्टई
166.	जैन तीर्थंकर प्रतिमा तथा उत्कीर्णित प्रस्तर	वलमबत्ती (वल्लापनपट्टी)	पुडुकोट्टई
167.	शिव मंदिर (अगस्तीश्वरा)	वरप्पुर	पुडुकोट्टई
168.	इनादीकुलम के पश्चिमी पुश्ते पर स्थित शिव कोइल	वरपेट	पुडुकोट्टई
169.	जैन तीर्थंकर प्रतिमा	वीरक्कुड्डी	पुडुकोट्टई
170.	अगस्तीश्वर मंदिर	वेल्लानूर	पुडुकोट्टई
171.	कैलाशनाथ मंदिर	वेल्लानूर	पुडुकोट्टई
172.	सुब्रमण्या मंदिर के वाहन मंडप में दो सिंह स्तंभ	विरालीमलई	पुडुकोट्टई
173.	शिव मंदिर	विसालुर	पुडुकोट्टई
174.	किला तथा उस पर स्थित भवन के अवशेष	अत्तुर	सलेम
175.	पहाड़ पर स्थित किला और मंदिर	संकरीदुर्ग (थिन्नाकंवडानुर)	सलेम
176.	गोलाश्म प्रस्तर बैड तथा पहाड़ी पर ब्राह्मी अभिलेख तथा पहाड़ी के नीच अभिलेख वाला शैलकृत मंदिर	कुन्नाकुडी	शिवगंगा
177.	ऐरावतेश्वर मंदिर	चत्रम दारासुरम	तंजावुर
178.	पहले परकोटे की बड़ी तोप (राजगोपाल की तोप) तथा वार्ड III के टी.एस.नं. 60 में स्थित बुर्ज	तंजावुर	तंजावुर
179.	स्वार्ट्ज (क्राइस्ट) चर्च	तंजावुर	तंजावुर
180.	बड़े मंदिर से लगा शिवगंगा का छोटा किला	तंजावुर	तंजावुर
181.	करुप्पन्नास्वामी टोक और जैन मूर्ति	उत्तमापलायम	तेनी
182.	फोर्ट गेटवे तथा प्रेस्टों की बैटरी	तिरुचिरापल्ली	तिरुचिरापल्ली
183.	शैल किला 1. निचली गुफा, 2. निचली गुफा के सामने वाले क्षेत्र की ओर से ले जाने वाला पथ, 3. ऊपरी गुफा की ओर ले जाने वाला पथ, 4. निचली गुफा के सामने का स्थल 5. ऊपरी गुफा	शैल किला, त्रिची	तिरुचिरापल्ली
184.	इरुम्बीश्वरा मंदिर	तिरूवेरूम्बूर	तिरुचिरापल्ली
185.	किला और कब्रगाह	पुलीकट	तिरूवल्लूर

1	2	3	4
186.	स्वयंभुनाथ मंदिर	किलपुतुर	तिरूवनमलाई
187.	शैलकृत वेदी	कुरंगनिलमुत्तम	तिरूवनमलाई
188.	शैलकृत गुफाएं, मूर्तियां तथा लेख	मामन्दुर	तिरूवनमलाई
189.	शैलकृत गुफा	नरसमंगलम	तिरूवनमलाई
190.	चन्द्रमौलीश्वरा मंदिर	नट्टरी	तिरूवनमलाई
191.	शैलकृत मंदिर तथा मूर्तियां	सियामंगलम	तिरूवनमलाई
192.	जैन शैलकृत गुफाएं, मूर्तियां तथा पेंटिंगों वाले मंडप	तिरुमलई	तिरूवनमलाई
193.	विरुपाक्षी गुहा तथा स्कंदाश्रम के नाम से प्रसिद्ध प्राकृतिक कंदरा तथा राममनसाश्रम से जाने वाला पथ	तिरूवनामलाई	तिरूवनमलाई
194.	मस्जिद से सटा भवन तथा दो तालाब	आर्कोट	वेल्लौर
195.	तोप	आर्कोट	वेल्लौर
196.	दिल्ली दरवाजा	आर्कोट	वेल्लौर
197.	मस्जिद तथा किले के पश्चिम में दो तालाब	आर्कोट	वेल्लौर
198.	रंगनाथ मंदिर	येरूकमपट्टू	वेल्लौर
199.	एकाश्म राक कट मंदिर	महेन्द्रावाड़ी	वेल्लौर
200.	चोलेश्वर मंदिर	मेलपाड़ी	वेल्लौर
201.	सोमनाथ मंदिर	मेलपाड़ी	वेल्लौर
202.	आरकोट में पुराने किले के बाहरी परकोटे का पूर्वोत्तर कोना	मुपाडुवेट्टी	वेल्लौर
203.	सोलिनगुर कुंड के दाहिने बाजू में शिलालेख	सोलिंगौर	वेल्लौर
204.	कोर्णाक मंदिर	तिरुमलईपुर	वेल्लौर
205.	सुब्रमण्या मंदिर	वल्लीमलई	वेल्लौर
206.	जैन मूर्तिकला तथा अभिलेख	वल्लीमलई	वेल्लौर
207.	किला	वेल्लौर	वेल्लौर
208.	किले की पुरानी मस्जिद	वेल्लौर	वेल्लौर
209.	जलकंटेश्वर मंदिर	वेल्लौर	वेल्लौर
210.	शैल, मूर्तियां तथा गुफाएं	विल्लापक्कम	वेल्लौर
211.	ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर	ब्रह्मदेशम	विल्लुपुरम
212.	पटलीश्वरा मंदिर	ब्रह्मदेशम	विल्लुपुरम
213.	पत्थर का बना पल्लव मंदिर	दालावनुर	विल्लुपुरम

1	2	3	4
214.	अजगिया नरसिम्हा पेरुमल मंदिर	एम्बईराम	विल्लूपुरम
215.	राजगिरी पर पहाड़ी किला से बनी गढ़ी, अंदरूनी तथा निचला किला तथा राजगिरी, कृष्ण गिरी तथा चक्कीलिरदुर्ग को जोड़ने वाली किलेंबदी की लाइनें या सेंट जार्ज माउंटेन हिल्स I) लघु एवं निचले किलों में, अंदरूनी किले, वेणुगोपाल मंदिर, ग्रेनरी, जिमनाजिम, कल्यानमहल, अस्तबल, बैरक, कमलाकन्नी अम्मा तथा हनुमान आदि की प्रतिमाएं II) पांडि गेट के समीप पुरानी जेल तथा अंदरूनी किले की पूर्वी दीवार के दक्षिण में अंतिम दो बुर्जों के बाह्य भाग पर फारसी शिलालेख III) साद–अत–उल्लाह खान का मस्जिद तथा पौंडी गेट में फारसी शिलालेख	जिनजी	विल्लूपुरम्
216.	2 अन्न भंडार, एक मैगजीन, एक फ्लैग स्टॉफ, रंगनाथ मंदिर कमलाक्कानी अम्मान मंदिर तथा इसके सामने बालिबेंदी का स्लैब, एक बड़ी तोप, राजगिरि पर खजाना तथा प्रेक्षागृह	जिनजी	विल्लूपुरम्
217.	कृष्णगिरि पर अन्न भंडार, घी रखने के लिए कुआं, तेल रखने के लिए कुआं, दो मंदिर तथा एक प्रेक्षागृह	जिनजी	विल्लूपुरम्
218.	तमिल में शिलालेख सहित वेंकटरमण मंदिर, कैदी कुआं	जिनजी	विल्लूपुरम्
219.	पत्थर से बनी पल्लव देवी	किल्लाविलंगई	विल्लूपुरम्
220.	पत्थर से बनी देवी	मंडागपट्टू	विल्लूपुरम्
221.	किले के बाहर पट्टाभीराम मंदिर तथा 12 स्तंभों वाला मंडप	नरसिंहारायनपेट्टई	विल्लूपुरम्
222.	तालगिरीश्वर मंदिर तथा दुर्गे की प्रतिमा वाली गुफा तथा पल्लवी शिलालेख	पनामल्लई	विल्लूपुरम्
223.	आपातसहायश्वरा मंदिर	सेन्डामंगलम	विरुद्धुनगर
224.	दो कतारों में 24 जैन मूर्तियां, खड़ी नग्न प्रतिमा, बैठी मूर्ति के दो टुकड़े तथा तिरूनाथकुनरू पर दो शिलालेख	शिरुकदम्बूर	विल्लूपुरम्
225.	विन्नमपराई शैल जिस पर पल्लव उत्कीर्ण लेख हैं	तोंदुर	विल्लूपुरम्
226.	तिरुमलाई नायक महल	श्रीविल्लीपुत्तूर	विरुद्धुनगर
227.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं (सर्वेक्षण संख्या 222)	आगरम्	कांचीपुरम्
228.	महापाषणिक ताबूत तथा कंदराएं (सर्वेक्षण संख्या 111 तथा 116)	आगरम्	कांचीपुरम्
229.	दफन अवशेष	आलतूर	कांचीपुरम्
230.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	अमूर	कांचीपुरम्

1	2	3	4
231.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराए	अन्नूर	कांचीपुरम्
232.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराए	अरियापक्कम	कांचीपुरम्
233.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराए	अॅटचरवक्कम	कांचीपुरम्
234.	पत्थर के घेरे के साथ महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	अयजनेरी	कांचीपुरम्
235.	पत्थर के घेरे के साथ महापाषणिक ताबूत तथा कंदराएं	इच्चुर	कांचीपुरम्
236.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	इडकुनराम	कांचीपुरम्
237.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराए	इलकचुर	कांचीपुरम्
238.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराए	इरूमईयूर	कांचीपुरम्
239.	पत्थर के घेरे के साथ महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराए	गुडालूर	कांचीपुरम्
240.	पत्थर के घेरे के साथ महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	गुडुवनचेरी (वल्लमजेरी)	कांचीपुरम्
241.	पत्थर के घेरे के साथ महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	गुडडुपेरम्बेदु	कांचीपुरम्
242.	पेरांवयेर पहाड़ी के चरण पर स्थित कंदराएं	कदमलइप्रुतुर	कांचीपुरम्
243.	कोमिएक्स	कदमलइप्रुतुर	कांचीपुरम्
244.	कंदरा समूह	कडापेरी	कांचीपुरम्
245.	पत्थर के घरे के साथ महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	कलनीपक्कम्	कांचीपुरम्
246.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	कलातूर	कांचीपुरम्
247.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	कलकी	कांचीपुरम्
248.	ताबूत एवं कंदराएं	कनकपत्तू	कांचीपुरम्
249.	उत्खनित अवशेष तथा बौद्ध विहार और मंदिर, पल्लननेश्वरम्	मेलायूर	नागापट्टीनम्
250.	पत्थर के घेरे के साथ महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	कुडालुर	कांचीपुरम्
251.	पत्थर के घेरे के साथ महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	कारानयथांगल पोरिजंगबक्कम	कांचीपुरम्
252.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	कट्टमपतूर	कांचीपुरम्
253.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	किल्लमपक्कम	कांचीपुरम्
254.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	कोट्टामेडु	कांचीपुरम्
255.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	कोमिली	कांचीपुरम्
256.	पहाड़ी पर पत्थर के घेरे के साथ महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	कुन्नातुर	कांचीपुरम्
257.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	कुन्नावक्कम	कांचीपुरम्
258.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	कुरुवनमेडु	कांचीपुरम्

1	2	3	4
259.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	माडयेत्तूर	कांचीपुरम्
260.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	मगनीयम	कांचीपुरम्
261.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	मेलई	कांचीपुरम्
262.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	मलाईपट्टू	कांचीपुरम्
263.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	मलाईवलयावुर	कांचीपुरम्
264.	लाइट हाउस के समीप दो अपूर्ण उत्खनन	मामल्लापुरम्	कांचीपुरम्
265.	तीन कोठरियों वाली शैलकृत वेदी के निकट अपूर्ण उत्खनन	मामल्लापुरम्	कांचीपुरम्
266.	द्रोपदी रथ के दक्षिण में अपूर्ण उत्खनन	मामल्लापुरम्	कांचीपुरम्
267.	महापाषणिक ताबूत तथा कंदराएं	ममपट्टू	कांचीपुरम्
268.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	मनामई	कांचीपुरम्
269.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	मेलकोट्टईयुर	कांचीपुरम्
270.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	मुसाईवक्कम	कांचीपुरम्
271.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	नाडुवक्कारई	कांचीपुरम्
272.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	नंदमवक्कम	कांचीपुरम्
273.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	नंदीवरम	कांचीपुरम्
274.	कंदरा समूह	ननमंगलम	कांचीपुरम्
275.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	नत्तम	कांचीपुरम्
276.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	नेदुनगुनरम	कांचीपुरम्
277.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	नलीकुप्पम	कांचीपुरम्
278.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	ओलालुर	कांचीपुरम्
279.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	ओट्टीवक्कम	कांचीपुरम्
280.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	ओट्टायमवक्कम	कांचीपुरम्
281.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	पेड्डुर	कांचीपुरम्
282.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	पल्यासिवरम	कांचीपुरम्
283.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	पल्लावरम	कांचीपुरम्
284.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	पल्लियाग्राम	कांचीपुरम्
285.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	परानुर	कांचीपुरम्
286.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	पेरुम्बक्कम	कांचीपुरम्

1	2	3	4
287.	पत्थर के घेरे के साथ महापाषणिक ताबूत तथा कंदराएं	पेरुनगर	कांचीपुरम्
288.	पत्थर के घेरे के साथ महापाषणिक ताबूत तथा कंदराएं	पेरुंगलंत्तूर	कांचीपुरम्
289.	पत्थर के घेरे के साथ महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	पोनमर	कांचीपुरम्
290.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	पुरुण्डावक्कम	कांचीपुरम्
291.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	पुडुपक्कम	कांचीपुरम्
292.	पत्थर के घेरे के साथ महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	पुलीपक्कम	कांचीपुरम्
293.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	पुंडी	कांचीपुरम्
294.	पत्थर के घेरे के साथ महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	राजाकुलीपेट्टई	कांचीपुरम्
295.	पत्थर के घेरे के साथ महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	रायलपट्टू	कांचीपुरम्
296.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	सानुर	कांचीपुरम्
297.	साध्वी अवस्था में महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	ससतीरामपक्कम	कांचीपुरम्
298.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	सेमवक्कम	कांचीपुरम्
299.	कंदराओं का समूह	सेमवक्कम	कांचीपुरम्
300.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	सेनकुनराम	कांचीपुरम्
301.	पत्थर के घेरे के साथ महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	सेट्टीपुनियम	कांचीपुरम्
302.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	सेट्टूपट्टू	कांचीपुरम्
303.	पत्थर के घेरे के साथ महापाषाणिक ताबूत एवं सर्वोपागी	सिक्कारायापुरम	कांचीपुरम्
304.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	सिरडावुर	कांचीपुरम्
305.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	सिरुकुन्नरम	कांचीपुरम्
306.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	सितलापक्कम	कांचीपुरम्
307.	दफन अवशेष एवं महापाषाणिक स्थल	सेंट थॉमस माउंट	कांचीपुरम्
308.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	टंडालम	कांचीपुरम्
309.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	टट्टानूर	कांचीपुरम्
310.	कंदराओं का समूह	तिरुनीरमलई	कांचीपुरम्
311.	महापाषाणिक ताबूत	तिरुनीरमलई	कांचीपुरम्
312.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	तिरुपोरुर	कांचीपुरम्
313.	सर्वोपगुसंद दफन अवशेष, ताबूत तथा घेरे	तिरुसुलम	कांचीपुरम्
314.	महापाषाणिक कब्रगाह	तिरीवडीसुलम	कांचीपुरम्

1	2	3	4
315.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	उनामंजेरी	कांचीपुरम्
316.	डोलमैन इंटैक्ट	उतीरामेरुर	कांचीपुरम्
317.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	वडाकुपट्टू	कांचीपुरम्
318.	पत्थर के घरे के साथ महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	वडामंगलम	कांचीपुरम्
319.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	वैयावुर	कांचीपुरम्
320.	महापाषाणिक ताबूत	वंडालुर	कांचीपुरम्
321.	पत्थर के घेरे सहित महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	वेडानारायणपुरम	कांचीपुरम्
322.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	वेमवेडु	कांचीपुरम्
323.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	वेंगूर	कांचीपुरम्
324.	पत्थर के घेरे के साथ महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	वेंकटपुरम	कांचीपुरम्
325.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	वेनपक्कम ग्राम संख्या 69	कांचीपुरम्
326.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	वेनपक्कम ग्राम संख्या 273	कांचीपुरम्
327.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	वेनपक्कम ग्राम संख्या 186	कांचीपुरम्
328.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	विरापुरम	कांचीपुरम
329.	कम्बारमेडु	मेलईयुर	नागापट्टीनम्
330.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	कराई	पेराम्बलूर
331.	डोलमेन्स तथा कंदराएं	अंबुरपत्ती	पुडुक्कोट्टई
332.	कुरांगुपट्टाई के नाम से मशहूर प्रागैतिहासिक दफन स्थल	अम्माचेत्रम्	पुडुक्कोट्टई
333.	प्रागैतिहासिक दफल स्थल, प्रस्तर सर्किल तथा मेनहिर्स	अन्नावासल	पुडुक्कोट्टई
334.	डोलमेन्स	चोक्कानाथपट्टी	पुडुक्कोट्टई
335.	डोलमेन्स	किलायुर	पुडुक्कोट्टई
336.	प्रागैतिहासिक दफन स्थल	मेल्लूर	पुडुक्कोट्टई
337.	डोमेन्स	मोट्मपेट्टी	पुडुक्कोट्टई
338.	प्रागैतिहासिक दफन स्थल	नरंगयम्पेट्टी	पुडुक्कोट्टई
339.	प्रागैतिहासिक डोलमेन्स	पेरूनंगलूर	पुडुक्कोट्टई
340.	प्रागैतिहासिक डोलमेन्स	पियल	पुडुक्कोट्टई
341.	डोलमेन्स तथा अय्यानार प्रतिमाएं	पोयामनई और विरूद्धपट्टी	पुडुक्कोट्टई
342.	प्रागैतिहासिक दफन स्थल	पुट्टमबुर	पुडुक्कोट्टई

1	2	3	4
343.	प्रागैतिहासिक दफन स्थल	सत्यमंगलम्	पुडुक्कोट्टई
344.	कंदराएं तथा दफन अवशेष	सेंदापुडी	पुडुक्कोट्टई
345.	डोलमेंस तथा अर्न	सिगंललूर	पुडुक्कोट्टई
346.	अन्नवसई वट्टम स्थित डोलमेन्स	सित्तवासल	पुडुक्कोट्टई
347.	कुरंगुपट्टाराई के नाम से मशहूर डोलमेन्स	ताइनेपट्टी	पुडुक्कोट्टई
348.	प्रागैतिहासिक दफन स्थल	तिक्कत्तूर	पुडुक्कोट्टई
349.	कलनासक्काडु दफल स्थल	तिरूकत्तलई	पुडुक्कोट्टई
350.	डोलमेन्स ग्रुप	तिरूपरू	पुडुक्कोट्टई
351.	प्रागैतिहासिक दफन स्थल	वडुगुपेट्टी	पुडुक्कोट्टई
352.	प्रागैतिहासिक दफन स्थल	वतनकुरुची	पुडुक्कोट्टई
353.	प्रागैतिहासिक दफन स्थल	विलापट्टी	पुडुक्कोट्टई
354.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	अमृतामंगलम	तिरूवल्लूर
355.	बहुत से बिलो वाला विरजिन समूह	अत्तनतंगल	तिरूवल्लूर
356.	महापाषाणिक ताबूत	चेडलपक्कम	तिरूवल्लूर
357.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	नेवेली	तिरूवल्लूर
358.	दफन अवशेष	पलावक्कम	तिरूवल्लूर
359.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	पम्माडुकुलम	तिरूवल्लूर
360.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	पांचाली	तिरूवल्लूर
361.	पत्थर के घेरे सहित महापाषाणिक कंदराएं	पंडुर	तिरूवल्लूर
362.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	पॉडावक्कम	तिरूवल्लूर
363.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	पोट्टूर	तिरूवल्लूर
364.	प्रागैतिहासिक बस्ती स्थल (महापाषाणिक काल)	पुलाल	तिरूवल्लूर
365.	कंदरा स्थल	सिंगराई	तिरूवल्लूर
366.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	सिरुकलातुर	कांचीपुरम्
367.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	सिरुवाडु	तिरूवल्लूर
368.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	ताडीपडी	तिरूवल्लूर
369.	पत्थर के घेरे सहित महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	वनमाली	तिरूवल्लूर
370.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	विरकुपम	तिरूवल्लूर

1	2	3	4
371.	प्रागैतिहासिक स्थल	मोटूर	तिरूवनमलाई
372.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	नेडुंगल	तिरूवनमलाई
373.	महापाषाणिक ताबूत	तेलुर	तिरूवनमलाई
374.	महापाषाणिक ताबूत	टेट्टूरई	तिरूवनमलाई
375.	महापाषाणिक ताबूत	वेंकुन्नम	तिरूवनमलाई
376.	प्रागैतिहासिक स्थल	अडीचनल्लूर	तूतीकोरिन
377.	प्रागैतिहासिक स्थल	कलवोई	तूतीकोरिन
378.	प्रागैतिहासिक स्थल	करुंगुलाम	तूतीकोरिन
379.	अर्न दफन स्थल	कडागमबट्टू	विल्लूपुरम्
380.	महापाषाणिक ताबूत तथा कंदराएं	सेंगामेडु	विल्लूपुरम्
381.	महापाषाणीय प्रस्तर सर्किल	तिरुवक्करई	विल्लूपुरम्
382.	पालामलई के समीप डोलमेंस	अडुक्कम	डिंडीगुल
383.	मंडप्पाकड्डू (टीला सहित संरचनाएं)	चित्तीपालयम्	कोयम्बतूर
384.	प्रागैतिहासिक स्थल (पांडव गुफा के नाम से प्रसिद्ध)	कन्यापुंडी	कोयम्बतूर
385.	मचूर आरक्षित वन के निकट डोलमेंस	पनईक्कडु	डिंडीगुल
386.	मचूर के निकट डोलमेंस	पनईक्कडु	डिंडीगुल
387.	पहाड़ी के शिखर पर तलियार नदी के निकट डोलमेंस	पनईक्कडु	डिंडीगुल
388.	डोलमेंस	पनईक्कडु	डिंडीगुल
389.	आर्सेनल	चेन्नई	चेन्नई
390.	एप्लाइडल	चेन्नई	चेन्नई
391.	बड़ा माल गोदाम	चेन्नई	चेन्नई
392.	बड़ा माल गोदाम	चेन्नई	चेन्नई
393.	बड़ा माल गोदाम	चेन्नई	चेन्नई
394.	गेरीसन इंजीनियर का डिपा	चेन्नई	चेन्नई
395.	गेरीसन इंजीनियर का डिपा	चेन्नई	चेन्नई
396.	किंग बैरक	चेन्नई	चेन्नई
397.	स्नोब ऐले के बायीं तरफ अंतिम मकान	चेन्नई	चेन्नई
398.	नर्सिंग सिस्टर का मकान	चेन्नई	चेन्नई
399.	अंग्रेजों की पैदल सेना के अधिकारियों का पुराना मेस	चेन्नई	चेन्नई

1	2	3	4
400.	रैमपर्ट, गेट, बुर्ज, वाल्टेड चैम्बर सहित पैविलियन तथा इसके नीचे वाटर सिस्टर्न : वर्तमान कांटेदार चारदीवारी की सीमा तक ग्लैसिस सहित चारो तरफ मोट और सुरक्षा दीवार	चेन्नई	चेन्नई
401.	सेंट मेरी चर्च	चेन्नई	चेन्नई
402.	सेंट मेरी चर्च	चेन्नई	चेन्नई
403.	वालसलें का घर	चेन्नई	चेन्नई
त्रिचूर मंडल			
404.	विवेकानंद रॉक मेमोरियल	कन्याकुमारी तट	कन्याकुमारी
405.	रॉक कट गुफा मंदिर	तिरुनंदीकारा	कन्याकुमारी
406.	भगवती मंदिर	चित्रलदेशम	कन्याकुमारी
407.	किला	वट्टाकोट्टई	कन्याकुमारी
408.	पार्थसारथी और कृष्ण मंदिर	पार्थिवपुरम	कन्याकुमारी
409.	भक्तवत्सल मंदिर	चेरनमहादेवी	कन्याकुमारी
410.	वरंचीमलई में अभिलेखों वाले दो रॉक कट मंदिर	तिरुमालापुरम	कन्याकुमारी
411.	वल्लीश्वरा मंदिर	तिरुवलीश्रम	कन्याकुमारी
412.	प्राचीन स्थल	कुन्नाट्टूर	कन्याकुमारी
413.	मूर्ति वाले डोलमेंस का समूह	बनागुडी शोलई	कन्याकुमारी

विवरण-II

तमिलनाडु में चालू वित्तीय वर्ष (2007–08) में शुरू किए जाने वाले विशेष कार्यों का ब्यौरा

क्र.सं.	स्मारक/स्थल का नाम	निधियों का आवंटन (रुपए लाखों में)
1	2	3
1.	पटलीश्वरा मंदिर, ब्रह्मदेशम विल्लूपुरम	10.00
2.	अगस्तीश्वरा मंदिर, वेल्लानूर, पुडुक्कोट्टई	7.00
3.	शैलकृत शिव मंदिर, (कडमम्बारकोइल), नरथामलई, पुडुक्कोट्टई	3.00
4.	नीतिश्वरस्वामी मंदिर, श्रीमुशनम, कुड्डालौर	8.00
5.	शिव मंदिर, जिंजी	10.00
6.	शोर मंदिर, मामल्लापुरम, कांचीपुरम	15.00
7.	ध्वस्त डच किला तथा कब्रिस्तान, सद्रास, कांचीपुरम	10.00
8.	उत्तमादानीश्वरा मंदिर, किलट्टनीयम, पुडुक्कोट्टई	20.00

1	2	3
9.	शिवगंगा छोटा किला जिसमें बड़ा मंदिर है, तंजावुर	20.00
10.	पहाड़ी किला, नमक्कल	5.00
11.	महापाषाणिक स्थल तथा कंदराएं, सानूर, कांचीपुरम	7.00
12.	क्लाइव हाउस, चेन्नई	12.00
13.	सिक्कनाथस्वामी मंदिर, कुडुमियांमलई, पुडुक्कोट्टई	20.00
14.	छोटी पहाड़ी पर स्मारक समूह, मामल्लापुरम, कांचीपुरम	5.00
15.	पहाड़ी पर किला तथा मंदिर, चिन्नाकवन्डालूर, सलेम	10.00
16.	ऐरावतेश्वरा मंदिर, दारासुरम, तंजावुर	25.00
17.	बृहदीश्वरा मंदिर, तंजावुर	25.00
18.	बृहदीश्वरा मंदिर, गंगईकोंडाचोलापुरम, पेरमबलूर	25.00
19.	किला, वेल्लौर	28.00
20.	फोर्ट सेंज जॉर्ज तथा परकोटा दीवार, चेन्नई	20.00
21.	प्रकाश – पुंज प्रदान करना (स्मारक समूह), मामल्लापुरम, कांचीपुरम	10.00
22.	प्रस्तर तथा ईट किला, तिरूमयम, पुडुक्कोट्टई	20.00
23.	राजागिरि किला, जिंजी	10.00
24.	शैलकृत गुफा, नरसामंगलम, तिरूवन्नामलई	10.00
25.	आपातसहायेश्वरा मंदिर, सेंदामंगलम, विल्लूपुरम	20.00
26.	श्री पार्थसारथी मंदिर, पार्थिवपुरम	0.50
27.	शैलकृत गुफा, तिरूनंदीकेरे	0.75
28.	श्री भगवती मंदिर, चितराल	2.00
29.	वट्टाकौटे किला	4.00
30.	श्री वलीश्वरा मंदिर, तिरूवल्लाश्वरम्	1.50
31.	श्री भक्तवात्सल मंदिर, चेरनमहादेवी	2.00
32.	शैलकृत गुफा, तिरूमालापुरम	0.50
33.	प्राचीन स्थल, कुन्नातुर	1.00
34.	श्री भक्तवात्सल मंदिर, चेरनमहादेवी	10.00
35.	श्री वलीश्वरा मंदिर, तिरूवल्लाश्वरम	10.00
	कुल	387.25

निजी क्षेत्र में आरक्षण हेतु विधान

717. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संगठन ने निजी क्षेत्र में आरक्षण हेतु विधान की मांग करने वाला ज्ञापन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में निजीकरण और वैश्वीकरण के कारण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों हेतु कम होते रोजगार के अवसरों के मद्देनजर निजी क्षेत्र में आरक्षण हेतु विधान लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (घ) मीडिया में और लोक प्रतिनिधियों द्वारा निजी क्षेत्र में आरक्षण हेतु विधान की मांग उठाई गई है। तथापि, ऐसा विधान लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

पिछड़े और पर्वतीय क्षेत्रों हेतु एल पी जी के रूप में वैकल्पिक ईंधन

718. प्रो. प्रेम कुमार धूमल : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर पिछड़े और पर्वतीय क्षेत्रों में और हिमाचल प्रदेश में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एल पी जी) के रूप में वैकल्पिक ईंधन की संभाव्यता का पता लगाने और वनों की कटाई को रोकने के लिए और वनों के संरक्षण के लिए प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार इस पर कब तक विचार करेगी और इसकी संभाव्यता का पता लगाएगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) एल पी जी एक स्वच्छ और पर्यावरणानुकूल ईंधन है। 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार देश की लगभग 48.6% जनसंख्या को कवर करने के लिए एल पी जी के उपयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओ एम सीज) 9.43 करोड़ (लगभग) एल पी जी ग्राहकों की सेवा कर रही हैं जिनमें से 2.15 करोड़ (लगभग) ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। हिमाचल प्रदेश में ओ एम सीज के 12.10 लाख ग्राहक हैं जो 2001 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या का लगभग 99% हैं।

ओ एम सीज ने शहरी, अर्ध–शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न आय वर्गों की मांग पूरी करने के लिए अगस्त, 2002 से 5 कि.ग्रा. वाले एल पी सिलेंडर भी शुरू किए हैं और परिवहन की सुविधा के कारण हिमाचल प्रदेश समेत पर्वतीय भूभागों और देश में अंदरूनी इलाकों तक भी एल पी जी की पहुंच का विस्तार किया है। 30.6.2007 को स्थिति के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 0.11 लाख एल पी जी ग्राहकों सहित देश में ऐसे सिलेंडरों के 3.86 लाख एल पी जी ग्राहक हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

देवनहल्ली में विमानपत्तन

719. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलौर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन लिमिटेड ने केन्द्र सरकार के सुझावों का अनुपालन करते हुए देवनहल्ली में बनने वाले ग्रीनफील्ड विमानपत्तन की टर्मिनल इमारत के भाग के रूप में कैनोपी पर कार्य आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कैनोपी मूल योजना का भाग था और लागत संबंधी संघटक को अभी तक तय नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या अप्रैल, 2008 में परिचालन आरंभ करने वाले विमानपत्तन के दो तकनीकी और सौंदर्यपरक पहलुओं पर केन्द्र सरकार ने आशंका व्यक्त की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। केनोपी, मूल योजना का हिस्सा नहीं था। इस घटक की लागत अभी आंकी जानी है।

(ग) और (घ) बंगलौर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लिमिटेड (बीआईएएल) की जानकारी में लाया गया है कि विमान के बोर्डिंग क्षेत्र में जाने के लिए जो सीढ़ियां और एस्केलेटर चढ़ने पड़ते हैं वे एक दूसरे के बहुत समीप हैं और उनका दोबारा से एलाइनमेंट करवाया जाना जरूरी हो सकता है। बीआईएएल को यह भी परामर्श दिया गया है कि वर्षा से पानी की निकासी को सुधारा जाए ताकि भारी वर्षा होने के दौरान पानी इकट्ठा न हो सके। बीआईएएल को टर्मिनल भवन के सामान्य सौंदर्य को भी सुधारे जाने का परामर्श दिया गया है।

बीआईएएल ने सूचना दी है कि सरकार द्वारा दिए गए सुझावों को कार्यान्वित किया जा रहा है और एयरपोर्ट को सभी प्रकार से विश्व स्तर का बनाए जाने का आश्वासन दिया है।

[हिन्दी]

सैटेलाइट डीजल शेड का डीजल होम शेड में परिवर्तन

720. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पूर्णा स्थित दक्षिण मध्य रेल के सैटेलाइट डीजल शेड को डीजल होम शेड में परिवर्तित करने का है जो कि रेलवे के लिए अधिक किफायती हो सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) इस क्षेत्र में मौजूदा डीजल शेडों की उपलब्धता के अलावा यातायात के प्रवाह और अन्य परिचालनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, पूर्णा स्थित पूर्ववर्ती उपग्रह डीजल शेड को पूर्ण–विकसित डीजल शेड में परिवर्तित करने की मांग औचित्यपूर्ण नहीं पाई गई है।

[अनुवाद]

फूड स्ट्रीट

721. श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूरे देश में कतिपय शहरों में "फूड स्ट्रीट" स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उन शहरों के क्या नाम हैं जिन्हें इस प्रयोजनार्थ चुना गया है; और

(ग) इस योजना को क्रियान्वित करने तथा जनसुविधाएं और कचरा–निपटान तंत्र मुहैया कराकर फूड स्ट्रीट के आस–पास के क्षेत्र को साफ और स्वास्थ्यकर बनाए रखने को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) सड़क–गली किनारे बिकने वाली खाद्य वस्तुओं के गुणवत्ता उन्नयन संबंधी स्कीम् के अंतर्गत, सरकार की योजना, ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सक्षम प्राधिकारी से औपचारिक अनुमोदन की प्राप्ति की शर्त के अधीन, देश में पर्यटकों की दृष्टि से महत्व रखने वाले 25 शहरों में स्ट्रीट्स का उन्नयन फूड स्ट्रीट के रूप में करने का है। स्कीम को स्थानीय निकायों और राज्य सरकारों के जरिए कार्यान्वित किया जाएगा।

स्कीम की रूपरेखा और योजना प्रारंभिक स्तर पर है। इस प्रयोजन हेतु शहरों का अभी चयन नहीं किया गया है।

औपचारिक अनुमोदन प्राप्त होने के बाद इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए जायेंगे। शहरी स्थानीय निकायों और राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी से, यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त सावधानी बरती जाएगी कि जनसुविधाएं और कचरा निपटान तंत्र मुहैया कराकर फूड स्ट्रीट के आस–पास के क्षेत्र को साफ और स्वास्थ्यकर रखा जा रहा है।

यात्रियों हेतु पहचान-पत्र

722. श्री एस.के. खारवेनथन :
श्री ई.जी. सुगावनम :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुरक्षा कारणों से विमान यात्रियों हेतु पहचान–पत्र साथ ले जाना अनिवार्य कर दिया गया है;

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बार–बार यात्रा करने वाले व्यक्तियों हेतु मानदंडों में छूट दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

नई रेलवे पूछताछ प्रणाली

723. श्री के.सी. पल्लानी शामी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने सभी मूलभूत सूचनाओं की जानकारी लेने के लिए सामान्य देशव्यापी पूछताछ नंबर की शुरूआत की है; और

(ख) यदि हां, तो मुख्य विशेषताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को रेल दूरभाष सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से एकीकृत गाड़ी पूछताछ प्रणाली तैयार की जा रही है। जिसमें अन्य बेहतर सेवाओं सहित इन्टरेक्टिव वायस रेसपान्स सिस्टम' (आईवीआरएस) और मैनुअल पूछताछ प्रावधानों दोनों, पर गाड़ी के चलने की स्थिति, आरक्षण की स्थिति, स्थान की उपलब्धता संबंधी सूचना के प्रसारण की व्यवस्था शामिल है। टेलीकाम सर्किल में पूछताछ करने का

इच्छुक कोई व्यक्ति बिना एसटीडी कोड लगाए लोकल काल के रूप में 139 सार्वभौमिक नंबर डायल करेगा और इन्टरेक्टिव वायस रेसपान्स सिस्टम (आईवीआरएस) से जुड़ जाएगा। मैनुअल पूछताछ के लिए भी उसे इन्टरेक्टिव वायस रेसपान्स सिस्टम (आईवीआरएस) के माध्यम से दिशानिर्देश मिलेगा। प्रारंभिक पूछताछ सेवाओं के लिए यह प्रणाली उत्तर रेलवे पर पहले ही शुरू हो चुकी है और चालू वित्त वर्ष 2007–08 में इसे धीरे–धीरे पूरे देश में मुहैया कराया जाएगा।

अराबघट्टा रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण

724. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को कर्नाटक सरकार से चित्रदुर्ग जिले में अराबघट्टा रेलवे स्टेशन के उन्नयन के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें प्लेटफार्म का विस्तार, चौकीदार वाले फाटक लगाया जाना और रेलवे स्टेशन पर सोलर लाइट की व्यवस्था करना सम्मिलित है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) तत्संबंधी प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कोटा में रंगपुर रोड पर सड़क उपरिपुल

725. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोटा (राजस्थान) में क्रासिंग सं. 109 रंगपुर रोड पर सड़क उपरिपुल रेलवे द्वारा निर्माणाधीन है;

(ख) यदि हां, तो उपरिपुल के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है और इस पर अब तक कितना खर्च किया जा चुका है; और

(ग) इसके कार्य को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) रेलवे के हिस्से के निर्माण कार्य (रेलपथ पर पुलखास) के लिए उप–संरचना डैक स्लैब और गर्डरों का निर्माण कर लिया गया है। परत बनाने और पाथवे का कार्य प्रगति पर ही रेलवे ने अभी तक 5.00 करोड़ रुपये का खर्च वहन किया है।

(ग) रेलवे के हिस्से का कार्य सितम्बर 2007 तक पूरा कर लिया जाएगा।

रेलगाड़ियों में खान-पान सेवा की गुणवत्ता

726. श्री वसंतराव भोरे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का रेल यात्रा के दौरान प्रदान की जाने वाली खान–पान सेवा पर प्रशासनिक नियंत्रण है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे को रेलगाड़ियों में खान–पान सेवा द्वारा परोसे जाने वाले घटिया गुणवत्ता वाले खाने के बारे में भी जानकारी है;

(ग) क्या रेलवे को इस बारे में भी जानकारी है कि खान–पान सेवा द्वारा परोसे जाने वाली चाय, नाश्ते और खाद्य वस्तुओं के अत्यधिक मूल्य वसूल किए जाते हैं जिसके कारण यात्रियों में आक्रोश है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में वर्ष 2006–07 और 2007–08 के दौरान कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और उन पर क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) रेलगाड़ियों में खान–पान सेवा में सुधार करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) डी, ई और एफ कोटि के स्टेशनों पर प्राइवेट लाइसेंसधारियों के माध्यम से प्रदान की गई खानपान सेवाओं का नियंत्रण सीधे क्षेत्रीय द्वारा किया जाता है। "ए" "बी" एवं "सी" कोटि के स्टेशनों और गाड़ियों में खानपान सेवाएं प्राइवेट लाइसेंसधारियों एवं भारतीय रेलवे द्वारा पूर्णतः स्वामित्वप्राप्त कंपनी, भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के विभागीय कर्मचारियों द्वारा मुहैया कराई जाती है।

(ख) और (ग) रेल स्टेशनों और गाड़ियों में यात्रियों को स्वच्छ एवं स्वास्थ्यप्रद भोजन उपलब्ध कराती हैं। सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए रेलों और भा.रे.खा.प.नि. के अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण आयोजित किए जाते हैं। यात्रियों से अधिक धन वसूल करने पर कर्मचारियों/लाइसेंसधारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(घ) वर्ष 2006–07 के दौरान कुल 2656 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। वर्ष 2007–08 की अवधि की स्थिति इस समय प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। शिकायतें प्रमाणित होने पर चेतावनी, जुर्माना, सेवा से बर्खास्तगी, सलाह–मशविरा आदि जैसी उपयुक्त कार्रवाइयां की गई हैं।

(ङ) चालू प्रक्रिया के रूप में, भारतीय रेलों की खानपान

सेवाओं पर क्षेत्रीय रेलों और आईआरसीटीसी की निरंतर नजर रहती है। आईआरसीटीसी विविध व्यंजनों वाले अत्याधुनिक फूड प्लाजा स्थापित कर रही है, यह गरम व ठण्डे पेय पदार्थों की व्यवस्था के लिए स्वचालित वेंडिंग मशीनें मुहैया कराने और रेलों की वर्तमान बेस रसोईघरों को आधुनिक बनाने का काम कर रही है। आईआरसीटीसी ने भारतीय रेलवे के यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री सप्लाई करना सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र खाद्य लेखा परीक्षा एजेंसियां नियुक्त की हैं। आईआरसीटीसी के माध्यम से रेलों द्वारा खानपान यूनिटों के लिए सभी उत्तम प्रक्रियाएं जैसे उत्तरोत्तर आईएसओ (इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड–राइजेशन) और एचएसीसीपी (हैजर्ड एनलीसिस और क्रिटिकल कंट्रोल प्वाइंटस) प्रमाणन का अनुपालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, खाने की गुणवत्ता पर निरंतर मॉनीटरिंग के लिए समर्पित गुणवत्ता निरीक्षकों की नियुक्ति की गई है।

[अनुवाद]

गुजरात को वित्तीय सहायता

727. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने अवसंरचना/गंतव्य स्थल विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृति और पर्याप्त वित्तीय सहायता जारी करने हेतु केन्द्र सरकार को पर्यटन परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन परियोजना प्रस्तावों पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) गंतव्यों एवं परिपथों के उत्पाद/अवसंरचना विकास के अंतर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए गुजरात राज्य सरकार से निम्नलिखित परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :–

क्र.सं.	परियोजना का नाम
1	2
1.	धारी, जिला अमरेली में अम्बारडी वन्य जीव व्याख्यान केन्द्र का विकास
2.	तारनेतर का गंतव्य विकास
3.	देव–मी–मोरी में पर्यटक सुविधाओं का एकीकृत विकास
4.	चम्पानेर, पावागढ़ में गंतव्य विकास
5.	पाटन में पर्यटक सुविधाओं का एकीकृत विकास
6.	अम्बाजी, जिला अम्बाजी में पर्यटक सुविधाओं का एकीकृत विकास
7.	नागेश्वर, जिला जामनगर में ग्रामीण पर्यटन परियोजना
8.	कनकपुरा, जिला आनन्द में ग्रामीण पर्यटन परियोजना
9.	नवागाम, जिला खेड़ा में गांधी केन्द्र का विकास
10.	दांडी, जिला नवसारी में पर्यटक सुविधाओं का विकास
11.	जिंजुवाडा में पर्यटक सुविधाओं का उन्नयन एवं विकास
12.	सासनगीर, जिला जूनागढ़ में पर्यटक सुविधाओं का विकास
13.	धौलावीरा, जिला कच्छ में ग्रामीण पर्यटन परियोजना
14.	जूनागढ़–वेरावल–पोरबंदर–द्वारका में पर्यटक परिपथ का एकीकृत विकास

सभी प्रकार से पूर्ण परियोजना प्रस्तावों का दिशा–निर्देशों के अनुसार मूल्यांकन किया जाता है और पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर उन पर कार्रवाई की जाती है तथा संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक शीर्ष के अधीन उपलब्धता की शर्त पर धनराशि अवमुक्त की जाती है।

असम में पर्यटन को बढ़ावा

728. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम सरकार और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों की सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को कोई पर्यटन को बढ़ावा देने वाली परियोजना के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो लंबित प्रस्तावों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु असम सहित पूर्वोत्तर के राज्यों से प्राप्त परियोजना प्रस्ताव संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

सभी प्रकार से पूर्ण परियोजना प्रस्तावों का दिशा–निर्देशों के अनुरूप मूल्यांकन किया जाता है और पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर उन पर कार्रवाई की जाती है तथा संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान संबंधित शीर्ष के अधीन उपलब्धता की शर्त पर उनके लिए निधियां जारी की जाती हैं।

(ग) मंजूर की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :–

(लाख रुपयों में)

	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08
असम	836.75	2076.03	2453.39	–
अरुणाचल प्रदेश	1041.69	1963.94	1755.30	856.06
मणिपुर	78.10	57.30	793.29	–
मेघालय	994.98	5.00	1312.00	–
मिजोरम	1101.37	1614.41	2613.38	–
नागालैण्ड	2275.69	1733.97	2340.32	766.50
सिक्किम	585.81	2712.89	2609.42	3976.72
त्रिपुरा	10.00	711.33	291.27	–

विवरण

वर्ष 2007–08 के लिए पूर्वोत्तर राज्यों से प्राप्त परियोजना प्रस्ताव

क्रम सं.	राज्य	परियोजना
1	2	3
1.	असम	धुबरी–महामाया–बारपेटा–हाजो में पर्यटक परिपथ (पश्चिम असम) का विकास
2.	–वही–	गंतव्य विकास की योजना के अंतर्गत एक प्रमुख पर्यटक गंतव्य के रूप में गुवाहाटी के विकास हेतु वर्ष 2007–08 के दौरान केन्द्रीय वित्तीय सहायता
3.	–वही–	पर्यटक परिपथ के विकास की योजना के अंतर्गत बराकघाटी और टूहिल (दक्षिण असम) हेतु वर्ष 2007–08 के दौरान केन्द्रीय वित्तीय सहायता
4.	–वही–	पर्यटक परिपथ विकास की योजना के अंतर्गत काजीरंगा–शिवसागर–माजुली–जोरहाट (पूर्वी असम) हेतु वर्ष 2007–08 के दौरान केन्द्रीय वित्तीय सहायता
5.	सिक्किम	दक्षिण सिक्किम में नामची में फ्लावर शो पैविलियन का निर्माण
6.	–वही–	पूर्वी सिक्किम में तसामगो का सौंदर्यीकरण और अन्य पर्यटक अवसंरचना
7.	–वही–	पश्चिम सिक्किम में उत्तारे में आर्टिफिशियल लेक का विकास
8.	–वही–	पश्चिम सिक्किम में बोजे में वाटर गार्डन और कम्युनिटी पार्क का विकास
9.	–वही–	पश्चिम सिक्किम के थारपु में सांस्कृतिक ग्राम का विकास
10.	–वही–	पूर्वी सिक्किम में हनुमान टोक, त्रासी व्यू प्वाइंट और गणेश टोक में पोनी ट्रेक और अन्य अवसंरचना का निर्माण
11.	–वही–	दक्षिणी सिक्किम में गणेश टोक से व्यू प्वाइंट तक नेरो गेज ट्रॉय ट्रेन का निर्माण
12.	–वही–	पश्चिमी सिक्किम में तासिडिंग में पर्यटक गंतव्य सह तीर्थ केन्द्र की योजना के अंतर्गत वर्ष 2007–08 के दौरान केन्द्रीय वित्तीय सहायता

1	2	3
13.	–वही–	इंटरप्रेटेशन हाल, मैडिटेशन हाल, स्वागत एवं पर्यटक सुविधा ब्लॉक का निर्माण, भू–दृश्यांकन, पार्किंग स्थल निवेश (दक्षिणी सिक्किम के राबोंगे में बुद्ध स्टैचु और गार्डन)
14.	–वही–	उत्तर सिक्किम में दम्बोची, जकथांग और थंगु–फू के हाई आल्टीट्यूट ट्रेक सहित काबी से तामजे तक ट्रेकिंग रूट का विकास
15.	–वही–	पूर्वी सिक्किम में नाथुला–मेमेंचो–कुपुप–गनाथंग पर्यटक परिपथ का विकास
16.	–वही–	पूर्वी सिक्किम में गंगटोक के आस–पास बलवखानी में व्यू टावर और फूड ट्रेल का निर्माण
17.	–वही–	दक्षिण सिक्किम में टेक में पर्यटक हैरिटेज केन्द्र का निर्माण
18.	–वही–	पूर्वी सिक्किम के रंगपो में पर्यटक स्वागत केन्द्र
19.	–वही–	पूर्वी सिक्किम के सेंट्रल पैंडम में बुढांग गाडी (फोर्ट) का विकास
20.	–वही–	पूर्वी सिक्किम में चोचेन फेरी के साथ बौद्ध परिपथ के विकास हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
21.	–वही–	गंगटोक में पर्यटन भवन का निर्माण एवं विकास
22.	नागालैण्ड	वर्ष 2007–08 के लिए परियोजना तिजु कुखा और एडवेंचर डेस्टीनेशन
23.	–वही–	वर्ष 2007–08 के लिए सीएसएस के अंतर्गत 'खेनसा' में गंतव्य का विकास
24.	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर के पास गेयाकर सिनयी झील का विकास एवं सुधार
25.	–वही–	मायुडिया लोवर दोबांग घाटी में पर्यटक परिसर का निर्माण
26.	–वही–	ईटानगर, जिरो–दापोरिजो बसर में अरुणाचल प्रदेश में पर्यटक परिपथ का विकास
27.	मिजोरम	ट्रेकिंग और रीवर राफ्टिंग जैसे मिजोरम (साहसिक) पर्यटन हेतु टेंटों वालेआवास की खरीद
28.	–वही–	दक्षिणी पर्यटन परिपथ चरण–2 लुंगलई–साइचो–थेंजावल–सी–अल्सुक–सुइफांग का विकास
29.	–वही–	साकावरडी का गंतव्य पर्यटन विकास
30.	–वही–	'कानहमुन' का गंतव्य पर्यटन विकास

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

729. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड का गठन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके प्रस्तावित कार्य क्या है; और

(ग) इस बोर्ड को कब तक गठित किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) जी हां। सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पी एन जी आर बी) गठित करने का निर्णय किया है। यह बोर्ड पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस का परिशोधन, प्रोसेसिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण, विपणन तथा बिक्री को विनियमित करेगा। इसमें कच्चा तेल तथा प्राकृतिक गैस का उत्पादन शामिल नहीं है ताकि उपभोक्ताओं और पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों तथा प्राकृतिक गैस से संबंधित विनिर्दिष्ट कार्यों में लगी हुई कंपनियों के हितों की सुरक्षा की जा सके और देश के सभी भागों में पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों तथा प्राकृतिक गैस की बिना बाधा और पर्याप्त पूर्ति सुनिश्चित हो सके। बोर्ड के कार्यों में प्रतिस्पर्धात्मक बाजारों को बढ़ाना और उससे संबंधित अथवा प्रासंगिक मामलों पर कार्रवाई करना शामिल है।

(ग) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पी एन जी आर बी) का गठन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 के अधीन 25.06.2007 से किया गया है।

[हिन्दी]

नए रेलवे जोन का सृजन

730. श्री अनवर हुसैन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है पूर्वोत्तर के लोग अलीपुरद्वार जोन के द्विभाजन और मालीगांव तथा डिब्रूगढ़ रेल मंडल के साथ एक नए जोन के सृजन की मांग कर रहे है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त जोन का सृजन कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) असम राज्य के सभी कांग्रेस सांसदों द्वारा माननीय प्रधानमंत्री को प्रस्तुत एक ज्ञापन में यह मुद्दा उठाया गया है। भारतीय रेल पर अलीपुरद्वार जोन नाम का कोई जोन नहीं है। अतः अलीपुरद्वार जोन के द्विभाजन का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके अलावा, इस क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए "पूर्वोत्तर सीमा रेल" नाम की एक क्षेत्रीय रेलवे, जिसका मुख्यालय गुवाहाटी में है, पहले ही मौजूद है।

पी.पी.पी. के माध्यम से अप्रयुक्त विमानपत्तनों का विकास

731. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :
श्री हरिसिंह चावड़ा :
श्री निखिल कुमार :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :
श्री जीवाभाई ए. पटेल :
श्री कीरेन रिजीजू :
श्री नवीन जिन्दल :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना देश भर के अनेक अप्रयुक्त विमानपत्तनों का विकास निजी–सरकारी भागीदारी (पी.पी.पी.) के माध्यम से करने की है;

(ख) यदि हां, तो इन विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से ऐसे विमानपत्तनों की पहचान करने, उनकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर गौर करने और उनकी तत्संबंधी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजने के लिए कहा है;

(घ) यदि हां, तो इस पर विभिन्न राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इन विमानपत्तनों का विकास कार्य कब तक आरंभ होने और पूरा होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं। बहरहाल इन हवाईअड्डों को विकसित करने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

"डाउ केमिकल" का प्रवेश

732. श्री बसुदेव आचार्य :
श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अब देश में यूनियन कार्बाइड की मूल कंपनी "डाउ केमिकल" को प्रवेश देने का प्रयास कर रही है जैसा कि 18 जुलाई, 2007 के "द एशियन एज" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने "डाउ केमिकल" से भोपाल में संदूषित फैक्ट्री स्थल को साफ करने की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर "डाउ केमिकल्स" की प्रतिक्रिया क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने तथा उनकी वैध मांगों को पूरा करने के लिए कोई कार्रवाई की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) से (घ) भारत में विदेशी कंपनियों का प्रवेश, सुविधाएं और परिचालन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों और लागू संगत अधिनियमों से नियंत्रित होता है और यही डाऊ केमिकल कम्पनी पर भी लागू होता है। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित 2004 की रिट याचिका संख्या 2802 (आलोक प्रताप सिंह बनाम भारत संघ और अन्य) में भारत सरकार द्वारा एक आवेदन दिया गया है जिसमें उच्च न्यायालय से प्रतिवादी संख्या 4 से 6 अर्थात् डाऊ केमिकल कम्पनी, यूनियन कार्बाईड कारपोरेशन यूएसए तथा भारतीय एवरेडी इंडस्ट्रीज लि., कोलकाता को भोपाल स्थित तत्कालीन भारतीय यूनियन कार्बाईड लि. (यूसीआईएल) संयंत्र के

पर्यावरणीय उपचार के लिए "प्रदूषणकर्ता भुगतान करता है" के सिद्धान्त के अनुसरण में खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन और निपटान) नियमावली, 1989 के नियम 16 के अनुसार अग्रिम के रूप में 100 करोड़ रुपए की राशि जमा करने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। यह मामला न्यायाधीन है। उच्च न्यायालय ने भोपाल स्थित तत्कालीन यूसीआईएल संयंत्र परिसर के भीतर और आसपास पड़े विषैले कचरे को हटाए जाने/निपटान की निगरानी के लिए सचिव, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया है।

(ङ) और (च) भोपाल गैस रिसाव त्रासदी के पीड़ितों को मुआवजा संवितरित करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार जुलाई, 2007 के अंत तक 5,73,686 दावेदारों को मूल मुआवजे के रूप में 1546.65 करोड रुपए की राशि संवितरित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, 4 अगस्त, 2007 तक 5,60,499 दावेदारों को, जिनके दावे निपटाए जा चुके थे, 1501.48 करोड़ रुपए की राशि यथानुपात मुआवजे के रूप में वितरित की गई है। इसके अलावा, पाइपलाइन बिछाने के जरिए यूसीआईएल प्लांट स्थल के ईद-गिर्द अवस्थित 14 बस्तियों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए एक परियोजना हेतु मध्य प्रदेश राज्य सरकार को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अन्तर्गत शहरी विकास मंत्रालय ने धन जारी किया है। भोपाल स्थित यूसीआईएल संयंत्र स्थल पर एक स्मारक के निर्माण हेतु योजना आयोग ने अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में मध्य प्रदेश सरकार को 10 करोड़ रुपए जारी किए हैं। भोपाल गैस पीड़ितों व उनके परिजनों के कल्याण व पुनर्वास हेतु भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए रसायन व पेट्रोरसायन विभाग ने एक संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति का गठन किया है।

[हिन्दी]

पर्यटन विकास

733. श्री भुबनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय बजट का कितने प्रतिशत हिस्सा पर्यटक स्थलों के विकास और ऐतिहासिक महत्व के स्थानों के विकास के लिए आबंटित और खर्च किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान पर्यटन क्षेत्र से कितने प्रतिशत केन्द्रीय राजस्व अर्जित किया गया; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान पर्यटन विकास संबंधी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐतिहासिक महत्व के स्थानों सहित पर्यटक स्थानों के विकास की योजनाओं के अंतर्गत व्यय तथा बजटीय आबंटन के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में हैं।

(ख) टूरिज्म सेटेलाइट अकाउंट के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) में पर्यटन क्षेत्र का योगदान निम्नानुसार है :-

क्रम सं.	वर्ष	सकल घरेलू उत्पाद (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) में पर्यटन क्षेत्र का योगदान
1.	2002-03	5.83%
2.	2003-04	5.90%
3.	2004-05	6.11%

टूरिज्म सेटेलाइट अकाउंट के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नानुसार है :

क्रम सं.	वर्ष	अर्जित विदेशी मुद्रा
1.	2004	4796 मिलियन अमेरिकी डालर
2.	2005	5731 मिलियन अमेरिकी डालर
3.	2006	6569 मिलियन अमेरिकी डालर

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यटन संबंधी परियोजनाओं के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्वीकृत एवं जारी की गई निधियों के ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

2004-05 से 2006-07 तक की अवधि के लिए, ऐतिहासिक महत्व के स्थानों सहित, पर्यटक स्थानों के विकास हेतु पर्यटन मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत व्यय तथा बजटीय आबंटन के ब्यौरे

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	कुल बजट	अवसंरचना विकास हेतु आबंटन	कुल बजट का प्रतिशत आबंटन	अवसंरचना विकास की योजनाओं के अंतर्गत व्यय	अवसंरचना विकास हेतु आबंटन का प्रतिशत व्यय
2004-05	503.50	300.00	59.58	282.35	94.12
2005-06	786.00	481.00	61.19	473.48	98.44
2006-07	800.00	459.70	57.46	459.70	100

विवरण-II

दसवी पंचवर्षीय योजना के पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत राज्य–वार पर्यटन परियोजना ब्यौरा

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2004–05			2005–06			2006–07		
		स्वीकृत परियोजना की संख्या	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत परियोजना की संख्या	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत परियोजना की संख्या	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	आन्ध्र प्रदेश	16	2827.19	2240.68	7	2615.82	1700.00	3	1540.56	1195.44
2.	असम	8	986.03	766.22	10	2140.00	1698.45	9	2453.39	1813.21
3	अरुणाचल प्रदेश	9	1325.50	927.96	10	2240.16	1655.21	12	1887.80	608.73
4.	बिहार	7	1901.43	1527.71	3	1212.23	722.49	2	1937.29	974.59
5	छत्तीसगढ़	6	1117.94	897.93	7	1775.59	1436.54	16	3540.17	2491.12
6	गोवा	3	110.00	38.00	1	10.00	8.00	0	0.00	0.00
7	गुजरात	2	138.93	111.14	5	2011.58	1169.04	7	443.65	359.51
8	हरियाणा	6	693.55	513.64	7	639.71	515.77	5	1836.16	902.39
9	हिमाचल प्रदेश	12	2680.00	2161.00	6	1645.00	921.00	8	1871.00	1226.13
10	जम्मू और कश्मीर	5	819.25	699.04	22	6656.01	5320.31	29	5233.82	3392.90
11	झारखंड	2	945.91	756.72	5	1227.27	697.76	3	956.35	769.99
12	कर्नाटक	12	2461.76	1937.37	8	1706.52	1001.21	4	1323.89	1081.81
13	केरल	10	2283.63	1820.33	13	4858.88	3889.90	18	4474.02	4341.61
14	मध्य प्रदेश	11	1595.19	942.21	12	3047.39	2419.54	10	3668.47	2797.75
15	महाराष्ट्र	10	1620.62	925.30	9	2075.04	1662.99	13	2839.05	2278.46
16	मणिपुर	0	0.00	0.00	2	49.80	39.84	9	939.35	649.48
17	मेघालय	2	963.30	807.91	1	5.00	4.00	9	1435.29	1149.93
18	मिजोरम	6	1086.35	382.38	10	2273.41	1687.29	9	2613.38	2044.80
19	नागालैंड	7	2250.69	1413.40	9	2528.97	1873.17	8	2340.32	1862.51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	उड़ीसा	8	1320.74	1059.38	10	2309.61	1586.44	13	2826.84	1974.66
21	पंजाब	7	724.68	581.47	5	1437.67	1150.13	13	3223.37	1968.68
22	राजस्थान	13	2516.61	1375.07	7	2591.87	2086.40	8	953.84	763.06
23	सिक्किम	8	660.81	531.33	14	2844.56	2213.74	13	2609.42	1647.77
24	तमिलनाडु	7	1308.92	705.83	19	4264.62	3007.68	11	1866.41	1496.87
25	त्रिपुरा	1	20.00	16.00	3	716.26	569.43	4	291.27	96.01
26	उत्तरांचल	7	2199.98	1750.73	13	2738.00	2193.18	16	1907.50	1434.34
27	उत्तर प्रदेश	9	1044.93	831.19	18	3905.23	3126.03	7	3329.06	2663.24
28	पश्चिम बंगाल	10	513.04	407.43	5	989.35	792.48	10	2978.32	2195.35
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00	0.00	1	6.25	5.00	0	0.00	0.00
30	चंड़ीगढ़	3	467.00	373.60	1	13.70	1.3.70	2	15.00	14.00
31	दादर और नगर हवेली	0	0.00	0.00	2	29.79	25.92	0	0.00	0.00
32	दिल्ली	8	628.85	511.00	2	20.00	17.00	5	2400.09	1209.54
33	दमन और दीव	0	0.00	0.00	4	262.28	208.61	0	0.00	0.00
34	लक्षद्वीप	0	0.00	0.00	0	0	0	1	7.00	5.60
35	पांडिचेरी	2	451.00	360.00	2	469.39	375.51	1	500.00	400.00
	कुल	217	37663.83	27371.97	253	61316.96	45793.76	278	6424.208	45797.99

टिप्पणी – इसमें परिपथों, गंतव्यों, भारी राजस्व सृजक परियोजनाओं, ग्रामीण पर्यटन (साफ्टवेयर तथा हार्डवेयर), परियोजनाओं, आईटी, कार्यक्रम एवं मेलों तथा उत्सवों से संबंधित परियोजाएं शामिल हैं।

[हिन्दी]

नई उर्वरक नीति

734. श्री रामजीलाल सुमन : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि हेतु देश को नई उर्वरक नीति की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने नई नीति के संबंध में निर्णय लेने के लिए उर्वरक उत्पादन उद्योग के साथ कोई वार्ता की है; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित नीति के संबंध में उद्योग द्वारा दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) और (ख) यूरिया क्षेत्र में नई विस्तार परियोजनाओं की मूल्य–निर्धारण नीति को जनवरी, 2004 में सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। मौजूदा नीति इस क्षेत्र में निवेश आकृष्ट करने में सफल नहीं रही है। इसके अलावा, गैस की उपलब्धता, जो यूरिया का उत्पादन करने के लिए एक महत्वपूर्ण फीडस्टॉक है, इस क्षेत्र में निवेश आकृष्ट करने में एक प्रमुख बाधा रहा है।

भविष्य में गैस की उपलब्धता में अनुमानित सुधार करने तथा

मौजूदा नीति की सीमाओं को देखते हुए मौजूदा नीति की समीक्षा करने पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) उर्वरक उद्योग से नई निवेश नीति की व्यापक रूपरेखा पर निर्णय लेने के लिए परामर्श किया जा रहा है। एफएआई के जरिए उर्वरक उद्योग ने ब्राउनफील्ड/ग्रीनफील्ड संयंत्रों के लिए आयात सममूल्य के आधार पर तथा मौजूदा इकाइयों के पुनरूद्धार के जरिए विस्तार हेतु एक नई निवेश नीति का सुझाव दिया है। सरकार उर्वरक उद्योग द्वारा सुझाए गए उपर्युक्त विकल्प सहित सभी संभव विकल्पों की जांच कर रही है ताकि नई निवेश नीति को अंतिम रूप दिया जा सके।

[अनुवाद]

पेट्रोल पम्प और गैस एजेंसियों की स्थापना

735. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :**
श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पेट्रोल पम्प और गैस एजेंसी की स्थापना के क्या मानदंड हैं;

(ख) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों से 2007 के दौरान अब तक अतिरिक्त पेट्रोल पम्प और गैस एजेंसियां खोलने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विभिन्न राज्यों से इस बारे में प्राप्त अनुरोधों पर केन्द्र सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (ए पी एम) को दिनांक 1.4.2002 से समाप्त करने के बाद, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) अर्थात इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी एल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच पी सी एल) और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी पी सी एल) को छूट दी गई है कि वे चुनिन्दा स्थानों की व्यवहार्यता और आर्थिक सक्षमता के आधार पर अपने वाणिज्यिक महत्व के अनुसार खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप और एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप/एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप विभिन्न सक्षम सांविधिक प्राधिकरणों से सांविधिक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद स्थानीय/सरकारी प्राधिकरणों, आदि द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार स्थापित किए जाते हैं।

(ख) से (घ) विशिष्ट स्थानों पर खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप और एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित करने के लिए सरकार को समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। ऐसे अनुरोध प्रस्तावित स्थान की व्यवहार्यता/आर्थिक सक्षमता की जांच करने के लिए ओ एम सीज को भेज दिए जाते हैं। व्यवहार्य पाए जाने पर उन स्थानों को ओ एम सीज की विपणन योजनाओं में शामिल कर लिया जाता है।

रेलगाड़ियों में और स्टेशनों पर अपराध

736. **श्री हेमलाल मुर्मू :**
श्री रघुराज सिंह शाक्य :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान रेलगाड़ियों और स्टेशनों में कितनी ट्रेन डकैतियों और अन्य आपराधिक घटनाएं हुईं;

(ख) प्रत्येक घटना में मारे गए और रेल सम्पदा की हुई क्षति का ब्यौरा क्या है और कितने दोषी व्यक्तियों को पकड़ा गया है और दण्डित किया गया; और

(ग) ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए रेलवे ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विश्व विरासत स्थल के रूप में लाल किला

737. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :**
श्री के.सी. पल्लानी शामी :
श्री धर्मेन्द्र प्रधान :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व विरासत समिति ने हाल ही में लाल किले को विश्व विरासत सूची में शामिल करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस स्मारक की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए लाल किले के आसपास के क्षेत्र के विकास और उसके समुचित रखरखाव के लिए ए एस आई द्वारा उठाए जा रहे/उठाए जाने वाले और कदम क्या हैं;

(घ) विश्व विरासत सूची में अन्य कौन–कौन से ऐतिहासिक स्मारक/स्थल शामिल हैं; और

(ङ) इन स्मारकों के बेहतर प्रबंधन के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) यूनेस्को की विश्व विरासत समिति ने क्राइस्टचर्च (न्यूजीलैण्ड) में 23 जून से 02 जुलाई, 2007 तक आयोजित अपने 31वें अधिवेश में लाल किला परिसर, दिल्ली को इसके स्थानीय परम्पराओं पर निर्मित समृद्ध मुगल वास्तुशिल्प द्वारा प्रस्तुत उत्कृष्ट सार्वभौमिक महत्व का होने, शाहजहां के शासन काल में शक्ति का प्रतीक रहने और वह स्थान, जहां प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और आज भी मनाया जाता है, होने के कारण इसे विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया है।

(ग) लाल किला के आस पास के बफर क्षेत्र को समुचित भूदृश्य निर्माण द्वारा विकसित किया गया है और स्मारक का दैनिक अनुरक्षण सतत् प्रक्रिया के भाग के रूप में किया जाता है। इसके अलावा, एक व्यापक संरक्षण प्रबंधन योजना तैयार की गई है जिसमें स्मारक की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए दोनों अल्पावधि तथा दीर्घावधि संरक्षण नीतियां उल्लिखित हैं।

(घ) विश्व विरासत सूची में पहले से ही शामिल भारतीय स्थलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) विश्व विरासत स्थलों में प्रबंधन प्रणाली विद्यमान है और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार अपेक्षित संरक्षण उपाय किए जाते हैं।

विवरण

भारत में विश्व विरासत स्थल

क्रम संख्या	स्थल का नाम	राज्य
1	2	3
सांस्कृतिक स्थल		
1.	अजन्ता गुफाएं (1983)	महाराष्ट्र
2.	एलोरा गुफाएं (1983)	महाराष्ट्र
3.	आगरा किला (1983)	उत्तर प्रदेश
4.	ताजमहल (1983)	उत्तर प्रदेश
5.	सूर्य मंदिर, कोर्णाक (1984)	उड़ीसा
6.	स्मारक समूह, महाबलीपुरम् (1984)	तमिलनाडु
7.	चर्च तथा कॉन्वेंट, गोवा (1986)	गोवा
8.	स्मारक समूह, खुजराहो (1986)	मध्य प्रदेश
9.	स्मारक समूह, हम्पी (1986)	कर्नाटक
10.	स्मारक समूह, फतेहपुर सीकरी (1986)	उत्तर प्रदेश
11.	मंदिर समूह, पट्टडकल (1987)	कर्नाटक
12.	एलिफेंटा गुफाएं (1987)	महाराष्ट्र
13.	तंजावुर, गंगईकोंडाचोलापुरम तथा दारासुरम स्थित महान विद्यमान चोल मंदिर (1987 तथा 2004)	तमिलनाडु
14.	बौद्ध स्मारक, सांची (1989)	मध्य प्रदेश
15.	हुमायूं का मकबरा, दिल्ली (1993)	दिल्ली
16.	कुतुब मीनार परिसर, दिल्ली (1993)	दिल्ली
17.	माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया (1999 तथा 2005)	पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु
18.	महाबोधि मंदिर, बोधगया (2002)	बिहार
19.	प्रागैतिहासिक शैलाश्रय, भीमबेटका (2003)	मध्य प्रदेश
20.	चम्पानेर – पावागढ़ पुरातत्वीय उद्यान (2004)	गुजरात
21.	छत्रपति शिवाजी टर्मिनस (पूर्व विक्टोरिया टर्मिनस), मुम्बई (2004)	महाराष्ट्र
प्राकृतिक स्थल		
1.	काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (1985)	असम
2.	मानस वन्य जीव अभ्यारण्य (1985)	असम
3.	केयोलादेव राष्ट्रीय उद्यान (1985)	राजस्थान
4.	सुन्दरवन राष्ट्रीय उद्यान (1987)	पश्चिम बंगाल
5.	नंदा देवी तथा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान (1988, 2005)	उत्तराखण्ड

गरीब रथ और सुपरफास्ट रेलगाड़ियों में यात्रियों की संख्या

738. श्री एल. राजगोपाल : क्या रेल मंत्री 17 मई, 2007 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5854 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लगभग सभी गरीब रथ रेलगाड़ियों में यात्रियों की इतनी कम संख्या के क्या कारण हैं;

(ख) देश में सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में यात्रियों की औसत संख्या कितनी है; और

(ग) गरीब रथ रेलगाड़ियों में यात्रियों की संख्या में वृद्धि करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) लगभग सभी सेवाओं में अप्रैल 2007 से जून 2007 की अवधि तक गरीब रथ गाड़ियों में 80% से अधिक स्थान का उपयोग हुआ। प्रारंभ में कतिपय क्षेत्रों में स्थान का बहुत कम उपयोग हुआ।

(ख) अधिकतम सुपरफास्ट एक्सप्रेस गाड़ियों में स्थान की औसत उपयोग 50% तथा 100% से अधिक के बीच रहा।

(ग) गरीब रथ गाड़ियों की उपयोगिता में और अधिक सुधार करने की दृष्टि से, जो कदम उठाए गए उनमें मार्ग परिवर्तन करना, आरक्षण कोटा पुनः वितरित करना आदि शामिल है।

रसोई गैस की कमी

739. श्री एन.एन. कृष्णदास : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में देश के कतिपय हिस्सों में रसोई गैस की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ग) फिलहाल, देश में कुल मिलाकर एल पी जी की कोई कमी नहीं है तथा एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरों के पास पंजीकृत ग्राहकों की वास्तविक मांग के अनुसार आयात तथा देशी उत्पादन द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) द्वारा डिस्ट्रीब्यूटरों को एल पी जी आपूर्तियां की जाती हैं। तथापि, ओ एम सीज ने बताया है कि प्राकृतिक आपदाओं, केरल पेट्रोलियम तथा गैस वर्क्स यूनियन द्वारा हड़ताल तथा थोक एल पी जी के पहुंचने में विलंब के कारण आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल तथा तमिलनाडु राज्यों में एक से सात दिनों का बैकलॉग है। सरकार ने ओ एम सीज से कहा है कि इन राज्यों में भरण संयंत्रों का प्रचालन छुट्टी के दिनों पर तथा कार्य समय को बढ़ाते हुए बैकलॉग को समाप्त किया जाए।

बोगीबील पुल परियोजना

740. डा. अरुण कुमार शर्मा :
श्री मणी कुमार सुब्बा :
श्री नारायण चन्द्र बरकटकी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर-पूर्व रेलवे के अंतर्गत बोगीबील पुल निर्माण से संबंधित कार्यों के ठेके को अंतिम रूप देने में विलंब की वजह से निर्माण में एक वर्ष की देरी हो गई है तथा इसमें और भी विलंब होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) इस परियोजना पर अब तक की लागत, वित्तपोषण पैटर्नस्, खर्च की गई राशि कितनी है; और

(घ) इस परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए क्या योजना तैयार की गई है और परियोजना लागत में वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) उपसंरचना के साथ-साथ मुख्य पुल की बुनियाद के लिए ठेके को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है और इसे दो बार रद्द किया जा चुका है।

(ग) और (घ) 2002-03 के अनुमान के अनुसार बोगीबील रेल एवं सड़क पुल की लागत 1767.38 करोड़ रुपए आकलित की गई थी। मार्च, 2007 तक व्यय 700.99 करोड़ रुपए है। इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित किया गया है और यह शर्त लगाई गई है कि इसके वित्त पोषण का विनिश्चय माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। जिसके लिए मामले पर कार्रवाई की जा रही है।

इस परियोजना को 2011-12 तक पूरा करने की योजना है जो संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। परियोजना की लागत में वृद्धि सामान्यतः स्थल की स्थिति के अनुसार कार्यों में आशोधनों के कारण तथा कार्यान्वयन के दौरान सामान्य मूल्य वृद्धि पर निर्भर करती है।

हैदराबाद और नई दिल्ली विमानपत्तनों पर स्थान की अनुपलब्धता

741. श्री रायापति सांबाशिवा राव : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हैदराबाद और नई दिल्ली विमानपत्तनों पर जगह की अनुपलब्धता की वजह से यात्रियों को असुविधा होती है;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या हैदराबाद और नई दिल्ली विमानपत्तनों पर पर्याप्त लैंडिंग सुविधा के अभाव में विमान हवा में ही चक्कर काटते रहते हैं जिससे समय एवं धन की भारी हानि होती है;

(घ) यदि हां, तो पिछले छह माह के दौरान हुई हानि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन हानियों पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी हां।

(ख) हैदराबाद हवाई अड्डे पर, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने एक समय में 13 नियमित पार्किंग स्टैंडों तथा 5 रात्रि पार्किंग स्टैंडों को स्थान देने के लिए एप्रनों के विस्तार के अतिरिक्त, सिक्योरिटी होल्ड एरिया तथा अंतर्राष्ट्रीय आगमन लाउंज का विस्तार करने, मौजूदा टर्मिनल भवन की क्षमता का विस्तार कार्य हाथ में लिया है। इससे स्थिति में अत्यधिक सुधार हुआ है।

दिल्ली हवाई अड्डे पर निकट भविष्य में यात्रियों की मांग को पूरा करने के लिए, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राइवेट लिमिटेड (डायल) एक नए अंतरदेशीय आगमन टर्मिनल का भी विस्तार कर रही है।

(ग) और (घ) जी, हां। तथापि कुछ एयरलाइनों लैंडिंग संबंधी प्रस्तावों की वजह से हुए विलंबों का ब्यौरा बना कर नहीं रखती है जिसका परिणाम अतिरिक्त ईंधन के दहन के रूप में होता है।

अतएव, यातायात में भीड़-भाड़ की वजह से ईंधन की खपत पर हुए घाटे का आकलन करना कठिन है।

(ङ) इस संबंध में दिल्ली हवाई अड्डे पर उठाए गए कदमों में व्यस्ततम अवधि के दौरान दोनों रनवे का साथ-साथ इस्तेमाल, उन्नत हवाई यातायात नियंत्रण प्रक्रियाएं, सामान्य विमानन के विमानों के आवागमन पर प्रतिबंध, त्वरित निकास टैक्सीवे तथा समानान्तर टैक्सीवे की शुरूआत आदि शामिल है।

हैदराबाद के संबंध में, एक नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा निर्माणाधीन है जो अप्रैल 2008 में प्रचालनरत हो जाएगा। अतएव मौजूदा हवाई अड्डे का आगे विस्तार करने पर विचार नहीं किया जा रहा है।

उपयोगी कच्चे तेल का भण्डारण

742. श्री उदय सिंह :
एडवोकेट सुरेश कुरूप :
डा. आर. सेनथिल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अन्ततः पांच मिलियन टन "उपयोगी कच्चे तेल के भण्डार" का निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो इन बड़े भण्डारों के निर्माण के लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है और इसमें कुल कितना खर्च/निवेश अन्तग्रस्त है;

(ग) क्या इस उपयोगी कच्चे तेल भण्डार के निर्माण के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी की परिकल्पना की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में कच्चे तेल की वार्षिक खपत का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) जी हां। पहचान किए गए स्थान विशाखापत्तनम, मंगलौर और पादूर हैं। अनुमानित व्यय/निवेश 11,267 करोड़ रुपए है जिसमें भंडार भराई की लागत शामिल नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) 2006-07 के लिए देश में परिशोधन हेतु कच्चे तेल की वार्षिक खपत निम्नानुसार है :-

ब्यौरा	मात्रा (एम एम टी)
स्वदेशी	30.160
आयातित	111.304
योग	141.464

गर्मियों में अतिरिक्त उड़ानें

743. श्री अमिताभ नन्दी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कुछ प्रमुख विमानपत्तनों पर भारी हवाई यातायात होने की वजह से सरकार को ग्रीष्मकाल में अतिरिक्त उड़ानों के प्रचालन के निर्णय को रोकना पड़ा;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे कोई राजस्व घाटा हुआ है;

(ग) यदि हां, तो कुल कितनी हानि हुई; और

(घ) इस समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं। तथापि, गैर व्यस्त समय के दौरान भीड़-भाड़ होने से रोकने के लिए ट्रैफिक को बांटे जाने के प्रयास किए गए थे।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेलवे की स्वचालित टिकट वैंडिंग मशीन

744. श्री पंकज चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार रेलवे टिकट काउंटरों पर लंबी पंक्तियों को कम करने के उद्देश्य से 'टिकट आपके द्वारा' के अंतर्गत मालों, विश्वविद्यालयों और कार्यालयों में स्वचालित टिकट वैंडिंग मशीनों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आरंभ में इन मशीनों की स्थापना के लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है और इस पर कितना खर्च होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी पर्यटन कार्यालय

745. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
श्री काशीराम राणा :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन कार्यालयों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) सरकार को इसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है तथा इसने इसे पाने हेतु क्या कदम उठाये हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) पर्यटन को बढ़ावा देने और कार्यालयों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पर्यटन कार्यालयों के कार्यों की नियमित रूप से निगरानी करता है और तदनुसार निधियां आबंटित करता है। पर्यटन मंत्रालय ने, विदेश में स्थित अपने भारत पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से विदेशों की पर्यटक सृजक मार्केटों में अनेक संवर्धनात्मक कार्यकलाप चलाए हैं। इन कार्यकलापों में विज्ञापन, मेले और प्रदर्शनियों में भागीदारी, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और रोड शो का आयोजन करना, ब्रोशरों का प्रकाशन, संयुक्त विज्ञापन समर्थन और मीडिया के लोगों, टूअर ऑपरेटरों और राय निर्माताओं को मंत्रालय के आतिथ्य कार्यक्रम के अंतर्गत देश की यात्रा करने के लिए आमंत्रित करना शामिल है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी पर्यटक आगमन और विदेशी मुद्रा आय का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	विदेशी पर्यटक आगमन	विदेशी मुद्रा आय (करोड़ रुपयों में)
2004	3.46 मिलियन	21603.00
2005	3.92 मिलियन	25172.25
2006	4.43 मिलियन	29603.56
2007 (जुलाई तक)	2764361	18258.57

[अनुवाद]

स्टेशनों पर एक्स-रे मशीनों की स्थापना

746. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने देश में आतंकवादियों द्वारा अपना निशाने बनाये जाने वाले स्टेशनों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का विचार इन स्टेशनों पर एक्स-रे मशीनें लगाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रेलगाड़ियों में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए रेलवे द्वारा उठाए गए अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय रेल के 17 मेट्रो रेलवे स्टेशनों सहित 185 रेलवे स्टेशनों को अतिसंवेदनशील के रूप में पहचान की गई है जहां सुरक्षा प्रणालियों को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है।

(ग) जी हां। अत्यंत महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर एक्स-रे मशीन संस्थापित करने का प्रस्ताव है।

(घ) अत्यंत महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के सामानों/बैगों की स्क्रीनिंग करने के लिए एक्स-रे मशीन संस्थापित करने हेतु प्रापण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस प्रकार की एक मशीन कोलकाता टर्मिनल रेलवे स्टेशन (चितपुर) में संस्थापित की जा चुकी है और दिल्ली मेन स्टेशन के प्लेटफार्म नं. 18 पर इस मशीन को लगाने हेतु इसकी खरीद कर ली गई है। इसके अलावा, क्षेत्रीय रेलों द्वारा 29 अदद एक्स-रे मशीन के प्रापण की प्रक्रिया चालू है।

(ङ) भारतीय रेल में सुरक्षा व्यवस्था

- मौजूदा रेल सुरक्षा बल के स्कवैड में प्रतिशत खोजी कुत्तों की संख्या में वृद्धि की जा रही है।
- संवदेनशील रेलवे स्टेशनों पर विस्फोट रोधी जांच के लिए बम निरोधक और निपटान उपस्कर क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, हैंड हैल्ड मेटल डिटेक्टर, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर लगाए जा रहे हैं।
- जनता जागरूक अभियान के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जा रहा है जिसमें यात्रियों को सतर्क रहने और शिक्षित किया जा रहा है। प्लेटफार्म पर, अन्य परिसर एवं डिब्बों में पड़े किसी अनजान/लावारिस संदेहात्मक वस्तु के बारे में जनता को सतर्क करना और रेलवे सुरक्षा बल/राजकीय रेलवे पुलिस/रेलवे स्टाफ जो भी नजदीक हो, को सूचित करना।
- आसूचना का नियमित आदान–प्रदान सुनिश्चित करने के लिए राजकीय रेलवे पुलिस, राज्य पुलिस और केन्द्रीय आसूचना एजेंसियों से निकट संपर्क बनाए रखना।
- रेलों को प्लेटफार्म पर लाने से पहले गाड़ी के डिब्बों की पूरी जांच की जाती है। यार्ड से प्लेटफार्म तक गाड़ियों का मार्गरक्षण किया जाता है।
- रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस के द्वारा संवदेनशील गाड़ियों का मार्गरक्षण किया जाता है।

पेट्रोलियम उत्पादों का आयात-निर्यात

747. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2007–08 के दौरान विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों की कितनी मात्रा आयात की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों की कितनी मात्रा निर्यात की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इन निर्यातों से सरकार द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) वर्ष 2007–08 (अप्रैल–जून, 2007 – अनंतिम) के दौरान आयातित व निर्यातित पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा नीचे दी गई है :–

ब्यौरे	मात्रा (एम एम टी)
आयात	4085
निर्यात	9496

(ग) और (घ) सरकार द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, शोधन क्षेत्र के नियंत्रण मुक्त होने के पश्चात, तेल कंपनियां घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात अधिक से अधिक पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात को सक्षम बनाने के लिए अपनी शोधन क्षमता को बढ़ा रही है।

(ङ) वर्ष 2007–08 (अप्रैल–जून) के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि 5734 मिलियन अमरीकी डालर (अनंतिम) है।

[हिन्दी]

भारतीय उड़ानों पर प्रतिबंध

748. श्री हंसराज गं. अहीर :
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ देशों ने हाल ही में अपने क्षेत्र में किसी भी भारतीय उड़ान को मना कर दिया है अथवा उनके प्रचालन हेतु समय–सीमा निर्धारित कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने मतभेदों के समाधान और यात्रियों को हो रही परेशानियों के समाधान के लिए उनके साथ बातचीत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या भारत ने इन देशों के साथ विमानन क्षेत्र में द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(छ) यदि हां, तो इन आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। कुवैत सरकार ने दोनों पक्षों के बीच लंबित पड़े नागर

विमानन मुद्दों को सुलझाने के लिए एक दूसरे के राज्य क्षेत्र को कुवैत और भारत की नामित एयरलाइनों के प्रचालन के लिए एक समय सीमा निर्धारित कर दी है।

(ग) और (घ) जी, हां। 28–30 जून 2007 को द्विपक्षीय विमान सेवा वार्ताओं के दौरान भारत और कुवैत के बीच किए गए नये करार में अन्य बातों के साथ–साथ कुवैती एयरलाइन्स के लिए भारत में 3 अतिरिक्त अवतरण केन्द्रों सहित प्रत्यक्ष भारत–कुवैत मार्ग पर यातायात अधिकारों में वृद्धि की व्यवस्था की गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) जी, हां। 4 जनवरी, 1989 को भारत और कुवैत के बीच हस्ताक्षरित विमान सेवा करार में अन्य बातों के साथ–साथ यह व्यवस्था की गई है कि किसी भी प्रकार के विवाद के होने पर दोनों पक्ष पहले पहल कर इस समझौते से निपटने का प्रयास करेंगे।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों पर दलालों द्वारा उत्पन्न संकट

749. श्री मदन लाल शर्मा :
प्रो. एम. रामदास :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को प्रमुख विमानपत्तनों पर दलालों द्वारा ठगे जाने वाले यात्रियों की सामान्य शिकायतों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दलाल टैक्सी आपरेटरों, ट्राली स्टाफ, लोडिंग एजेंट और अन्य कर्मचारियों के साथ सांठ–गांठ करके काम करते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(छ) सरकार द्वारा इस पर की गई अथवा की जाने वाली अनुवर्ती कार्यवाही क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। मेट्रो/बड़े हवाईअड्डों पर अधिकांशतः दलालों की समस्या देखी गई है। दलाल मुख्यतया टर्मिनल बिल्डिंग के बाहर या विजिटर्स क्षेत्र में सक्रिय हैं।

(ग) और (घ) सामान्यतया, दलालों द्वारा टैक्सी चालकों, ट्राली रिट्रेविंग स्टाफ, लोडिंग एजेन्टस तथा ग्राउंड हैंडलिंग प्रचालनों के लिए एयरलाइन द्वारा नियुक्त दूसरे स्टाफ कर्मचारियों की मिलीभगत से सक्रिय होते हैं। सीआईएसएफ हवाईअड्डा प्रबंधकों के माध्यम से दलालों पर दंड लगाकर तथा उन्हें स्थानीय पुलिस के हवाले करके स्थानीय पुलिस की सहायता करती है।

(ङ) से (छ) जब कभी इस प्रकार की घटना की रिपोर्ट होती है तो नियमित रूप से स्थानीय पुलिस द्वारा जांच की जाती है तथा हवाईअड्डों पर निगरानी बढ़ाने तथा दलालों की समस्या सहित सभी अवांछित गतिविधियों के निवारण के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

गैर-जीवाश्म ईंधन को बढ़ावा देना

750. श्री स्वदेश चक्रवर्ती : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गैर–जीवाश्म ईंधन को बढ़ावा देने की कोई व्यापक नीति तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ग) कार्य आबंटन नियमावली, 1961 के अनुसार नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जैव–ईंधन संबंधी राष्ट्रीय नीति के प्रतिपादन के लिए नोडल मंत्रालय है। उसने "राष्ट्रीय जैव–ईंधन नीति" तैयार की है, जिसमें जैव–ईंधनों के सतत उत्पादन, परिवर्तन और अनुप्रयोग के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने की कार्यनीति का ब्यौरा है क्योंकि ये मुख्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं और पेट्रोलियम उत्पादों की तुलना में बहुत अधिक पर्यावरण अनुकूल हैं, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

अध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.34 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

(लोकसभा अपराह्न दो बजे पुनः समवेत हुई)

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

...(व्यवधान)...

अपराह्न 2.0½ बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) अमरीका के साथ असैनिक नाभिकीय ऊर्जा सहयोग)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनें। मैं आपसे निवेदन करता हूं। मैं किसी भी माननीय सदस्य को उसके इस मुद्दे पर बोलने के अधिकार से वंचित नहीं कर रहा हूं जिसे उठाने का प्रयास आप लोग कर रहे हैं, जो निःसंदेह प्रक्रिया के विरुद्ध है। परन्तु माननीय विदेश मंत्री एक वक्तव्य देना चाहते हैं। कृपया पहले उनका वक्तव्य सुन लें।

...(व्यवधान)...

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : महोदय, माननीय सदस्यों ने सुबह परमाणु परीक्षण के प्राधिकार के संबंध में अमरीका के साथ हुए करार के बारे में कतिपय मुद्दे उठाये हैं *...(व्यवधान)...*

अध्यक्ष महोदय : माननीय विदेश मंत्री वक्तव्य दे रहे हैं और आप उनकी बात नहीं सुनना चाहते।

...(व्यवधान)...

श्री प्रणब मुखर्जी : हमारे पास अमरीकी सरकार के संबंधित विभाग के प्रवक्ता का कोई प्रमाणिक विवरण नहीं है। परन्तु माननीय सदस्यों ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर इस मामले को उठाया है। मैं समझता हूं कि स्थिति को स्पष्ट किया जाना चाहिए और मैं वही कर रहा हूं।

भारत के पास परीक्षण करने का संप्रभु अधिकार है और यदि राष्ट्रीय हित में ऐसा आवश्यक हुआ तो ऐसा किया भी जाएगा। पिछली सरकार द्वारा घोषित स्वैच्छिक एकपक्षीय स्थगन ही एकमात्र प्रतिबंध है जिसे वर्तमान सरकार द्वारा भी जारी रखा गया है। द्विपक्षीय समझौते में ऐसा कुछ उल्लिखित नहीं है जिससे भविष्य में सरकार के हाथ बंध जाएं या उसके विकल्प में कानूनी अड़चने आएं। भविष्य में परमाणु परीक्षण करने का संप्रभु अधिकार भारत सरकार के पास ही है *...(व्यवधान)...*

अपराह्न 2.01 बजे

(इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभापटल के निकट खड़े हो गए)

...(व्यवधान)...

श्री प्रणब मुखर्जी : कहीं भी नहीं, मैं दोहराता हूं, अमरीका के साथ नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए सहयोग संबंधी समझौते में कहीं भी परमाणु परीक्षण का उल्लेख नहीं है। द्विपक्षीय सहयोग संबंधी समझौते के अनुच्छेद 5 और 14 में भारत के रिएक्टरों का सतत संचालन सुनिश्चित किये जाने हेतु व्यापक प्रावधान किये गए हैं। इसमें ईंधन आपूर्ति का आश्वासन, उपचारात्मक उपाय किये जाने का अधिकार, सहयोग समाप्त होने की स्थिति में भारत के रिएक्टरों के संपूर्ण कार्यकाल हेतु सुरक्षित सैन्य ईंधन की आपूर्ति सम्मिलित है।

...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको कल यह मामला उठाने की अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 2 सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र लेंगे।

अपराह्न 2.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा–पटल पर रखता हूं :–

(1) (एक) मौलाना आजाद एजुकेशन फाउण्डेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2005–06 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मौलाना आजाद एजुकेशन फाउण्डेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2005–06 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मौलाना आजाद एजुकेशन फाउण्डेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2005–06 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6685/2007)

(3) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 13 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 2005–2006 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्यवाही ज्ञापन।

(तीन) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 6686/2007)

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :–

(1) (एक) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6687/2007)

(3) (एक) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6688/2007)

(5) (एक) साऊथ सेन्ट्रल जोन कल्चरल सेन्टर, नागपुर के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) साऊथ सेन्ट्रल जोन कल्चरल सेन्टर, नागपुर के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6689/2007)

(7) (एक) खुदाबख्स ओरिएण्टल पब्लिक लाईब्रेरी, पटना के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) खुदाबख्स ओरिएण्टल पब्लिक लाईब्रेरी, पटना के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6690/2007)

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नारनभाई रठवा) : मैं, रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत रेल (वैगन की अतिभराई के लिए दंडात्मक प्रभार) नियम, 2007 जो 15 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 435 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6691/2007)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : मैं सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 462 (अ) जो 3 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनका आशय उसमें उल्लिखित वाईन, वरमाउथ और अन्य विनिर्दिष्ट किण्वित पेय पदार्थों पर सीमा शुल्क दरों को 100% से बढ़ाकर 150% करने के लिए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची मे संशोधन करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6692/2007)

अपराह्न 2.04 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्यसभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है :–

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 14 अगस्त, 2007 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 14 मई, 2007 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2007 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

अपराह्न 2.04¼ बजे

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

उनतीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री चरणजीत सिंह अरवाल (फिल्लौर) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का उनतीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 2.04½ बजे

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

उन्नीसवां, बीसवां और इक्कीसवां प्रतिवेदन।

[अनुवाद]

श्री बालासाहिब विखे पाटील (कोपरगांव) : मैं रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2006–07) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति प्रस्तुत करता हूं :–

*(एक) 'खरीद नीति और प्रक्रिया के बारे में समिति के छठे प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की–गयी–कार्यवाही' संबंधी उन्नीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(दो) 'रक्षा आयुध और निर्माणियों के बारे में समिति के सातवें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की–गयी–कार्यवाही' संबंधी बीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(तीन) 'सरकारी क्षेत्र के रक्षा उद्यमों के बारे में समिति के नौवें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की–गयी–कार्यवाही' संबंधी उन्नीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

अपराह्न 2.05 बजे

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

बीसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद (झंझारपुर) : मैं देश में उपभोक्ता आंदोलन' के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का बीसवां प्रतिवेदन** (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 2.05¼ बजे

श्रम संबंधी स्थायी समिति

बाईसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री धावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं 'प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2007' के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति का बाईसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

...(व्यवधान)...

अपराह्न 2.05½ बजे

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

एक सौ अट्ठाईसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री सचिन पायलट (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, मैं दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2006 के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का एक सौ अट्ठाईसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

...(व्यवधान)...

---

* रक्षा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन 20 जुलाई, 2007 को माननीय अध्यक्ष, लोक सभा और माननीय सभापति, राज्य सभा को प्रस्तुत किए गए।

** प्रतिवेदन लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 71क के अनुसरण में 30 जुलाई, 2007 को जब सभा सत्र में नहीं थी, माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया।

अपराह्न 2.06 बजे

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

साक्ष्य

[हिन्दी]

श्री सचिन पायलट (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, मैं दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2006 के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

...(व्यवधान)...

अपराह्न 2.06½ बजे

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति

एक सौ इक्कीसवां और एक सौ बाईसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल (बुलढाना) : मैं परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :–

(एक) राष्ट्रीय जल मार्ग (नदियों का तल***–धामरा खंड, पूर्वी तट नहर का गोंखली–चरबतिया खंड, माताई नदी और महानदी डेल्टा–नदियों का चरबतिया–धामरा खंड) विधेयक, 2006 के बारे में समिति का एक सौ इक्कीसवां प्रतिवेदन; और

(दो) राष्ट्रीय जल मार्ग (नहरों का काकीनाडा–पांडिचेरी खंड और कालूदेवी, जलाशय गोदावरी नदी का भद्राचलम–राजामुंदरी खंड और कृष्णा नदी का वजीराबाद–विजयवाड़ा खंड) विधेयक, 2006 के बारे में समिति का एक सौ बाईसवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 2.07 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य-जारी

(दो) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित "राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, वित्त और विकास निगम" के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार) : महोदय, मैं यह विवरण सामाजिक न्याय और अधिकारिता की स्थाई समिति (14वीं लोक सभा) की 15वीं रिपोर्ट में सम्मिलित की गई सिफारिशों/प्रेषणों के क्रियान्वयन की स्थिति पर दिनांक 1 सितम्बर, 2004 को बुलेटिन–पार्ट–II में प्रकाशित लोक सभा के मा. अध्यक्ष के निर्देश 73–ए के अनुसरण में दे रही हूं। *...(व्यवधान)...*

स्थाई समिति की 15वीं रिपोर्ट दिनांक 16.05.2006 को प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्ट नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एन.बी.सी.एफ.डी.सी.) से संबंधित है।

समिति की रिपोर्ट में सम्मिलित सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई रिपोर्ट दिनांक 18.12.2006 लोक सभा में प्रस्तुत की गई थी।

समिति द्वारा 19 सिफारिशें की गई थी। ये सिफारिशें 'नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एन.बी.सी.एफ.डी.सी.)' से संबंधित हैं। मंत्रालय द्वारा सभी सिफारिशों का उत्तर समिति को दिया जा चुका है। इनमें से रिपोर्ट के प्रस्तर 1.19, 1.31, 2.4, 3.17, 3.19, 4.21, 5.10 और 5.11 के 8 सिफारिशों के उत्तर समिति द्वारा स्वीकार कर लिए गए तथा प्रस्तर 1.17, 1.18, 1.30, 1.32, 3.18, 3.20, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20 एवं 5.12 में 11 सिफारिशों को इनकी 21वीं रिपोर्ट में सम्मिलित किया गया है। इन 11 सिफारिशों पर अंतिम कृत कार्यवाई आख्या प्रेषित की जा चुकी है।

समिति द्वारा की गई समस्त 19 सिफारिशों पर क्रियान्वयन स्थिति मेरे विवरण में संलग्नक में उल्लिखित हैं, जो सभा की मेज पर प्रस्तुत करता है। मैं संलग्नक के विवरण को पढ़ने में सभा का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहती हूं। मैं अनुरोध करती हूं कि इसे पढ़ा समझा जाए। *...(व्यवधान)...*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको कल मध्याह्न 12.00 बजे के बाद बोलने की अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)...

अपराह्न 2.07½ बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) -* 2007-08

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : मैं वर्ष 2007–2008 के बजट (सामान्य) के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

---

* ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6693/07

* ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6693A/07

अपराह्न 2.08 बजे

भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) विधेयक, 2007

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : मैं प्रस्ताव कहता हूं कि भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधयेक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं विधेयक पुरः स्थापित * करता हूं।

...(व्यवधान)...

अपराह्न 2.08½ बजे

भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 2007 के बारे में विवरण**

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : मैं भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 2007 के द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारण दर्शाने वाला व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

...(व्यवधान)...

अपराह्न 2.09 बजे

नियम 377 के अधीन मामले ***

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाए।

***भारत के राजपत्र, असाधारण भाग–II, खंड–2 दिनांक 16.08.2007 में प्रकाशित

* राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरः स्थापित।

** ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6696/07

*** सभा पटल पर रखे माने गए।

(एक) महाराष्ट्र में जलाशयों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए राज्य सरकार को धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर) : महोदय, महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ क्षेत्र के सिंचाई की अपर्याप्तत सुविधा होने के कारण किसानों की स्थिति बड़ी दयनीय बन गई है। किसानों को सिंचाई उपलब्ध कराने में वन संवर्धन कानून बाधक बनने से राज्य सरकार भी यहां पर सिंचाई सुविधा के लिए उपेक्षा बरत रही है। सिंचाई के अभाव में वर्षाजल पर आश्रित किसानों को उत्पादन की गारंटी नहीं होने के कारण किसान कर्ज के गिरफ्त में फंसकर आत्महत्याएं कर रहे हैं। विदर्भ में ब्रिटिश कालीन तालाबों की बड़ी तादाद है, करीब दस हजार से अधिक की संख्या में इन तालाबों को माजी मालगुजारी तालाब के नाम से जाना जाता है। मरम्मत और अनुरक्षण के अभाव में आज बहुसंख्य तालाब सिंचाई की दृष्टि से अनुपयोगी साबित हो रहे हैं। क्षमता के अनुरूप सिंचाई नहीं होने से किसानों को अपने फसलों को आंखों के सामने नष्ट हुए देखने को मजबूर होना पड़ रहा है।

विदर्भ क्षेत्र में चंद्रपुर, गडचिरोली, गोंदीया, भंडारा और नागपुर जिलों में स्थित इन दस हजार से अधिक माजी मालगुजारी तालाबों के मरम्मत और अनुरक्षण की स्थायी सुविधा की गई तो यहां के किसानों को सिंचाई का बड़ा लाभ मिल सकता है। राज्य सरकार की उपेक्षा और वित्तीय संसाधनों की कमी को देखते केन्द्र सरकार इसमें हस्तक्षेप कर विदर्भ के इन तालाबों के मरम्मत और अनुरक्षण के लिए धनराशि के आबंटन के साथ विशेष योजना तैयार करने की माग करता है।

(दो) राजस्थान के जयपुर में जलमहल की सफाई के लिए नियत बकाया धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : महोदय, भारत सरकार ने जयपुर स्थित जल महल के विकास और सौन्दर्यकरण हेतु लगभग 12 करोड़ रुपया देने का निर्णय लिया था और इसके साथ ही जो गंदा जल, जल महल में एकत्रित होता है, उस पानी को साफ करने के लिए एक संयंत्र लगाने का आश्वासन दिया था, परन्तु भारत सरकार ने अभी तक बहुत कम राशि ही राजस्थान सरकार को दी है जिसके कारण काम गति नहीं पकड़ पा रहा है।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि शीघ्र ही शेष राशि राजस्थान सरकार को दें और जल संयंत्र पानी साफ करने के लिए लगाया जाना था उसे तुरन्त लगाया जाये।

(तीन) रक्षा आयुध निर्माणियों को पर्याप्त क्रयादेश दिए जाने की आवश्यकता

श्री राकेश सिंह (जबलपुर) : महोदय, देश में लगभग 39 सरकारी क्षेत्र के सुरक्षा संस्थान स्थापित है, और इनमें से अनेक सुरक्षा संस्थान

जो सेना की जरूरतों के मुताबिक वर्दी से लेकर गोला बारूद तथा वाहनों का निर्माण करते हैं। आज काम की कमी जैसी गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। विश्वसनीयता की कसौटी पर सदैव खरे उतरे इन संस्थानों को विषम परिस्थितियों में भी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। इन संस्थाओं में काम की कमी की समस्या इन संस्थानों के उत्पादों में गुणवत्ता की कमी के कारण नहीं है बल्कि उन नीतियों के कारण है जिसके चलते निजी क्षेत्र के संस्थानों को उद्योग रत्न का दर्जा देकर इन सरकारी सुरक्षा संस्थानों के साथ प्रतिस्पर्धा में खड़ा कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि हमारे सुरक्षा संस्थानों में इस प्रतिस्पर्धा को लेकर भय हो, बल्कि वास्तविकता यह है कि सरकारी सुरक्षा संस्थानों को उनके सेटअप के मुताबिक काम ही नहीं दिया जा रहा है। बतौर उदाहरण 1000 वाहन निर्माण प्रतिवर्ष की क्षमता वाले संस्थानों से यदि मात्र 500 वाहनों का निर्माण कराया जायेगा तो ऐसे में संस्थान के सेटअप के अनुसार व्यय को देखते हुए प्रति वाहन लागत में वृद्धि होना स्वभाविक है। अध्यक्ष जी, इन संस्थानों को काम न देकर इन्हें कमजोर किया जा रहा है जिससे एक दिन ये आयुध निर्माणियों स्वमेव ही समाप्त हो जायेंगी। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इन निर्माणियों की विश्वसनीयता एवं गुणवत्ता को देखते हुए इन्हें क्षमतानुसार पर्याप्त काम दिया जाये ताकि इनका अस्तित्व बना रहे।

(चार) गुजरात राज्य में नोटरी पब्लिक का कोटा 625 से बढ़ाकर 1000 किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री काशीराम राणा (सूरत) : गुजरात में नोटरी नियम–1956 के नियम 8 के अनुसार नोटरियों का कोटा निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार, गुजरात राज्य में केन्द्र सरकार के लिए 625 नोटरियों और राज्य सरकार के लिए भी 625 नोटरियों का कोटा निर्धारित किया गया है। गुजरात राज्य ने वर्ष 2006 तक 595 नोटरी नियुक्त किए हैं। वर्तमान में भी गुजरात राज्य के 524 नोटरी कार्य कर रहे हैं। जनसंख्या में वृद्धि हुई है, जिला न्यायालयों और तहसील न्यायालयों, बैंकों, सहकारी समितियों की संख्या दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अतः गुजरात राज्य में नोटरियों का कार्य भी बढ़ गया है। जिलों के बंटवारे के कारण जिलों और तहसीलों की संख्या भी बढ़ गई है। लोगों को प्रत्येक तहसील में नोटरी की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि नोटरियों का कोटा 625 से बढ़ाकर 1000 किया जाए।

(पांच) अरुणाचल प्रदेश में राज्य पुलिस को सशक्त बनाने और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक विशेष केन्द्रीय सहायता पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

श्री किरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम) : अरुणाचल प्रदेश सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील राज्य है लेकिन राज्य की पुलिस के पास पुराने और बहुत कम हथियार और उपकरण हैं तथा वे पूरी तरह प्रशिक्षित भी नहीं है। इसे सारे पूर्वोत्तर राज्यों में केन्द्र सरकार से हथियार और मशीनें खरीदने के लिए सबसे कम सहायता मिलती है। राज्य की पुलिस के पास अति विशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु वाहन भी नहीं है। यहां तक कि राज्य की राजधानी में भी दिन–रात इतने बड़े क्षेत्र में गश्त लगाने हेतु केवल दो गश्ती वाहन हैं। इसलिए, मैं केन्द्रीय गृह मंत्री जी से राज्य पुलिस बल को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और इसे सुदृढ़ बनाने हेतु विशेष आर्थिक पैकेज उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध करता हूं।

(छह) उत्तर प्रदेश के बरेली में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 पर बाईपास के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : महोदय, बरेली, उ.प्र. का मुख्य महानगर है जो राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 24 लखनऊ – दिल्ली के मध्य स्थित है, इस पर पिछले 10 सालों से बरेली बाईपास की प्रक्रिया चल रही है। भूमि अधिग्रहण व डी.पी.आर. का कार्य पूरा हो चुका है, परन्तु अभी तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। मुझे पता चला है कि भूतल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस निर्माण कार्य को फेज तीन–ख में डाला गया है जबकि यह कार्य फेज तीन–क में सम्मिलित कर निर्माण कार्य तत्काल प्रारंभ हो जाना चाहिए था। मेरा आपके माध्यम से भूतल परिवहन मंत्रालय से आग्रह है कि जनहित में इस बाईपास के कार्य को फेज तीन–क में सम्मिलित कर तत्काल कार्य प्रारंभ करवायें। इस संबंध में यह जानना भी आवश्यक है कि उक्त कार्य पिछले 5 वर्षों से प्रारंभ करने हेतु लम्बित है तथा विभाग द्वारा अनावश्यक देरी की जा रही है।

(सात) पश्चिम बंगाल राज्य को हाल ही में पुनर्गठित जूट सलाहकार बोर्ड और जूट विकास परिषद में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री स्वदेश चक्रवर्ती (हावड़ा) : भारत सरकार ने हाल ही में जूट परामर्शदात्री बोर्ड और जूट विकास परिषद का पुनर्गठन किया है। 28 सदस्यीय जूट परामर्शदात्री बोर्ड में अधिकांश सदस्य गैर–जूट उत्पादक राज्यों और वस्तु उत्पादन राज्यों से हैं जिनकी भारत के जूट मानचित्र पर कोई उपस्थिति नहीं है। हमें बहुत बड़ी आशंका है कि ऐसे परामर्शदात्री समूह के गठन के माध्यम से समूह के कृत्रिम (सिंथेटिक)

समूह के हितों की रक्षा की जा रही है क्योंकि इसमें पश्चिम बंगाल राज्य का, जो भारत में सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है, सचिव स्तर का कोई भी प्रतिनिधि नहीं है। इसी प्रकार पुनर्गठित 32 सदस्यीय जूट विकास परिषद में पश्चिम बंगाल से जूट उत्पादकों का कोई वास्तविक प्रतिनिधि नहीं है। श्रमिक प्रतिनिधित्व श्रेणी में भी राज्य के जूट श्रमिकों का कोई प्रतिनिधि नहीं है, जहां प्रमुख जूट उत्पादक उद्योग अवस्थित हैं।

यह देश में पर्यावरण के अनुकूल जूट उद्योग को बर्बाद करने के कदम के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए, मैं सबसे बड़े जूट उत्पादक राज्य, पश्चिम बंगाल के प्रति सरकार के इस रवैये का कड़ा विरोध करता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि जूट उत्पादकों और श्रमिकों के वास्तविक प्रतिनिधियों को इन समितियों में सम्मिलित करके इनका तत्काल पुनर्गठन किया जाए।

(आठ) केरल के वालायार और मन्नुथी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 की आवधिक मरम्मत कराए जाने की आवश्यकता

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट) : राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 दक्षिण भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कोच्चि को सलेम से जोड़ता है। इसे भारत निर्माण के एक भाग के रूप में एक्सप्रेस हाइवे बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के गलियारे के रूप में चुना गया है। लेकिन दुर्भाग्यवश इस राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति बहुत खराब है क्योंकि गत चार वर्षों से यहां आवधिक रूप से होने वाले रख–रखाव का कार्य नहीं किया गया है। अभी चल रहे मानसून की भारी वर्षा के कारण यह राष्ट्रीय राजमार्ग पूर्णतया क्षतिग्रस्त अवस्था में है। इस बुरी अवस्था के कारण यहां होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में 200 गुना वृद्धि हुई है। विशेषकर, वालायार और मुन्नुथी के बीच के क्षेत्र में यह समस्या बहुत गंभीर हो चुकी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इसके आवधिक रखरखाव के लिए पर्याप्त धनराशि स्वीकृत नहीं कर रहा है। स्थानीय लोग इस जीर्ण–शीर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग की तत्काल मरम्मत के लिए आंदोलन कर रहे हैं।

इसलिए, मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार करे और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को वालायार और मन्नुथी के बीच के इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के तत्काल और आवधिक रखरखाव हेतु शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक निदेश दे।

(नौ) उत्तर प्रदेश के सलेमपुर, देवरिया में एक रसोई गैस बिक्री केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के मुख्यालय सलेमपुर में किसी एलपीजी गैस एजेंसी के नहीं होने के कारण यहां के नागरिकों को मजबूर होकर काला बाजार से महंगे दामों पर गैस सिलेंडर खरीदना पड़ता है। फिर भी गैस की भारी किल्लत बनी रहती है क्योंकि इस नगर पंचायत की आबादी अधिक है। सलेमपुर तहसील मुख्यालय होने के साथ ही विकास खंड मुख्यालय एवं रेलवे का जंक्शन स्टेशन भी है। यहां प्राथमिक स्तर से लेकर महाविद्यालय स्तर तक की दर्जनों शिक्षण संस्थाएं हैं। लगभग आधे दर्जन व्यवसायिक बैंक हैं और इतनी ही संख्या में विभिन्न विभागों के कार्यालय भी हैं। इस नगर पंचायत क्षेत्र में दो पेट्रोल पंप हैं परन्तु विगत कई वर्षों से विभिन्न स्तरों पर पत्र व्यवहार करने के बाद भी गैस एजेंसी नहीं स्थापित की गई जबकि इस जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश के कई छोटे स्थानों पर भी गैस एजेंसियां स्थापित हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह निष्पक्ष एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए सलेमपुर में तत्काल एलपीजी गैस एजेंसी स्थापित कराने के संबंध में प्रभावी कदम उठायें।

(दस) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत लगाए गए मजदूरों को दैनिक मजदूरी प्रदान करने के लिए मजदूरी की निबंधन और शर्तों में परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता

श्री पारसनाथ यादव (जौनपुर) : महोदय, रोजगार गारंटी योजना उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में चलाई जा रही है। इस योजना के तहत मजदूर को पूरे दिन का कार्य निश्चित कर दिया जाता है। उसी के अनुरूप इस योजना के तहत सरकार धनराशि उपलब्ध कराती है। परन्तु मजदूर एक दिन में उस कार्य को नहीं कर पाता है जबकि ग्राम पंचायतों द्वारा पूरे दिन की मजदूरी देनी पड़ती है। अतः ग्राम पंचायतों को रोजगार गारंटी योजना के तहत उक्त काम के लिए स्वीकृत धनराशि से ज्यादा का भुगतान करना पड़ता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 100/– रुपए मजदूरी निर्धारित की गई है। यदि मजदूर को दिये गये कार्य को पूर्ण करने के लिए कहा जाता है तथा धनराशि के अभाव में उसकी मजदूरी का भुगतान समय पर नहीं होता है तो वह अपने शोषण करने की बात कह कर शिकायत कर देता है। जिससे ग्राम पंचायतों को निर्धारित कार्य को उक्त योजना के तहत स्वीकृत की गयी निश्चित धनराशि में पूर्ण करवाने में परेशानी होती है।

अतः सदन के माध्यम से जनहित में मेरा अनुरोध है कि उक्त योजना की नीति में परिवर्तन किया जाये तथा मजदूर को दिन के हिसाब से मजदूरी देने की व्यवस्था लागू की जाये।

(ग्यारह) महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के लिए कोंकण विकास बोर्ड का सृजन करने के लिए तुरन्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर) : मैं इस सभा के माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के

लिए एक पृथक कोंकण विकास बोर्ड का सृजन करने के प्रस्ताव की और आकर्षित करता हूं। महोदय, यह प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास गत कई वर्षों से लम्बित है। केन्द्र सरकार द्वारा अपेक्षित औपचारिकताओं को महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा पूरा कर दिया गया है परन्तु, फिर भी केन्द्र सरकार द्वारा कोंकण विकास बोर्ड के सृजन हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसलिए, महोदय, मैं केन्द्र सरकार से कोंकण विकास बोर्ड के सृजन हेतु तत्काल कदम उठाए जाने का अनुरोध करता हूं।

(बारह) कटक को जे एन एन यू आर एम में शामिल करने तथा मूलभूत शहरी सुविधाओं में सुधार के लिए स्थानीय निकायों को शक्तियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : कटक में, पिछले सप्ताह 10 घंटे की अवधि में अचानक हुई 330 मिमी की भारी बारिश ने शहर के बड़े हिस्से को जलमग्न कर दिया और लाखों निवासियों को विस्थापित कर दिया। इस मूसलाधार बारिश ने 74 वर्ष का रिकार्ड तोड़ दिया। मिलेनियम शहर कहलाने वाले कटक को रहने योग्य बनाने के लिए इस पर अतिरिक्त ध्यान देने और केन्द्र सरकार से अतिरिक्त निधियों के आबंटन की आवश्यकता है। इस प्रकार, शहरी क्षेत्रों में और अधिक निवेश करने की तत्काल आवश्यकता है। छः दशक का केन्द्रीय नियोजन हमारे निवास को रहने लायक नहीं बना पाया है। हम सब जानते हैं कि ग्रामीण भारत में अत्यधिक गरीबी है लेकिन शहरी भारत भी स्वर्ग नहीं है। जीवन की मूलभूत सुविधाएं, यथा, जलापूर्ति, जन स्वास्थ्य, विद्यालय कार्यकरण, जल मल निकासी और यातायात की हालत खराब है। दिल्ली में 3 से 4 ईंच की लगातार वर्षा खलबली मचा देती है। मुंबई, बैंगलौर और कोलकाता में भी यही हालत है। इसलिए, शहरी सुविधाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के शीघ्र आवश्यकता है।

आधारभूत सुविधाएं यथा, सड़क, जलापूर्ति, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, कूड़ा प्रबंधन, स्लम विकास, गलियों में रोशनी, आदि प्रदान करने का कार्य शहरी निकायों को सौंपा जाता है। यद्यपि 1993 के संवैधानिक संशोधन के अनुसार यह अनिवार्य है, लेकिन राज्य सरकारें स्थानीय निकायों को कृत्य, वित्त और कर्मचारी हस्तांतरित करने के प्रति अत्यंत उदासीन हैं। जब तक ऐसा नहीं किया जाता, जीवन ऐसे ही दयनीय बना रहेगा। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह एक समयबद्ध तरीके से स्थानीय निकायों को यथाशीघ्र शक्तियां हस्तांतरित करने के लिए सभी राज्य सरकारों पर दबाव डाले ताकि अन्ततः उन सभी आधारभूत सुविधाओं के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराए जा सकें जो उनके द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। केवल तभी हम अपने स्थान को रहने योग्य बना सकते हैं। मैं सरकार-से कटक को जे एन एन यू आर एम में शामिल करने और मिलेनियम शहर की शान को पुनः बहाल करने का भी आग्रह करूंगा।

(तेरह) तमिलनाडु के अरूप्पूकोट्टई, शिवकाशी में कम्प्यूटरीकृत रेल आरक्षण काउंटर खोले जाने की आवश्यकता

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई (शिवकाशी) : मेरे निर्वाचन क्षेत्र शिवकाशी के अंतर्गत अरूप्पकोट्टई की नगरपालिका आती है। वर्तमान में, विरुद्धनगर व मनमदुरई और अरूप्पकोट्टई रेलवे स्टेशनों के बीच बड़ी रेल लाइन बिछाने का कार्य अस्थाई तौर पर बंद कर दिया गया है। इसके अलावा, रेल टिकट आरक्षण केन्द्र भी बंद कर दिया गया है। इससे अरूप्पूकोट्टई और उसके आसपास के यात्री प्रभावित हुए हैं। इसके समाधान के रूप में यात्रियों को एक कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र सुलभ कराया जा सकता है।

इसलिए, मैं रेल मंत्रालय से नई सुविधाओं को तुरंत खोलने के लिए कदम उठाने का आग्रह करता हूं।

(चौदह) केरल के मालाबार क्षेत्र के लोगों के लाभार्थ थलसारी से मैसूर तक रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट) : मालाबार, की पहाड़ियों में स्थित कालीकट, कन्नूर और मंगलौर जैसे शहरों से हैदराबाद, तिरूपति और हावड़ा जैसे शहरों के लिए सीधा रेल संपर्क नहीं है। इस क्षेत्र के लोगों की लगातार मांग पर, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री, तत्कालीन रेल मंत्री ने 50 वर्ष पूर्व सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की थी कि थालास्सेरी से मैसूर तक रेल लाइन के निर्माण का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। तत्पश्चात, इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए तीन सर्वेक्षण किए गए थे लेकिन मालाबार क्षेत्र के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गई है। प्रस्तावित नई रेल लाइन कन्नूर और बंगलौर के बीच की दूरी को 708 कि.मी. से घटाकर 399 किमी कर देगी। इसी प्रकार, मालाबार के अन्य स्थानों से चेन्नै, हैदराबाद और हावड़ा की दूरी में भी अत्यधिक कमी होगी। इसके अलावा, देश के दक्षिणी और पूर्वी भागों में मंगलौर से पहुंच आसान हो जायेगी जो तेजी से विकास कर रहा है। नए रास्ते के जरिए पेट्रो उत्पादों का परिवहन ज्यादा सस्ता हो सकता है। इस मार्ग से पूरे मालाबार क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

अतः, मैं इस परियोजना को शीघ्र शुरू करने के लिए रेल मंत्री से आग्रह करता हूं।

(पन्द्रह) केरल के एर्णाकुलम और पालाक्कड़ जिलों में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों द्वारा दिए गए कुल ऋणों का 70 प्रतिशत तक ऋण नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्तपोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की) : राष्ट्रीय कृषि आयोग ने किसानों को 4% वार्षिक दर पर कृषि ऋण देने की सिफारिश की है। राज्य कृषि

क्षेत्र को वित्तीय सहायता देने और उसके पुनः वित्त पोषण के लिए नाबार्ड एकमात्र एजेन्सी है। इसके बावजूद, नाबार्ड, कृषि क्षेत्र को जारी किए गए ऋण का केवल 35% का पुनः वित्त पोषण करती है। केरल में जिला सहकारी बैंक ऊंची ब्याज दर पर जुटाए गए संसाधनों से बाकी 65% की पूर्ति करते हैं और उसको न्यूनतम ब्याज दर पर किसानों को देते हैं। वित्त पोषण का यह तरीका वांछनीय नहीं है और राज्य में कृषि विकास में सहायक नहीं है। नाबार्ड ने सदैव केरल राज्य सहकारी बैंक की अर्हता के आधार पर पुनः वित्त पोषण किया है। ऐसा करते समय नाबार्ड को जिला सहकारी बैंकों की अर्हता पर भी विचार करना चाहिए। नाबार्ड को प्राथमिक कृषि सहकारिताओं द्वारा दिए गए कुल कृषि ऋणों को 70% तक भी पुनः वित्त पोषित करना चाहिए।

नाबार्ड ने केरल में एर्णाकुलम और पालाक्कड़ जिलों के लिए पुनः वित्त पोषण के लिए मना कर दिया है क्योंकि जिला सहकारी बैंकों ने निधियां सरकारी कोष में जमा करा दी हैं। यह अनौचित्यपूर्ण है, क्योंकि राज्य सरकार ने इन जमाराशियों पर जिला सहकारी बैंकों को ब्याज दिया है।

सरकार केरल राज्य के कृषि क्षेत्र की सहायता के लिए नाबार्ड को इन मुद्दों पर आवश्यक अनुदेश जारी करेगी।

अध्यक्ष महोदय : मद संख्या 19 और 20, नामतः सांविधिक संकल्प और भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) विधेयक, पर चर्चा बाद में की जाएगी।

...(व्यवधान)...

अपराह्न 2.10 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश के विभिन्न भागों में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम देश के विभिन्न भागों में आई बाढ़ पर चर्चा करने के संबंध में मद संख्या 21 लेंगे

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : बाढ़ संबंधी मामला बहुत महत्वपूर्ण है। मैं माननीय सदस्यों से सहयोग करने का अनुरोध करूंगा।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : श्री राजीव रंजन सिंह, क्या आप बोलेंगे? क्या आप इस चर्चा पर बोलेंगे?

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : श्री मधुसूदन मिस्त्री – उपस्थित नहीं।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : श्री अनवर हुसैन – उपस्थित नहीं।

श्री निखिल कुमार – उपस्थित नहीं।

...(व्यवधान)...

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कोई नहीं है।

...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सीताराम सिंह।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अपील कर रहा हूं, देश मे बाढ़ की स्थिति से निपटने का मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप इस पर चर्चा नहीं होने देंगे तो यह सदस्यों की तरफ से घोर गैर–जिम्मेदारी को दर्शाएगा।

[हिन्दी]

श्री सीताराम सिंह (शिवहर) : अध्यक्ष महोदय, यहां बाढ़ और बरसात के विषय पर चर्चा हो रही है। इस चर्चा में सदस्य भाग ले रहे हैं। मैं ऐसे मौके पर *...(व्यवधान)...*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा कल पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.12 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 17 अगस्त 2007/26 श्रावण, 1929 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री अनवर हुसैन	
	श्री किन्जरपु येरननायडु	61
2.	श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	62
	श्री जसुभाई धानाभाई बारड़	
3.	श्री बसुदेव आचार्य	63
4.	श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता	64
	श्री रायापति साबांसिवा राव	
5.	श्री हरिकेवल प्रसाद	65
	डा. धीरेंद्र अग्रवाल	
6.	श्री ए. साई प्रताप	66
	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	
7.	श्री रामजीलाल सुमन	67
	श्री सूरज सिंह	
8.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़	68
	श्री सुग्रीव सिंह	
9.	श्री सर्वे सत्यनारायण	69
10.	श्री हेमलाल मुर्मू	70
	श्री रघुराज सिंह शाक्य	
11.	श्री बालासोवरी वल्लभनेनी	71
12.	श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	72
	श्री बृज किशोर त्रिपाठी	
13.	श्री मनोरंजन भक्त	73
14.	श्री वरकला राधाकृष्णन	74
15.	श्री एन.एस.वी. चित्तन	75
	श्री रवि प्रकाश वर्मा	
16.	श्री विजय कृष्ण	76
	श्री मंजुनाथ कुन्नुर	
17.	प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा	77
	श्री इकबाल अहमद सरडगी	
18.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	78
19.	डा. एम. जगन्नाथ	79
	श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा	
20.	श्री पुन्नू लाल मोहले	80

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरुन रशीद, श्री जे.एम.	587, 664
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	652, 732
3.	आदित्यनाथ, योगी	600
4.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	597, 660, 694, 737
5.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	575, 672
6.	अहीर, श्री हंसराज गं.	534, 676, 707, 748
7.	अप्पादुरई, श्री एम.	659
8.	आठवले, श्री रामदास	601, 696
9.	बैठा, श्री कैलाश	539
10.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	650, 731
11.	बर्मन, श्री हितेन	525, 629
12.	बर्मन, श्री रनेन	524, 701
13.	बखला, श्री जोवाकिम	524, 546
14.	भक्त, श्री मनोरंजन	661, 685
15.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	530, 634, 721
16.	वरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	740
17.	बोस, श्री सुव्रत	548, 577, 640
18.	बोचा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी	594, 690

1	2	3
19.	चक्रवर्ती, श्री स्वदेश	577, 750
20.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	584, 590, 683, 689
21.	चटर्जी, श्री सांता श्री	566
22.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	581, 589, 731
23.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	662
24.	चौधरी, श्री पंकज	537, 671, 744
25.	चौधरी, श्री अधीर	609, 659, 691
26.	देवरा, श्री मिलिन्द	563, 606, 649, 689
27.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	577, 619, 674, 711
28.	धोत्रे, श्री संजय	606, 610, 703
29.	धूमल, प्रो. प्रेम कुमार	523, 627, 718
30.	दूबे, श्री रमेश	607
31.	फैन्थम, श्री फ्रांसिस	608
32.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	558
33.	गद्दीगउडर, श्री पी.सी.	616, 709
34.	गढ़वी, श्री पी.एस.	623, 652, 664, 713
35.	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	657, 735
36.	गंगवार, श्री संतोष	620
37.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	610, 703
38.	हसन, चौधरी मुनव्वर	556, 646
39.	हुसैन, श्री अनवर	651, 730
40.	हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज	663
41.	जगन्नाथ, डा. एम.	664
42.	जैन, श्री पुष्प	535, 710
43.	झा, श्री रघुनाथ	582
44.	जिन्दल, श्री नवीन	521, 625, 667, 731

1	2	3
45.	जोगी, श्री अजीत	659
46.	जोशी, श्री प्रहलाद	526, 610, 630, 686
47.	कनोडीया, श्री महेश	580, 680
48.	खन्ना, श्री अविनाश राय	543
49.	खारवेनथन, श्री एस.के.	531, 609, 635, 652, 722
50.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	545, 639, 725
51	कृष्ण, श्री विजय	715
52.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	570, 666, 739
53.	कुन्नुर, श्री मंजुनाथ	700
54.	कुरूप, एडवोकेट सुरेश	742
55.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	568, 656, 678
56.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	549, 692
57.	महतो, श्री नरहरि	553, 643
58.	महताब, श्री भर्तृहरि	611
59.	मंडल, श्री सनत कुमार	596, 677 693
60.	मनोज, डा. के.एस.	659
61.	मरन्डी, श्री सुदाम	573
62.	मसूद, श्री रशीद	588, 652, 688
63.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	653, 733
64.	मिश्रा, डा. राजेश	567
65.	मोहन, श्री पी.	565, 570
66.	मो. ताहिर, श्री	624
67.	मोल्लाह, श्री हन्नान	599, 695
68.	मंडल, श्री अबु अयीश	564, 708
69.	मोरे, श्री वसंतराव	550, 641, 726
70.	मुर्मू, श्री हेमलाल	659, 736
71.	नन्दी, श्री अमिताभ	574, 670, 743

1	2	3
72.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	558
73.	नायक, श्री अनन्त	621
74.	निखिल कुमार, श्री	595, 659, 691, 731
75.	ओराम, श्री जुएल	547, 583
76.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	614, 659, 686, 707
77.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	541, 637, 659, 723, 737
78.	पाण्डा, श्री प्रबोध	618
79.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	522, 626, 731
80.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	732
81.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	589, 598, 731
82.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	657, 674, 687, 735, 747
83.	पटैरिया, श्रीमती नीता	527, 631
84.	पाटिल, श्री डी.बी.	613
85.	पाटील, श्री प्रतीक पी.	599
86.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	577, 675
87.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	542, 686
88.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	647, 650, 731
89.	प्रधान, श्री धर्मेन्द्र	522, 532, 576, 626, 737
90.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	654
91.	राई, श्री नकुल दास	622
92.	राजगोपाल, श्री एल.	569, 585, 665, 738
93.	रामदास, प्रो. एम.	578, 677, 749
94.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	617, 689, 693, 710
95.	राणा, श्री काशीराम	581, 745
96.	रानी, श्रीमती के.	557, 716
97.	राव, श्री के.एस.	551, 642
98.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	659, 668, 741
99.	रवीन्द्रन, श्री पन्नियन	584, 683
100.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	554, 644
101.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	591
102.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	585, 667, 684
103.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	577, 578
104.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	590, 689
105.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	528, 598, 632, 720
106.	रिजीजू, श्री कीरेन	532, 626, 731
107.	साई प्रताप, श्री ए.	655, 659
108.	सज्जन कुमार, श्री	567
109.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	522, 576, 628, 719
110.	शर्मा, डा. अरूण कुमार	571, 667, 740
111.	सरोज, श्री तूफानी	604
112.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	658
113.	सत्पथी, श्री तथागत	547, 552, 702
114.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	655, 678
115.	सेन, श्रीमती मिनाती	605
116.	सेनथिल, डा. आर.	742
117.	सेठी, श्री अर्जुन	547, 714
118.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	659, 736
119.	शर्मा, श्री मदन लाल	578, 677, 749
120.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	597, 660, 694, 698, 737

1	2	3
121.	शुक्ला, श्रीमती करूणा	576
122.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	544, 638, 666, 724
123.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	590, 622, 712
124.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	575, 672, 745
125.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	586, 684, 685
126.	सिंह, चौधरी लाल	602, 697
127.	सिंह, श्री दुष्यंत	597, 697
128.	सिंह, श्री गणेश	540, 704
129	सिंह, श्री मोहन	567, 615
130.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	582, 593, 666
131.	सिंह, श्री राकेश	561, 667
132.	सिंह, श्री रेवती रमन	603, 699
133.	सिंह, श्री सुग्रीव	657, 674, 735, 747
134.	सिंह, श्री सूरज	678
135.	सिंह, श्री उदय	572, 669, 742
136.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	580, 680
137.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	529, 633, 728, 740
138.	सुगावनम, श्री ई.जी.	541, 560, 648, 722, 729
139.	सुमन, श्री रामजीलाल	656, 734
140.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	562, 717
141.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	555, 645, 727
142.	थामस, श्री पी.सी.	559, 570
143.	तुम्मर, श्री वी.के.	681
144.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	522, 577, 675
145.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	673, 746
146.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	681
147.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	592, 748
148.	वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	533, 682
149.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	597, 660, 694, 698
150.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	536, 636
151.	यादव, श्री मित्रसेन	612, 705
152.	यादव, श्री राम कृपाल	538
153.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	585, 706

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक		77, 80
नागर विमानन		72, 76, 78
संस्कृति		
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग		
भारी उद्योग और लोक उद्यम		
अल्पसंख्यक मामले		71
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस		65, 67, 68, 74, 79
रेल		61, 66, 69, 70
सामाजिक न्याय और अधिकारिता		62, 73
इस्पात		63, 75
पर्यटन	:	64

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	522, 524, 525, 546, 548, 552, 568, 597, 629, 640, 676, 681, 701, 732, 734
नागर विमानन	531, 532, 554, 567, 571, 572, 576, 579, 582, 587, 606, 609, 618, 623, 624, 642, 652, 660, 664, 665, 669, 670, 673, 675, 677, 686, 687, 691, 695, 706, 719, 722, 731, 741, 743, 748, 749
संस्कृति	521, 526, 529, 541, 547, 559, 564, 583, 602, 616, 628, 632, 638, 644, 649, 655, 667, 690, 692, 693, 716, 737
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	530, 596, 600, 621, 651, 672, 721
भारी उद्योग और लोक उद्यम	544, 625, 626
अल्पसंख्यक मामले	585, 586, 599, 608, 614, 707
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	538, 555, 558, 565, 569, 575, 577, 581, 589, 592, 603, 604, 607, 612, 617, 620, 647, 648, 653, 656, 657, 662, 663, 666, 668, 674, 678, 679, 683, 684, 696, 698, 702, 703, 705, 708, 710, 718, 729, 735, 739, 742, 747, 750

रेल	523, 527, 533, 534, 535, 536, 537, 539, 540, 542, 543, 549, 550, 553 556, 560, 561, 562, 563, 566, 570, 574, 578, 580, 584, 588, 590, 593, 594, 595, 598, 610, 611, 613, 615, 619, 622, 630, 631, 634, 635, 636, 637, 641, 643, 645, 646, 654, 658, 659, 661, 671, 680, 682, 685, 688, 689, 697, 699, 700, 711, 712, 714, 715, 720, 723, 724, 725, 726, 730, 736, 738, 740, 744, 746
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	557, 573, 591, 601, 605, 627, 650, 694, 704, 709, 717
इस्पात	545, 551, 639, 732
पर्यटन	528, 633, 713, 727, 728, 733, 745

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली–110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2007 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (बारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली – 110006 द्वारा मुद्रित।